राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र का चौथा दिवस [संख्या 2

सोमवार

दिनांक 23 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द बिश्नोई, अध्यक्ष; पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 1

शिक्षा नीति में परिवर्तन

1. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में शिक्षा नीति में परिवर्तन करना आवश्यक समझती है? यदि हां, तो क्या 10+2 शिक्षा नीति लागू करने का विचार है?

(2) क्या राज्य में बढ़ रही शिक्षित बेरोजगारी के निराकरण हेतु भी शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का विचार है?

(3) क्या भावी शिक्षा नीति में विज्ञान एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों को प्रमुखता दी जायेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दन मल बैद): (1) जी हां, राज्य सरकार ने 10+2 की शिक्षा नीति प्रारम्भ करने पर सिद्धान्तत: सहमति दी है। इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, लगभग तीन वर्ष पूर्व से 10+2 की जो शिक्षा नीति समूचे प्रदेश में लागू करने का विचार है। पूरे देश में लगभग लागू हो चुकी है। यहां न तो इन तीन वर्षों में हायर सैकण्डरी स्कूल नये खोले जा रहे हैं और न ही 10+2 की शिक्षा नीति पर विचार किया जा रहा है। क्या राज्य सरकार आने वाले समय में जब तक इस नीति पर विचार नहीं कर लेती है तब तक नये हायर सैकण्डरी स्कूल खोलेगी?

दूसरा प्रश्न यह है कि...

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, एक एक प्रश्न पूछें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : एक बार में एक ही प्रश्न पूछें।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, सन् 75 में हमने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया था कि सारे देश में एक ही

(श्री चन्दनमल बैद)
प्रकार की शिक्षा पद्धति हो इसलिये हमने 10+2 के सिद्धान्त को स्वीकार किया था। लेकिन जो दूसरे कार्य थे, टीचर्स को ट्रेनिंग आदि देने के सिलसिले में, स्कूलों की वृद्धि करने के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, वह अभी तक नहीं कर सके हैं।

यह सही नहीं है कि सारे देश में 10+2 की शिक्षा पद्धति लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा अभी कोई दूसरी जगह नहीं हुई है। यू. पी. ने इसलिये लागू की है कि वहां इन्टर की क्लासेज पहले से थीं, हमारे यहां नहीं थीं इसलिये 10+2+3 की शिक्षा पद्धति लागू नहीं कर पाये। अभी यहां 10+1+3 है, उसको 10+2+3 करना पड़ेगा। यू. पी. में यह समस्या नहीं थी। जिनके सामने यह समस्या है जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और भी पड़ोसी राज्यों ने लागू नहीं की है। सिद्धान्त रूप में इसलिये स्वीकार की है, कि सारे देश में एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था वह यह है कि जब तक यह नीति लागू नहीं करते हैं तो क्या राज्य सरकार नये हायर सैकण्डरी स्कूल खोलेगी ? आज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में बढ़ती जा रही है ? क्या शिक्षा नीति को जोब आरियेन्टेड बनाने का सिक्स्थ प्लान में प्रावधान रखा है ?

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आया कि नये हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने से बेरोजगारी की समस्या कैसे हल हो जायगी ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : मेरा निवेदन यह है कि राज्य के जो लोग गांवों में रहते हैं और जो दसवीं के बाद सीधे शहरों में नहीं आ सकते हैं, वह दूरी के कारण शिक्षा नहीं पा सकते हैं इसलिये हायर सैकण्डरी स्कूल की आवश्यकता है। इसके अलावा जहां तक रोजगार का प्रश्न है, हायर सैकण्डरी में जोब ओरियेन्टेड शिक्षा पद्धति की शिक्षा दे दी जाय तो व्यक्ति रोजगार स्वयं ढूंढ सकता है। राज्य सरकार को नौकरी देने के लिये कोई जरूरत नहीं पड़ती है...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री बुलाकी दास कल्ला : मेरा निवेदन है कि नये हायर सैकण्डरी लेवल पर ऐसी शिक्षा दे दें तो इस तरह रोजगार आधारित शिक्षा की व्यवस्था हायर सैकण्डरी लेवल में कर सकते हैं। इससे बेरोजगारी को दूर करने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, नये हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की बात नहीं है, अतिरिक्त खण्ड खोलने के बारे में अवश्य है। वह इस वर्ष के लिये है। इस सिद्धान्त को अपनाने में देर कर सकते हैं लेकिन यह मानना कि सैकण्डरी के बाद हायर सैकण्डरी की एक साल की शिक्षा, जैसी कि चर्चा हुई थी, में विद्यार्थी इतना योग्य हो जायगा कि उसको रोजगार मिल जायगा, यह सम्भव नहीं लगता है। यह जरूर है कि 10+2+3 ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसके लिये कह सकते हैं कि यह उन्नत

(श्री चन्दनमल बैद)
शिक्षा है लेकिन जिन राज्यों ने 10+2 को अपनाया है, उनका क्या अनुभव है और जिन राज्यों ने इसको नहीं अपनाया है उनका क्या अनुभव है और क्यों नहीं अपनाया—इस सम्बन्ध में उनसे विचार विमर्श करके कुछ तय करेंगे। देरी तो हो गई है लेकिन उनके अनुभव से हमको लाभ उठाना चाहिये इसलिये जान-बूझकर हम देरी कर रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जिन प्रान्तों का जिक्र किया है उनमें गुजरात के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया। गुजरात में इस प्रकार की व्यवस्था है उससे बेरोजगारी भी दूर हुई है।

श्री चन्दन मल बैद : गुजरात का मुझे नहीं मालूम। जब मैं कल दिल्ली में था तो मालूम हुआ कि 10+2 की तरफ जब डाइवर्सीफिकेशन हुआ तो 50-60 विद्यार्थी ही व्यवसाय की तरफ गये हैं बाकी दिल्ली में भी व्यवसाय की शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है। अब हम दूसरे प्रदेशों से भी पता लगायेंगे कि विद्यार्थियों की कितनी रुचि है। अगर रुचि नहीं है तो कक्षाएं खाली पड़ी रहेंगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : रुचि तो सरकार को पैदा करनी होगी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 10+2 की योजना के बारे में क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस पद्धति को चलाने से शिक्षा की सारी समस्याएं हल हो जायेंगी? एक। दूसरा क्या राज्य सरकार ने व्यवसायोन्मुखी शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिये कुछ ऐसी ट्रेनिंग चलाई है जिसका खर्चा आज से कुछ वर्ष पूर्व भी किया जा चुका था? उसको मद्दे नजर रखते हुए आप इसको कहां तक बढ़ा पायेंगे?

श्री चन्दन मल बैद : ट्रेनिंग नहीं चलाई गई थी लेकिन 10+2 की शिक्षा पद्धति पर करीब 21 करोड़ का खर्चा आयेगा। इसलिये वित्तीय कठिनाई भी इसका एक कारण है। 21 करोड़ की धनराशि खर्च करें और फिर एक्सपेरीमेंट करें तो उससे पहले जिन राज्यों ने एक्सपेरीमेंट किया है उनके अनुभव का फायदा क्यों नहीं उठायें। जिन राज्यों ने 10+2 की शिक्षा को अपनाया है उनका पहले अध्ययन किया जाना चाहिये। जिन राज्यों ने इसको नहीं अपनाया है उनसे भी पूछा जाना चाहिये कि आपने क्यों नहीं चलाया। इस सबके करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

इस प्रश्न को आप किसी और तरीके से बाद में उठायें...

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बहुत समय लग गया, 10 मिनिट ले लिये गये हैं इस प्रश्न पर। अन्य तरीके से बाद में उठायें....

श्री छोगालाल बकोलिया (रेवदर) : टेक्निकल एजूकेशन के लिए बहुत जरूरी है....

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेद सिंह ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न पुकार लिया गया है ।

श्री छोगालाल बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, इससे कनेक्टेड ही है । टेक्निकल एजूकेशन के बारे में सरकार क्या कर रही है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेद सिंह ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

2. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या तहसील डीडवाना में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विद्यार्थियों के आवास के लिए सरकार कोई छात्रावास खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हर सहाय मीणा) : (1) वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

(2) वर्तमान में नये राजकीय छात्रावास खोलने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री उम्मेदसिंह : प्रावधान क्यों नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, डीडवाना में छात्रावास नहीं खुलने के क्या कारण हैं ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है कि छात्रावास कभी खुला या नहीं । डीडवाना में एडेड होस्टल चलता था । बाकी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है कि हम नया छात्रावास खोल रहे हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि एडेड होस्टल चलता था वह बन्द कर दिया गया । तो बतायें कि कब बन्द हुआ और क्यों बन्द हुआ और अब फिर से चलाने की योजना है ? यह भी बतायें कि वह कब खुला था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । अगर उनके पास जानकारी है तो दे देंगे ।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है कि कब खुला था और कब बन्द हुआ था तो वह 1979 में बन्द हो गया । आपस में उसकी कार्यकारिणी का झगड़ा था जो अभी भी चल रहा है । उसकी जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो भी निर्णय लिया जायेगा, उसमें जो भी फैसला होगा, उसके बाद इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का फैसला होगा ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि छात्रावास चलता था, कार्यकारिणी के झगड़े के कारण बन्द है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार पूर्व व्यवस्था पुनः शुरू करने को तैयार है ? जब तक झगड़े का फैसला न हो, तब तक क्या करेगी सरकार ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने पूछा है कि यह किस लिए बन्द हुआ । तो क्या प्रश्न पूछा था, पूरा जरा दोहरा दें ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा सवाल है कि आपने बताया कि वहां छात्रावास था और कार्यकारिणी के झगड़े के कारण बन्द है । मेरा निवेदन है कि क्या सरकार वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरसहाय मीणा : कोई व्यवस्था फिलहाल करने का इरादा नहीं है क्योंकि मिडल ऑफ दी सैशन में झगड़ा उठ खड़ा हुआ है इसलिए उसको चलाने के लिए किसी अधिकारी महोदय को प्रशासक बनाकर उसके सुपरवीजन में उसको चलाया जायेगा। उसके बाद जब तक झगड़ा तय नहीं हो जाय जो न्यायालय में चल रहा है, तब तक कोई संभावना नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि अभी तक कोई इरादा नहीं है । तो एक तरफ तो तैयार भी हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अभी कोई इरादा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न । श्रीमती विद्या पाठक ।

विकलांगों को सुविधायें

3. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्यों में विकलांगों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ? कृपया विकलांगों की सुविधा सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 1981 को विकलांग वर्ष घोषित किया गया है ? यदि हां, तो राज्य में इस वर्ष विकलांगों के पुनर्वास हेतु क्या विशेष योजना है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) राज्य में विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची तथा सम्बन्धित नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(2) जी हां । इस वर्ष में उक्त सुविधाओं को अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचाया जायेगा । अतिरिक्त सुविधाओं पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है ।

(सूची व नियमों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो मैं यह निवे-

(श्रीमती विद्या पाठक)

दन करना चाहूंगी कि ये नियमों की प्रति मुझे अभी कुछ मिनट पहले ही मिलीं, इसमें काफी सारे नियम हैं। अगर इसके कुछ पहले ही मिलने की व्यवस्था हो जाय तो सुविधा होगी। इसमें इतना ज्यादा एक साथ मैटीरियल होता है कि इतने समय में इसको पढ़ना मुश्किल होता है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें से अधिकांश कागजों को मन्त्री महोदय भी पढ़ कर नहीं सुना सकते ऐसी इल्लेजिबल प्रति दी गई, जो अनुचित है।

अब मैं कुछ मन्त्री महोदय से प्रश्न करना चाहूंगी। क्या सरकार की जानकारी में है कि विकलांगों की संख्या राजस्थान में कितनी है, विशेष तौर से जब कि हम इस वर्ष को विकलांग वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं? क्या यह ज्ञात किया गया है?

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि सरकार राजस्थान के हर विभाग में एक विकलांग को नियुक्ति देगी, तो क्या यह नियुक्ति एडीशन में होगी, उस दो प्रतिशत के, जो रुटीन में दी जाती हैं।

तीसरा प्रश्न मैं यह जानना चाहूंगी कि....

श्री हर सहाय मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अगर एक बार में एक प्रश्न पूछें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : दो का तो उत्तर दे दीजिए तीसरा फिर पूछ लेंगी।

श्री हरसहाय मीणा : पहला प्रश्न जो पूछा गया है कितना पर्सेन्ट है तो उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि टोटल पापुलेशन का 4 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने संख्या नहीं पूछी है। कृपया आप प्रश्न दोबारा पूछ लें।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यह पूछना चाहती थी कि जब इस वर्ष को विकलांग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है तो विकलांगों की संख्या राजस्थान में कितनी है?

श्री हर सहाय मीणा : विकलांगों की संख्या 4 पर्सेन्ट के करीब मानी जा रही है।

एक माननीय सदस्य : किसकी 4 पर्सेन्ट?

श्री हर सहाय मीणा : पापुलेशन की, राजस्थान की आबादी।

एक माननीय सदस्य : कितनी आबादी है राजस्थान की?

श्री हरसहाय मीणा : यह तो आपको आंकड़ों से पता चल जायेगा राजस्थान के। विकलांगों की अलग से जनगणना नये वर्ष में की जा रही है। उसके 4 पर्सेन्ट के करीब है। उसके उपलब्ध आंकड़े समय पर बता दिये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : अनुमानित ही बता दीजिए?

श्रीमती विद्या पाठक : दूसरा प्रश्न यह पूछा था कि कुछ दिन पहले सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति दी गई थी कि हर विभाग में

(श्रीमती विद्या पाठक)
एक-एक विकलांग का अपाइंटमेंट होगा, हर विभाग में नियुक्ति दी जायेगी। विशेष रूप से 2 प्रतिशत नियुक्ति का जो नियम बना हुआ है, उसके एडीशन में है या उसी में शामिल है?

श्री हरसहाय मीणा : दो पर्सेन्ट से 3 पर्सेन्ट करने जा रहे हैं, 2 पर्सेन्ट के अलावा।

श्रीमती विद्या पाठक : निश्चित है?

श्री हरसहाय मीणा : 2 के बजाय 3 होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : इसी वर्ष को तो आप विकलांग वर्ष मनाने जा रहे हैं और अभी आप योजना ही बना रहे हैं। पूरी कब करेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री लच्छू राम (मण्डावा) : विकलांगों का वर्ष है, यह आपकी सरकार को ज्ञान होना चाहिए यह मोटा सा प्रश्न है। कम से कम संख्या तो आपको बतानी चाहिए। क्या सुविधायें दी हैं यह तो आधी बात है। जब आपको इनकी संख्या का ही ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या फायदा देंगे?

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि···

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय नए हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाय तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : क्या यह सही है कि पिछले सत्र के अन्दर सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि विकलांगों के लिए रोस्टर प्रणाली लागू कर दी जाएगी? क्या यह लागू कर दी गई है?

श्री हरसहाय मीणा : अभी लागू नहीं हुई है। बहुत जल्द लागू करने के बारे में राज्य सरकार सोच रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या केबिनेट ने दो पर्सेंट से तीन पर्सेंट करने की अनुमति दे दी है? क्या रोस्टर प्रणाली अपनाने की स्वीकृति केबिनेट द्वारा हो गई है?

श्री हरसहाय मीणा : तीन पर्सेंट की अभी चर्चा है। अभी स्वीकृति नहीं हुई है, यह विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, चार पर्सेन्ट राजस्थान में विकलांग बताये गये हैं ये किस आधार पर बताए हैं?

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क) : पोइन्ट चार पर्सेन्ट है, चार पर्सेंट नहीं है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : अच्छा हुआ, माननीय सदस्य ने करेक्ट कर दिया।

मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार के पास इस बात के

(8)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
आंकड़े हैं कि राजस्थान में कितने लोग अन्धे हैं, कितने लोग लूले हैं, कितने बहरे हैं और कितने अपाहिज हैं ? आप जिन लोगों को सहायता देना चाहते हैं क्या आपने उनका मोटे तौर पर सर्वे कराया है ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो तीन पर्सेंट की बात कही है तो यह तीन पर्सेंट केवल सरकारी सेवाओं में ही लागू करेंगे या स्टेट एण्टरप्राइजेज, पब्लिक सैक्टर, कार्पोरेशन्स और कम्पनीज में भी इस पर्सेंट को लागू करने वाले हैं ?

श्री हरसहाय मीणा : जो आंकड़े अभी आपने, माननीय सदस्य ने चाहे हैं, नए सैंसस के अनुसार जो आंकड़े उपलब्ध होंगे उनमें अलग-अलग डिटेल्स बता देंगे कि कितने अंधे हैं, कितने बहरे हैं, कितने लंगड़े हैं। विकलांगों का प्रश्न पहले हमारे सामने नहीं था। दो तीन सालों से आया है। उनको विशेष सुविधायें देने के लिए ही विकलांग वर्ष मनाने जा रहे हैं इसी साल। इससे पहले यह बात नहीं थी, कुछ अर्से पहले ही यह प्रश्न सामने आया था। उसकी वजह से जो नया सैंसस हो रहा है उसमें विगतवार जानकारी चाही गई है। जब उसके आंकड़े आयेंगे तो उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा केवल एक प्रश्न पूछेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, क्या यह जो सारी योजना है, इसका कोई ब्ल्यू प्रिंट तैयार हुआ है ? मंत्री महोदय कृपया बतायें। अगर तैयार हुआ है तो वह क्या है, यह बताने की कृपा करें।

श्री हरसहाय मीणा : अभी गणना हुई ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जनगणना पूरी नहीं होगी और विकलांग वर्ष पूरा हो जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ब्ल्यू प्रिंट के क्या मायने हैं, मंत्री महोदय को मालूम है ? योजना तो आपने शुरू कर दी लेकिन क्या योजना है, क्या नक्शा है, क्या करना चाहते हैं, यह तो बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उत्तर अपर्याप्त है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती थी कि वैसे सरकार की नीति स्पष्ट है तो भी यह विकलांग वर्ष है, जनगणना हो या नहीं हो लेकिन जो सरकार लोगों को अन्धा बना,

(श्रीमती विद्या पाठक)

सकती है जो सरकार उन पर लाठी चार्ज कर सकती है उन्हीं के सम्मेलनों पर उनका बहिष्कार करती है परन्तु मैं यह जानना चाहती हूं, मंत्री जी, क्या आपकी जानकारी है इस बात की कि जो कुछ भी आपने कागज मुझे दिये हैं और जो आपने बातें बताई हैं, यह योजनायें तो पुरातन से चली आ रही योजनायें हैं? जब से यह विभाग चल रहा है यह योजना शुरू हुई थी। इसलिए विकलांग वर्ष में विशेष योजना क्या रखी गई है इसकी जानकारी आप नहीं दे पाये हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि लैक आफ पब्लिसिटी की वजह से आपके यहां के बड़े अधिकारियों के विकलांग बच्चों को तो गैस के कनेक्शन मिल सकते हैं विकलांग वर्ष में लेकिन गरीबों के लिए आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं, इसके लिए तो कोई योजना होगी?

श्री हरसहाय मीणा : दो पर्सेंट से तीन पर्सेंट कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 4 है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास आथोरिटी है?

श्री भगवानदास शास्त्री : प्रश्न मेरा ही है।

श्री अध्यक्ष : यस, श्री भगवानदास शास्त्री।

अकाल के संदर्भ में राहत कार्य

4. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ गांवों को छोड़कर 26 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया है? यदि हां, तो क्या माह नवम्बर, 1980 से टैस्ट वर्क प्रारम्भ करने हेतु हर जिले को 11 लाख से 5 लाख रुपये के लगभग राशि दी गई है? यदि हां, तो गांवों की संख्या के अनुपात में प्रत्येक गांव में कितना-कितना धन उपयोग में लाया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्र को अकाल की विभीषिका से देरी से अवगत कराया? यदि हां, तो किन कारणों से विलम्ब किया गया?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र के सम्बन्धित मन्त्री अपने वक्तव्यों में ढील का कारण एवं दोष राज्य सरकार के ऊपर डालते गये? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने केन्द्र की घोषणाओं के बाद चुप्पी क्यों साध रखी है?

अकाल राहत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां। टैस्ट रिलीफ वर्क्स के लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी तथा जिले की, गांवों की प्रभावित जन संख्या साथ में संलग्न है। इससे प्रत्येक गांव की संख्या एवं आवंटित धनराशि का अनुपात स्पष्ट है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

(2) राज्य सरकार ने समय पर केन्द्र सरकार को अवगत करा दिया था।

(3) केन्द्रीय मन्त्री का क्या वक्तव्य था यह राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि केन्द्रीय अध्ययन दल राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए दो बार आया था, उसमें आपके कर्मचारी और आपकी मंत्रिपरिषद् का एक भी सदस्य शामिल नहीं था?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्ययन दल एक बार आया है, दो बार नहीं। माननीय जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने इस दल से भेंट की थी।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि ढाई करोड़ से तीन करोड़ की जनता में आपने जो 191 लाख की राशि बताई है, वह पर्याप्त है? आपने जो राहत कार्य शुरू किए उनकी घोषणा आपने दिसम्बर में कर दी थी किन्तु जब प्रधान मंत्री प्रदेश के जोधपुर क्षेत्र में आईं तो एक नकली अफसर ने नकली कार्य शुरू करवा दिए। बाद में जब वे वापस चली गईं तो कार्य करने वाले थे उनको मजदूरी भी नहीं दी। आपने उक्त अधिकारी को बर्खास्त कर दिया?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जो राशि उपलब्ध कराई गई वह जन संख्या के आधार पर आवंटित की गई। बाकी जो बातें कही हैं वे इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने नवम्बर, 80 में राहत कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी थी। आपने जो सूची दी है उसमें जैसलमेर और विशेषकर बीकानेर के लिये अकालग्रस्त होने के नाते सात लाख और दूसरे जैसलमेर के लिये भी सात लाख रखा है। जब दिल्ली के पत्रकार पधारे थे तो उनको बताया गया कि वहां एक व्यक्ति के मां बाप मर चुके हैं। उसके छोटे भाई हैं लेकिन उसको नौकरी देने में असमर्थ हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं निवेदन करना चाहता हूं टैस्ट वर्क्स 16 नवम्बर से शुरू करने के लिए राशि आवंटित की गई। टैस्ट वर्क्स और रेगुलर वर्क्स में फर्क है। आपने जो जैसलमेर और बाड़मेर की बात कही है उसकी अलग से जानकारी प्राप्त कर लें। यह जनरल प्रश्न था स्टडी टीम के बारे में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। सूची दी हुई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने टैस्ट वर्क की घोषणा कर दी और अब रेगुलर वर्क्स की बात करते हैं। यह तो वही हुआ कि जब आदमी अंधा हो जाय तब उसको चश्मा दिया जाय। जब अन्धा हो जाय तब चश्मा ले सकता है। आज जहां पर बेरोजगारी है, भूखमरी है राजस्थान के अन्दर आदमी भूखों मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सकती सरकार। आपने केबिनेट को बढ़ा दिया लेकिन मैं तो कहता हूं कि इसको समाप्त कर देना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ···

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : आज लूटमार हो रही है, चोरियां हो रही हैं, सारे राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, अकाल राहत कार्य नहीं चलने से लोग लूट-खसोट कर रहे हैं ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री : आज तक लोगों को समय पर पर्याप्त सहायता पहुंचाने की बात नहीं सोची गई तो आयन्दा के लिए क्या करना चाहते हैं, यह बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्न केवल टैस्ट वर्क्स के बारे में ही है ···

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जवाब मेरे पास है। 17 तारीख को कहा है, राजस्थान की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय ने प्रश्न के जवाब में यह बात कही थी या नहीं कही थी ?

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : उनके मां बाप का देहान्त हो चुका है ···

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : राजस्थान में अब तक कितने अकाल राहत कार्य खोले जा चुके हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। यह टैस्ट वर्क के बारे में है। दूसरा प्रश्न अन्य किसी तरीके से पूछा जा सकता है।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अकाल राहत कार्य के लिये कुछ नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का पार्ट (2) देखें ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का पार्ट (2) में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्र को अकाल की विभीषिका से देरी से अवगत कराया ?

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, या तो केन्द्र सरकार गलत है, या राज्य सरकार गलत है।

श्री अध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज ! अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

यह प्रश्न कई बार आयेगा। बहुत से प्रश्न हैं। समय बहुत कम है। अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिये। आखिर हुआ क्या है ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : नाथूसिंह जी तो लेट आये हैं, इनको पता नहीं है।

श्री नाथूसिंह : राज्य सरकार ने कहा कि केन्द्र को रिपोर्ट दी गई है। राज्य सरकार ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। हम यह जानना चाहते हैं कि यह सरकार गलत है या वह सरकार गलत है ?

(व्यवधान)

मंत्री महोदय क्यों नहीं बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इस प्रकार के आरोप निराधार हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह आरोप निराधार हैं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : कितने लोगों को काम दिया गया ? क्या मजदूरी दी जाती है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 8-11-80 को ज्ञापन भेजा गया था। उसको हमने हमारे यहां से 11-11-80 को भेजा था। तो, अब तीन दिन का अन्तर है। इस तीन दिन के अन्तर को विपक्ष यह मान कर चले कि बहुत अधिक विलम्ब हो गया, बहुत बहुत बड़ा अन्याय हो गया तो यह उसके सोचने का प्रश्न है।

जहां तक झूंठ बोलने का प्रश्न है, यदि उपयुक्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाये तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर वे····

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह सरासर गलत है। यह गलत आरोप लगा रहे हैं, एक भी सही नहीं है। अरे, यह तो तुम्हारे अखबार की कटिंग है। यह काम××× है।

(व्यवधान)

मंत्रीजी बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : कितने काम खोले गये हैं ? कितने आदमियों को काम दिया गया है, कितने आदमियों को मजदूरी दी गई है ? मंत्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिये। मैं समझता हूं आज तक कोई काम नहीं खोला गया है। मंत्री महोदय से जवाब दिलाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

इसे अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं। यह तरीका गलत है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 11-11-80 को लिख दिया है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम ×××कह रहे हैं, मंत्री महोदय ने मेरे बारे में यह कहा है।×××आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : यह आपका अखबार बोल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

दुर्घटना बीमा योजना

5. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार का पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा करने वालों के लिये दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का विचार है ?

(2) यदि हां, तो इसकी क्या रूप-रेखा है और कब से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ?

(विराम)

एक माननीय सदस्य : कोई मंत्री नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री महोदय।

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1 व 2) स्टेट एवं कान्ट्रेक्ट केरिज बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों को बस दुर्घटना होने पर मुआवजा देने हेतु विचार किया जा रहा है। इसकी रूपरेखा राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह रूपरेखा राज्य सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

एक माननीय सदस्य : बरसों से है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा सत्र में अलवर के आसपास एक बस दुर्घटना हुई थी। उस समय भी सदन में काफी विचार विमर्श हुआ था। उसके बाद राज्य सरकार ने कार्यवाही प्रारम्भ की। तत्पश्चात् दो पक्ष सामने आये, एक तो यह कि बीमा कम्पनी के द्वारा इसका बीमा करवाया जाये और दूसरा यह कि कुछ राशि वसूल करके राज्य सरकार संचय निधि के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मुआवजा दे। इसके लिये सारी जानकारी प्राप्त कर ली गई है। दोनों पद्धति लागू हैं। कुछ जगह बीमा कम्पनी के द्वारा बीमा किया जा रहा है और कुछ जगह संचय निधि द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। दोनों प्रश्नों पर विचार हो सकता है। मेरे ख्याल से अगले महीने तक राज्य सरकार निर्णय कर लेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने चार महीने पहले योजना भेज दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार की सुस्ती के कारण लागू नहीं हुई है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया अन्य राज्यों का

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
अध्ययन करवाया गया है, हिमाचल प्रदेश वगैरह का। उसके बाद दो पक्ष सामने आये हैं। बीमा कम्पनी के द्वारा किया जाये या संचय निधि के द्वारा उचित राशि वसूल करके किया जाये। इन दोनों पक्षों में से एक को तय करना है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन-किन राज्य सरकारों या राज्यों में यह योजना चल रही है ? किन-किन राज्यों में संचय निधि के द्वारा चल रही है और कितने राज्यों में बीमा कम्पनी के द्वारा चल रही है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह जानकारी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पिछले सैशन में सरकार ने कहा था कि बस दुर्घटना बीमा योजना शुरू कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि विधायकों की कमेटी बनाकर जांच की जायेगी। लेकिन आज तक कोई कमेटी की स्थापना नहीं की गई है, दूसरा सैशन आ गया है। इन्होंने कहा कि विचाराधीन है, तो यह विचार चलता रहेगा ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पथ परिवहन निगम ने क्या सजेस्ट किया है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पथ परिवहन निगम का 30 किलो मीटर छोड़ कर जो यात्रा करने वाले यात्री हैं उनसे पांच पैसे प्रति टिकट वसूल किये जाने का प्रस्ताव था। उसके बाद मैंने जैसा कहा कि बीमा कम्पनी द्वारा बीमा करने का प्रस्ताव था जैसा उत्तर प्रदेश में है। तो दोनों पक्ष सामने आये हैं। दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा होकर केबिनेट के लिये मीमो दे रहे हैं। यू. पी. के अन्दर बीमा करने का है और हिमाचल में संचय निधि का है। बाकी राज्यों की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जहां तक पथ परिवहन निगम का सवाल है 30 किलो मीटर छोड़ने के बाद उससे ऊपर जाने वाले यात्रियों से पांच पैसा प्रति टिकट लेकर बीमा कंपनी द्वारा बीमा कराये जाने के बाद 15 हजार रुपये तक मृत आदमी के लिये देने और फिर जैसा-जैसा नुकसान हो उसके अनुसार राशि देने का प्रस्ताव भी है। प्रश्न यह है कि हम इंश्योरेंस कंपनी को दें या राज्य खजाने में रख कर दें। तो दो पक्ष आये हैं। बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त को मुआवजा देने में काफी देरी हो सकती है और राज्य कोष से जल्दी दे सकते हैं। तो इस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई है, और मंत्रिमण्डल के लिये ज्ञापन तैयार हो रहा है। ज्ञापन तैयार होने के बाद आगामी अप्रेल में अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

उदयपुर हेतु आवंटित गेहूं

6. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो माह में उदयपुर शहर में राशन का कितना गेहूं आवन्टित किया गया ? उदयपुर शहर की आबादी क्या है ?

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

(2) गत दो माह में उदयपुर जिले में कितना गेहूं आवंटित किया गया तथा वहां की आबादी कितनी है ?

खाद्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) उदयपुर शहर में माह दिसम्बर, 1980 में 73 मै. टन गेहूं एवं जनवरी, 1981 में 635 मैं टन गेहूं का आवंटन किया गया। उदयपुर शहर की यूनिट संख्या 2,58,880 है।

(2) उदयपुर जिले में माह दिसम्बर, 1980 में 800 मै. टन एवं जनवरी, 1981 में 700 मै. टन गेहूं का आवंटन किया गया। उदयपुर जिले की यूनिट सं. 23, 16,889 है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : आप किस हिसाब में म्युनिसिपल टाउन को प्रति व्यक्ति कितना गेहूं देंगे और ग्रामीण जनता को प्रति व्यक्ति कितना गेहूं देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : म्युनिसिपल टाउन को 3 किलो और ग्रामीण जनता को कहीं कहीं 3 किलो और कहीं कहीं 3 से 12 किलो तक सब जगह गेहूं दिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : औसत के हिसाब से कहीं ज्यादा दिया गया और कहीं कम, यह किस आधार पर ?

श्री चन्दनमल बैद : यह तो जिलाधीश ने जैसा महसूस किया जहां ज्यादा की आवश्यकता थी वहां ज्यादा और.....

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जब सारे जिले में अकाल है तो कम महसूस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरफ तो गांवों में मजदूर लोगों को अनाज ही नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ स्थिति यह हो रही है-कहीं गेहूं घणा और कहीं मुट्ठी चणा। यह क्यों ?

श्री चन्दनमल बैद : केन्द्र से पहले जितना गेहूं मिलता था उसकी मात्रा में काफी कमी हो गई उस कमी को देखते हुए हम कम ही मात्रा में दे सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मुख्य मंत्री की कमजोरी है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : यह कमजोरी तो आप मेरी ही समझ लीजिये। अगर माननीय सदस्या यह महसूस करती हैं कि लोगों को खाने को अनाज की कमी है तो हम चावल जितनी मात्रा में चाहे दे देंगे। अगर भूखे मरने की नौबत नहीं है....

एक माननीय सदस्य : वहां के लोग चावल खाने वाले नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : भूखों मरने वाला आदमी गेहूं और चावल में भेद नहीं करेगा। माननीय सदस्या यह महसूस कर रही हैं कि वहां ऐसी स्थिति है तो जितनी मात्रा में वह चावल चाहें, वहां भिजवाने के लिये तैयार हूं। जहां तक गेहूं का सवाल है पिछले साल में गेहूं का जिस तरीके से आवंटन हुआ उसके कारण से हमारा स्टॉक जितना था वह कम हो गया, मिनिमम लैवल पर आ गया। इस कारण हमें महसूस करना चाहिये। इमर्जेन्सी के लिये रखी हुई चीज है उसे हम को काम में नहीं लाना चाहिये और जो कुछ भी अनाज पड़ा है उससे काम चलाना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मंत्री जी ने यह कहा कि इस बार केन्द्र से अनाज कम मिला, मैं जानना चाहती हूं कि जब राजस्थान घोर अकाल में पड़ा है ऐसी स्थिति में स्टाक कम कैसे होना चाहिये ? जब कि दूसरे राज्यों में अकाल नहीं है, अच्छी बरसात हुई है, अच्छा जमाना हुआ है तो राजस्थान में ज्यादा अलाट होना चाहिये था, कमी कैसे हुई ?

दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि चावल दे सकते हैं। मैं निवेदन करती हूं कि जौ, बाजरा, ज्वार कुछ भी दें, खाने को चाहिये कौन कहता है मोटा अनाज नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अनाज का कोटा 5 हजार टन हो गया उससे पहले जनवरी 80 में और मार्च 80 में 65 हजार टन गेहूं मिला करता था। उसके बाद बराबर नवम्बर में 5 हजार टन, दिसम्बर में 5 हजार टन, जनवरी, 81 में 6 हजार टन और फरवरी, 81 में 10 हजार टन हुआ। तो जो गेहूं हमें मिल रहा है और जिस प्रकार से हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे द्वारा कोशिश करने के बावजूद भी 10-15 हजार टन के आसपास ही कोटा रहेगा। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, कोई भी अनाज दिया जाय तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जरूरत के इलाकों में जितना वे कहेंगी जिलाधीश कहेंगे, उतनी मात्रा में अनाज भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो दो किलो राशन दे रहे हैं यह दो किलो राशन आदमी के लिये पर्याप्त नहीं है।

दूसरे चावल पौने तीन रुपये किलो है उसको आदिवासी कतई खरीद नहीं सकते। वे पौने तीन रुपया किलो चावल खाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये मोटा अनाज उदयपुर के जिलाधीश ने मांगा है। उनको अभी तक मोटा अनाज नहीं मिला इस कारण आसपास के सारे गांवों में भूखे मरने की स्थिति आ गई है।

श्री चन्दनमल बैद : अनाज का जहां तक सवाल है उनको ज्यादा मात्रा में अनाज भेज दिया गया है। आपका यह कहना है कि दो किलो या तीन किलो पर काम नहीं चल सकता। तो ओपन मार्केट में हर तरह का अनाज पड़ा है। यह तो कंपलसरी राशनिंग नहीं है कि जितना अनाज आदमी को चाहिए उतना अनाज सरकारी भंडार से लिया जाय। यह जो सप्लीमेंट्री चीज है कम्पलसरी राशनिंग नहीं है। सप्लीमेंट्री चीज है जिससे बाजार भाव कुछ नीचे रखे जा सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

आखिरी पूरक प्रश्न होगा। श्री सी. पी. जोशी।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि उन्होंने शहर का जो गेहूं का कोटा बताया है और उदयपुर के बाकी विधान सभा क्षेत्रों का जो कोटा बताया है उसके हिसाब से गेहूं उपलब्ध है 5000 मेट्रिक टन । उस हिसाब से आप प्रति इकाई 300 ग्राम गेहूं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : यह जिले का नहीं पूरे राजस्थान का कोटा है ।

श्री सी. पी. जोशी : स्टेट का पांच हजार और चीनी 13 हजार है । उस हिसाब से आप 300 ग्राम चीनी लोगों को दे पाते हैं । आपने शहर के लिए 700 और ग्रामीण क्षेत्रों के 800 ग्राम का जो कोटा निर्धारित किया है तो शहरों और गांवों के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किया है उसका क्या आधार है ?

श्री चन्दन मल बैद : चीनी और गेहूं को कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। चीनी का कम्पलसरी राशनिंग है जब कि गेहूं बाजार में काफी मात्रा में उपलब्ध है । अगर बाजार में उपलब्ध नहीं है तो हम व्यवस्था कर सकते हैं । पर ऐसी कोई शिकायत नहीं है । गेहूं का पूरा राशनिंग नहीं है । इसलिए चीनी और गेहूं को कम्पेयर नहीं किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री नन्दलाल मीणा ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं चीनी की बात नहीं कह रहा हूं · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

अनुसूचित जाति/जनजातियों के आर्थिक उत्थानार्थ बजट प्रावधान

7. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु वर्ष 1980-81 में कितना बजट प्रावधान रखा गया है ? प्रावधान के अनुसार कितनी राशि किस-किस प्रयोजनार्थ व्यय की गई ? कृपया जिलेवार प्रावधान व व्यय सहित विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) बजट प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए कितनी राशि थी जिसमें से कितनी व्यय हुई है ? अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी एवं कितनी व्यय हुई ? कृपया जिलेवार आवंटन एवं व्यय का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए जो बजट प्रावधान किया

(श्री नन्दलाल मीणा)
गया था उसमें से केवल 74 लाख रुपया ही अब तक खर्च किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार आपकी सरकार जनजाति के विकास के लिए क्या उतना ही व्यय करना चाहती है जितना इस जाति का प्रतिनिधित्व सरकार में है? आदिवासियों के लिए विकास कार्यों पर जो खर्च होना चाहिए था वह पूरा नहीं हो पाया है इसका क्या कारण है ?

श्री हरसहाय मीणा : अध्यक्ष महोदय, बजट देरी से पास हुआ और जो पैसा इनके विकास कार्यों पर खर्च होने से बाकी रह गया है वह मार्च के महीने में व्यय करने की कोशिश करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : यह पैसा किस काम में खर्च होगा ? राजस्थान के 26 जिले हैं, उनमें जो कक्षा 6 से कक्षा 11 के बच्चों के लिए छात्रावास हैं, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, और जो राशि आवंटित की गयी है-उसको देखने से यह विदित होता है कि बच्चों की संख्या ज्यादा है और राशि का आवंटन कम किया गया है। क्या राज्य सरकार इस राशि को बढ़ाएगी और कक्षा 6 से कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उनको पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी ?

श्री हरसहाय मीणा : जो राशि है खर्च नहीं हो पायी है उसको खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जिला अधिकारियों को लिखा जा रहा है।

दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह उठाया है कि जो छात्रवृत्ति लड़कों को दी जा रही है वह पूरी नहीं है। जो राशि बकाया होगी उसका पूरा का पूरा उपयोग करने की कोशिश की जाएगी।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट/ट्राइब के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा गया है परन्तु कम राशि के प्रावधान के कारण उनको नहीं मिल पायी है। प्रतापगढ़ तहसील के छात्रों को यह नहीं मिली है। इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा मतलब यह है कि जो राशि बची हुई है वह शिड्यूल्ड कास्ट/ट्राइब के बच्चों को देने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिये। मंत्री महोदय।

श्री हरसहाय मीणा : प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया। पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा (टोडा भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आदिवासी कल्याण बजट प्रावधान में 45 सैकण्डरी, 40 मिडिल स्कूल और 60 प्राइमरी स्कूल खोले जाने का प्रावधान था उनमें से अब तक 34 सैकण्डरी, 25 मिडिल स्कूल और 22 प्राइमरी स्कूल ट्राइबल क्षेत्रों में खोले गये हैं। तो क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इस बजट प्रावधान का 31 मार्च से पहले पहले पूरा उपयोग कर ये स्कूल खोलेंगे ?

श्री हरि राम मीणा : यह प्रश्न अलग विभाग से सम्बन्धित है। इससे सम्बन्वित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुजान सिंह।

आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। प्रश्न समाप्त हुआ। एक प्रश्न का उत्तर और आने दीजिये।

जिला अलवर में हरियाणा की सीमा से लगे गांवों में सड़क निर्माण

8. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में स्थित निम्नलिखित गांव हरियाणा की सीमा से लगते हुए हैं, जहां राज्य की सीमा में होकर आने जाने का कोई सुगम मार्ग नहीं है :–

(क) मान्ढन से काटूवास

(ख) ग्राम मान्ढन से सांग्तो

(ग) बहरोड़ से ऊंटोली

(घ) शाहजहांपुर से कुतिमा

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनता सुविधार्थ इन मार्गों पर शीघ्र सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) जी हां।

(2) इन सड़कों का निर्माण राज्य की छठी योजना के मापदण्डों के अनुसार एवं अन्तर्राज्यीय सड़कों के प्रोग्राम के तहत भी वरीयता में नहीं आने के कारण निकट भविष्य में कर पाना संभव नहीं है।

श्री बाऊदयाल जोशी (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के लोग भूखे मर रहे हैं और राज्य सरकार उनके लिये अनाज तक का इन्तजाम नहीं कर पायी है, यह दर्दनाक स्थिति है। खाने को अनाज नहीं मिल रहा है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री से यह निवेदन है कि मेरा जो क्षेत्र है वह हरियाणा से दो तरफ से लगा हुआ है। नारनौल महेन्द्रगढ़ जिले का मुख्यालय है, बहरोड़ अलवर जिले का उपखण्ड है। इसलिये वहां पर यातायात के साधन होने चाहिये। यदि इन सड़कों का राज्य सरकार निर्माण करा देती है तो इससे दोनों क्षेत्र के किसानों और ग्राम जनता को अत्यधिक फायदा होगा। नारनौल और बहरोड़ दोनों व्यावसायिक केन्द्र हैं शर्म की बात है कि जैसे ही हरियाणा से बस राजस्थान में प्रवेश करती है तब सवारियां यह कहती सुनी जाती हैं कि अब राजस्थान आ गया है।

(श्री सुजान सिंह यादव)
आपके माध्यम से निवेदन करूं कि मंत्री महोदय मेरे इशारे को समझ गये होंगे कि उनको सिर नीचा करके जाना पड़ता है। जब सवारियां कहती हैं कि हरियाणा की सीमा आ गई है तो सिर ऊंचा करते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि इन सड़कों का निर्माण कार्य करायें। छोटे छोटे टुकड़े हैं।

राज्य सरकार से और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उक्त सड़कों को जल्दी से जल्दी निर्मित करने की कृपा करें ताकि इन दोनों प्रांतों में आवागमन के साधन सुचारु रूपेण ग्राम जनता एवं किसानों को उपलब्ध हो सकें। इसमें राज्य सरकार को अत्यधिक द्रव्य खर्च करना नहीं पड़ेगा और मेरे क्षेत्र की एक यातायात की जटिल समस्या हल हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी आधा मिनट बाकी है।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, इसलिये तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूं कि समय खराब न करें।

श्री हजारीलाल शर्मा : स्थगित कर दें।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : इसको आप पेंडिंग कर दें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आप स्थगित कर दें। उस समय आधा मिनट भी बाकी था।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से पहले ही आग्रह करता रहता हूं कि वे समय बरबाद न करें...

(व्यवधान)

सुनाई दे नहीं रहा है। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थगित नहीं होगा।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सन 1975-76 में कोटा रेन्ज के सेवा निवृत्त पुलिस कर्मी

1. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा रेंज में वर्ष 1975-76 में कितने और कौन-कौन से पुलिस कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त किया गया था ?

(2) बरखास्त किए गए कर्मचारियों में से हैड कांस्टेबल पद पर कितने कर्मचारी थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तावित सामान्य दण्ड से बढ़ाकर अन्य कारण से सेवा से ही मुक्त कर दिया गया ?

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

(4) यदि हां, तो इसके पीछे क्या तर्क है ?

(5) यदि नहीं, तो हैड कांस्टेबल विद्यासागर पांडे को जांच अधिकारी ने क्या दण्ड दिया जाना प्रस्तावित किया था और क्या दण्ड दिया गया ?

उत्तर

(1) सन 1975 में कोटा रेंज में 11 पुलिस कर्मचारी एवं 1976 में 18 पुलिस कर्मचारियों को राज्य सेवा से बरखास्त किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(2) 2 हैड कांस्टेबल थे । सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) जांच अधिकारी के द्वारा कोई दण्ड प्रस्तावित नहीं किया गया था । पुलिस अधीक्षक, कोटा द्वारा उसकी तीन वेतन वृद्धि अवरुद्ध की गई थी, तथा पुलिस उप महानिरीक्षक कोटा द्वारा उन्हें राज्य सेवा से बरखास्त किया गया ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर (भरतपुर) में स्वीकृत जल प्रदाय योजनायें

3. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1980-81 में कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में कितनी जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई हैं ? वर्ष 1978-79 तथा वर्ष 1979-80 में इस क्षेत्र में कितनी योजना स्वीकृत हुई ?

उत्तर

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में तीन वर्षों में निम्नलिखित योजनायें स्वीकृत की गई हैं :—

	योजनाओं की संख्या
1. वर्ष 1978-79	शून्य
2. वर्ष 1979-80	11
3. वर्ष 1980-81	19

सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

भीनमाल में सहायक अभियन्ता विद्युत द्वारा सम्पादित कार्य

4. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीनमाल में सहायक अभियंता, राज्य विद्युत मण्डल के पद पर गत तीन वर्ष से कौन सहायक अभियन्ता पदस्थापित है ?

(2) उनको किन-किन लाइनों को खींचने का कार्य सौंपा गया था ? उनमें से किन-किन लाइनों का कार्य उक्त अधिकारी ने पूर्ण करवाया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भीनमाल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राजस्थान में गत तीन वर्षों से

(विद्युत मंत्री)

श्री के.एन. व्यास, दिनांक 8 सितम्बर, 1976 तक तथा श्री जे. पी. गोयल दिनांक 18-9-78 से सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं। भीनमाल निर्माण उपखण्ड में श्री जे. पी. गोयल दिनांक 12-8-77 से 18-9-78 तक तथा श्री दिलीप कुमार मेहता दिनांक 17-10-78 से सहायक अभियन्ता पद पर कार्यरत हैं।

(2) भीनमाल (ग्रा. वि. वि.) उपखण्ड के पास केवल लाइनों को खींचने का कार्य ही नहीं वरन स्वीकृत योजना में सम्मिलित ग्रामों तथा विभिन्न श्रेणी के विद्युत कनेक्शन, जो कि क्षेत्र में मांग पर निर्भर करते हैं, देना है। अतः व्यक्ति विशेष से लक्ष्यों का निर्धारण सम्बन्धित नहीं है। तथापि श्री के. एन. व्यास ने अपने कार्यकाल में 151 कि. मी. 11 के. वी. लाइन तथा 110 कि. मी. एल. टी. लाइन खिचवाई है व 28 गांवों को विद्युतीकृत किया है। श्री जे. पी. गोयल ने अपने कार्यकाल में माह जनवरी, 1981 तक 107 कि. मी. 11 के. वी. लाइन व 163 कि. मी. एल. टी. लाइन खींची है व 23 ग्रामों को विद्युतीकृत किया है। भीनमाल (निर्माण उपखण्ड) में श्री जे. पी. गोयल ने अपने कार्यकाल में 58 कि. मी. 33 के. वी. लाइन खिचवाई तथा ग्राम घुमड़िया, बामरा, शिवगंज वासनी पर उप चौकियों का निर्माण कार्य सम्पूर्ण करवाया। इसके अतिरिक्त भीनमाल से सांचौर तक 33 के. वी. लाइन का सर्वेक्षण कार्य भी किया। श्री दिलीप कुमार मेहता ने अपने कार्यकाल में 347 रेलें खड़ी करवाईं, 41 डि.पी. खड़ी करवाईं व ग्राम तवाड़ से देवड़ा तक 12.50 कि. मी. 11 के. वी. लाइन के खम्भे खड़े करवाये तथा एक उपचौकी का निर्माण करवाया और 33 के. वी. भीनमाल सांचोर लाइन का शेष कार्य व उपचौकी सांचौर का कार्य सम्पूर्ण करवाया है।

नगर विकास न्यास या नगरपालिका को विद्युत सम्बन्ध हेतु एन. ओ. सी. की अनिवार्यता

5. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग नगर विकास न्यास अथवा नगरपालिकाओं के एन. ओ. सी. के बिना विद्युत संबंध नहीं देते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसा नियन्त्रण विशेष तौर से मान्यता प्राप्त कच्ची बस्तियों के नागरिकों के साथ किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग व उपभोक्ता का संबंध व्यावसायिक है ? यदि हां, तो विद्युत संबंध करने में यह एन. ओ. सी. का प्रावधान कौन से विद्युत अधिनियम के तहत आता है ?

(4) क्या सब विद्युत कनेक्शन एन. ओ. सी. लेकर ही उपभोक्ता को विद्युत दी जाती है ? यदि नहीं, तो इस दोहरी नीति के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विद्युत सम्बन्ध देने के लिए नगर विकास न्यास अथवा नगर-

(विद्युत मंत्री)

पालिकाओं के एन. ओ. सी. की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में दिनांक 15-16 दिसम्बर, 1977 को राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि विद्युत मण्डल अपने अधीनस्थ कार्यालय को यह आदेश दे कि भविष्य में अविद्युतीकृत कच्ची बस्तियों में विद्युत कनेक्शन चाहने पर सम्बन्धित जिलाधीश से सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें यह सूचित करें कि अमुक व्यक्ति ने ऐसी कच्ची बस्ती में विद्युत कनेक्शन चाहा है और जिलाधीश का प्रति उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। राज्य सरकार के आदेशानुसार उपरोक्त निर्देश प्रसारित कर दिये गये थे।

(2) जी नहीं। ऐसा नियन्त्रण सभी कच्ची बस्तियों व धड़ियों पर लागू है।

(3) जी हां। विद्युत कनेक्शन देने से पूर्व स्थानीय निकायों से एन. ओ. सी. प्राप्त करने का प्रावधान किसी विद्युत अधिनियम में नहीं है परन्तु अनाधिकृत बस्तियों के निर्माण को प्रोत्साहन न देने की दृष्टि से ऐसा निर्णय राज्य के व्यापक हित में लिया गया।

(4) जी नहीं। भूमि के अवैध कब्जे को रोकने के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार एन. ओ. सी. अथवा स्वामित्व सिद्ध करने के लिए पट्टा मांगा जाता है। इसमें किसी दोहरी नीति का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोलिया से मकराना सड़क का डामरीकरण

6. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार का प्राथमिकता देकर कोलिया से मकराना तक सड़क डामर करने के लिये स्वीकृति प्रदान करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

(2) छोटी खाटू से वाया तोसीन मोलासर से लोसल तक सड़क कब तक डामर की बन जायेगी?

उत्तर

(1) राज्य सरकार का योजना के मापदण्डों एवं धनाभाव के कारण निकट भविष्य में इस सड़क को पूरा डामर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल मकराना से बुहत का हिस्सा ही डामर करने की स्वीकृति है व काम चालू है।

(2) छोटी खाटू, तोसीना, मौलासर, घनकोली, लोसल सड़क का योजना के मापदण्डों एवं धनाभाव के कारण निकट भविष्य में डामर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल मोलासर से घनकोली का हिस्सा ही डामर करने की स्वीकृति है।

भीनमाल में बस स्टेन्ड का निर्माण

10. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :— क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल में राज्य पथ परिवहन निगम की बस रुकने का कोई समुचित स्थान नहीं है

(श्री सूरजपाल सिंह)
तथा जहां बसें खड़ी होती हैं वह स्थान सुरक्षित नहीं होने के साथ अपर्याप्त भी है ?

(2) क्या निगम द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बस स्टेण्ड पुरानी जगह ही शहर में स्थित है जिसमें कमियां हैं। उन्हें दूर करने के लिए परिवहन निगम ने नगरपालिका को निवेदन कर रखा है।

(2) निगम का कथन है कि उनकी वित्तीय कठिनाइयों के कारण वे बस स्टेण्ड का निर्माण नहीं कर पावेंगे। इस हेतु नगरपालिका से निवेदन किया हुआ है। यदि नगरपालिका निर्माण कर देगी तो निगम किराया दे देगा।

ठेकेदारी प्रथा पर नियन्त्रण

11. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1971 के अनुरूप ठेकेदारी प्रथा पर नियन्त्रण हेतु सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कब तक ?

उत्तर

जी हां, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :—

1. ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971 में ही नियम प्रकाशित कर दिये गये थे।
2. अधिनियम के अध्याय–4 के अन्तर्गत अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।
3. अध्याय–3 के अन्तर्गत पंजीकरण अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं।
4. अधिनियम की धारा 28 (1) के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त कर दिये गये हैं।
5. अधिनियम के अन्तर्गत समस्त राजस्थान के लिये अपील अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।
6. अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सलाहकार ठेकेदारी श्रमिक मंडल का भी गठन वर्ष 1971 में कर दिया गया था।

भीलवाड़ा जिले में वृद्धावस्था पेन्शन का विचाराधीन प्रकरण

14. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भीलवाड़ा जिले में सन् 1979–80 व सन् 1980–81 में किन-किन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी गई ? कितने मामले कितनी अवधि से विचाराधीन हैं और उनके कारण क्या हैं ?

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में वर्ष 79–80 में कुल 211 व्यक्तियों को तथा वर्ष 80–81 में कुल 220 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन

(समाज कल्याण मंत्री)

स्वीकृत की गई जिनकी सूची संलग्न है। 46 मामले पूर्ति के अभाव में दिनांक 13-2-81 से विचाराधीन हैं जिनकी पूर्ति कराई जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पंचायत समिति इटावा की बकाया राशि की वसूली

15. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति इटावा द्वारा प्रदत्त ऋण की कितनी रकम वसूल की जानी शेष है? कृपया रुपये 5000/- से अधिक की वसूली योग्य रकम वाले व्यक्तियों के नाम, पते तथा रकम की संख्या सहित, विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त राशि को शीघ्र वसूल करने के आदेश प्रदान करेगी? अब तक उक्त राशि के वसूल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, इटावा की कुल राशि रु. 21,56,102.85 पैसे वसूल की जानी है। 5000) रु. से अधिक की राशि जिन व्यक्तियों में बकाया है उनकी सूची पूर्ण विवरण सहित संलग्न है।

(2) मांग-पत्र तहसील को वसूली हेतु भेजे गये हैं तथा पी. डी. आर. में भी केस दिये हुए हैं जिनकी वसूली जारी है। राज्य सरकार ने समय-समय पर वसूली स्थगित करने के आदेश दिये हैं। वर्तमान में राजकीय बकाया ऋणों की वसूली दिनांक 30-9-81 तक स्थगित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजकीय राजोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुजानगढ़ (चूरू) के रिक्त पद

16. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या सात सौ से अधिक होने पर एक वरिष्ठ लिपिक और तीन कनिष्ठ लिपिक दिये जाते हैं?

(2) क्या सुजानगढ़ (जिला चूरू) राजकीय राजोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कनिष्ठ लिपिक का पद वर्षों से बजट में स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार से ऐसा कोई मानदंड स्वीकृत नहीं है। किसी विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करते समय प्रत्येक विद्यालय में एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक कनिष्ठ लिपिक दिया जाता है।

(2) जी हां, इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम निम्बी (लाडनूं) की कन्या पाठशाला में रिक्त पदों की पूर्ति

17. श्री राम धन (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील के ग्राम निम्बी जोधा के भीकुलाल

(श्री रामधन)
सारड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला में जुलाई, 1980 से एक ही अध्यापिका है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अब रिक्त स्थानों पर नियुक्ति कब कर दी जावेगी और कुल कितनी अध्यापिकाओं का स्टाफ होगा ?

उत्तर

(1) जुलाई, 1980 में एक अध्यापिका पदस्थापित थी। 4-2-81 के आदेश से तीन अध्यापिकाओं की और नियुक्ति कर दी गई है।

(2) 3 अध्यापिकाओं की नियुक्ति और शीघ्र कर दी जावेगी तथा विद्यालय का स्टाफ 7 अध्यापिकाओं का होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर के लेखाकार द्वारा प्राप्त चिकित्सा व यात्रा भत्ता राशि

18. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर में कार्यरत लेखाकार श्री राधेश्याम गर्ग ने यहां पर पदस्थापित होने के बाद चिकित्सा के बिलों के पुनर्भरण की कितनी राशि वसूल की है ? कृपया प्रत्येक बिल का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा के ये पुनर्भरण के बिल अधिकांश उस समय के हैं जब कि श्री गर्ग अवकाश पर या प्रवास पर जयपुर या बीकानेर गये ?

(3) श्री राधेश्याम गर्ग ने वर्तमान पद पर पदस्थापित होने के बाद कुल कितना टी.ए., डी.ए. प्राप्त किया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री राधेश्याम गर्ग, लेखाकार का पदस्थापन माह सितम्बर, 1979 से जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर में हुआ। उनको चिकित्सा पुनर्भरण की राशि का भुगतान वर्ष 79-80 में रु. 163.10 पैसा तथा वर्ष, 1980-81 में रुपये 464-71 पैसा किया गया है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) नहीं, श्री राधेश्याम गर्ग के अधिकतर बिल उस समय के हैं जब वे अवकाश पर नहीं थे तथा अधिकतम बिल अजमेर अस्पताल के हैं।

(3) श्री राधेश्याम गर्ग ने जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अजमेर के कार्यालय में सितम्बर, 1979 से अब तक रु. 5074.03 पै. यात्रा भत्ता के प्राप्त किये। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

19. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या नगर विकास न्यास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक निर्माण कार्य पर कुल कितना व्यय किया ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
कृपया निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय एवं निर्माण कार्य की विगत सम्बन्धी सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

उदयपुर नगर विकास न्यास ने जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक निर्माण कार्य पर कुल 25.53 लाख रु. व्यय किया। निर्माण कार्यों की विगत संलग्न है।

(विगत के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम बड़ा बारां मार्ग पर पुलिया का निर्माण

20. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कोटा जिले की तहसील बारां के ग्राम बड़ा बारां मार्ग पर पुलिया बनाने का प्रस्ताव कृषि उपज मण्डी बारां ने किया था ?

(2) क्या यह सच है कि इस पुलिया को बनाने की स्वीकृति विभाग द्वारा दे दी गई थी ? यदि हां, तो पुलिया निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या कृषि उपज मण्डी समिति बारां ने पुनः इस पुलिया के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुलिया के निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। मण्डी समिति, बारां के पत्र संख्या 3616/80 दिनांक 23-2-80 के द्वारा।

उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति अभी जारी नहीं की गई है। पूर्व में इस प्रकार की स्वीकृति दी गई अथवा नहीं, इसका उल्लेख बोर्ड की पत्रावली में कहीं उपलब्ध नहीं है। अतः कृषि उपज मण्डी, बारां से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

दिनांक 23-2-80 के बाद कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

दलीय स्थिति

कांग्रेस (अर्स) दल के नेता

श्री अध्यक्ष : दल के पदाधिकारी की नियुक्ति की सूचना।

सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सूचित किया है कि श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा में कांग्रेस (अर्स) दल के नेता होंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) सर्व श्री रघुवीर सिंह कौशल, ललित किशोर चतुर्वेदी, हीरालाल आर्य व दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल की दाईं मुख्य नहर में पानी की समुचित मात्रा न होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं, इस विषय में।

इस प्रश्न पर आज राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जा रहा है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(28)

(श्री अध्यक्ष)

(2) सर्व श्री गोपाल पचेरवाल, सुश्री पुष्पा जैन, श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसान रैली में जा रही एक बस की दुर्घटना में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने तथा कुछ व्यक्तियों के घायल हो जाने के विषय में।

(3) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर निवासी गिर्राज शर्मा पुत्र कल्याण सहाय की बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी लाश को पुलिस द्वारा लावारिश बता कर हरिजनों को सौंपने के विषय में।

(4) श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से मोतीलाल कालेज झुन्झुनूं में एक छात्र की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(5) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में अकाल की भीषण विभीषिका व्याप्त होने के विषय में।

(6) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में बनीपार्क के पास एक डकैती में 18,000 रु. लूटे जाने की घटना के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(7) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया, नंदलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में अकाल व्याप्त होने के विषय में।

(8) सर्व श्री नाथूसिंह व यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 16 फरवरी, 1981 को देहली में हुई किसान रैली में सरकारी तन्त्र व धन के दुरुपयोग के विषय में।

माननीय सदस्य इन प्रश्नों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाली बहस के दौरान उठा सकते हैं, अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। ......

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दिन निर्धारित बैठक में अन्य कार्य

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न रूल 294 (1) और (2) के आधार पर है। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, यह है कि साल के आरम्भ में गवर्नर महोदय इस सदन को एड्रेस करते हैं और वह संविधान के आर्टिकल 176 के अन्तर्गत ऐसा करते हैं। 76 (2) में इस बात का प्रावधान है कि गवर्नर महोदय के एड्रेस पर थैंक्स मोशन पर अध्यक्ष महोदय लीडर के साथ कन्सल्टेशन करके समय निर्धारित करेंगे कि जो थैंक्स मोशन आया है उस सम्बन्ध में कितना समय दिया जाय और कितने दिन नियत किये जावें। उसी संदर्भ से इसका जो प्रोसिजर है वह हमारे रूल्स आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस के रूल 14 से 20 तक में है। नियम 14 से 20 तक में यह है और खासतौर से 17 में यह

(श्री परसराम मदेरणा)

उल्लेख है कि अध्यक्ष महोदय जब दिन व समय निर्धारित कर देंगे तो कोई भी दूसरा बिजनेस, जो फार्मल करेक्टर का नहीं है, नहीं ले सकते हैं। केवल रूल 55 के नीचे एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में हाउस के बिजनेस को इन्ट्रप्ट किया जा सकता है जैसा कि नियम 17 (3) में प्रावधान है। लेकिन हमें जो बिजनेस आज का सर्कुलेट हुआ है हम ऐसा सोच कर चलते थे कि गवर्नर एड्रेस के अन्दर मुद्दे, काजेज आफ सम्मन हैं इसलिए जब तक गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर वाद-विवाद नहीं हो जाता है दूसरा मैटर यहां पर हाउस के अन्दर तो नहीं ले सकते हैं नियमों के अन्तर्गत। लेकिन मैं देखता हूं कि नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है आज उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर कई माननीय सदस्यों को मौका देंगे। हम भी चाहते थे कि हमारे यहां पर अकाल की विषम स्थिति है हम उसके संबंध में बोलें। लेकिन रूल और संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं है इसलिए हमने रूल को स्पेंडर होते हुए यह उचित समझा कि इस संबंध में गवर्नर महोदय के एड्रेस में समय निर्धारित नहीं है इसलिए इस बात पर सरकार का ध्यान हमें आकर्षित नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका उल्लेख गवर्नर महोदय के एड्रेस में है और जिन मैटर्स का उल्लेख गवर्नर महोदय के एड्रेस में है उनके संबंध में अलग से काल अटेन्शन करने की आवश्यकता नहीं है, एक बात।

और, अध्यक्ष महोदय, जो कि बिल इन्ट्रोड्यूज होने जा रहे हैं या नोटिफिकेशन सदन की टेबल पर रखने जा रहे हैं वे रखे जा सकते हैं, नियम 17 (1) के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं लेकिन यह काल अटेंशन जो आपने स्वीकार किया है यह तो एक अहम मसला है। एक जिले का ही सवाल नहीं है बाड़मेर में अकाल की सीवियरिटी और इन्टेंसिटी के अन्तर्गत जो अकाल की समस्या है उससे तो मैं भी चिन्तित हूं। वहां पर भयंकर स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन राजस्थान के दूसरे जिलों में भी बड़ी गम्भीर स्थिति है लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में रूल 17 (2) के अन्तर्गत गवर्नर एड्रेस पर विचार को डेफर करके एक दिन इसके लिये निश्चित करे। और नहीं लेते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, दूसरा सरकार एक स्टेटमेंट देने जा रही है वह भी फार्मल बिजनेस नहीं है। फार्मल बिजनेस नहीं है इसलिए गवर्नमेंट को एक मोशन मूव करना चाहिए हाउस में कि हम एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। वैसे गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं और काल अटेंशन करना भी फार्मल बिजनेस नहीं है इसीलिये यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। एक चीज। जो आज फार्मल बिजनेस के अलावा बिजनेस स्वीकार किया गया है उससे हम यह सोच कर वंचित रह गये; हम बदकिस्मत रहे क्योंकि हम नियमों से परिचित थे। इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि–

"Notwithstanding that a day has been allotted for discussion on the Governor's Address—

(a) a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be

(श्री परसराम मंदेरणा)

introduced on such day and

(b) other business of a formal character may be transacted on such day before the House commences or continues the discussion on the Address."

हम यह सोच कर चल रहे थे, अध्यक्ष महोदय, फार्मल बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस इस सदन में ट्रान्जेक्ट नहीं होगा और केवल बिल्स के इण्ट्रोडक्शन के बाद में और नोटिफिकेशन के ले डाउन करने के बाद में ही कोई बिजनेस हाउस के दूसरे बिजनेस को जो इण्ट्रप्ट कर सकता है वह केवल एडजोर्नमेंट मोशन in rule 77 है जिसका उल्लेख 17 (3) के अन्दर है। मैं मेरे सपोर्ट में कौल एण्ड शकधर की किताब के पेज 174 की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"Discussion on the Address is generally not interrupted during the course of the sitting of the House by any other business. Only business of a formal character can be transacted on these days before the House commences or continues the discussion on the Address. Interruption of discussion on the Address may, however, take place in favour of discussion on an adjournment motion, in case leave to move such a motion has been granted by the House."

अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी है कि जितने भी एडजोर्नमेंट मोशन आयेंगे, उनके सम्बन्ध में गवर्नर एड्रेस के समय माननीय सदस्यों को कहा है कि उनका उल्लेख करें। कुछ को जानकारी सरकार से मंगाने के लिए भेजा और कुछ को आपने रिजेक्ट किया है। यह आपको अधिकार था। इसमें केवल एडजोर्नमेन्ट मोशन ही आ सकते थे। अगर गवर्नमेन्ट फार्मल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती है, जब कि एडजोर्नमेंट मोशन के जरिये यह प्रश्न सदन में नहीं आया है गवर्नर एड्रेस के अलावा भी काल अटेन्शन का अवसर आपने एक को दिया है। तो हमने भी काल अटेन्शन विधान सभा सचिव महोदय को पहुंचा दिया है, हमें भी अवसर दिया जाय जिससे हम भी अपने जिलों की बात रख सकें। उचित यह होगा, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देने की ज्यादा आवश्यकता है नियम 17 (2) के अन्तर्गत तो उसको एक फार्मल मोशन मूव करना चाहिये। इनको फार्मल मोशन यों ही मूव नहीं कर देना चाहिये क्योंकि अध्यक्ष महोदय यह समझ रहे हैं कि अकाल की विभीषिका को देखते हुए यहां पर अकाल पर डिस्कशन होना बहुत आवश्यक है ताकि प्रभावित लोगों को सहायता दी जा सके। 17 (2) इस प्रकार है—

"(2) The discussion on the Address may be postponed in favour of a Government Bill or other Government business on a motion being made that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker. The Speaker shall forthwith put the question, no amendment or debate being allowed."

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि स्टेटमेन्ट भी देना था किन्तु 17(2) के अन्तर्गत सरकार को एक मोशन मूव करना चाहिये था कि हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं। इस पर आज तक स्टेटमेंट नहीं हुआ। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को यहां उठाने की स्वीकृति आप दे रहे थे ताकि सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जाय। गवर्नर एड्रेस के पेज 2 से 4 तक लगातार अकाल के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति और प्रोग्राम और विभिन्न मुद्दों के अन्तर्गत राहत देने के है उनका उल्लेख किया गया है। अगर उनका उल्लेख है तो गवर्नर के एड्रेस पर बहस के वक्त यहां उठाया जा सकता था। अलग से अगर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मन्जूरी देते हैं तो हम भी चाहते हैं, हमने भी कालिंग अटेन्शन मोशन दिया है उस पर गौर किया जाय। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि या तो एक दिन इस पर डिबेट हो जाय, या यह अहम मसला है, सरकार इस पर गौर करे। मैं यह निवेदन करूंगा कि नियम 17 (2) के अन्तर्गत गवर्नर एड्रेस को पोस्टपोन करके एक दिन के लिये इस पर डिबेट रखें या फिर हमको मौका दिया जाय, हमने काल अटेंशन मोशन दिये हैं, गवर्नर एड्रेस पर बहस के दिन मुकर्रर किये हैं उस दिन उठा सकें।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया है मोटे तौर पर मैं उससे सहमति प्रकट करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकाल के मसले को सीमित क्षेत्र के परिप्रेक्ष में ही नहीं देखा जाना चाहिये और इसको पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष में देख कर इसके महत्व को स्वीकार करते हुए आप ऐसी व्यवस्था करें कि पूरे राजस्थान के सभी क्षेत्रों, विभिन्न जिलों के अन्दर अकाल की क्या स्थिति है, और राज्य सरकार के क्या प्रयत्न रहे हैं और उसमें जो उपलब्धि हुई उनके बारे में सदन को विस्तृत जानकारी मिल सके, ऐसी आप व्यवस्था करें। एक जिले के बारे में सम्बन्धित माननीय सदस्य को उत्सुकता हो सकती है, मगर किसी भी दूसरे माननीय सदस्य को उससे कम उत्सुकता हो सकती है। इसलिए यह उचित होगा कि अकाल के ऊपर पूरी डिबेट रखी जावे। उसके लिए समय निर्धारित करना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया था कि दो प्रश्नों के बारे में एडजोर्नमेन्ट मोशन भी ज्यादा आए हैं और सदन के माननीय सदस्य इन दोनों प्रश्नों के ऊपर गम्भीरता से चर्चा करना चाहेंगे। एक प्रश्न अकाल का था और दूसरा प्रश्न रैली में सत्ता के दुरुपयोग का। आपने फर्माया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा कर ली जायगी और यदि कमेटी की राय बनती है तो इसके लिए समय निर्धारित किया जायगा। मैं ऐसा समझता हूं, सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य चाहते हैं तो हमारी भी इच्छा है कि अकाल के बारे में अलग से समय निर्धारित किया जाय। उसके साथ ही रैली में सत्ता का जो दुरुपयोग हुआ उस सम्बन्ध में भी सदन के माननीय सदस्य चर्चा उठाना चाहेंगे। उसके लिए भी समय निर्धारित करने की आवश्यकता है। जहां तक माननीय सदस्य ने पाइन्ट आफ आर्डर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रेज किया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। आज तक विधान सभा में मेरी जहां तक जानकारी है, पहले दिन काल अटेन्शन मोशन मूव हों, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, यह अवश्य हुआ है पहले भी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को स्थगित किया जाकर इम्पोर्टेन्ट मसले के ऊपर चर्चा की गई। ज्यादा अच्छा यह होगा कि इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि चाहें तो अकाल के सम्बन्ध में सरकारी पक्ष बता दे कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पूर्व इसको ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आखिर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चार या पांच पेज, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, अकाल से सम्बन्धित हैं तो अकाल के ऊपर चर्चा पहले हो जाय, रैली के ऊपर चर्चा हो जाय और उसके बाद में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो जाय। इस प्रकार की परम्परा पहले भी रही है। पिछली बार भी अकाल के ऊपर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पहले चर्चा हुई थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने का है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी एक दो बार इस आधार पर रखे गये हैं कि अकाल के प्रश्न पर चर्चा हो और अकाल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, उनके ऊपर डिबेट आरम्भ कर दी गई। इस प्रकार के और भी मसले उठे हैं। लेकिन केवल एक जिले को अकाल से सम्बन्धित करके इस प्रकार के मसले पहले नहीं उठे। इसलिए मैं भी हमारे पक्ष की ओर से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल और रैली के सम्बन्ध में निश्चित रूप से चर्चा करने के लिये अलग से समय निश्चित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई आक्षेप वाली बात नहीं है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दें उससे पूर्व मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : जहां तक नियमों का प्रश्न है भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह ठीक है। विपक्ष के नेता महोदय ने यह फर्माया कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। आप मुख्य मंत्री थे और राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया उसी दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव • •

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आता है। मैं यह निवेदन कर दूं वह इस आधार पर आता है, आपस में तय कर लें कि इस मसले पर पहले चर्चा करनी है। इसलिए नहीं आता कि बाड़मेर जिले की चर्चा हो जाय। इसलिये नहीं आता कि कोटा जिले में सिंचाई के लिये...

श्री अध्यक्ष : नियम बिल्कुल साफ है। सदन में ऐसी परम्परा रही है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अन्य तरीके के स्थगन प्रस्तावों के लिये तो स्पष्ट दे रखा है कि वे तो आ सकते हैं। अन्य प्रकार के प्रस्ताव इस सदन में गवर्नर महोदय के अभिभाषण के दौरान आते रहे हैं और उनकी हमारे पास तारीखें हैं। उसमें सबसे नया उदाहरण है, धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाना था 1977 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उसी दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री ने अजमेर जिले के बारे में एक वक्तव्य दिया था। इसी तरह

(श्री अध्यक्ष)

से बहुत से पुराने उदाहरण भी हैं हमारे पास, जैसे 28-3-72 को एड्रेस में पहले रूल 127 के तहत चर्चा हुई थी। उसी तरह से 25-3-74 को रूल 119 के तहत इस तरह के एक प्रस्ताव पर विचार हुआ था। तो इस तरह के उदाहरण हैं लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है और यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह ठीक समझे कि अन्य किसी तरीके से लिया जाए तो माननीय सदस्य, जिन्होंने ध्याना-कर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, से बात करके अधिक से अधिक समय उन्हें गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर मिल सके, ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अध्यक्ष की सम्मति

श्री नाथूसिंह : मुझे स्थगन प्रस्ताव के बारे में···

श्री अध्यक्ष : मुझे तो अपना काम पूरा करने दीजिए।

श्री नाथू सिंह : मुझे काल अटेन्शन नोटिस के बारे में निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने किसान रैली के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। किसान रैली का जिक्र कहीं भी गवर्नर साहब के एड्रेस में नहीं है, वह बिलकुल अलग विषय है। आपने मात्र यह कह कर कि गवर्नर एड्रेस में आप इसे ले सकते हैं, टाल दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने विषय हैं वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा हुई है उससे संबंधित है लेकिन यह एक नया मामला है और डेफिनेट मैटर है। मैं नियम 50 पढ़ कर सुनाना चाहता हूं आपको जिसमें लिखा है:

"Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker."

श्री अध्यक्ष : उसमें मैंने व्यवस्था दी है।

श्री नाथू सिंह : आप पाइन्ट आफ आर्डर सुन लें। इसमें दो चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली है डेफिनेट मैटर। 16 फरवरी को स्पेसिफिक रूप से रैली हुई है और उसमें सत्ता दल द्वारा सत्ता का खुलकर दुरुपयोग हुआ इसलिए मामला अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स का हो जाता है क्योंकि जितनी इसमें देर होगी उतनी ही पब्लिक की इच्छा बढ़ेगी। इसमें पब्लिक की इच्छा है, पब्लिक जानने को इच्छुक है कि इतना बड़ा गबन, जिसको सारी जनता जानती है, कैसे हुआ? इसमें भारी दुरुपयोग हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियम 50 के तहत मैंने स्थगन प्रस्ताव इसीलिए अलग दिया था क्योंकि इसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। इसलिए जो स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है, आप उसे स्वीकार करें और हमें इस पर चर्चा करने

(श्री नाथूसिंह)
की अनुमति दें ताकि यह बताया जा सके कि यह मामला क्या है और सरकार इस पर प्रकाश डाल सके। इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा और वाद विवाद होता है उसका दायरा बहुत विस्तृत होता है। उसमें सरकार की जो नीतियां और गलतियां हैं उनकी आलोचना की जाती है। सब कुछ कहा जाता है।

श्री नाथूसिंह : यह सरकार की नीतियों का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जितना आप कह रहे हैं उससे इस विषय के प्रति जो आप न्याय करना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा।

श्री नाथू सिंह : यह सरकार की नीतियों से सम्बन्धित नहीं है और न ही सरकार पर आरोप लगाने का मेरा इरादा है। यह जो मामला है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से प्रकाश डालना चाहते है और सरकार का क्या रुख है इस मामले में, सरकार क्या विचार प्रकट करना चाहती है, हम जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने एडजोर्नमेंट मोशन रखा। जैसे माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसी से सम्बन्धित यह मामला आता है। केवल रूल 55 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर राज्यपाल के अभिभाषण को बीच में रोक कर विचार किया जा सकता है। इसलिए पूर्ण विचार करने के पश्चात् एक डेफिनेट मैटर, अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स के मामले में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह अलग मामला है, सरकार पर आरोप लगाने या सरकार की नीतियों से इस मामले का कोई सम्बन्ध नहीं है। कांग्रेस पार्टी की रैली हुई थी अलग। अगर आप मानते हैं कि सरकार की रैली हुई है तो मैं मानूंगा कि यह सरकार की नीति से संबंधित मामला है। चूंकि रैली कांग्रेस 'आई' की तरफ से हुई थी, इसलिये एक डेफिनेट मैटर बनता है, एक अलग मैटर है इसलिए अभिभाषण पर वाद

(व्यवधान)

विवाद के समय इस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा नहीं कर पायेंगे। मैं इजाजत चाहूंगा कि आप मुझे चाहे थोड़ा सा प्रकाश डालने की अनुमति दें ताकि जितना घोटाला, गबन और क्या क्या हुआ, इस मामले में जनता उत्सुक है जानने के लिए, हम बता सकें। मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : पूर्व में व्यवस्था दी हुई है कि जो स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाते हैं उस बारे में दो-दो मिनट का समय मिलता है लेकिन मैं समझता हूं कि यह अवसर आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए इस मसले को ज्यादा अच्छी तरह से आप उठा सकते हैं राज्यपाल के अभिभाषण के वाद विवाद पर।

श्री नाथू सिंह : मुझे दो मिनट का समय दें। मैं तीन मिनट में ही मामले को समाप्त करूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस रैली के बारे में...

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी उसके बाद में अगर आप चाहते हैं ?....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): झालावाड़ जिले के बारे में...

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : गांव में पुलिस ने धनालाल मीणा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद यह कहा कि उसने आंकड़े का दूध पी लिया और मर गया। यह कह कर केस को रफा दफा कर दिया। आज तक तो जिन्दा आदमी की जमानत ली जाती थी लेकिन नेकी और अनंग सिंह ने मरे हुए व्यक्ति की जमानत लेकर सारे नियम बलाए ताक रख दिए हैं। आश्चर्य और दुख की बात यह है...

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है ? आपने कौन सी तारीख को दिया है यह ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : हम तीनों का है। 20 फरवरी का है।

श्री अध्यक्ष : मैं मालूम करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, रैली के संबंध में जयपुर में एक दुर्घटना घटी थी। तत्काल पहुंचकर हम लोगों ने देखा कि उसमें किसान नहीं थे। इस बात को चार दिन के लिये टाला जाना मैं कतई उचित नहीं समझती जो लोग मर गए वे मजदूर थे किसान नहीं थे। मैं चाहूंगी कि...

श्री अध्यक्ष : जिन लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है उस बारे में तथ्यों की जानकारी ली जा रही है।

श्री गोपाल पचेरवाल : घटना पुरानी हो गई है और आज तक सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं आई है। आदमी अस्पताल में मरने जा रहे हैं इनको दवाइयां

(व्यवधान)

नहीं मिल रही हैं। उनकी हालत चिन्ताजनक है।

(व्यवधान)

जो अस्पताल में भर्ती है उसके मरने के बाद सरकार जवाब देगी और यह कहेगी कि वह लोग मर गये हैं। हम आज इस पर बोलना चाहते हैं। सरकार को पूरी जानकारी है। यह दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों की जान खतरे में है। वे लोग मरने जा रहे हैं। डाक्टर उनको नहीं सम्भाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की बात कही है। मुझे दो मिनट बोलने का अवसर देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि सरकार से जानकारी मंगवाई जा रही है। जानकारी जल्दी मंगवा लेंगे, उसके बाद व्यवस्था दे देंगे।

36

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आप बोलने का अवसर देंगे। सही जानकारी सरकार वैसे ही दे सकती थी। जो मरे हैं वह इन्हीं के द्वारा लाये गये थे। इनके शासन तंत्र के द्वारा लाये गये थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगी कि इसकी तुरन्त जानकारी मंगाई जाय। इससे पूर्व जो गलत काम किये गये हैं उनकी जानकारी देने का अवसर दिया जाय। बस का परमिट नहीं था दिल्ली जाने का। बस कैसे गई दिल्ली ?

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, इस रैली में बस दुर्घटना हुई उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोगों की जानें गई हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उस बस का चलाने वाला ड्राइवर शराब पिये हुए था। हालांकि राजस्थान में शराबबन्दी है फिर भी वह ड्राइवर शराब पिये हुए था। लोगों के द्वारा रोकने पर भी वह बस चलाता रहा। बस दुर्घटना हुई उसमें चार आदमी मर गये। मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगी कि लोगों को उस रैली में जाने के लिये जबर्दस्ती ले जाया गया। मेरे पास उन ट्रकों के नम्बर मौजूद हैं जिनको कि जबर्दस्ती ले जाया गया। असन्तोष जाग्रत नहीं करते हैं ? मैं चाहूंगी कि आप हमको बोलने का अवसर दें। हमारा अधिकार है कि हम यहां पर इस बात पर कुछ प्रकाश डालें लेकिन हम आपकी अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने जबर्दस्ती की उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसको नहीं टाला जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

मैं आपके सामने उस बस दुर्घटना के मूल चित्र पेश करना चाहती हूं जो बस दुर्घटना में मरे हैं उनमें से किसी की खोपड़ी गायब है, तो किसी की आंख गायब है, तो किसी का हाथ गायब है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह मोटर इतनी खराब हो गई कि वह ठीक भी नहीं हो सकती। मेरे पास आपको दिखाने को मूल कागजात भी उन बसों के हैं। लोगों को, अध्यक्ष महोदय, बस में से खींच खींच कर निकाला गया। इतना ही नहीं जो बसें गई थीं वह बिना परमिट की थीं। यह बस भी बिना परमिट थी। इस बस का परमिट दिल्ली का नहीं था वह तो मांडलगढ़ तहसील का ही था। इस प्रकार गलत काम किये गये हैं, गलत साधनों से रैलियां निकाली गयी। कई व्यक्तियों की जानें निकल गयी हैं। लोगों को मजदूरी देने के बहाने दिल्ली ले जाया गया। रैली निकालना मना नहीं है। राष्ट्रीय मेले के नाम पर रैली निकाली जाय लेकिन इस तरह से जबर्दस्ती बसों को सीज किया जाये, ट्रकों को ले जाया जाय जबर्दस्ती और जो फेमिन में काम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर रहे हैं उनको यह कहा गया कि वहां पर 35 रुपये दिये जायेंगे। लोगों को बहका कर ले जाया गया। मेरे पास टेपरिकार्ड है। जो बयान लोगों ने दिये हैं वह मैं आपको सुना सकती हूं। मैं इनका पर्दाफाश कर सकती हूं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप हमें बोलने का मौका दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आप मेरी बात सुनिये। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको मैंने इस विषय पर बोलने का काफी मौका दिया है और आपने काफी समय ले भी लिया है। मैं चाहता था कि इस समय इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं होती तो ठीक रहता। आप बाद में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय बोल लेवें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, लोगों की मौतें हो गई हैं और यहां पर लोग मखौल उड़ा रहे हैं। आप इन्हें ताड़ना दीजिये।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस रैली के लिये बसों के परमिट नहीं होने पर भी उनको जबरदस्ती ले जाने के लिये यातायात मंत्री जी दोषी हैं। उन्होंने जबरदस्ती की। हमारे वहां पर जो केमिन वर्क्स में मजदूर काम कर रहे थे उनको वहां पर जबरदस्ती ले जाया गया। उन्हें यह कहा गया कि 35 रुपये मजदूरी के जो बाकी हैं वहां पर पेमेंट किया जायेगा। मैं खुद वहां पर जाकर आया हूं मुझे वहां पर यह बताया गया कि उन्हें तो जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

उन मजदूरों को यह कहा गया कि उन्हें वहां पर 35-35 रुपये बांटे जायेंगे। उन्हें जबरदस्ती जाना पड़ेगा, ऐसा आदेश किया गया था यातायात मंत्री द्वारा।

(व्यवधान)

श्री दोपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बौखला गये हैं रैली को देखकर अब इसलिये यहां पर हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं। उस रैली से यह पता लगता है कि कांग्रेस में, इन्दिराजी में किसानों की कितनी आस्था है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनका पर्दाफाश हो गया है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक महिला, जो बेचारी बेवा थी, पी. डब्ल्यू. डी. में मजदूर थी उसको जबरदस्ती रैली में ले जाया गया। उसकी वहां पर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसके दो बच्चे एक दस साल का लड़का और एक 5 साल की बच्ची है। 35 रुपये का प्रलोभन देकर वहां ले गये। वह औरत एक्सीडेंट में मर गयी। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी पहाड़िया जी गरीब

(श्री दाऊदयाल जोशी)
लोगों को अनुदान देते हैं। क्या वह उन बच्चों को अनुदान देंगे जिनकी मां मर गयी है इस रैली में।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उस दुर्घटना में एक व्यक्ति मरा उसका कार्ड मैं आपको पेश करना चाहती हूं जो कि उसकी जेब में से निकला।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ में चोरी का मामला दर्ज करवाया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहती हूं कि बसों का जबर्दस्ती अधिग्रहण हो जाने से एक शादी की बरात, जो कि पाली जाने वाली थी, नहीं जा सकी। उस व्यक्ति के फेरे का समय निकल गया। इसी तरह एक कर्मचारी, जो कि सोजत का था, बस नहीं मिलने के कारण अपनी नियुक्ति पर नही जा सका और नौकरी से हाथ धो बैठा। जो लोग बसों में अपनी नौकरी करने जमवा रामगढ़ से जयपुर आते थे वह उस दिन नौकरी करने जयपुर नहीं आ सके नहीं जमवा रामगढ़ जाने वाले अपने घर ही जा सके। बगरू से जो मेरे गाय का दूध निकालने वाला आता है वह दूध निकालने नहीं आ सका। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में बोलने का समय सदस्यों को दिया जाय जिससे कि पता लगे कि कितनी अनियमिततायें इसमें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। आप में से कई सदस्य बोल चुके हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह समय दिया है उसके लिये तो हम आभार प्रकट करते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। इन स्थगन प्रस्ताव, जो कि माननीय सदस्य ने दिये हैं, पर मैंने यह व्यवस्था दी कि इसके लिये सरकार से जानकारी मांगी जा रही है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कई लोगों की इन दुर्घटना में जाने गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा था कि तथ्यों की जानकारी आ जायगी।

श्री नाथूसिंह : आप कृपया दो मिनट बोलें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जब यह रैली हुई थी उस समय नागौर में पशु मेला चल रहा था वहां पर लोगों ने कई बैल खरीदे पर उनको अपने बैल ले जाने के लिये वैगन नहीं मिल सका जिससे कि लोगों को बहुत ही परेशानी हुई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आप, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया आपस में नहीं बोलें। आपस में बात नहीं करें।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, अभी जब यह रैली हुई थी उस वक्त

(श्री रामकंवार बैरवा)

हमारी जनता पार्टी का अधिवेशन बनारस में हुआ था। मैं उसमें गया हुआ था। वहां पर 16 तारीख को रैली के कारण हमारी गाड़ी 16 घण्टे लेट पहुंची। मैं जब आ रहा था 17 तारीख को तो दिल्ली से आते वक्त मैंने देखा कि जो लोग रैली में गये थे उनमें 80 प्रतिशत लोग गरीब तबके के और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे। वह बेचारे प्रलोभन में आकर दिल्ली बसों में चले तो गये लेकिन आते वक्त उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। वह बेचारे पैदल आ रहे थे। करीब पचास बसें ऐसी थीं जो रास्ते में खराब पड़ी हुई थीं। रास्ते में कई एक्सीडेन्ट हुए। लोग मर गये थे वह भी हमने देखे। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जबर्दस्ती लोगों को बसों ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, रास्ते में लोग कांग्रेस को और कांग्रेसी विधायकों को गालियाँ देते आ रहे थे। वह कह रहे थे कि उनको कांग्रेसी विधायकों ने झांसा दिया और कहा कि तुम्हें वहां पर रुपये दिये जायेंगे पर उन्हें वहां पैसा नहीं मिला बल्कि उल्टी उनकी वहां पर हालत खराब हो गयी।

(व्यवधान)

वह कह रहे थे कि उनको दिल्ली ले जाकर छोड़ दिया। उनको बिल्कुल वहां पर नहीं पूछा। वह लोग बेचारे वहां पर मुसीबत में फंस गये। उन्हें वहां पर भारी मुसीबतें उठानी पड़ीं। अब पता नहीं हम कब पहुंचेंगे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस 16 फरवरी की रैली ने भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर राज्य सरकार के मंत्री हैं यातायात मंत्री, दूसरी तरफ वह कांग्रेस की रैली के यातायात के मंत्री नहीं हो सकते। संयोजक की तरफ से मांग आती है कि बसें दी जायं और मंत्री महोदय होने के नाते आज्ञा दे देते हैं कि बसें दे दी जायें। अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर यातायात विभाग में जो ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं वही श्रीमान् पहाड़िया जी के चुनावों में ऑब्जर्वर बनाये गये, श्री आर. के. अग्रवाल और उस चुनाव में उन्होंने घोटाले करवाये उसका इनाम उन्होंने पाया ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर बनकर। उसके पश्चात् दूसरा इनाम प्राप्त करने के लिए ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के पद का खुलकर दुरुपयोग किया...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है अथवा जो उपस्थित नहीं है उसके बारे में मानहानिकारक मामला यदि आप उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पूर्व सूचना देनी होगी।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रकों को जबर्दस्ती पकड़ पकड़ कर रोका गया। चार हजार ट्रक रोके गये, 3500 बसें रोकी गयीं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक ट्रक का मालिक ट्रक चला रहा था। सांगानेर में खाना खा रहा था। वहां इन्सपेक्टर ने उसके ट्रक की चाबी निकाल ली, कागज छीन लिए और कहा कि जयपुर चलो। उसको पकड़ कर यहां लाये। उस ट्रक का नम्बर है आर. आर. बी. 2261 सारे नम्बर मेरे पास मौजूद हैं...

एक माननीय सदस्य : सबूत है आपके पास ?

श्री नाथूसिंह : इसके बाद न तो परमिट दिये गये, ट्रकों में सवारियां बैठाने की कोई इजाजत नहीं है लेकिन कानून तोड़-कर ट्रकों में सवारियां भरी गयीं। बसों में लोग गये, एक्सीडेन्ट हुए और लोग मारे गये। वह व्यक्ति जो मारे गये, बेचारे किसान नहीं थे वह मजदूर थे, अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूर थे, कृषि उपज मण्डी में काम करने वाले मजदूर थे, पी. डब्ल्यू. डी. में काम करने वाले कर्मचारी थे, आर. एस. ई. बी. में काम करने वाले कर्मचारी थे। सब पर मिलकर दबाव डाला गया, फैक्ट्रीज की छुट्टियां करवा दीं और कहा गया कि रैली में पहुंच जाओ। उसमें सारे नियमों को ताक में रखकर करीब 3500 रोडवेज की बस चलीं। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि कितना नुकसान हुआ। 13 तारीख को यान रूट रोडवेज के पास 2881 बसें थीं लेकिन 14 तारीख को वह घटकर 1873 हो गयीं। एक दिन में रोडवेज 4 लाख 87 हजार किलोमीटर चला करती थी लेकिन 14 तारीख को केवल 89 हजार किलो मीटर ही चलीं। कुल आमदनी 12 लाख 14 हजार रुपये एक दिन की हुआ करती थी लेकिन 14 तारीख को 12 लाख रुपये के आसपास रह गयी। 15 तारीख को 1227 बसें रह गयीं घटकर।

श्री अध्यक्ष : यात्रा करने वाले दिल्ली चले गये थे। फिर बसें खाली रह गईं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके पास परिवहन विभाग है क्या ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह जो बसें जा रही थीं भरतपुर में एक्सीडेन्ट हुआ धौलपुर के पास एक्सीडेन्ट हुआ, कुण्डा के पास हुआ और जयपुर के पास कुण्डा में जो एक्सीडेन्ट हुआ उसमें कई लोग मारे गये। हालांकि उनको मुआवजा दिया गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कितना भारी इस रैली के अन्दर घोटाला हुआ है, कितने लोग मारे गये हैं, इन लोगों को मारने का श्रेय किसको है ? सरकार को. . .

कुछ माननीय सदस्य : आपको।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लोग मारे गये वह सारे के सारे बेचारे मजदूर थे। 35 रुपयों का लालच देकर उनको ले जाया गया उसके बाद उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था। इस स्थिति में स्थान-स्थान पर एक्सीडेन्ट हुए। ट्रकों को जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाया गया बसों को जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाया गया। इस तरह से नुकसान बसों को हुआ। लगभग 22 लाख रुपये का नुकसान हुआ, 18 लाख रुपये का डीजल का नुकसान हुआ। इस तरह से 6 लाख रुपये का नुकसान जो परमिट वगैरह होते हैं उनका हुआ। इतना नुकसान इन लोगों ने किया और कांग्रेस (आई) के नाम पर किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि अगर मैं प्रभाकर की जगह होता....

(श्री नाथूसिंह)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, त्याग-पत्र दे दिया होता। प्रभाकर जी को निवेदन करना चाहता हूं, उनमें अगर जरा सी भी जनता के प्रति भावना है, अगर, थोड़ी सी भी उनकी नीयत साफ है, अगर वह लोकतंत्र में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो स्वयं को, बिना मुख्य मंत्री के मांगे और बिना हमारे मांग किये त्याग-पत्र दे देना चाहिये और सीना तानकर कहना चाहिए कि मैं त्याग-पत्र देता हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना भारी घोटाला हुआ। मैं मांग करता हूं कि जो एक्सीडेन्ट्स हुए, कई लोग मारे गये वह कौन थे, किसलिए ले जाया जा रहा था, कौन ले जा रहा था? बसों के लिये गलत आदेश सरकार ने कैसे दिए? बसों को जबरन कैसे रोका गया? ट्रकों को जबरदस्ती पकड़ा? कौन कौन अधिकारी और मंत्री इस घोटाले में सम्मिलित हैं? मैं, अध्यक्ष महोदय, मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए क्योंकि इस विषय में आगे बहस होगी। इसलिए मैं उस समय इस पर और प्रकाश डालूंगा। इस मामले में जितने घोटाले हुए आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें ताकि वास्तविकता क्या है वह सामने आ सके। इतना खुल कर घोटाला हुआ है। यह कांग्रेस (आई) की रैली नहीं यह कांग्रेस सरकार की रैली थी, सरकारी रैली थी। कांग्रेस (आई) की रैली को सरकारी रैली बना दिया गया। लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा किया गया। सरकार द्वारा ऐसा गबन किया गया जिसको हर इन्सान जानता है, सारी पब्लिक जानती है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया।

श्री नाथूसिंह : शायद ही इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ हो। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाये। जो लोग मारे गये हैं वह कौन हैं, क्या हैं, कैसे मरे, परमिट के बिना बसें कैसे गई, जबरदस्ती क्यों ले जाया गया और कितने पैसों का दुरुपयोग किया गया? पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह!

(व्यवधान)

आपके स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी चाही है। इसके अलावा भी आपने वाद-विवाद में काफी हिस्सा ले लिया है। आगे और अवसर आयेगा तो मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किन मुद्दों पर जांच कराई जायेगी, वह तो कल कह दिया। हमें तो इसकी जानकारी थी। जांच कराई गई तो उन मुद्दों पर तो मैं प्रकाश डाल दूं कि इन मुद्दों की जांच करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने जो स्थगन प्रस्ताव लिख कर दिया है उस सम्बन्ध में मैंने सरकार से जानकारी चाही है। यदि आप उसमें अमेन्डमेन्ट करना चाहती हैं तो वह अलग तरीके से पेश करें।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे बोलने के लिए अनुमति चाही थी। मैं आपसे आग्रह चाहती हूं। मेरी बात को कहना चाहती हूं . . .

श्री अध्यक्ष : सरकार से उत्तर आ जाय। इस वक्त जैसी व्यवस्था दी है उसके अनुसार पालना करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार से उत्तर आने की सीधे-सीधे सभी मुद्दों पर मुझे तो सम्भावना नहीं लगती। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि संक्षेप रूप से जो विशेष मुद्दों पर . .

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा आपने रिजेक्ट किया है . . .

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट नहीं किया है। आपने सुना नहीं। सारी रामायण पढ़ दी। मैंने सरकार से जानकारी चाही है एक्सीडेन्ट के बारे में। उनका उत्तर आ जाएगा उस समय व्यवस्था दूंगा। अगर उसको रिजेक्ट करता हूं तो आपको अवसर दिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सरकारी उत्तर कब तक आने की सम्भावना है?

श्री अध्यक्ष : यह यहीं का मामला है। जल्दी आ जायेगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : जो अस्पताल में भर्ती हैं उनको समुचित रूप से दवाइयां नहीं मिल रही हैं और न डाक्टर ही देख रहे हैं। जो दोषी हैं, जो उनको ले गये थे, वे उनसे मिल गये हैं . . .

श्री अध्यक्ष : यह अवसर नहीं है, माननीय सदस्य। यदि आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो अलग तरीके से की जा सकती है। आप मुझसे चेम्बर में मिल लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं यह कहना चाहता था कि आज उनकी स्थिति गम्भीर है, एक आदमी परसों ही मरा है। जो चन्द्रप्रकाश है उसकी भी स्थिति गम्भीर है . . .

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय सुन रहे हैं। वह इसके बारे में उचित व्यवस्था करेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से कल मैंने प्रयास किया मिलने का, कि क्या उनकी व्यवस्था की है लेकिन मंत्री महोदय को फुरसत नहीं है, क्षेत्रीय विधायक को फुरसत नहीं है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल ही उनकी देखरेख की व्यवस्था करें और दवाइयां दिलाई जायें।

अध्यक्ष महोदय, इसका तत्काल जवाब मंगायें।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी-अभी अपनी व्यवस्था देते समय जो यह कहा कि आप राज्यपाल

(श्री यदुनाथसिंह)
के अभिभाषण पर इस पर बोल लें। इससे यह बात साफ जाहिर होती है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप भी यह मानते हैं कि अभिभाषण पर सरकारी पक्ष पर बहस होती है, किसी प्राइवेट संस्था पर नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप इस बात को मानते हैं कि सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैंने ऐसा नहीं कहा, चाहे आप...

श्री यदुनाथसिंह : दूसरी बात, मैं यह इस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों को धिक्कारता हूं। किसान होते हुए भी किसानों का मखौल उड़ाया गया और इस मखौल में वे शामिल हुए और शामिल होने के साथ-साथ यहां पर उनको डिफेण्ड भी कर रहे हैं जो गलतियां हुई हैं। एक तरफ एक-एक बूंद डीजल के लिए, जो किसानों का था मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसान को पुलिस डण्डे मारकर पेट्रोल पम्प से हटा रही थी और आपकी गाड़ियों में डीजल डाला जा रहा था। यह डीजल...

कई माननीय सदस्य: × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : यह प्रूफ है...

श्री अध्यक्ष : कृपया × × × शब्द का प्रयोग सावधानी से करें, यह असंसदीय है आम तौर से।

श्री यदुनाथ सिंह : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि इसके लिए जांच समिति बनाई जाये, सदस्यों की बनाई जाय या जुडिशियल जांच बैठाई जाय। इस अवसर पर तीन दिनों में किस कोटा से डीजल दिया गया? क्या किसानों का डीजल था? सरकारी वाहनों में से, राजस्थान रोडवेज की 1800 बसें आन रोड हैं, उनमें से, कौन-सा कानून है, जिस कानून के तहत 1300 के लगभग बसें इन लोगों को दी गई? क्या उसका पैसा जमा कराया गया? अखबारों के माध्यम से पता लगता है कि एक लाख रु. जमा कराया गया। लेकिन जब कान्ट्रेक्ट पर होता है कोई आदमी तो क्या नियमों की अवहेलना करके जो बसें दी गई वह क्या उन आदमियों को भी मिलती हैं? तो क्या पूरा पैसा जमा हुआ? सरकार को तीन दिन के अन्दर कितना लॉस हुआ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं हुआ।

श्री यदुनाथसिंह : सरकार ने गारन्टी दी है। पैसा जमा नहीं हुआ...

श्री खेतसिंह राठौड : नहीं हुआ है तो हो जायेगा।

श्री यदुनाथसिंह : इस रैली में सरकारी तंत्र का किस प्रकार मखौल किया गया इसके कुछ उदाहरण हैं। सब जिलाधीशों को, सब डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट आफिसर्स को प्रिन्टेड, साइक्लोस्टाइल प्रोफार्मा भेजा गया जिस पर किसी के साइन नहीं थे। इसमें आश्चर्य नहीं है कि आपकी इन्दिरा कांग्रेस का काम करने का तरीका अलग है कानून किस तरह से तोड़ते हैं। लेकिन, जो प्राइवेट व्यक्तियों से एग्रीमेन्ट लिखाया गया उनसे अनुमति ली गई वह अनुमति प्रिन्टेड प्रोफार्मा ... पर ... है ... क्या

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री यदुनाथसिंह)

जो ट्रक ऑपरेटर्स थे वे प्रिन्ट करा कर लाये थे ? नं. 2, ट्रकों में किस कानून के अन्तर्गत सवारियां ले जाई गईं ? आपके कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषण दिया कि हमारे लगभग 1500 ट्रक गये, तो ट्रकों में सवारियां किस कानून के अन्तर्गत ली गई ? जब आप खुद कानून तोड़ते हैं तो आपकी क्या नीयत और क्या मन्शा है, यह साफ जाहिर होता है। क्या इन बसों के परमिट बनाये गये ? जब आपकी बसें और ट्रक दूसरे राज्यों में गये, क्या आपने परमिट दिये ? क्या कानून की पालना की गई थी····

श्री खेतसिंह राठौड : सब कानून की पालना की गई थी।

(व्यवधान)

ऐसी रैली आप से तो हो नहीं सकती। आपका जी जलता है। अब आप हल्ला करना चाहते हैं··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ! आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड : सब कानून की पालना हुई है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री गोपाल पचेरवाल : खेतसिंह जी की बात सही है कि आप रैली नहीं कर सकते। हम नियम नहीं तोड़ सकते।

(व्यवधान)

खेतसिंह जी की पार्टी लोगों को मरवा सकती है। हम लोगों को नहीं मरवा सकते। यह सही कह रहे हैं····

एक माननीय सदस्य : माननीय खेतसिंह जी, यह तो बतायें इस रैली की क्या आवश्यकता थी ? क्या इन्दिरा गांधी की कुर्सी हिल रही थी उसको पकड़ने के लिए ले जा रहे थे लोगों को ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया बाधा उपस्थित न करें।

श्री यदुनाथसिंह !

श्री यदुनाथसिंह : अभी अभी माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो यह कहा कि आप रैली नहीं निकाल सकते। हम इस तरह का मखौल देश में करना नहीं चाहते। रहा सवाल यह कि जब पिछले वर्ष इसी देश की जनता ने·····

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय,..

एक माननीय सदस्य : आपके इस्तीफे का क्या हुआ ?

श्री यदुनाथसिंह : जब पिछले वर्ष दो तिहाई बहुमत से आपको गद्दी पर बैठाया है तो आपको क्या भय है कि आप किसान

(श्री यदुनाथ सिंह)
रैली करने को तैयार हुए। इससे बात साफ जाहिर होती है कि आपकी इन्दिरा कांग्रेस और आपकी पार्टी के इस देश की जनता खिलाफ है। इसलिये आप जबरदस्ती ले जाकर यह दिखाना चाहते हैं ....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने घोषणा की थी कि किसान हमारे साथ हैं, चरण सिंह हमारे साथ हैं। आपका भेद खुल गया ...

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : बाहर की विदेशी सरकारों को आमन्त्रण दिया। इस तरह की आप रैली निकालते हैं ...

एक माननीय सदस्य : आपने भी रैली निकाली थी।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। आर्डर, प्लीज।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया

श्री परसराम मदेरणा : प्वाइंट ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। पाइंट आफ आर्डर है?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह दूसरा सत्र है इस सप्तम् विधान सभा का। पहले सत्र में बहुत से माननीय सदस्यों को नियमों की जानकारी नहीं थी। मैंने कई दफा देखा है जब स्पीकर स्पीक करने के लिये राइज होता है, मेम्बर्स अपनी सीट पर नहीं बैठते और यह अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में। मैं देखता हूं राज्य सभा में और लोक सभा में स्पीकर जब खड़े होते हैं जितना हाउस में उस जिर्व वातावरण होता है हर एक माननीय सदस्य नीचे बैठ जाते हैं। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि यह सदन के ऊपर निर्भर करता है। स्पीकर जब स्पीक करते हैं तो क्या इस तरह से सदन में एक नया वातावरण, नया ट्रेडीशन, परम्परा डालनी चाहिये? इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत नियम 280 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं :

"Procedure when Speaker rises
(1) Whenever the Speaker rises, he shall be heard in silence and any member who is then speaking or offering to speak shall immediately sit down.

(2) No member shall leave his seat while the Speaker is addressing the House."

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह देखता हूं कि जब आप सदन में खड़े होकर एड्रेस करते हैं तो बहुत से माननीय सदस्य इस सदन के बाहर निकलते हैं, बहुत से माननीय सदस्य खड़े रहते हैं। जब आप अभी दूसरी बार खड़े हुए और कुछ कहना चाहते थे लेकिन माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं बैठे ...

श्री अध्यक्ष : एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैंने कहा, माननीय सदस्य आप बैठ जायं तो माननीय सदस्य ने कहा कि आप ही

(श्री अध्यक्ष)

बैठ जायं। इसलिये इस तरह की अव्यवस्था, जो फैलाई जा रही है, मैं समझता हूं, सदन के लिये बहुत चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्य नियमों की पूरी अनुपालना करें, लेकिन नियम 280 की अनुपालना तो माननीय सदस्यों को बहुत गरिमा के साथ करनी चाहिये। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और जिन नियमों का हवाला दिया है मैं समझता हूं उसमें कोई विवाद नहीं है। माननीय सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन है कि जब आसन अपने पैरों पर हो, तब यदि माननीय सदस्य खड़े भी हों, गुस्से या किसी आवेश में भी हों तो उनको अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये। यह साधारण नियम है कि जब आसन पैरों पर हो तो माननीय सदस्य न सदन में प्रवेश कर सकेगा और न सदन से बाहर जा सकेगा। माननीय सदस्य जो उस वक्त चर्चा कर रहे हों या विवाद में हिस्सा ले रहे हों तो उनके बीच में भी नहीं जाना चाहिये, लेकिन साधारणतया कुछ गलतियां होती रहती हैं इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन है कि आखिर में सदन की कार्यवाही हम माननीय सदस्यों के सहयोग से ही चला सकते हैं। सदन 6 महीने बाद आहूत हुआ है? हो सकता है, नियम भूल गये होंगे इसलिये नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें। खास तौर से माननीय सदस्यों को ऐसा बर्ताव रखना चाहिये इसके लिये मै खास तौर से निवेदन करूंगा कि आप ध्यान दें, ताकि कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके, यही मेरा निवेदन है।

इस पर काफी लम्बी चर्चा हो गई है। दो मिनिट का समय आपको और दिया गया है। आज का बिजनिस बहुत लम्बा है। इसलिये है आपका सहयोग चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : अभी-अभी जो माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया, वह भूल मुझ से भी हुई थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आगे के लिए पूरा ध्यान रखूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय, रैली के लिये इस राज्य को और सारे देश को जानकारी होना आवश्यक है। रोडवेज को उस रैली से कितना वित्तीय घाटा हुआ है, क्या उसका पूरा किराया चुका दिया गया है और अगर चुका दिया गया है तो, जैसे जोधपुर डिपो से भरतपुर बस पहुंची, तो भरतपुर से दिल्ली का ही किराया चुकाया गया है। जोधपुर से भरतपुर के बीच में जो बस लाई गई इसका जो लॉस हुआ, उसका भी किराया चुकाया गया है ? चुकाया गया है, तो कितना चुकाया गया है। परमिट प्राइवेट बसों के थे या नहीं थे ? अगर नहीं थे तो गैर कानूनी बसें किस तरह गई ? ट्रक और बसों को किस कानून के तहत और कैसे एक्वायर किया गया ? बसों में किस तरह सवारियां ले जाई गई ? किसानों को जो डीजल मिलने वाला था वह डीजल किस कोटे से इन प्राइवेट वाहनों को तीन दिन में दिया गया ? मैं चाहता हूं अगर आप सच्चे हैं और हल्ला मचा रहे हैं तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं चाहता हूं, सदन की जांच कमेटी बने और जरूरी हो तो न्यायिक जांच हो। यदि यह सत्य है और आप इससे मना करते हैं तो साफ है

(श्री यदुनाथ सिंह)
कि आपके अन्दर पाप है। मैं इतना ही कहते हुए पूरा विश्वास रखता हूं कि इस तरह का भविष्य में दुरुपयोग नहीं हो इसलिए इस जांच का होना अति आवश्यक है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर है क्या ? आसन पैरों पर है—

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

सचिव, विधान सभा द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिसूचनाएं :

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ राजस्थान के आखिरी किनारे पर है और पिछड़ा हुआ···

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है···

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है। फिर खड़े हो गये, अभी तो व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव डकैती के बारे में है। उसके बारे में सरकार से जानकारी की जा रही है।

ऐसा है मैंने अपनी व्यवस्था में निवेदन किया है। जहां तक आपके स्थगन प्रस्ताव का सवाल है, वह 127 में है—स्थगन प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य। उस पर यहां चर्चा नहीं होगी। अलग से मिल लें···

(व्यवधान)

चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह अत्यन्त महत्व का एक प्रस्ताव है और उस घटना से सम्बन्धित है जो शनिवार की रात्रि को 8-00 बजे·····

श्री अध्यक्ष : हाउस में अभी चर्चा नहीं होगी।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं चर्चा नहीं करूंगा। उसका महत्व निवेदन कर रहा हूं ताकि सारे व्यापारियों को···

श्री अध्यक्ष : यह यहीं का मामला है, जल्दी जानकारी कर लेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सरकार का उत्तर आने दीजिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी चर्चा के लिये···

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप नियम तोड़ रहे है, माननीय सदस्य।

अधिसूचना

शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने संबंधी अधिसूचना

सचिव, विधान सभा द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिसूचनाएं।

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा : महोदय, विधान सभा के सदस्यों द्वारा शपथ

(श्री सचिव)
लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय की अधिसूचना पढ़ कर सुनाता हूं। जो निम्न प्रकार है :—

अधिसूचना संख्या एफ. 1/3/संसद/80, दिनांक 20 नवम्बर, 1980 इस विषय पर राज्यपाल के आदेश दिनांक 3 जुलाई, 1980 को अतिष्ठित करते हुए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं रघुकुल तिलक, राज्यपाल, राजस्थान :—

(1) राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष को, तथा

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (2) के अनुसार राजस्थान विधान सभा के सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिये सक्षम व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता हूं, जिनके समक्ष सातवीं राजस्थान विधान सभा का कोई भी सदस्य संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

रघुकुल तिलक,
राज्यपाल, राजस्थान।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका अकाल के विषय में था। उसमें आप दो मिनिट में क्या फर्मायेंगे। अकाल के सम्बन्ध में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या व्यवस्था होती है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज रखा था।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले विधेयकों का विवरण।

सचिव महोदय।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा :- महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

(अ) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक-

राजस्थान कृषि उपज विपणन (संशोधन) विधेयक, 1980।

(आ) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक-

1-राजस्थान विनियोग (लेखानुदान संख्या-2) विधेयक, 1980।

2- राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1980।

3-राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1980।

(अध्यादेश)

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश। श्री हीरा लाल देवपुरा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान

(श्रीमती कमला) संशोधन) अध्यादेश, 1980 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1980) को सदन की मेज पर रखती हूं।

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं । श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर !

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1 अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे./पी.एस./आर/ 2/69/3/दिनांक 4 जनवरी, 1980.

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे./पी. टी./16/78/262 दिनांक 12 अक्टूबर, 1979

3. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./ पी. एस./ए. आर./19/78/310 दिनांक 27 दिसम्बर, 1979

4. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे./ एल/पी. एस./आर/2/69/4 दिनांक 4 जनवरी, 1980

5. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./ पी. टी./3/59/26 दिनांक 25 जनवरी, 1980

6. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./ पी. टी./पी./9/80/72 ए. दिनांक 22 अप्रेल, 1980

7. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे./ पी. एच./11/80/78 दिनांक 29 अप्रेल, 1980

8. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल. जे./पार्ट/10/80/11 दिनांक 29 अप्रेल, 1980

9. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./ पार्ट/13/80/94 दिनांक 5 जून, 1980

ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं परन्तु संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं गृह (ग्रुप-7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

व्यवस्था का प्रश्न

एक मंत्री की अनुपस्थिति में दूसरे मंत्री द्वारा अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाने की अध्यक्ष महोदय की पूर्वानुमति

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर। अभी आपने अध्यादेश को रखने के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिए, आज जो अध्यादेश है, श्री हीरालाल देवपुरा, मंत्री का नाम पुकारा था। उन्होंने इस प्रस्ताव को सदन की मेज पर रखा और एक दूसरे अन्य माननीय सदस्य ने बिना आपकी अनुमति के, आपने नाम पुकारा विशेष मंत्री जी का, जो सम्बन्धित थे...

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई नियमों का उल्लेख नहीं है। इसमें परम्परायें पुरानी स्थापित हैं। उसी के अनुसार...

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है। अगर उनको बोलना भी था तो आपकी अनुमति के बिना नहीं बोल सकते। वे इस बात की अनुमति लेती।

श्री अध्यक्ष : ये उनका आन्तरिक मामला है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली थी क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : वे आपसे अनुमति लेकर ही बोल सकते थे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला तो सरकार का जो है, एग्जीक्यूटिव का अन्दरूनी है और माननीय सदस्य को डाइलेक्ट्रिक इस पोइन्ट आफ आर्डर को रेज करना है जब कि इन्ट्रोडक्शन हो चुका है और मेज पर रख दिया गया है आर्डिनेन्स। कोई मिनिस्टर, प्रभारी मंत्री, अगर दूसरे मिनिस्टर के बिहाफ पर रखेगा तो अध्यक्ष महोदय की प्रायर अनुमति से रखेगा और इसमें प्रायर अनुमति" नहीं ली गयी है। हालांकि परम्परायें क्या रही हैं, क्या नहीं, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन यह परम्परा जरूर रही है कि अगर कोई मिनिस्टर अनुपस्थित है तो उसकी तरफ से रखने के लिए हरएक मिनिस्टर अधिकारी नहीं है। लेकिन आपने अनुमति तो नहीं दी थी, इसलिए गलती तो आपने की है। अब कितनी की है, कितनी नहीं, लेकिन मामला बाद में रख दिया गया है। माननीय सदस्य ने, जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहिए था, बहुत देरी कर दी लेकिन अनुमति तो उन्हें लेनी चाहिये थी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन अगर इस तरह की परम्परा पड़ गयी तो आज की इस घटना का उल्लेख दुबारा किया जायेगा। यह आप व्यवस्था दें कि क्या यह उचित था या अनुचित था।

श्रीमती कमला : मैं अपनी गलती मानती हूं और आपकी स्वीकृति चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : स्वीकृति प्रदान की गयी। श्री प्रभाकर।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है कि ये अधिसूचनायें जो रख रहे हैं, उनको तो पहले ही रख देना चाहिए था। 79 की ये जो अधिसूचनायें आज रखने जा रहे हैं, मंत्री महोदया। पहले वाले के बारे में इतने चिंतित हैं कि रूल्स में 6 महीने का प्रावधान नहीं इसलिए मुझे दुबारा रखनी पड़ रही है, बहुत एक्सप्लेनेशन दिया

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्होंने ! 79 की अधिसूचना गृह विभाग में पड़ी रही ! इतने चिन्तित थे कि गृह विभाग सोता रहा, कुम्भकर्णी नींद में, दो वर्ष तक जब कि गृह विभाग, जिसकी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं कि गृह विभाग जब आपके जरूरी मामले में भी सजग नहीं है तो फिर क्या लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था हुई है हमेशा। एक अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था हुई है कि पहले कई अधिसूचनायें नहीं रखी गयी हैं....

श्री अध्यक्ष : पहले कई वर्ष बाद आती थीं।

श्री परसराम मदेरणा : कई वर्षों बाद इस मामले का अपडेटिंग हो गया था। यह अपडेटिंग होने के बाद में यह बैक लाग होता आ रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि इसको रखने की अनुमति नहीं दी जाय, लेकिन कम से कम सरकार को इस बात की तो प्रताड़ना दी जाय, इसको रिप्रीमेण्ड किया जाय कि समय के अन्दर के अलावा कोई भी पुरानी अधिसूचना नहीं आयेंगे। गृह पर्सनल जिम्मेदारी है मिनिस्टर की कि वह देखें कि अधिसूचना आज भी पुरानी निकलती है जो नियमों के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। इसमें चूंकि हरएक माननीय सदस्य को अधिकार है कि रूल्स के अन्दर वे नोटिफिकेशन के 14 दिन के अन्दर कोई अमेन्डमेन्ट कर सकते हैं, उससे माननीय सदस्य वंचित रह जाते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर यह डायरेक्शन दिये जाने चाहिए कि कोई भी पुरानी अधिसूचना अगर रह भी गयी है तो उसे रखने के लिए टाइम ले लिया जाय, 15 दिन का तो 15 दिन के भीतर-भीतर सरकार सभी पुरानी अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखें। इस तरह का नियमों का प्रावधान है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पोइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जब ये प्रश्न मैंने उपस्थित किया कि श्रीमन् हीरालाल देवपुरा जी यहां पर नहीं थे, उनका, आपकी बिना अनुमति के माननीय मंत्री महोदया ने जो प्रस्ताव यहां रख दिया, उस पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि मेरी गलती हुई कि अनुमति नहीं मांगी और कहा, अब मैं अनुमति मांगती हूं। अब पता नहीं उन्हें आपने अनुमति दी या नहीं....

श्री अध्यक्ष : अनुमति दे दी मैंने।

श्री भंवरलाल शर्मा : दे दी तो प्रस्ताव भी रखा या नहीं उन्होंने ?

श्री अध्यक्ष : गलती है, बाद में भी ठीक की जा सकती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसको रिट्रोस्पेक्टिव मान लें।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर।

अधिसूचनायें

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं गृह-7 विभाग की निम्नांकित 1-63 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
(व्यवधान)

1. अधिसूचना संख्या प. (3) गृह/ग्रुप-7/75-11 दिनांक 25 फरवरी, 1980
2. अधिसूचना संख्या प. 5 (2) ग्रुप-7/80/-दिनांक 8 फरवरी, 1980
3. अधिसूचना संख्या प. 5 (6) गृह/ग्रुप 7/80, दिनांक 6 मार्च, 1980
4. अधिसूचना संख्या प. 5 (16) गृह-7/79, दिनांक 6 जुलाई, 1979
5. अधिसूचना संख्या प. 5 (19) गृह-7/79, दिनांक 12 सितम्बर, 1979
6. अधिसूचना संख्या प. 5 (22) गृह-7/79, दिनांक 26 सितम्बर, 1979
7. अधिसूचना संख्या प. 5 (23) गृह-7/79, दिनांक 26 सितम्बर, 1979
8. अधिसूचना संख्या प. 5 (24) गृह-7/79 दिनांक 28 सितम्बर, 1979
9. अधिसूचना संख्या प. 5 (25) गृह-7/79 दिनांक 26 सितम्बर, 1979
10. अधिसूचना संख्या प. 5 (26) गृह-7/79, दिनांक 26 सितम्बर, 1979
11. अधिसूचना संख्या प. 5 (27) गृह-7/79, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979
12. अधिसूचना संख्या प. 5 (28) गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979
13. अधिसूचना संख्या प. 5 (29) गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979
14. अधिसूचना संख्या प. 5 (30) गृह-7/79, दिनांक 4 अक्टूबर, 1979
15. अधिसूचना संख्या प. 5 (31) गृह-7/79, दिनांक 4 अक्टूबर, 1979
16. अधिसूचना संख्या प. 5 (33) गृह-7/79, दिनांक 4 अक्टूबर, 1979
17. अधिसूचना संख्या प. 5 (34) गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979
18. अधिसूचना संख्या प. 5 (35) गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979
19. अधिसूचना संख्या प. 5 (36) गृह-7/79, दिनांक 6 अक्टूबर, 1979
20. अधिसूचना संख्या प. 5 (47) गृह-7/79, दिनांक 18 अक्टूबर, 1979
21. अधिसूचना संख्या प. 5 (48) गृह-7/79, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979
22. अधिसूचना संख्या प. 5 (49) गृह-7/79, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979
23. अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह-7/79, दिनांक 25 अक्टूबर, 1979
24. अधिसूचना संख्या प. 5 (51) गृह-7/79, दिनांक 17 अक्टूबर, 1979
25. अधिसूचना संख्या प. 5 (53) गृह-7/79, दिनांक 23 अक्टूबर, 1979
26. अधिसूचना संख्या प. 5 (53) गृह-7/79, दिनांक 27 अक्टूबर, 1979
27. अधिसूचना संख्या प. 5 (59) गृह-7/79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979
28. अधिसूचना संख्या प. 5 (60) गृह-7/79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979
29. अधिसूचना संख्या प. 5 (43) गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979
30. अधिसूचना संख्या प. 5 (46) गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979
31. अधिसूचना संख्या प. 5 (4[illegible]) गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 19 7

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

32. अधिसूचना संख्या प 5 (41) गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979
33. अधिसूचना संख्या प. 5 (40) गृह-7/79, दिनांक 6 अक्टूबर, 1979
34. अधिसूचना संख्या प. 5 (44) गृह-7/79, दिनांक 9 अक्टूबर, 1979
35. अधिसूचना संख्या प. 5 (21) गृह-7/79, दिनांक 29 सितम्बर, 1979
36. अधिसूचना संख्या प. 5 (38) गृह-7/75, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979
37. अधिसूचना संख्या प. 5 (39) गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979
38. अधिसूचना संख्या प. 5 (37) गृह-7/79, दिनांक 9 अक्टूबर, 1979

ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थी परन्तु मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

39. अधिसूचना संख्या प. 5 (18) गृह-7/80, दिनांक 6 सितम्बर, 1980
40. अधिसूचना संख्या प. 5 (22) गृह-7/80, दिनांक 23 सितम्बर, 1980
41. अधिसूचना संख्या प. 5 (135) गृह-7/80, दिनांक 15 नवम्बर, 1980
42. अधिसूचना संख्या प. 5 (139) गृह-7/80, दिनांक 20 नवम्बर, 1980
43. अधिसूचना संख्या प. 5 (102) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
44. अधिसूचना संख्या प. 5 (102) गृह-7/80, दिनांक 21 नवम्बर, 1980
45. अधिसूचना संख्या प. 5 (134) गृह-7/80, दिनांक, 17 नवम्बर, 1980
46. अधिसूचना संख्या प. 5 (132) गृह-7/80, दिनांक 18 नवम्बर, 1980
47. अधिसूचना संख्या प. 5 (128) गृह-7/80, दिनांक, 10 नवम्बर, 1980
48. अधिसूचना संख्या प. 5 (116) गृह-7/80, दिनांक 15 नवम्बर, 1980
49. अधिसूचना संख्या प. 5 (115) गृह-7/80, दिनांक, 14 नवम्बर, 1980
50. अधिसूचना संख्या प. 5 (103) गृह-7/80 दिनांक, 3 नवम्बर, 1980
51. अधिसूचना संख्या प. 5 (101) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
52. अधिसूचना संख्या प. 5 (105) गृह-7/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
53. अधिसूचना संख्या प. 5 (138) गृह-7/80, दिनांक, 21 नवम्बर, 1980
54. अधिसूचना संख्या प. 5 (117) गृह-7/80, दिनांक, 13 नवम्बर, 1980
55. अधिसूचना संख्या प. 5 (131) गृह-7/80, दिनांक, 21 नवम्बर, 1980
56. अधिसूचना संख्या प. 5 (120) गृह-7/80, दिनांक, 12 नवम्बर, 1980
57. अधिसूचना संख्या प. 5 (137) गृह-7/80 दिनांक, 21 नवम्बर, 1980
58. अधिसूचना संख्या प. 5 (75) गृह-7/80, दिनांक 29 अक्टूबर, 1980
59. अधिसूचना संख्या प. 5 (133) गृह-7/80, दिनांक, 17 नवम्बर, 1980
60. अधिसूचना संख्या प. 5 (140) गृह-7/80, दिनांक 17 नवम्बर, 1980
61. अधिसूचना संख्या प. 5 (119) गृह-7/80, दिनांक, 6 नवम्बर, 1980
62. अधिसूचना संख्या प. 5 (130) गृह-7/80, दिनांक, 21 नवम्बर, 1980

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

63. अधिसूचना संख्या प. 5 (74) गृह-7/80, दिनांक, 29 अक्टूबर, 1980

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्वाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। यह सूचना हमको दी गई है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास गृह विभाग है, के सारे विभागों का उत्तर और कार्यवाही का निष्पादन श्रीमान् प्रद्युम्नसिंह जी करेंगे।

एक माननीय सदस्य : ये तो ट्रान्सपोर्ट की है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गृह विभाग से सम्बन्धित हैं मैंने इसलिए कहा...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : गृह ग्रुप-7 ट्रांसपोर्ट कहा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 14(13) टी. पी./1/71, दिनांक 8 मई, 1972 सदन की मेज पर रखता हूं।

यह अधिसूचना गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गयी थी, परन्तु राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 की धारा 52 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इसको राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169(2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राम किशन वर्मा।

श्री राम किशन वर्मा (राज्य मंत्री, उपनिवेशन) : अध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं 1 से 9 तक सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (6) राज/उप/78 दिनांक 12 मई, 1980
2. अधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/80, दिनांक 17 मई, 1980
3. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (22) रेव/कोल/77, दिनांक 31 जुलाई, 1980
4. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (10) रेव/कोल/80, दिनांक 18 अगस्त, 1980
5. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेव/कोल/80, दिनांक 22 अगस्त, 1980
6. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) रेव/कोल/80, दिनांक 22 अगस्त, 1980
7. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (28) राज/उप/79, दिनांक 23 अगस्त, 1980
8. अधिसूचना संख्या एफ. 4(11) रेव/कोल/79, दिनांक 28 अगस्त, 1980
9. अधिसूचना संख्या एफ. 4(29) रेव/कोल/79, दिनांक 27 सितम्बर, 1980

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे आदि, मुख्यमंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखा आदि सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड 2 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1976 से 31 मार्च, 1977)

(श्री प्रद्युम्न सिंह).

2. कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उप-धारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत :—

(1) हाई टैक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर के संचालक मण्डल का प्रतिवेदन एवं 30 सितम्बर, 1979 को समाप्त हुये वर्ष के लेखे।

(2) राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि., जयपुर का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1978-79; तथा

(3) सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79.

3. विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का 23वां वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1979-80.

श्री अध्यक्ष : श्री पंचायत मंत्री जी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 1976-77 के लेखे का संपरीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने पंचायत मंत्री पुकारा था और वे पथ परिवहन मंत्री बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री।

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की पच्चीसवीं रिपोर्ट वर्ष 1977-78 (भाग 1 व 2) सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था

बाड़मेर जिले में निरन्तर तीन-चार वर्षों से अकाल का प्रकोप होने से जन जीवन अस्त-व्यस्त होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर निर्णय

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जैसी कि मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार करने के बाद निर्णय लिया जायगा।

शासकीय वक्तव्य

कोटा क्षेत्र के किसानों को चम्बल की दाईं मुख्य नहर से समुचित मात्रा में पानी नहीं मिलना.

मंत्री द्वारा वक्तव्य । स्थगन प्रस्ताव-श्री रघुवीर सिंह कौशल, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री हीरालाल आर्य व श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : चम्बल की दाईं मुख्य नहर से समुचित मात्रा में पानी नहीं मिलने के संदर्भ में।

राजस्थान व मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए चम्बल नदी पर तीन बांध एवं एक बैराज बना हुआ है। जल का मूल संचय मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध में होता है तथा नहरों का निकास कोटा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पास बैराज से है, जिससे दो नहरें निकलती हैं। बाईं नहर से केवल राजस्थान के कोटा तथा बूंदी जिले में सिंचाई होती है जब कि दाईं मुख्य नहर से राजस्थान के कोटा क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। इनके बीच में राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध है। इनसे बिजली पैदा होती है। मध्यप्रदेश व राजस्थान के बीच अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार इन बांधों से बिजली तथा सिंचाई के लाभ दोनों प्रदेशों को बराबर-बराबर अनुपात में उपलब्ध होते हैं। किसी भी वर्ष उपलब्ध पानी के उपयोग का कार्यक्रम मध्यप्रदेश व राजस्थान अन्तर्राज्जीय बोर्ड द्वारा गठित स्टैंडिंग कमेटी नं. 2 द्वारा तय किया जाता है। इस कमेटी में आयुक्त चम्बल विकास क्षेत्र, राजस्थान व मध्यप्रदेश, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान व मध्य प्रदेश, मुख्य अभियन्ता, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, सदस्य होते हैं।

सन् 1980 में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर के जल ग्राह्य क्षेत्र में वर्षा औसत से बहुत कम हुई जिसके फलस्वरूप गांधी सागर व राणा प्रताप सागर की कुल भराव क्षमता 5.603 प्लस 1.273= 6.876 मिलियन एकड़ फीट के बजाय 2.698 मिलियन एकड़ फीट ही पानी आया। इसमें से 1.07 मिलियन एकड़ फीट पानी खरीफ की फसल में उपयोग में लिया गया तथा रबी मौसम की शुरुआत में केवल 1.628 मिलियन एकड़ फीट पानी ही उपलब्ध था। यह पानी राजस्थान के तथा मध्य प्रदेश के कृषकों को पूरी चार पिलाई की आवश्यकता पूरी कर सके, अत: राज्य सरकार के कृषि विशेषज्ञों व क्षेत्रीय विकास आयुक्त की सलाह के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि कृषकों को इस वर्ष केवल दो सिंचाई (एक फलेवा तथा एक पिलाई) से पक जाने वाली फसलों को बोने के लिए प्रेरित किया जावे तथा उन्हें बता दिया जावे कि इस वर्ष सिंचाई के लिए दो बार से अधिक पानी दाईं मुख्य नहर पर नहीं मिलेगा। यह जानकारी कृषकों को पर्चे बांट कर, अखबारों में, प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा, कृषि विस्तार एजेन्सियों द्वारा एवं क्षेत्रीय विकास आयुक्त ने 8 अक्टूबर, 1980 को कृषकों के साथ ली गई मीटिंग में दी गई। इस वर्ष में रबी की सिंचाई के लिए नहरों के खोलने तथा पानी की मात्रा निर्धारित करने हेतु स्टैंडिंग कमेटी नं. 2 की मीटिंग 3-10-1980 को हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि इस बार राजस्थान व मध्य प्रदेश के कमाण्ड क्षेत्र में ऐसी फसलें ही बोई जानी चाहिए जो दो पिलाई से पक सकें, तथा स्टैंडिंग कमेटी की अगली मीटिंग दिसम्बर में करने का निर्णय लिया गया।

स्टैंडिंग कमेटी नं. 2 की अगली मीटिंग 19-12-1980 को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई के लिए पानी मध्य-प्रदेश एवं राजस्थान को 25-1-1981 तक ही उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार सिंचाई के लिए दाईं मुख्य नहर में पानी केवल 25-1-1981 तक ही चलना प्रस्तावित था। इसके बाद में उपलब्ध जल केवल बिजली पैदा करने के लिए ही आरक्षित था। इस प्रकार के कार्यक्रम से गांधी सागर के जल की सतह जून के अन्त तक 1247.30 फीट हो जानी थी। परन्तु इस प्रकार जल छोड़ने से मध्य प्रदेश को निर्धारित पानी नहीं मिल सका। अतएव 20-1-1981 को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्टेंडिंग कमेटी नं. 2 की मीटिंग में यह तय किया गया कि दाईं मुख्य नहर को 26-1-1981 के बजाय 1-2-1981 से बन्द किया जाये। यह पानी मुख्यतः मध्य प्रदेश की कमी को पूरा करने के लिए ही छोड़ा गया था। 1 जून, 1980 से 15-2-1981 तक खरीफ व रवी में राजस्थान ने 1.226 मिलियन एकड़ फीट व मध्य प्रदेश ने 1.132 मिलियन एकड़ फीट जल का उपयोग किया है।

(1.24 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पीठासीन)

दाईं मुख्य नहर क्षेत्र के कुछ कृषकों ने पूर्व सूचना के बावजूद भी कुछ क्षेत्र में गेहूं बो दिये, जो दो पिलाई से नहीं पक सकते हैं। अतएव स्टेंडिंग कमेटी नं. 2 ने 6-2-1981 को यह तय किया कि गांधी सागर से कुछ पानी और अधिक फरवरी के माह में छोड़ दिया जावे और इस प्रकार छोड़ा हुआ पानी 15 दिन तक राजस्थान उपयोग में ले व उसके बाद अगले 15 दिन तक मध्य प्रदेश उपयोग करे। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग ने हिस्सा नहीं लिया तथा तार द्वारा यह सूचना भेजी कि गांधी सागर को 30 जून, 1981 तक 1250 फीट के नीचे खाली करना संभव नहीं होगा। इस तार के उपरान्त भी स्टेंडिंग कमेटी नं. 2 में उपस्थित सिंचाई विभाग के प्रतिनिधियों ने इस अपेक्षा में गांधी सागर से और जल छुड़वाने का निर्णय लिया कि गांधीसागर का जल स्तर 1240 तक खाली किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी एक बार 1241 तक खाली किया जा चुका था और इस प्रकार कृषकों ने यद्यपि पूर्व सूचना के बावजूद ऐसी फसलें बोई जिन्हें और पानी की आवश्यकता है, उनको कुछ लाभ मिल सके।

परन्तु गांधी सागर से उपयुक्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि गांधी सागर बांध से पानी छोड़ने पर मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल का नियंत्रण है। उपयुक्त मात्रा में पानी छुड़ाने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने प्रयास किये। मध्य प्रदेश अधिकारियों को तार दिये, व्यक्तिगत सम्पर्क किया परन्तु फिर भी गांधीसागर से उपयुक्त मात्रा में पानी नहीं छोड़ा गया।

19 फरवरी, 1981 को दिल्ली में भारत सरकार केन्द्रीय सिंचाई सचिव की अध्यक्षता की मीटिंग में भी यह मुद्दा सिंचाई सचिव, राजस्थान द्वारा उठाया गया तथा यह बताया कि 6 ता. की मीटिंग मध्य प्रदेश के अधिकारी की अध्यक्षता में हुई फिर भी मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल इसकी पालना नहीं कर रहा है। इस बाबत एक तार सिंचाई सचिव, मध्य प्रदेश, सचिव, विद्युत विभाग, मध्य प्रदेश तथा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को भेजा है तथा यह उल्लेख किया है कि उपयुक्त मात्रा में जल न छोड़ने से जो राजस्थान को पानी कम मिला है उसकी क्षति पूर्ति अब उपलब्ध होने वाले पानी से करनी होगी।

कथित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पूर्व सूचना एवं कार्यक्रम के अनुसार कृषकों को केवल 25-1-1981 तक पानी उपलब्ध

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कराया था तथा योजनानुसार गांधी सागर बांध के पानी का निम्नतम जल स्तर 1250 ही होना था, परन्तु 6-2-1981 को स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग ने, उन कृषकों को जिन्होंने मना करने के बावजूद भी ऐसी फसलें बो दीं और जिनको और पानी की आवश्यकता थी, उनकी फसलों को लाभ पहुंचाने हेतु प्रयास किया था तथा प्रयास जारी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति महोदया, 6-2-81 को स्टेंडिंग कमेटी नम्बर 2 की दिल्ली में मीटिंग के बाद सिंचाई विभाग ने कोटा क्षेत्र के किसानों को सूचना दी कि 7-2 से 20-2 तक राजस्थान क्षेत्र को पानी मिलेगा। कोटा क्षेत्र में जो सिंचाई एरिया है उस पर दो फसलें होती हैं। दूसरी फसल के लिए जब पानी मध्य प्रदेश से मिल रहा हो तो उसका उपयोग किसानों को करना आवश्यक है। सरकार इस विषय में सचेत नहीं रही। आज गांधीसागर में पानी कम होने का कारण यह है कि गांधीसागर के केचमेंट में मध्य प्रदेश ने कई बांध बना लिए हैं, जिसके कारण गांधीसागर में पूरा पानी नहीं आता है। जब मध्य प्रदेश के किसानों को पानी की आवश्यकता होती है तो गांधीसागर से ज्यादा पानी रिलीज किया जाकर उनके खेतों को पानी पहुंचाया जाता है और राजस्थान के क्षेत्र में पानी का अभाव रहता है। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, आप भी किसानों से सम्बन्धित हैं। आप किसानों के दुःख दर्द को समझने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ ज्यादती कर रहा है। आप भी अपने यहां की नहरों पर पानी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। वह इस तरह से, कि गांधी सागर का पानी मध्य प्रदेश में जाने के पहले राजस्थान में होकर जाता है। तो हम भी इसी तरह से अपने क्षेत्र में पानी को रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के किसानों के साथ अन्याय किया है। गांधीसागर के केचमेंट एरिया में कई बांध बना लिए जिसकी वजह से बांध पूरा नहीं भरता तो हम भी तय करें कि मध्यप्रदेश में पानी तभी जाएगा जब कि राजस्थान के किसानों को पानी मिल जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप यह करेंगे तो राजस्थान के किसानों को पानी मिल कर रहेगा। यद्यपि चीफ इंजीनियर, चम्बल क्षेत्र ने सरकार को लिखा था किन्तु सरकार में कोई ध्यान देने वाला नहीं था। कुछ लोग जश्न मना रहे थे, कुछ गम मना रहे थे इसी में टाईम नहीं मिल रहा था। आप भी जशन मनायेंगे। हम आपको बधाई देते हैं। जो गम मना रहे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। किन्तु आप किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यदि राजस्थान सरकार ने कोशिश की होती तो पानी मिलने में कोई दिक्कत इसलिये नहीं थी कि स्टेंडिंग कमेटी नम्बर दो के मिनिट्स हैं, उसमें सारे पानी का विवेचन किया गया है कि कितने पानी की आवश्यकता गांधी सागर में होगी। पिछले साल इन दिनों कितना पानी था और आगे कितना पानी रह सकता है, राजस्थान को पूरा पानी देने के बाद।

किन्तु इसमें स्टेंडिंग कमेटी नम्बर दो के जो निर्णय हैं, उनको क्रियान्वित नहीं करने के लिये मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं। सरकार ने कोटा क्षेत्र के किसानों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया है। उनको

(श्री रघुवीर सिंह कौशल) :

दूसरा पानी मिल सकता था किन्तु पानी देने की कोशिश नहीं की गई।

सिंचाई मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि पानी कोटा के क्षेत्र में किसानों को मिले। मैं चाहता हूं कि इसके लिये कोई संघर्ष न करना पड़े। कोटा का किसान आज भी इस बात के लिये कटिबद्ध है कि वह अपनी फसलों को पानी पिला कर रहेगा। राजस्थान का पानी मध्य प्रदेश में एक बून्द नहीं जायगा, जब तक कि राजस्थान का किसान अपनी फसलों को पानी नहीं पिला देगा। मैं आपको चेतावनी के रूप में यह बात बताना चाहता हूं कि आप अभी भी प्रयास करेंगे तो गांधी सागर में इतना पानी है कि कोटा का किसान फसलों की सिंचाई कर सकेगा। राजस्थान सरकार प्रयास करे तो सारा विवेचन स्टैंडिंग कमेटी नम्बर दो की मिनिट्स में दिया हुआ है कि कितना पानी प्रतिदिन छोड़ने से, 4000 क्यूसेक पानी छोड़ने से, 13 मार्च को गांधी सागर में कितने पानी की कमी हो सकती है जिससे बिजली का पूर्ण रूप से अभाव हो जाये। बिजली का अभाव बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन एक सिंचाई के पीछे किसान का खेत टूट जाय, यह बात बर्दाश्त के बाहर है। मैंने तो यह निश्चय किया है, आज कोटा के किसानों में जो बेचैनी मच रही है, उनका प्रतिनिधित्व के नाते मैंने अपने नेता महोदय से इस बात की इजाजत मांगी है कि यदि पानी नहीं दिया जाता है तो 1 मार्च से दाईं मुख्य कैनाल में पानी छोड़ने के लिये भूख हड़ताल करूंगा।

माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, आप पहाड़िया शैली से अलग हट कर के मंत्री मुझे लगते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि दो-तीन मंत्री गलत ले लिये गये हैं, उस शैली के हैं। अब या तो चयन करने में गलती की है या हमारे समझने में गलती हुई है, दोनों में कहीं न कहीं कुछ गलती है। जो लोग लेने चाहिये थे एक आध वह लोग रह गये माननीय भैरूंसिंह गुर्जर जैसे और कुछ गलत लोग ले लिये। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस पहाड़िया शैली पर नहीं चलें जिस पहाड़िया शैली ने 12 महीने में सारे राजस्थान का सत्यानाश कर दिया। आप उस परम्परा से हटकर, आप उसे ठोकर मारकर राजस्थान के किसानों के लिये संघर्ष करें और कोटा क्षेत्र के किसानों को पानी दें। यदि पानी नहीं दिया गया तो राजस्थान में आर.एम.सी. के जितने भी गेट बने हुए हैं, मैं सदन में यह जानते हुए कि मैं क्या कह रहा हूं, अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गेट तोड़ दिये जायेंगे, राजस्थान को पानी मिलेगा, मध्य प्रदेश को एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं। हमने आज से दो दिन पहले स्थगन प्रस्ताव मूव किया था और कोटा के किसानों को जो बेचैनी है, पानी की कमी के कारण, कोटा के किसान परेशान हैं, वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आज इसके बारे में वक्तव्य विधान सभा में रखा। किन्तु केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। यह विषय किसानों की खड़ी हुई खेती से सम्बन्धित है। वक्तव्य में जो कुछ मुद्दे माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने कहे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हैं, मैं उनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। यह बात सच है कि कुछ ऐसा प्रचार किया गया था कि दूसरी पिलाई के बाद किसानों को पानी नहीं दिया जायेगा। किन्तु दूसरी ओर यह बात भी सच है कि खरीफ की फसल के समय कोटा के किसानों को इस बात के लिये आगाह किया गया था कि हम आपको पानी नहीं देंगे, आप चावल की खेती मत करिये। किन्तु मैं आप को निवेदन करना चाहता हूं लोगों ने चावल की खेती कम की। पानी दिया गया, किसान टुकुर-टुकुर देखता रहा। एक ओर सरकार ने घोषणा की थी कि हम पानी नहीं देंगे आप चावल की खेती मत करिये। हमने खेती कम की और सरकार पानी देती रही। जब वही प्रश्न खरीफ की फसल के समय किसानों के सामने आया तो किसान को लगा, नहीं, यह सरकार शायद जिस प्रकार खरीफ की फसल के समय घोषणा करने के बाद भी पानी दे रुकी थी, हमने चावल नहीं उगाया, हम घाटे में रहे। शायद उसी का परिणाम है कि लोगों ने गेहूं की खेती नहीं की जैसी पहले करनी थी। किन्तु बहुत अधिक कमी गेहूं की खेती में नहीं आई। इसलिये इस घोषणा का असर किसानों पर इतना हो जाये कि वह खेती नहीं करे, ऐसी बात नहीं हुई।

पीपल्दा क्षेत्र के किसानों ने, सुल्तानपुर क्षेत्र के किसानों ने, अन्ता क्षेत्र के किसानों ने, लाड़पुरा क्षेत्र के किसानों ने जहां से नये मंत्री महोदय नियुक्त हुए हैं, उन सब स्थानों पर लोगों ने गेहूं दिया। उस गेहूं की उस प्रकार की स्थिति का कारण, कोटा का सिंचाई विभाग जो जागरूक रहा, जो हलचल हुई, जो किसानों की ओर से आवाज आई, जो किसानों में चर्चा हुई, जो किसानों की फसल सूखती देखकर वहां के सिंचाई विभाग ने किसानों की हालत को ऊपर पहुंचाया उस कारण से यह 6-2-81 को स्टेण्डिंग कमेटी नम्बर दो की मीटिंग हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह जागरूकता थी वहां के सिंचाई विभाग की और आवश्यकता थी वहां के किसानों की। जागरूकता थी वहां के राजनैतिक दलों की, जिसने 14 फरवरी को इस नाते से 20-25 हजार किसानों को 200 ट्रकों के अन्दर लाकर सरकार के सामने खड़ा करके सरकार को मुहैया स्पष्ट कर दिया कि नहीं, यह पानी का सवाल हमारे जीवन मरण का सवाल है। इस नाते से इस प्रकार यह स्थिति पैदा हुई है कि 6-2-81 को स्टेण्डिंग कमेटी नम्बर दो की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के निर्णय, उस मीटिंग के मिनिट्स निश्चित रूप से सामने हैं,

(1.35 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और मिनिटस कहते हैं। मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूं। उन्होंने तय किया कि 7-2-81 से 7-3-81 तक हम 4350 क्यूसेक्स पानी एवरेज के हिसाब से नित्य प्रति देंगे और उसके बाद 7-3-81 से 30-6-81 तक 1500 क्यूसेक्स पानी लगातार दिया जायगा। यह निर्णय राजस्थान का नहीं है, यह निर्णय इण्टर स्टेट बोर्ड का है। इसके अध्यक्ष कौन हैं ? इसके अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के चीफ इन्जीनियर, मिस्टर आयंगर। इस मीटिंग में उपस्थित कौन थे ? सिंचाई अधिकारी उपस्थित थे। बिजली विभाग के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

अधिकारी उपस्थित थे। यह बात सच है कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने तार द्वारा असहमति प्रकट की थी। किन्तु उस असहमति का जवाब स्टेण्डिंग कमेटी नम्बर दो के मिनिट्स में दिया हुआ है।

पिछले वर्ष से यह वर्ष खराब है। पिछले वर्ष में गांधी सागर पर जो जून के महीने में लेवल था वह लेवल था 1241.22। आज कैसे मध्य प्रदेश कहता है कि हमको 1250 रखना है? यहां तक कि जो टाइम टेबल बनाया स्टेण्डिंग कमेटी नम्बर–2 में यह पहले 4 हजार क्यूसेक्स और फिर 1,500 क्यूसेक्स, उसके बाद फतह-गांधी सागर का लेवल हो जायगा 1241.4 केवल पाइन्ट .22 का अन्तर रहेगा। यह बात तो अधिक खराब है। क्या हो गया था मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पिछले साल? क्या हो गया था राज्य सरकार के सिचाई अधिकारियों को पिछले साल? क्या हो गया था मध्य प्रदेश के सिचाई अधिकारियों को? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह खिलवाड़ किया जा रहा है। यह राजस्थान सरकार की कमजोरी है। जनवरी में पानी की विसंगति की चर्चा की माननीय सिचाई मंत्री महोदय ने। वह पानी दिया गया। उस समय राजस्थान को पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वह आवश्यकता केवल मध्य प्रदेश के लिये थी? हम उस समय भी वंचित रहे और आज जब फसल सूख रही है, लोगों को बारिश की सूरत नहीं दिख रही है। कोई भी किसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल इसी सारी जागरूकता के कारण इस प्रकार का निर्णय हुआ था। और पानी कितना दिया जा रहा है। निर्णय हो रहा है 4350 क्यूसेक्स का और आपको सुनकर आश्चर्य होगा जो पानी दिया जा रहा है उसके आंकड़े बड़े जोरदार हैं अगर आप उसको देखने की कोशिश करें, 7 तारीख के दिन 2036 क्यूसेक्स पानी दिया गया। 8 फरवरी को 1934, 9 फरवरी के दिन 1015, 10 तारीख को 1871, 11 तारीख को 2216, 14 तारीख को रैली की खबर पहुंचने लगी इसलिये 12 तारीख को 4067 क्यूसेक्स पानी दिया गया क्योंकि उसी समय रैली में प्रदर्शन करने आने वाले थे इसलिये 13 तारीख को 4387 क्यूसेक्स किन्तु फिर 14 तारीख को 3263 क्यूसेक्स, 15 को 2036 क्यूसेक्स, 16 को 1440 क्यूसेक्स और 17 तारीख को 2087 क्यूसेक्स पानी दिया गया। कुल मिलाकर 12,260 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिये था, उसके बजाय 29,340 क्यूसेक्स पानी मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, यह किसानों के जीवन का सवाल है, उनकी प्रगति का सवाल है। जब सिंचाई विभाग ने यह निर्णय किया उस निर्णय के पश्चात् भी, स्टेंडिंग कमेटी नं. 2 के निर्णय के पश्चात् भी राजस्थान सरकार सोती रही, प्रशासन सोता रहा। आज चर्चा हुई एक मीटिंग की जिसमें कहा गया कि हमारे पास तरीके हैं, उन तरीकों को आपने पिछली बार अपनाया है जिनमें कुछ संशोधन रघुवीरसिंह जी ने किया, मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के कोटा के किसानों का, आर. एम. सी. के किसानों का उसमें सवाल है। राजस्थान सरकार इसमें प्रिवेल करे। लगातार चार हजार क्यूसेक पानी चल रहा है जो 15 दिन अपने किसानों को दिया जाय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

और उसके बाद मध्य प्रदेश को दें। यह सामान्य प्रश्न है। ऐसा राज्य सरकार कर सकती है, राज्य सरकार दबाव डाल सकती है। आज हमारे उनके हित जुड़े हुए हैं। अगर वह गांधी सागर का पानी लेना चाहते हैं तो हमारे पास भी तरीके हैं, दोनों के तरीके मिले-जुले हैं, दोनों का उपयोग मिला-जुला है। इसलिये राजस्थान सरकार को शक्ति का प्रयोग करना चाहिये। ऐसा मौका न मिले जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं चट्टान हूं, फौलाद हूं, लेकिन नाथपा झाकरी से मोम बन कर आ गये। राजस्थान के हितों को अन्तर्राज्यीय लेवल पर ठीक रूप से रखने की आवश्यकता है। मैं राजस्थान के हित में निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोटा का विधायक हूं, कोटा जिले से संबंध रखता हूं। इस विषय पर तीन और विधायकों के स्थगन प्रस्ताव आये हैं। हमारे जीवन मरण का सवाल है। कोटा के किसानों के लिये पानी का सवाल है। वहां के किसान कह रहे हैं कि हम सड़क रोक लेंगे, वाहन रोक लेंगे। मैंने कहा, यह खतरे का विषय नहीं है। राजस्थान सरकार जाग्रत है। सिंचाई विभाग जाग्रत है। सिंचाई विभाग ने स्टैंडिंग कमेटी में निर्णय किया है। उसकी वकालत हम सरकार से करने के लिये विधान सभा में कोशिश करेंगे। इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सारी चर्चा रखी है। जिस जागरूकता से सिंचाई मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है, कुछ तथ्य रखे हैं उनको देखते हुए राज्य सरकार मध्य प्रदेश पर प्रिवेल करेगी, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरा लाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, समूचा देश और प्रान्त अभी अकाल की चपेट में है। मेरा जो पीपल्दा क्षेत्र है जहां कोटा बेराज से, आर.एम.सी. II से पानी आता है। मेरे क्षेत्र में आधी सिंचाई होती है, आधी नहीं होती। दूसरी तहसीलों में तो दो फसलों में सिंचाई होती है लेकिन मेरी तहसील में केवल एक फसल की सिंचाई होती है। वहां खाली गेहूं की फसल होती है जब कि दूसरी जगहों पर धान होता है। मेरे यहां धान नहीं होता और एकदम टेल पर के पड़ने की वजह से वहां पानी बड़ा कम पहुंचता है। धान हेतु किसानों को कहा गया था कि फसलें अधिक नहीं बोवें लेकिन जैसा कि पूर्व में चलता आ रहा था, सरकार ने जो बात कही थी वह झूठी थी क्योंकि पानी बहुत मिला था। इस बार किसानों ने गेहूं की बोवाई की उसमें एक पिलाई और एक सिंचाई इस तरह से दो बार पानी दिया। दूसरी बार पानी आवश्यकता से अधिक बहता रहा। अधिकारियों से कहा गया कि पानी अधिक क्यों बहाया जा रहा है, हमारे किसानों को आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनवरी में वर्षा हो गई थी। किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं थी तब पानी अधिक बहाया जा रहा था। जब अधिकारियों से हम पूछते थे कि नहर कब बन्द होगी, कब खुलेगी तो उनको पता नहीं था कि नहर कब खुलेगी, कब बन्द होने वाली है। उस वक्त पानी का दुरुपयोग किया गया। अब चूंकि खेतों में फसलों की बालियां निकल रही हैं उनको पानी की सख्त आवश्यकता है। इस वक्त पानी नहीं मिला तो गेहूं केवल चारा रह जायेगा, खाक हो जायेगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टैंडिंग कमेटी

(श्री हीरालाल आर्य)

की मीटिंग, जो दिल्ली में हुई थी, में निर्णय हुआ उसके बावजूद क्यों गांधी सागर में मध्य प्रदेश के लोग पानी पकड़ कर बैठे हैं, इधर पानी की आवश्यकता है और उधर गांधी सागर में पानी को पकड़े मध्य प्रदेश की सरकार बैठी हुई है, तो क्या हमारी सरकार में दम नहीं है। क्योंकि किसानों की फसल सूख रही है इसलिए दबाव डाल कर हमारे निर्णय के अनुसार पानी दिलवाया जाय लेकिन सरकार को चिन्ता नहीं है। अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हम प्रयत्न कर रहे हैं पानी छोड़ेंगे लेकिन हमें अभी आवश्यकता है पानी की। इनको जल्दी प्रयत्न करना चाहिये था। किसानों के लिये काम करना चाहिये था। अकाल की स्थिति में किसान की चिन्ता करनी चाहिये थी उस वक्त दिल्ली में किसानों को ले जाकर, किसानों के नाम पर किसी को भी ले जाकर जश्न मना रहे थे। इधर किसान अपनी फसल को सूखी देख कर चिन्तित हो रहा है, उसको भविष्य की चिन्ता है कि यदि नहर में पानी नहीं आया तो फसल सूख जाएगी। किसान इसको बरदाश्त नहीं कर सकता कि आर.एम.सी. का पानी मध्य प्रदेश में चला जाय और कोटा के किसान की फसल सूख जाय। यदि समय रहते पानी नहीं मिला, तो हमारे किसान आन्दोलन करेंगे मगर अपनी खेती में पानी ले जायेंगे। इसलिये, वहां की स्थिति बड़ी भयंकर है। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते पानी नहीं छोड़ा तो हमारे किसान आन्दोलन करेंगे, स्थिति बिगड़ सकती है। वे कहते हैं कि हम आवागमन ठप्प कर देंगे। सरकार का काम काज बन्द कर देंगे। उनको केवल पानी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकाल की घड़ी में किसान को बचाने की आवश्यकता है इसलिए प्रयत्न करके मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव डालें और अपने प्रभाव का प्रयोग करके पानी की व्यवस्था करें। यही मैं निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम चार विधायक हैं इस क्षेत्र से, जो सिंचित है जिनमें रामकिशनजी तो आज मंत्री हैं। मुझे दुःख है कि सबसे पहला क्षेत्र लाड़पुरा रामकिशनजी का प्रारम्भ होता है। दुःख का विषय है कि जब किसान तरस रहा है पानी को लेकर, जब हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जब तय हो चुका है कि कोटा जिले की पानी की समस्या पर विचार करेंगे, तो दुर्भाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब विचार हो रहा है जब कि एक तरफ लाड़पुरा के किसान विलख रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें पानी चाहिये तब माननीय मंत्री महोदय अनुपस्थित रहें। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चार बैराज हैं ये सिंचाई व बिजली के बैराज हैं इनमें तमाम स्तर पर पानी दिया जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान को। जब दिल्ली में मीटिंग हुई, श्री आयंगर, मध्य प्रदेश के चीफ इन्जीनियर अध्यक्ष थे, तब निर्णय लिया गया कि 7 तारीख से 20 तारीख तक 52 हजार क्यूसेक पानी दिया जायेगा, तो मेरे जिले का दुर्भाग्य है कि

(श्री दाऊदयाल जोशी)

केवल 29 हजार क्यूसेक पानी मिला। आज मुझे इस बात का दुःख है कि आयंगर जैसे मध्य प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी को देखते हुए 52 हजार क्यूसेक राजस्थान वालों को न मिलकर मध्य प्रदेश को मिल जायेगा। लेकिन राजस्थान की धरती, मेरी धरती, कोटा की धरती जा है, अकाल से जल रही है। केवल कोटा ही ऐसा जिला है जहां के गेहूं की बालियों के माध्यम से राज्य के लोगों के लिये अनाज मिलेगा, दुर्भाग्य है कि वह धरती पानी से वंचित रहे। मंत्री महोदय ने कहा है चार पिलाई चाहिये गेहूं की फसल के लिये। श्रीमन्, मंत्री महोदय बड़े योग्य हैं, मुझे याद है जब विरोधी दल की भूमिका में बैठते थे, तो हमें कोसते रहते थे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं हमें 3 पिलाई चाहिये। गेहूं की शानदार फसल के लिये तीन पिलाई देनी चाहिये थी। दुर्भाग्य से हमारा पानी, राजस्थान का पानी मध्य प्रदेश ने दबा लिया है। भगवान के नाम पर 15 दिनों के अन्दर-अन्दर अब फिर 30 हजार क्यूसेक पानी दिलवाने की कृपा करेंगे, तो मैं मानूंगा आप कुशल मंत्री बन करके नाम उज्ज्वल कर सकेंगे वरना मुझे कुशलता में संदेह ही नजर आता है। बिजली के लिए पानी की समस्या है, तो, श्रीमन्, जब आपकी सरकार थी, दुर्भाग्य है कि आपकी सरकार के होते हुए, श्री हरिदेव जोशी की सरकार के होते हुए मध्य प्रदेश ने दो डेम नये बनाकर हमारा पानी, जो कि हमारा हिस्सा था, मध्य प्रदेश ने ले लिया और दो बड़े-बड़े डेम खड़े कर लिये और इस प्रकार हमारी धरती को प्यासा कर दिया। वहां पर गांधी सागर का कैचमेंट एरिया समाप्त हो गया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह गांधी सागर अब कभी भी नहीं भरेगा। उसमें अब पानी नहीं आने वाला है। अगर पानी भरेगा, तो हैवी रेन फाल के आधार पर ही भरेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ने दो जगह बांध गांधी सागर का कैचमेंट एरिया समाप्त करने के लिये बना लिये हैं इसलिये गांधी सागर में पानी आने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : तीसरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने अपने यहां पर डेम बना कर पानी को रोक दिया है, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हमारे राजस्थान के कोटा जिले से निकलने वाली चम्बल नदी, जो मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना जिले को सींचती है, के पानी को रोक द। इसका जवाब इस आधार पर दें। मेरा निवेदन करना यह है कि जब मध्यप्रदेश की बात की जाती है, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या सतपुड़ा से हमारा हिस्सा जो बिजली का है, जो हम को मिलना चाहिए था वह मिल रहा है? परन्तु खेद है कि सतपुड़ा से हम को बिजली नहीं दी जा रही है। वहां की पूरी की पूरी बिजली मध्य प्रदेश खा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भेद भाव की नीति अपना कर हमारा हिस्सा नहीं दे रही है इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए हमको इस प्रश्न पर अहम् चिन्ता से सोचना चाहिए, निश्चित रूप से हम यह चाहते हैं। केवल एक पिलाई से हमारी फसलें बच सकती हैं। हम एक पानी देकर हमारे किसान की फसल बचा सकते हैं। केवल एक पिलाई हम चाहते हैं। हमारा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जो हिस्सा तय हुआ था 52 हजार क्यूसेक पानी वह हमें पूरा मिलना चाहिए। वरना आज हमारा किसान आन्दोलित है, उत्तेजित है। जब हम उसके पास जाते हैं, तो हम लोगों से जवाब तलब करता है। कहता है आप हमारे प्रतिनिधि हैं। क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री महोदय।

(विराम)

श्री मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है। मंत्री महोदय, आपने जो वक्तव्य दिया है, जो तथ्यों का उल्लेख किया है, एग्जास्टिव फैक्ट्स दिए हैं उनसे मैं आपकी योग्यता से प्रभावित हुआ हूं। आपने प्रूफ दिया उससे पहले ही विरोधी दल के कई सदस्य प्रभावित हुए हैं। लेकिन अन्त में आपका एक वाक्य यह था "कथित तथ्यों के आधार पर सरकार का प्रयास जारी है।"

मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत स्टैन्डिंग कमेटी दो के रिजोल्यूशन को चेयरमेन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मध्य प्रदेश फर्मेन्टली फ्लाउट कर रहे हैं। अन्तर्राज्यीय कंट्रोल बोर्ड के डिसीजन की भी वहां पर चर्चाएं हुई हैं। उस वक्त भी उन्होंने इस सम्बन्ध में डाइरेक्शन दिये हैं, दायीं ओर की नहर के ऊपर जो कि पहले मना कर दिया था नहीं देना है। वह दिया बायीं ओर, तो आपने कहा है कि सूचित कर दिया फिर भी वे इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन दे रहे है कि जो भराव है, इस बांध का रिजर्वायर लेवल 1259 फीट तक का है और 1250 तक लेना है नहीं तो इसके बाद बिजली का जेनरेशन, प्रोडक्शन एकदम बंद हो जाएगा। यह उनका आर्ग्यूमेंट है। तो एक तरह किसानों की फसलें चौपट हो जाएंगी, और चौपट हो रही है उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मंत्री महोदय आप स्वयं किसान हैं। आप अपने यहां पर खरीफ और रबी दोनों ही फसलें करते हैं। तो एक पिलाई के लिए अगर किसान की एक फसल सूखती है, तो हम उसकी मनःस्थिति को स्वतः ही समझ सकते हैं। क्या यह संभव है कि बिजली का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो राजस्थान के अन्य इलाकों में जो फसलें खड़ी हुई हैं उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले कोटा की फसलें सूख जाएंगी और बाद में यहां की फसलें सूख जाएंगी। यह आग्र्यूमेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मध्य प्रदेश दे रहा है तो सरकार यह विचार करे कि मध्य-प्रदेश की जो बिजली है उसमें हमारा भी हिस्सा है। राणा प्रताप सागर में भी बिजली पैदा हो रही है। पानी तो वहां है। अगर पानी का भराव बहुत कम है। तो ऐसी सूरत में पानी दिया जाना उचित है या नहीं? अगर पानी देना उचित नहीं है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और पावर डिपार्टमेंट का कोई को-आर्डिनेशन बिठाने की स्थिति में है क्या? पावर डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट दोनों के डाइमेट्रिकल अपोजिट व्यू है क्या आप इसमें बेलेंस करने की स्थिति में है? किस के तथ्यों में वजन है, उसके आधार पर निर्णय लेकर केवल प्रयास करेंगे। प्रयास आप क्या करेंगे? उसमें तो आपको विफलता हाथ लगी है। आगे आपके जो प्रयास हैं उनमें आप सफल होंगे या नहीं क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी दो का जो रिजोल्यूशन है उसकी परवाह नहीं करता है बोर्ड, कंट्रोल

(श्री परसराम मदेरणा)
बोर्ड उसकी परवाह नहीं करता है और फिर आप कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे है। वह यह कहता है कि 1250 से नीचे पानी जाने पर बिजली का उत्पादन रुक जाएगा तब भी आप क्या प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, यह बता दीजिए। आप उन प्रयासों के औचित्य को ठीक समझते हैं क्या ? मध्य प्रदेश सरकार, चाहे बोर्ड हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, वह हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। फिर भी आप प्रयास करने में लग रहे हैं। इसलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि केवल चट्टानी प्रयास से काम नहीं होने वाला है। फौलादी प्रयासों से ही आपको सफलता मिल सकती है। केवल प्रयास से ही काम नहीं होने वाला है। इसलिये जो आप प्रयास कर रहे है, बोर्ड और डिपार्टमेंट के नए पाइन्ट्स को समझ करके इन तथ्यों के आधार पर फिर प्रयास करना चाहिए, तो आप कोई परिणाम सामने ला सकेंगे। जो आपने सामने रखे हैं और उनके आधार पर आपने जो स्थिति बयान की है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता !

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कितना गंभीर है इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि इस सदन के माननीय सदस्य और विशेष तौर से कोटा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य इस सारी स्थिति पर बहुत ही चिन्तित हैं। मैं इस सारे मसले को सीमा कोटा की दायी नहरों में कितना पानी बहे और किसानों को कितना पानी मिले, यहीं तक नहीं रखना चाहता हूं। यह गंभीर प्रश्न इसलिए बनता है कि राजस्थान का मध्य प्रदेश से, राजस्थान का हरियाणा और पंजाब से और कुछ दिनों में जाकर राजस्थान का उत्तर प्रदेश से अन्तर्राज्यीय मसलों पर जो समझौता हुआ है, उन समझौतों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, उस आधार पर सारी चीजों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। गांधी सागर और गांधी सागर से बहने वाली सारी नहरें, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हित में बनी हैं। उनका एक जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड है। इस कन्ट्रोल बोर्ड के नियम, उप नियम और व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं के आधार पर राजस्थान को कब कितना पानी मिलेगा और मध्य प्रदेश को कब कितना पानी मिलेगा उसकी सारी व्यवस्था होती है।

आज हमारे सामने सब से बड़ा प्रश्न यह नहीं है – कोटा के क्षेत्र में खेती सूख रही है बल्कि प्रश्न यह है कि इस अन्तर्राज्यीय समझौते का जो मध्य प्रदेश द्वारा खुल कर विरोध किया जा रहा है इसका राजस्थान क्या उपचार कर रहा है। आज स्टेन्डिंग कमेटी नम्बर दो ने फैसला कर दिया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस अधिकृत बाडी के बाद कौन सी व्यवस्था इस अन्तर्राज्यीय समझौते में है कि किस के पास अपील लेकर जा सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इस नदी के जल का बंटवारे का सारा निर्णय हो गया, तो उस सारे निर्णय को फ्लाउट करने का मध्य प्रदेश ने निर्णय कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि पिछले सत्र में जब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्तर्राज्यीय विवादों पर चर्चा हुई थी, तो मैंने राज्य सरकार को निवेदन किया था कि इस मामले में राज्य सरकार सख्ती से काम नहीं लेगी। हरियाणा और पंजाब समझौतों को पलाउट कर रहा है, तो कल मध्य प्रदेश भी करेगा, मध्य प्रदेश ने स्टेंडिंग कमेटी में फैसला लेने के बाद उसको लागू नहीं करने की जो स्थिति पैदा की है वह राजस्थान के लिए बहुत ही गम्भीर है। मैं समझता हूं यह सदन के लिये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि स्टेंडिंग कमेटी नम्बर 2 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आदमी नहीं आया, तो मध्य प्रदेश सरकार स्टेंडिंग कमेटी के निर्णय लागू करने में संकोच कर रही है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग में कोरम होता है, कौन आता है, कौन नहीं, इससे मतलब नहीं है। इसके तो निर्णय लागू होते हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लागू करने की क्या कोशिश की? अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हमने कोशिश की है। यह बताया कि तार दे दिया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार तार बहुत दे देती है, आपके मुख्य मंत्री महोदय चिट्ठियां बहुत लिखते हैं पर न तार का जवाब आता है और न आपकी चिट्ठियों का ही जवाब आता है। पिछले सत्र में भी मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं। बिजली मंत्री महोदय को तार दिया है। पिछले सत्र में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैंने केन्द्रीय मंत्री महोदय से बात की है। वह तो मैं जब अन्तर्राज्यीय समझौतों पर चर्चा होगी तब बताऊंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के साथ कितना बड़ा भारी अन्याय किया है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप स्टेंडिंग कमेटी के निर्णयों को लागू नहीं करवा सके तो इस सरकार को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। यह नहीं कि किसानों का नुकसान हो रहा है, रबी की फसल बरबाद हो रही है। आप तो यह मान कर चलिए कि बांध के निर्माण में जो 50% खर्चा हुआ उसका लाभ मध्य प्रदेश आपको देना नहीं चाहता है, बिजली बोर्ड क्यों स्थापित कर रहा है? मध्य प्रदेश आपको सतपुड़ा से बिजली नहीं देना चाहता है, क्योंकि प्रतापसागर बांध, से जवाहर सागर बांध से और गांधी सागर बांध से जितनी बिजली होती है उसके अनुपात में ही सतपुड़ा से बिजली प्राप्त होती है। इसलिये ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश इस चेष्टा में है कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर से कम बिजली बन कर तैयार हो जिससे कि सतपुड़ा से बिजली कम दी जाय। मेरा निवेदन है कि यह किसी तरह का जस्टिस नहीं है कि राजस्थान बिजली के अन्दर घाटे में चलता रहे। सतपुड़ा के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है और उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन अगर आप सतपुड़ा से अपने हिस्से की बिजली नहीं ले सके और आप स्टेंडिंग कमेटी नम्बर 2 के फैसले को लागू नहीं करवा सके, तो यह कहना होगा कि आप राजस्थान में पानी नहीं लेने की स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे खेद है, अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री यहां पर बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी को आना चाहिए था। मुख्य मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। यह मामूली मसला नहीं है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि 4000 क्यूसेक पानी राजस्थान चम्बल कैनाल के दायीं नहर में बहेगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

या नहीं बहेगा, कितना पानी दिया जायेगा। चावल की फसल के लिए कितना पानी दिया जायेगा। गेहूं के लिए पानी कितना मिलेगा, केवल प्रश्न यह ही नहीं है। मैं राज्य सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं राज्य मंत्री महोदय यहां बैठे हैं वे इस बात को कहें कि वे स्टेन्डिग कमेटी के निर्णय को राजस्थान में लागू करवायेंगे। अगर लागू नहीं करवायेंगे, तो दूसरा हथियार क्या है आपके पास? दूसरा आप तार दे देंगे, पत्र लिख देंगे, केदार पांडे से मिल लेंगे, चीफ इन्जीनियर से बात कर लेंगे। मैं राज्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह कमजोरी होगी। वहां तार की कोई सुनवाई नहीं होती है। मुख्य मंत्री की कोई सुनवाई नहीं होती है। आप चाहे अपने मुख्य मंत्री को बहुत बड़ा मान लें लेकिन अन्तर्राज्यीय समझौतों पर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपनी कमजोरी को जिस प्रकार प्रदर्शित किया है उसका परिणाम यह है कि आज मध्य प्रदेश आंख दिखाने लगा है। वरना मध्य प्रदेश की हिम्मत नहीं थी कि वह राजस्थान का पानी रोक सके। आज मध्य प्रदेश विश्वासघात करना चाहता है। अगर आप दम रखते हैं, तो हमारे पास भी इस तरह की व्यवस्थायें हैं, जिनको हाउस में नहीं बताया जा सकता है, जिनसे मध्य प्रदेश 15 दिन के अन्दर राजस्थान की बात मान लेगा, पानी देने लग जायेगा सतपुड़ा से बिजली देनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ इन्जीनियर और असिस्टेंट चीफ इन्जीनियर यह कहते हैं क्योंकि किसानों की तबाही होती है। किसानों के घर में क्या स्थिति है इसका आप अन्दाजा लगाइये। अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में पिछली साल बाढ़ आई थी और उसमें गांव के गांव, कुएं के कुएं नष्ट हो गए, उनकी आंखों के सामने उनकी फसलें नष्ट हो गई। आज आप सोचें उन किसानों की क्या हालत हो रही है? उनकी आंखों के सामने उनकी फसलें सूख रही हैं, क्यों सूख रही हैं? सरकार की कमजोरी से सूख रही हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन किसानों की क्या अनुभूति होगी और उसके क्या परिणाम होंगे? मंत्री जी नये आये हैं या पुराने हैं इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। पर वे सरकार के प्रतिनिधि हैं। आप कहते हैं कि हमने उनके लिए कोशिश की, जो कुछ बताया है कि हमने कोशिश की उसको मैं कोशिश नहीं मानता हूं। ये तो कमजोरी के लक्षण हैं, सरकार की बीमारी के लक्षण हैं। जनता के साथ विश्वासघात के प्रतीक हैं। आप कारण बतायें कि जिसके कारण मध्य प्रदेश की सरकार को स्टेन्डिग कमेटी के फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा। आप स्वीकार नहीं करा सकते हैं, तो साफ कहें इस सदन में, साफ कह दीजिए कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो समझौता हुआ है उसका पालन नहीं करा सकते हैं। आपकी खेती चोपट होगी तो होगी हम उसको बचा नहीं सकते हैं। सरकार यह कहकर संतोष कर सकती है, सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन क्या कोशिश कर रही है? क्या आपने लीगल पोजिशन को पूछा, क्या अपने लॉ डिपार्टमेंट से पूछा कि स्टेन्डिग कमेटी के फैसले नहीं माने जायेंगे, तो क्या कार्यवाही हो सकती है? आपने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। आपने कोई प्रयास नहीं किया है। आपने कभी यह पूछा है कि स्टेंडिंग कमेटी नम्बर 2 के फैसले को न मानने के क्या परिणाम होंगे, उसके फैसले न

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मानने पर मध्यप्रदेश के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं ? गरीबी की भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा, गरीबी की भाषा बोलते गये तो सारे राजस्थान के हितों को चौपट कर देंगे। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात कर रहा है। इसलिये मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी विपक्ष की तरफ से आश्वासन दिया था और आज फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हिम्मत के साथ कोई कदम उठाते हैं, तो सारा सदन आपके साथ है। ये कमजोरी के लक्षण हैं। और किसी के भरोसे बैठे रहे तो न राजस्थान को पानी मिलेगा न बिजली मिलेगी। महोदय, मैं दो प्रश्नों के जवाब राज्य मंत्री जी से चाहूंगा वे उनका उत्तर दें। एक तो स्टेन्डिंग कमेटी नम्बर 2 के निर्णयों को अगर मध्य प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो आप उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की क्या योजना लेकर चल रहे हैं ? दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्टेन्डिंग कमेटी नम्बर 2 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं जाता है, तो उसका क्या कम्पोजीशन कम्पलीट नहीं होता है, क्या उसके निर्णय मान्य नहीं होते हैं, क्या उसके निर्णय लागू किये जा सकते हैं, अगर लागू नहीं किये जा सकते हैं, तो आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री महोदय !

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और उत्तेजित हैं। यहां पर कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने और विपक्ष के नेता महोदय ने काफी तैश में भाषण दिये, जो स्थिति है वह समझानी तो पड़ेगी। सबसे पहले यह तय हुआ था कि 25-1-81 तक पानी दिया जायेगा उसके बाद में पानी नहीं दिया जायेगा और इस बात की सूचना किसानों में काफी पहले विभिन्न तरीकों से, काफी अच्छे तरीके से प्रचारित की गयी थी·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे तो मध्य प्रदेश को लाभ होगा। मंत्री महोदय, मैं आपकी नियत पर सन्देह नहीं कर रहा हूं लेकिन आपके इस प्रकार वक्तव्य देने से, तो मध्य प्रदेश को ही लाभ होगा। आप तो मूल मुद्दे पर आइये कि आप स्टेन्डिंग कमेटी के निर्णय को लागू करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। हमने माना है कि आपने काफी डोंडी पिटवा दी होगी। सब कुछ कर दिया होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुनें, माननीय विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि एक तरफा रिप्लाई जा सकता है पर यहां के अखबारों में बात आयेगी उससे किसानों के अन्दर राजस्थान के अन्दर यह भ्रांति हो सकती है सारा हिन्दुस्तान एक है राजस्थान एक है। हम अपना हक छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमको जितना पानी मिलना चाहिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं लेकिन जिस प्रकार भाषण दिया गया उससे भ्रांति पैदा हो सकती है, उसके बारे में तो स्थिति साफ करनी ही पड़ेगी। इससे मध्य प्रदेश को कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसके हाथ मजबूत होने वाले नहीं है यह हम कह सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि 23-1-81 तक पानी देंगे उसके बाद नहीं देंगे लेकिन उसके बाद भी पानी चला। अब जो 6 तारीख की मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो 6 तारीख

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की मीटिंग में जो प्रश्न उपस्थित हुआ वह यह कि स्टेन्डिग कमेटी नम्बर 2 ने इस आधार पर यह निर्णय लिया कि पिछले साल गांधी सागर का लेवल 1240 फीट तक पहुंच गया था। उस एन्टीसिपेशन में यह निर्णय लिया है। इसमें मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग उपस्थित नहीं थे। यह दूसरा प्रश्न है जिसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। जिस बात की ओर आप इंगित कर रहे हैं मैं उसको रिकार्ड पर नहीं लाना चाहता। आपको जानकर खुशी होगी कि आज की तारीख में पानी हम किसानों को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो तारीख तय हुई थी, स्टेण्डिग कमेटी नं. 2 की मीटिंग के अन्दर, वह थी 7 फरवरी से 20 फरवरी तक की, इसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमको पानी मिला, 60 हजार क्यूसेक पानी में से 35 हजार क्यूसेक के करीब पानी हमको मिला है, शार्ट फॉल करीब 2500 क्यूसेक पानी का है और 21 तारीख से।

श्री भंवरलाल शर्मा : 25 हजार का··

श्री प्रद्युम्नसिंह : 25 हजार। इसके बाद मध्यप्रदेश का नम्बर शुरू होता है। स्टेण्डिग कमेटी नं 2 के निर्णय के मुताबिक मध्य प्रदेश को अब पानी दिये जाने की बात है। मैं उस बात को रिकार्ड पर नहीं लाना चाहता क्योंकि यह उचित नहीं होगा। लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा बैराज पर हमारा कण्ट्रोल है, हमें मालूम है क्या एक्शन लिया जायगा। मगर एक प्रोब्लम यहां खड़ी हो गई है जिसके बारे में यहां डिस्कस करना राजस्थान के और कृषकों के और जो ट्रेण्ड हमने लिया है उसके हित में नहीं होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सही है कि पूर्व के अन्दर चावल की बुआई के वक्त भी यह बात कही गई थी कि कम से कम चावल की बुआई तो की जाय। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे कहने के बावजूद भी चावल की फसल की 99,304 एकड़ में बुआई की गई और उसको पानी दिया गया। हमने काफी पब्लिसिटी कर दी थी उसके बावजूद भी बुआई की गई। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा आज की तारीख में जो 50:50 के आधार पर बटवारा है राजस्थान ने अब तक मध्य प्रदेश से ज्यादा पानी लिया है···

श्री भैरोंसिह शेखावत : जब जरूरत नहीं थी, उस समय····

श्री प्रद्युम्नसिंह : अब आप मुझे रोकना चाहते हैं, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आपने सरकार पर दुनिया भर के इल्जाम लगाये, आपने कह दिया निकम्मी सरकार है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख तक तो हमने अधिक पानी लिया। आप मुझे अपनी बात कहने का भी अवसर नहीं देना चाहते, इसलिए इकतरफा जायगा मामला। आप तो जनता के हितों के रक्षक माने जायेंगे और ऐसा कहा जायगा कि यह सरकार जनता के हितों की रक्षक नहीं है, इसलिए मुझे भी यह बात कहनी आवश्यक हो गई है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में

(श्री प्रद्युम्न सिंह) :

सचेत है। मैं आज या कल में इरिगेशन कमिश्नर को कह रहा हूं, वह भोपाल जाकर वहां की सरकार से बात करें। विधान सभा का सत्र चल रहा है इसलिए सम्भव नहीं है कि मैं जा सकूं या मुख्य मंत्रीजी जा सकें। मैं इरिगेशन कमिश्नर को जो पावर कमिश्नर भी है, आदेश दे रहा हूं कि वह भोपाल जाकर आवश्यक कार्यवाही करें। इसके साथ-साथ यह निवेदन कर दूं कि कोटा बैराज पर हमारा कण्ट्रोल है, जितना भी पानी वहां से आ रहा है हमारे किसान उसका उपयोग कर रहे हैं और इसके बारे में जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा उसमें सरकार हिचकिचायेगी नहीं। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री महोदय ने जो बात कही, भीपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, अधिकारी लोग भोपाल जायेंगे, कोटा बैराज हमारे कब्जे में है, इन शब्दों से तो खेती की सुरक्षा नहीं हो सकती। प्रश्न यह है कि दो हजार क्यूसेक पानी लगातार चौदह, बारह महीने बढ़ाते चले जाइये, किसान को कमी नहीं मिल सकता, पीपल्दा का किसान सफर करता चला जायगा, अन्ता का किसान सफर करता चला जायगा। मेरा कहना है कि चार लाख क्यूसेक पानी की व्यवस्था करिये।

श्री अध्यक्ष : इन प्रश्नों पर अलग से मन्त्री महोदय से बात कर लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह नहीं हुआ तो फसल सूख जायगी, इस बारे में मन्त्री महोदय से क्लियरकट आश्वासन चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मन्त्री जी से अलग से बात कर लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय, विरोधी दल के नेता के पास मध्य प्रदेश की सरकार को बताने के लिए कोई सीक्रेट फार्मूला है, जैसा कि मोरारजी के पास था यह कहा कि गृह मन्त्री महोदय, भारत सरकार से बात कर रहे हैं। इन्होंने जो इशारा किया मैं समझता हूं, सीक्रेट फार्मूला हो सकता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप सीक्रेट फार्मूला करें और इसके अलावा भी कोई योजना हो, तो आप उसका उपयोग करे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं। माननीय परसरामजी ने जिस फार्मूले की ओर इशारा किया है

श्री अध्यक्ष : अब आपके तो दोनों के ही र्सिचित क्षेत्र हैं, नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : वह टॉप सीक्रेट है, आपने तो कहा नहीं, उन्होंने थोड़ा सा कहा जो मुझे, इंगित करता हूं मैं

(श्री परसराम मदेरणा)
इन्होंने जो इंगित किया है वह कुछ नहीं है, आप ऐसा तो कहने जा रहे हैं, चर्चा करने से अपना अहित हो सकता है, आप सोचते हैं वह अहित करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी यही सोचता हूं, इसलिए कृपया इस प्रकरण को यहीं समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, परसरामजी की मजाक के ऊपर भी मैं यह बात नहीं कहने वाला हूं कि मध्य प्रदेश उसका लाभ उठा सके हालांकि आपने जरूर इस बात की कोशिश की है कि प्रवोक होकर मैं वह बात कह दूं और राजस्थान को नुकसान हो जाय लेकिन वह स्थिति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रश्न किये थे, राज्य मन्त्री महोदय ने उनका उत्तर नहीं दिया। पहला प्रश्न मेरा यह था कि स्टेंडिंग कमेटी नं. 2 का निर्णय लागू करवाने के लिये इस सरकार के पास क्या साधन है। क्या स्टेंडिंग कमेटी का फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार दोनों के लिए मान्य है और मान्य होते हुए भी इस स्थिति में है? राजस्थान सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जिसके कारण से स्टेंडिंग कमेटी का फैसला जिस प्रकार हुआ है उसको उसी प्रकार लागू किया जाय। इन्होंने कहा कि पानी ज्यादा दे दिया, या हमने पानी ज्यादा ले लिया इस बात पर मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा लेकिन उन दिनों पानी दिया जिन दिनों पानी का उपयोग नहीं हुआ और जिन दिनों पानी की आवश्यकता थी उन दिनों पानी कम मिला। यह तो वैसे हो गया जैसे कभी 20 इंच वर्षा हो गई तो पानी मिल गया और नहीं वर्षा हुई तो अकाल पड़ गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे स्पष्ट बतावें कि स्टेंडिंग कमेटी नं. 2 का फैसला मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों पर लागू है। यदि मध्य प्रदेश इस निर्णय को लागू नहीं करता है, तो राजस्थान सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जैसी कि जानकारी प्राप्त हुई, स्टेंडिंग कमेटी का फैसला यदि कोई लागू नहीं करता है, तो दोनों प्रान्तों के मुख्य मन्त्रियों की जोइन्ट कण्ट्रोल बोर्ड है उसके अन्दर यह बात जायगी। इस समय, समय का अभाव है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम इस बात को लेकर जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड में जायेंगे जिससे आगे के लिए मार्ग दर्शन मिल सके कि इस प्रकार का फ्राड करते हैं वहां के अधिकारी का क्या किया जा सकता है। लेकिन इमिजियेट कार्यवाही करनी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो कुछ भी इस मामले में कार्यवाही की जायगी वह किसानों के हितों को ध्यान में रखकर की जायगी, जिससे अधिक से अधिक किसानों का भला हो सके।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हमको स्पष्ट आश्वासन चाहिये, पानी मिलेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा है। यह प्रश्न बिल्कुल समय का है। ये 10-12 दिन हैं और आप 10-12 दिनों में कोई प्रभावी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) ...

कार्य नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से कोटा जिले के किसानों के साथ अत्याचार होगा, उनकी फसल के साथ अन्याय होगा । कम से कम हम लोग, जो प्रतिनिधि चुन कर आये हैं, के साथ बहुत बड़ा अत्याचार होगा ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्पष्ट रूप से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो चर्चा आज यहां की गई है ...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय से चर्चा कीजिये कि इसमें क्या उपाय किये गये हैं?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : स्पष्टतः आश्वासन मिले कि हमारे हिस्से का पानी मिलेगा या नहीं ? अधिकारी जायेंगे, जाने के बाद तीन दिन में पहुंचेंगे ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तीन दिन के बाद लौट कर आयेंगे तब तक किसान मर जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह किसान के जीवन मरण का प्रश्न है इसलिये अधिकारियों ने आज तक इस मामले को उलझाए रखा है । किसान की समस्या हल होने वाली नहीं है । आज की तारीख में किसान को पानी चाहिए और पानी नहीं मिल रहा है । फसलों में कीड़े पड़ते जा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर आगे चर्चा नहीं होगी । आप अलग से कर सकते हैं।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : एक एक क्षण किसान के लिए ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मेरी समझ में नहीं आता एक तरफ सारे एम. एल. एज. एजीटेट कर रहे हैं, जिले के किसान एजीटेट कर रहे हैं, राज्य मंत्री अपनी बात नहीं कह रहे हैं, आप शील्ड करते चले जा रहे हैं ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है, सिचाई मंत्री ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर स्पष्ट निश्चित रूप से आश्वासन नहीं दिया गया है इसलिए मैं और मेरा दल वाक आउट करते हैं ।

(बहिर्गमन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री महोदय का वक्तव्य बिल्कुल भ्रामक है । मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार किसानों को भूखा मार रही है, यह निकम्मी सरकार है । किसानों के साथ गद्दारी कर रही है, इस गद्दारी के खिलाफ हम वाक आउट कर रहे हैं ।

(बहिर्गमन)

श्री दाऊदयाल जोशी : इस सरकार को किसानों की चिन्ता नहीं है···

श्री अध्यक्ष : बहिर्गमन कर गए उसके बाद भी बोल रहे हैं।

व्यवस्था

राज्यपाल महोदय के सदन में प्रवेश के समय राजकीय दीर्घा में बैठे अधिकारियों द्वारा उठ कर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित न करने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह शेखावत ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 157 के अन्तर्गत इस आशय की सूचना दी है कि दिनांक 20 फरवरी, 1981 को राज्यपाल महोदय ने जब माननीय सदस्यों को सम्बोधित करने के लिए सदन में प्रवेश किया, तो समस्त विधायकों तथा विधान सभा की विभिन्न दीर्घाओं में उपस्थित व्यक्तियों ने खड़े होकर महामहिम राज्यपाल महोदय का सम्मान किया किन्तु राजकीय दीर्घा में बैठे हुए अधिकारीगण अपने स्थानों पर बैठे रहे। इस प्रकार उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है। श्री शेखावत ने लिखित सूचना के साथ-साथ यह मामला उसी दिन सदन में उठाया और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार भी व्यक्त किये थे।

मैंने प्रक्रिया के नियमों और उसके अन्तर्गत अब तक की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है। सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 303 की ओर दिलाऊंगा जिसके अनुसार सदन की विभिन्न दीर्घाओं में प्रवेश अध्यक्ष के आदेशानुसार दिया जाता है। इस नियम के अनुसरण में अध्यक्ष द्वारा जो आदेश जारी किये गये हैं उनमें राजकीय दीर्घा में प्रवेश सम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। कोई भी अधिकारी बिना प्रवेश-पत्र के दीर्घा में दाखिल नहीं हो सकता और प्रवेश के बाद प्रत्येक अधिकारी पर यह प्रतिबन्ध है कि वह खामोशी से दीर्घा में बैठा रहे, इधर उधर नहीं घूमे और न ही वह किसी प्रकार की हर्षध्वनि अथवा करतल ध्वनि करे। जब तक विधान सभा की कार्यवाही चलती रहे उन्हें शान्ति से दीर्घा में अपने स्थान पर बैठा रहना होता है और नियमों के अन्तर्गत उन्हें हर उस कार्य से रोका गया है जिसके कारण सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो।

मैंने इस संबंध में लोक सभा में प्रचलित परिपाटी को भी देखा है और यह पाया है कि वहां राष्ट्रपति के सदन में आगमन के समय चूंकि राष्ट्रीय-गान का कार्यक्रम भी होता है अतः वहां उस अवसर पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को, चाहे वे संसद सदस्य हों अथवा दर्शक या अधिकारी, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का उल्लेख कोल एवं शकधर की पुस्तक प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट वाल्यूम 1 (78-79 एडीशन) के पृष्ठ 168-169 पर किया गया है।

हमारे नियमों में सदन की सीमा को जिस प्रकार परिभाषित किया है उसमें सभा भवन, सभा कक्ष और दीर्घायें भी शामिल हैं। दिनांक 20 फरवरी 1981 को जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये मैंने उनको भी ध्यानपूर्वक सुना है। मेरी निश्चित मान्यता है कि जो भी दर्शक चाहे वह राजकीय दीर्घा में बैठा हो या किसी अन्य दीर्घा में, सदन की कार्यवाही का

(श्री अध्यक्ष)

भागीदार नहीं हो सकता। राजकीय दीर्घा में सामान्यतयां वह ही अधिकारी बैठते हैं जिनकी उपस्थिति सदन के विचाराधीन कार्यों के संबंध में अपेक्षित है। किसी भी दर्शक अथवा अधिकारी को ऐसे आदेश नहीं है कि वे कब खड़े हों और कब खड़े न हों। राज्यपाल महोदय के आगमन के अवसर पर केवल माननीय सदस्यों से इस सचिवालय द्वारा निवेदन किया गया था, अन्य के लिये ऐसे संकेत नहीं थे और ऐसा किया भी नहीं जा सकता। सदन की कार्यवाही में केवल माननीय सदस्य ही भाग ले सकते हैं और सदन की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा बनाये रखना माननीय सदस्यों का ही कर्तव्य है। अधिकारीगण अथवा दर्शक सदन के अन्दर के व्यक्ति नहीं बन सकते और ना ही उनको किसी भी रूप में यह आभास कराया जा सकता है कि वे सदन की कार्यवाही का अंग हैं। दूसरे शब्दों में मेरा यह निवेदन है कि सदन में कभी कभी कई प्रकार की घटनाएं हो जाया करती हैं किसी बात पर सदन द्वारा करतल ध्वनि की जाती है, कभी "शर्म शर्म" के नारे लगाये जाते हैं, कभी माननीय सदस्यों को दो मिनट मौन खड़ा होना पड़ता है। दीर्घाओं में बैठे हुये किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि जो सदन में हो रहा है उसे दीर्घाओं में भी किया जाये। यदि ऐसा होने लगे तो इससे एक ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिससे सम्पूर्ण लोकतंत्रीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दीर्घाओं में बैठे हुये व्यक्तियों का उतरदायित्व केवल यह है कि वे शांति से सदन की कार्यवाही देखें और यदि वे सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाते हैं, तो उन्हें सदन की अवमानना का दोषी माना जायगा और ऐसे व्यक्ति को सदन द्वारा दंडित भी किया गया है।

साधारणतया सदन की अवमानना का प्रश्न किसी नियम अथवा निदेश के स्वेच्छा से उल्लंघन से सीधा जुड़ा होता है। ऐसा भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक तत्संबंधी नियम का उल्लघंन सदन की अवमानना की परिधि में आएगा। नियमों के किन्हीं प्रकार के उल्लंघन तकनीकी अज्ञान व असावधानी से भी हो सकते हैं और अभिचरित अथवा तकनीकी उल्लंघन को सदन की अवमानना का विषय नहीं बनाया जा सकता। फिर जैसा कि ऊपर उल्लेख किया है हमारे यहां तो विशेष नियम भी नहीं हैं जिसके अन्तर्गत दीर्घाओं में उपस्थित व्यक्तियों को खड़े होने/रहने की अनुमति या निदेश हों। इस निष्कर्ष का समर्थन श्री पी.ए. पचौरी की "दी ला आफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज इन यू.के एण्ड इन इण्डिया पृष्ठ 229-230 पर दी गयी टिप्पणी से भी होता है।

यह तो थी नियमों के अन्तर्गत स्थिति जिसका विश्लेषण मैंने माननीय सदस्यों के समक्ष किया है किन्तु मेरी सम्मति में ऐसे पवित्र अवसर पर जब समस्त माननीय सदस्य और अन्य दीर्घाओं के व्यक्ति राज्यपाल महोदय के सम्मान में खड़े हो गये थे, तो उचित यह था कि राजकीय दीर्घा में बैठे हुए उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते खड़े हो जाते। राजकीय उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसा न करना कुछ असंगत लगता है और अवसर के उपयुक्त भी नहीं है।

जिस प्रश्न की सूचना श्री भैरोंसिंह शेखावत ने दी है मैं उसको विशेषाधिकार

(श्री अध्यक्ष)

का हनन तो नहीं मानता किन्तु कुछ अंशों में इसको शिष्टाचार का हनन कहा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में राजकीय अधिकारी इस पर ध्यान देंगे।

अतः मैं श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपनी सहमति देने में असमर्थ हूं।

विधायी कार्य। पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्रीमती कमला, राजस्व मंत्री।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 ....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आॅर्डर।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया, माननीय सदस्य का पोइन्ट आफ आॅर्डर है आप स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वैसे तो मैं बिल के इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर कोई बाधा डालना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक काम्प्रीहैन्सिव बिल रेवेन्यू ला कमीशन ने ड्राफ्ट करके राजस्थान सरकार को दिया है। उसमें टिनेन्सी के संबंध में भी है और लैन्ड रेवेन्यू के संबंध में भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से डेढ़ साल पहले जबकि जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त हम विरोधी पक्ष में थे और हमने इस बात की कोशिश की थी कि यह दोनों ही बिल लाने चाहिए सरकार को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी थे उन्होंने यह सदन में आश्वासन दिया था कि इसके लिए सदन का एक अलग से सत्र होगा और उसमें यह दोनों बिल कम्प्रीहेन्सिव रूप में लाये जा सकेंगे। इसका कारण यह था, अध्यक्ष महोदय, आज इसमें यह स्थिति हो गयी है कि बहुत से क्लाजेज तो इसके रिडन्डेन्ट हो गये हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज तक क्यों नहीं आप इसमें संशोधन लाये लेकिन लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बनने के बाद में यह बिल दो बार सलेक्ट कमेटी को भी गया पर मेरा इसमें यह निवेदन है कि उसके बाद में भी नये तरीके से सामने आयेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार पीस मील में संशोधन लाती है जब कि आवश्यकता आज है। इसलिए सरकार को चाहिए एक कोम्प्रीहेन्सिव बिल राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के बारे में लाया जाय क्योंकि यह जो अपने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955-56 में इनेक्टमेंट बने थे उनके बहुत से क्लाजेज तो रिडन्डेन्ट हैं, कम्बरसम हैं उनके रिडन्डेन्ट रहते हुए जो कानून बनेगा उससे काश्तकारों के हकों पर कुठाराघात होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिए कि जो कुछ भी आपके पास है, काम्प्रीहेन्सिव बिल तैयार उस कम्प्रीहेन्सिव बिल को सरकार जल्दी से जल्दी लाये।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह अपने स्थान पर उचित है

(श्रीमती कमला) :
उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि उस सम्बन्ध में जो भी रिपोर्ट है उसके अलावा माननीय सदस्यों को इस बारे में सुझाव देने के लिये पत्र लिख रही हूं उन सब का संकलन करने के उपरांत जो इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जायेगी वह तो हम करेंगे ही, जल्दी करेंगे पर कुछ संशोधन न होने के कारण व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिये यह बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिये यह मैंने प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को सदन में पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 पुरःस्थापित हुआ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981

श्री हीरालाल देवपुरा :

श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री हीरा लाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1980 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1980) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरसहाय मीणा।

राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री हरसहाय मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

समय के बंटवारे की घोषणा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व उपमंत्रियों के विभाग

श्री अध्यक्ष : आज पाइन्ट आफ आर्डर बहुत उठ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जो आज कमी है वह कल फिर आयेगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मन्त्रि परिषद् के पुनर्गठन के फलस्वरूप शासन कार्य नियमावली के नियम 5 (1) के अनुसरण में राज्यपाल महोदय ने मुख्य मंत्री के परामर्श से प्रत्येक मन्त्री को उनके नाम के आगे विभाग का कार्यभार सौंपा है। उसकी प्रति हमें विधान सभा सचिवालय द्वारा मिली है। विधान सभा सचिवालय द्वारा जो हमें भेजा जाता है इसमें जो बात बिजनेस से सम्बन्ध रखती है उसके संबंध में मैं पाइन्ट आफ आॅर्डर रूल 294 के अन्तर्गत उठा सकता हूं। इसमें लिखा है, उपरोक्त राज्य मन्त्रिगण अपने स्वतन्त्र चार्ज के विभागों के नीति संबंधी मामले तथा मन्त्रि मण्डल को प्रेषित किये जाने वाले मामले अपने नाम के समक्ष अंकित मन्त्रिगण को प्रेषित करेंगे। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जिन मंत्रियों के पास स्वतन्त्र चार्ज है विभागों का इनके नाम के आगे जो अंकित है उसमें स्वतंत्र चार्ज नहीं है अगर हम काल अटेंशन मोशन देवें, एडजोर्नमेंट मोशन देवें या प्रश्न पूछते हैं, तो किस मंत्री को भेजेंगे। क्योंकि मंत्री के पास विभाग नहीं है। पालिसी के मामले में मंत्रिमण्डल को ज्ञापन जाता है तो जिस मंत्री का जो काम है, वह करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर समाज कल्याण मन्त्री हैं, जो बैठे हैं यहां पर उनके अटेच एक दूसरा राज्य मन्त्री कर दिया है। जहां तक सवाल मुख्य मन्त्री के स्टेट मिनिस्टर्स का है मैं मान सकता हूं उनके पास तो कैबीनेट मीमो जो होते हैं सभी जाते हैं। वह सेक्रेटेरियट में बिजनेस को ट्रान्जेक्ट करते हैं पर दूसरे मन्त्रियों की स्थिति दूसरी है। शिक्षा को देख लीजिये, चिकित्सा को देख लीजिये, पंचायत को ले लीजिये, श्री शीशराम ओला को ले लीजिये, वह शिक्षा मन्त्री से अटेच्ड हैं लेकिन डिपार्टमेंट जो जो मिले हैं वह अन्डर ग्राउन्ड वाटर और सैनिक कल्याण मिले हैं। यह शिक्षा मंत्री के पास नहीं हैं। फिर पालिसी मैटर कोई होगा, तो अन्डर ग्राउन्ड बोर्ड और सैनिक कल्याण की फाइल शिक्षा मंत्री को भेजनी होगी और केबिनेट मीमो के लिये ज्ञापन के लिये, यदि

(श्री परसराम, मदेरणा)

कोई पालिसी मैटर जिस पर मन्त्रिमण्डल को निर्णय लेना है, तो भी उनके पास भेजनी पड़ेगी जबकि उनका डिपार्टमेन्ट से सम्बन्ध नहीं है। लेकिन सदन के बिजनेस का मामला है, बिजनेस के सम्बन्ध में रूल 284 के अण्डर में पाइन्ट आफ आर्डर उठाया जा सकता है, वह पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि हम प्रश्न कालिंग अटेंशन और एडजोर्नमेंट मोशन या अन्य मोशन सदन के सामने लावें वह उन विभागों से सम्बन्ध रखता हुआ है जिन मिनिस्टरों के पास इंडिपेंडेंट चार्ज है उनको सम्बोधित करें या उनके नाम के आगे अंकित मंत्री हैं उनको सम्बोधित करें। इस सम्बन्ध में कुछ भ्रांति है, मैं चाहता हूं क्योंकि उसका सक्यूलेशन विधान सभा सचिवालय से हुआ है इसलिये इस भ्रांति का निराकरण होने के बाद ही हम हाउस का बिजनेस कण्डक्ट कर सकेंगे इसलिये हमें जानकारी दें कि क्या किया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माध्यम से जो लिट्रेचर सक्यूलेट हुआ है उसमे जो डिस्ट्रिब्यूशन आफ डिपार्टमेन्ट दर्शाया है कि किन किन डिपार्टमेन्ट्स के कौन कौन मन्त्री हैं। यह विधान सभा के परव्यू में नहीं आता, मुख्य मंत्री जी अपनी इच्छा के अनुसार विभागों को वितरण करते हैं कि किन किन मन्त्रियों के पास कौन कौन से विभाग रहने चाहिये। जो भी प्रश्न उठाये जायं वह मन्त्रियों के आगे विभाग दिये हुए हैं उन्हीं से प्रश्न उठाये जाने चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : मन्त्री महोदय से यह मेरा निवेदन है कि मैं छोटा मोटा सवाल तो पूछता नहीं हूं जो भी सवाल पूछता हूं वह पोलिसी मैटर का ही पूछता हूं, तो फिर आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं कहां जाऊं। नीति सम्बन्धी मामलों के लिये किस को सम्बोधित करूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : संबंधित मंत्री जवाब देंगे और पालिसी मैटर का प्रश्न है, पालिसी मैटर के लिए मंत्री अपनी हैसियत से दे सकता है और देते भी हैं लेकिन मुख्य-मंत्री जी भी सदन में बैठे रहते हैं....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं बैठते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह भी बता सकते हैं कि क्या पॉलिसी है इसलिए जहां तक प्रश्न पूछने का सवाल है प्रश्न कन्सर्निंग मंत्री के पास आयेगा और वही उसका जवाब देगा। उसमें दिक्कत नहीं है। जिसके लिए राज्य मंत्री को स्वतंत्र चार्ज दिया गया है उसके प्रश्न का उत्तर राज्य मंत्री ही देंगे। उसमें किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह बात कोई पाइन्ट आफ आॅर्डर के अन्तर्गत आती है। इसलिए माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कोई भी बात है, तो दूसरी तरह से बात की जा सकती है लेकिन सदन में सारी की सारी व्यवस्थायें लाई जायें वह प्रश्न यहां नहीं उठता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस संबंध में माननीय देवपुरा जी को जवाब नहीं देना चाहिए था क्योंकि यह डिस्ट्रिब्यूशन आफ पोर्टफोलियोज का मामला है। यह विधान सभा से सक्यूलेट नहीं भी होता, तो भी मुझे अधिकार था कि मैं आपके नोटिस में यह बात डाल सकता हूं कि इस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह जो एक लाइन पेज 6 में जोड़ी गयी है "उपरोक्त राज्य मंत्रीगण अपने स्वतंत्र चार्ज के विभागों के नीति संबंधी मामले तथा मंत्री मण्डल को प्रेषित किये जाने वाले मामले अपने नाम के समक्ष अंकित मंत्रीगण को प्रेषित करेंगे।" प्रश्न यह है कि यह रिडन्डेन्ट है, यह वायोलेशन आफ बिजनेस रूल्स है क्योंकि जिन मंत्रियों को अटेच किया गया है उनको इन्चार्ज नहीं बनाया गया है तो नीति संबंधी जो मामले होंगे, जहां तक मैं जानता हूं उनमें मिनिस्टर कोई इन्टरफियर नहीं करता। चीफ मिनिस्टर जरूर इन्टरफियर करता है। जब इन्डीपेन्डेन्ट चार्ज मिनिस्टर के पास है तो केबिनेट मीमो बनाने के लिए उसकी हैसियत वही है जो कि दूसरे मिनिस्टर की है। इसलिए उनको केबिनेट मीमो बनाने होंगे और पालिसी मैटर जो है पालिसी मैटर केबिनेट डिसाइड करेगा। तो जहां तक पॉलिसी मैटर है जो कि केबिनेट में जायेगा उसका फॉर आल प्रेक्टिकल पर्पजेज मिनिस्टर के पास चार्ज होता है तो मैं आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन कोई बात पूछना चाहता हूं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आखिर कार सदन सर्वोपरी है और जब वह मुख्य मंत्री हैं और उन्होंने सरकार बनाई है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी यहां सदन के प्रति है। वह यहां सदन में स्पष्टीकरण दें कि यह किस प्रकार का डिस्ट्रिब्यूशन आफ पोर्टफोलियो है। मैं यह मोटी बात जानना चाहता हूं। मेरा यह मानना है कि एक लाइन एड की है वह वायोलेशन आफ बिजनेस रूल्स है। या तो इसका मकसद आप हमको समझा दें, हमारी तो समझ में नहीं आया। आप बता दें कि क्या मतलब है? मैं तो मानता हूं कि यह रूल्स आफ बिजनेस का वायोलेशन है।...

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय...

श्री सुरेन्द्र व्यास : .... मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैटर ऐसा है कि मिनिस्टर को इन्डीकेट करता है। इनका स्टेटस है वही स्टेट मिनिस्टर का है

It is concerned with the Chief Minister and he should clarify whether this line has been deliberately included or it is redundant,

श्री परसराम मदेरणा : ऑर्डर आफ प्रिसिडेन्स क्या है। इसका हाउस से इतना संबंध नहीं है लेकिन प्रश्न जो उठाया है...

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर की डेफीनेशन में सभी तरह के मिनिस्टर और पालियामेन्ट्री सैक्रेटरीज भी आते हैं। इसलिए उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है कि मिनिस्टर पूरा है या आधा है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर आधा है या पूरा है रूल्स आफ प्रॉसीजर में उसका उल्लेख नहीं आता। मैं यह कहता हूं कि जो प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है रूल्स आफ बिजनेस का, जो आर्टिकल 166 के नीचे (बी) है उसमें क्या पावर्स हैं। आर्टिकल 166 के नीचे रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स में वही स्थिति है जो कि इस सदन में बिल के ऊपर होती है। इसलिए वायोलेशन तो जरूर है और साफ है। मैं समझता हूं कि 52 रूल्स हैं और एक अपेन्डिक्स है। स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हो रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी दबाना चाहते हैं। मैं यह कहता हूं कि सदन तो इसमें

(81)

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्ट्रेस्टेड है कि जवाब कौन देगा, कौन नहीं देगा। इस बिल को कौन इन्ट्रोड्यूज करेगा कौन नहीं करेगा। मिनिस्टर से कोई कन्सर्न नहीं है लेकिन मामला यह है कि पालिसी मैटर में किस को संबोधित करें ? किस के नाम से प्रश्न पूछें और रिजोल्यूशन लायें। यह हाउस का प्रश्न है। बाहर करें या नहीं करें यह दूसरी बात है लेकिन हाउस के अन्दर जिस बिजनेस को लाते हैं उसको किस आदमी को, किस मिनिस्टर को संबोधित करें और किस को इंगित करके इस बिजनेस को हाउस में, सैक्रेटेरियट में रखें, इस सदन के सैक्रेटेरियट के अन्दर। मैं चाहता हूं कि अगर पालिसी मैटर को उनके पास रखें, तो उनके पास फाइल भी आती है और उनके पास नही रखते हैं, तो जो सर्क्यूलेट किया गया है वह यह है, कि पालिसी मैटर में निर्णय स्टेट मिनिस्टर नहीं लेगा, इसमें निर्णय केबिनेट मिनिस्टर ही ले सकता है। दोनों विरोधाभास कैसे हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक पालिसी का प्रश्न है मंत्रिमण्डल पॉलिसी डिसीजन ले सकता है। मिनिस्टर इन्चार्ज के पास मामला जायेगा और अगर स्टेट मिनिस्टर केबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट नहीं करता है, तो पालिसी मैटर उसके पास जायेगा। रूल्स ग्राफ बिजनेस में इसका उल्लेख है। राज्य मंत्री जी, आप आयुर्वेद के स्टेट मिनिस्टर हैं। आपके पास डिपार्टमेन्ट नही है और पालिसी मैटर में डिसीजन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कौंसिल आफ मिनिस्टर में कौन है ? स्टेट मिनिस्टर हैं या स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वह हैं। यह कन्फ्यूजन है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया मामले को।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा निवेदन करना यह था कि माननीय सदस्यगण ने इसको एक्सप्लेन किया, ऐसी बात नहीं है। इसमें यह नहीं है कि मंत्रिमण्डल के स्तर पर ही निर्णय ले। उसमें केवल यह दिया है कि जो मामले मंत्रिमण्डल में जाने वाले हैं उनके भ्रू जायेंगे मंत्रिमन्डल के अन्दर।

श्री परस राम मदेरणा : मंत्रिमण्डल की दूसरी बात है। पालिसी मैटर तो मिनिस्टर तक जायेगा। केबिनेट का मैं मान सकता हूं कि अगर मीमो है तो मुख्य मंत्री जी के पास जायेगा। माननीय आयुर्वेद मंत्री जी अपनी फाइल स्वयं मंत्री जी के पास भेजेंगे जिनको डिपार्टमेण्ट की ए, बी, सी भी पता नहीं है। हम किसी को संबोधित करें। हाउस के अन्दर बिजनेस को चलाने के लिए और उनसे जानकारी लेने के लिए यह प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक निवेदन यह कर रहा हूं कि सदन में कौन मंत्री बिल पायलट करेगा, कौन जवाब देगा ? उससे ताल्लुक नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए रेस्पान्सिबल है और चीफ मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो की लिस्ट निकाली है। मेरा निवेदन करना यह है कि यह निकला है और श्री देवपुरा जी की जानकारी के लिए दुबारा पढ़ देता हूं।

इसमें लिखा है कि नीति संबंधी मामले तथा मंत्रिमण्डल को प्रेषित किये जाने वाले मामले, दोनो मामलों के लिये लिखा है..

श्री हीरालाल देवपुरा : आगे पढ़ो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अपने नाम के समक्ष अंकित मंत्रिगण को प्रेषित करेंगे । क्वेश्चन यह है, सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं यह प्रेक्टिकल, आपरेटिव नहीं होगा । रिडन्डेन्ट है । रूल्स आफ बिजनेस की अवहेलना है । इसमें चीफ मिनिस्टर से आप जानकारी प्राप्त कर लें । चीफ मिनिस्टर ने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किये हैं उनका स्पष्टीकरण आ जाये ।

श्री अध्यक्ष : भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि विधान सभा सचिवालय की ओर से महकमों के वितरण के सम्बन्ध में एक कागज प्रसारित हुआ है और उसमें शर्त नीचे यह दी हुई है कि यदि कोई नीति सम्बन्धी मामले होंगे अथवा केबिनेट को कोई मीमो प्रस्तुत करना होगा, तो वे मामले स्टेट मिनिस्टर, जिनके पास स्वतन्त्र चार्ज हैं, फलां फलां मंत्रियों के माध्यम से प्रस्तुत करें। इसलिए आपने यह फर्माया, हमारे लिये यह कठिनाई हो जायेगी कि हम प्रश्न या कोई भी व्यवस्था उठायें, किसको सम्बोधित करें। मेरे ख्याल से ऐसी कठिनाई आनी नहीं चाहिये । जो सर्क्यूलेट किया है किस माननीय मंत्री को कौनसा विभाग दिया है, वह सदस्यों की सुविधा के लिये हमने सर्क्यूलेट किया है । हमें सर्क्यूलेट इतना ही करना चाहिये था कि इन इन मंत्रियों को यह विभाग दिये गये हैं लेकिन क्योंकि जो ओरिजनल आर्डर था उसके अन्दर एक-दो क्वालिफाइंग क्लाज दिये हुये थे साथ में, उससे समस्या खड़ी हो गई । यह समस्या नहीं है । जैसा मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया हमारी परिभाषा में "मंत्री" शब्द है । न मुख्य मंत्री है । "मंत्री" शब्द है और "मंत्री" का मतलब है "मंत्री", "राज्य मंत्री" "उप मंत्री" और "पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी" । अब उनमें से कौनसा व्यक्ति आकर के यहां जवाब देता है, वह जो कोई भी समझे, योग्य हो वही जवाब दे । सवाल यह है कि वह एप्रूवल लेकर आता है या नहीं आता है । मान लो नीति सम्बन्धी प्रश्न यह मानकर चलते हैं जो कोई भी मंत्री यहां पर बात कहता है, जिम्मेदारी से कहता है उसको फुल आथोरिटी है । अगर नीति संबंधी मामला है या केबिनेट का मामला है, तो वह अपनी तरफ से केबिनेट से एप्रूवल लेता है या मंत्री से एप्रूवल लेता है या बाद में करवा लेता है । जो अपने यहां से प्रश्न दिये जाते हैं । विभाग के नाम से प्रश्न दिये जाते हैं, विभाग बिल्कुल स्पष्ट अंकित है । इसलिये मैं समझता हूं जो कठिनाई आप महसूस कर रहे हैं, वह कठिनाई नहीं आएगी और विधान सभा का कार्य अच्छी तरह से चल सकेगा । इसके बाद में भी कोई कठिनाई आती है, तो उस पर फिर अपन विचार करेंगे । मैं समझता हूं कि इतनी कठिनाई नहीं है और यह व्यवस्था का प्रश्न बनता नहीं है। इसलिये मैं इसको निरस्त करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने लिस्ट पहले सर्क्यूलेट की थी कौन-कौन से मन्त्री का कौन-सा क्वेश्चन डे है । नये मंत्री बनने के बाद कौन कौन से डे हैं सर्क्यूलेट कर दें ।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद नये दिन मुकर्रर किये है । वह हम आपको भेज देंगे ।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम-का-थाना): अध्यक्ष महोदय, यह पेज 3 पर जो लाइन बढ़ाई गयी हैं अब हम यह माने कि वह रद्द

(श्री मोहनलाल मोदी)

हैं"। उपरोक्त राज्य मंत्रिगण अपने स्वतन्त्र चार्ज के विभागों के नीति संबंधी मामले तथा मंत्रिमण्डल को प्रेषित किये जाने वाले मामले उनके नाम के समक्ष अंकित मंत्रिगण को प्रेषित करेंगे" हम इसको रद्द समझें।

श्री अध्यक्ष : आपकी सूचनार्थ है। आपको ज्यादा सूचना उपलब्ध करा दी- इसमें क्या हर्ज है। आप अगर मंत्री जी के पास जायेंगे, तो आपको यह ध्यान रहेगा कि मंत्रीजी शायद पूरा नहीं कर सकते, शायद बड़े ठिकाने जाना पड़े।

एक माननीय सदस्य : पिछले सत्र में भी हमने प्रश्न दिये थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन मंत्री महोदय को उत्तर देना है उसी के नाम से प्रश्न सम्बोधित हो, तो यह कठिनाई नहीं आयेगी।

समय के बंटवारे की घोषणा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

एक माननीय सदस्य : समय का बंटवारा ?

श्री अध्यक्ष : अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करने के बाद तय होगा। आपके सामने पेश कर दूंगा।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, "इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है अत्यन्त कृतज्ञ हैं"।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस समय संकट के वर्ष में, जब हम देश के चारों ओर नजर डालते हैं, तो लगता है इस समय एक अत्यंत संकट की घड़ी से हमारा देश निकल रहा है और वह संकट एक प्रकार का नहीं, अनेकों प्रकार के हैं। हमारे राज्य में विशेष रूप से इस साल में अकाल ग्रस्त होने की वजह से हमारी समस्यायें, हमारे संकट और भी बढ़ गये हैं। अकाल के होने के कारण पीने के पानी का प्रश्न है, बिजली का प्रश्न है, और उसके साथ अन्य प्रश्न जोड़े जा रहे हैं। अकाल की वजह से कीमतें ऊंची चढ़ी हुई हैं। अनाज की कमी है और इस तरह के संकटों के मध्य से हमारा राजस्थान गुजर रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संकट का समय गुजर रहा है। लेकिन जब मैं आस-पास के दूसरे राज्यों की स्थिति देखती हूं उसके मुकाबले राजस्थान में इस वर्ष अकाल को देखती हूं, तो उस समय मुझे यह कहना पड़ता है कि यह राज्य सरकार भाग्यशाली है या मुख्य मंत्री जी भाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है। दूसरे राज्य में हरिजनों पर जुल्म-ज्यादतियां की गईं। हमारे यहां पर इस प्रकार का कहीं नहीं हुआ और न ही साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। जहां तक लॉ एण्ड आर्डर का सवाल है, वह अपेक्षाकृत ठीक है। इसलिये मैं साथ ही साथ राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं, उनकी सहनशीलता की सराहना करती हूं कि संकट के समय हमारे राज्य की जनता ने विवेक और बुद्धि से काम लिया

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत)

है। राजस्थान की यह परम्परा रही है कि जब-जब संकट आता है राजस्थान के लोग वीरता के साथ मुकाबला करते हैं। पिछले वर्षों में जो कुछ काम काज हुए या आगे किये जा रहे हैं उसके बारे में राज्यपाल महोदय ने बहुत खुलासा तौर पर कई बातें बताई। पिछले वर्षों के कुछ कामों को देखते हुए एक दो बातों की मैं प्रशंसा करती हूं और मेरा ख्याल है कि चाहे मेरी पार्टी के माननीय सदस्य हों, चाहे उधर बैठे माननीय सदस्य उन कामों की प्रशंसा जरूर करेंगे।

हमारे राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की कुल मिलाकर के 28 प्रतिशत संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है। एक चौथाई हिस्से से भी ज्यादा है। आप और हम सभी जानते हैं यह जातियां सदियों से दबी हुई हैं, पिछड़ी हुई हैं और इनके उत्थान के लिये, इनके विकास के लिये बहुत कुछ करना है। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा है और उनके विकास के लिये कार्य किया है लेकिन इस साल हमें यह कहना पड़ेगा कि मुख्य मंत्री जी ने विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जन जाति वालों के लिये, उनके विकास के लिये और उनके उत्थान के लिये कई घोषणायें की हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। आज से कुछ वर्षों के पहले कोई जन जाति का या अनुसूचित जाति का लड़का यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राज्य के बड़े स्कूल जैसे एम.जी.डी., विद्या भवन, पिलानी जैसी संस्था में वह जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है लेकिन कांग्रेस ने ऐसा वातावरण बनाया, ऐसे लोगों के लिये 2 लाख 29 हजार की स्कालरशिप का प्रावधान किया। इससे इस श्रेणी के बच्चे ऊंचे स्कूलों में जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

इसी तरह सारे कालेजों में चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो, चाहे मेडिकल कालेज हो उनमें 20 प्रतिशत सुरक्षित स्थान रखे गये हैं। इसी प्रकार अनेक रियायतें चाहे मकान बनाने की हो, चाहे कुआं खुदवाने की हो, चाहे कृषि भूमि के अलाटमेंट की हो, चाहे मकान बनाने के लिये भू-खण्ड की व्यवस्था हो और चाहे बिजली पानी की सुविधा हो, उनमें जो कदम उठाये गये हैं उनकी हम सराहना करते हैं। मैं खास तौर से सराहना करूंगी औद्योगिक क्षेत्र में सुविधायें देने की, 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान इस जाति के लिये दिया गया है और बस और टेम्पो खरीदने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता उन्हें दी है। अगर हमारी जाति वाले लोग औद्योगिक क्षेत्र में जा सकें, तो हमारे लिये बहुत ही खुशी की बात होगी कि वे उद्योगों में प्रवेश करें। इसी प्रकार विशेष केन्द्रीय सहायता है, जो लगभग 5 करोड़ के है। और वीकर सैक्शन के लिये, गरीब तबके के लिये, दबे हुए लोगों के लिये शार्ट टर्म और मिड टर्म का लोन इस साल 100 करोड़ के लगभग दिया गया है।

100 करोड़ की रकम अपने आप में बड़ी रकम है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि यह रकम 77-78 के मुकाबले में लगभग दुगुनी है जिसकी मैं सराहना करती हूं। दूसरे जब किसानों के हित की बात सोचते हैं, तो एक कदम राजस्थान सरकार ने उठाया और उससे किसानों को लाभ पहुंचा उनको एनकरेजमेंट मिला। आप सभी महानुभावों

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

को याद होगा कि आज से दो साल पहले किसान को गन्ने का क्या मूल्य मिलता था। यू. पी. में और दूसरे राज्यों में किसानों, जिन्होंने गन्ने की खेती की थी, को कितने सस्ते भाव में गन्ना बेचना पड़ा, छः रुपये क्विन्टल तक गन्ना बिका और यू. पी. में यहां तक स्थिति हो गई थी कि गन्ने को यों का यों जलाना पड़ा। जबकि किसानों के नेता किसानों के हित के बातों का दावा करते थे लेकिन नहीं कर पाये और इस राजस्थान में और जगह भी गन्ने का मूल्य 23 रु. से 30 रु. तक हमारे किसान ने लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि इस बार गन्ने की पैदावार में 18 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है, आशा है।

इसी तरह मैंने जिक्र किया कि इस सरकार ने दबे हुए तबके के लोगों का विशेष तौर से ख्याल रखा। उसके साथ में यह जोड़ना चाहती हूं कि महिलाओं के लिये और विधवाओं के लिये यों देखा जाय तो महिला वर्ष, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हुआ हो, भी मनाया गया लेकिन उस वर्ष में भी वह दबा हुआ तबका माना जाता था, महिलाएं वास्तव में पिछड़ी हुई श्रेणी में आती हैं, दबी हुई श्रेणी में मानी जाती हैं...

एक माननीय सदस्य : दबी हुई ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : हां दबी हुई, पिछड़ी, जनाब आप लोगों की मेहरबानी से।

(व्यवधान)

सभापति तालिका

श्री प्रद्युम्न सिंह के स्थान पर श्री तकीउद्दीन का मनोनयन

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, एक आवश्यक सूचना। कृपया स्थान ग्रहण करें।

जैसा माननीय सदस्यों को विदित है श्री प्रद्युम्न सिंह को माननीय अध्यक्ष द्वारा सभापति तालिका में मनोनीत किया गया था। अब चूंकि वे मंत्री मण्डल में नियुक्त हो गये हैं इसलिये मैंने उनके स्थान पर श्री तकीउद्दीन को सभापति तालिका में मनोनीत किया है।

प्रारम्भ कीजिये।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत : तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह जो विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती थी उसमें उनकी उम्र को घटाकर 35 साल किया है और इस तरह विधवाओं को पेन्शन देने का जो प्रावधान रखा है इसका मैं स्वागत करती हूं। यह वर्ष विकलांग बच्चों का वर्ष है और इस वर्ष में उनके पुनर्वास के लिये, व्यवसाय के लिये, शिक्षा के लिए, प्रत्येक प्रकार की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल 8 लाख की छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा है। इसी तरह जो विकलांग बच्चे हैं और जिनको पेन्शन मिला करती थी 18 साल के विकलांग को मिला करती थी वह उम्र को घटा कर अब 8 साल कर दी है। उसकी भी मैं सराहना करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को कुदरत ने बड़ा भरपूर योग दिया है-खनिजों से भरपूर किया है। कई प्रकार की रियायतें कुदरत

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

ने राजस्थान को दी है लेकिन जहां पानी का सवाल आता है–पीने के पानी में कुदरत ने हमारा साथ नहीं दिया।

(3.08 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति पदासीन)

यहां पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान में यदि कहीं कोई चीज का घाटा है तो पानी का, चाहे वह खेती के लिए हो और चाहे पीने का पानी हो। हमारे पीने के पानी की स्थिति है यह आज तक व्याप्त रही है। आज तक हमारी जो समस्यायें रही हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या पानी की ही रही है। कहीं-कहीं तो मारवाड़ में ऐसा भी है कि जहां पीने के पानी पशु और मनुष्य एक ही तलैया से पानी पीते हैं। इधर पहाड़ी इलाकों में मीलों जा कर पानी लाना पड़ता है और फिर भी शुद्ध पानी बहुत कम भागों में मिल पाता है।

अब पेय जल को लेकर जो सरकार ने योजना बनाई है–हैण्ड पम्पों के पानी से गांवों को जोड़ा जायगा। इस योजना का मैं स्वागत करती हूं। जो हैण्ड पम्पों की योजना बनाई गई है उससे प्रति वर्ष पांच हजार गांवों को पीने का पानी दिया जायगा, इस साल करीब करीब 1500 गांवों को पानी का फायदा मिल चुका है और इस वर्ष के अन्त तक 2500 गांवों को इसका फायदा मिल जायगा, जब कि पिछले वर्ष के आंकड़े मैं रखती हूं–पिछले वर्षों में यदि तीन साल हैण्ड पम्प लगाने की औसत लगाते हैं तो केवल 600 गांवों के लिये हर साल पानी का प्रबन्ध किया गया था। इस साल इसके मुकाबले में जो पानी का प्रबन्ध किया गया है वह काफी अधिक है। इस तरह 26 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है खर्च करने के लिये। यह रकम अपने आप में बहुत बड़ी रकम है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं...

(व्यवधान)

है हीं नहीं.. आज जिस विषय पर बात हो रही है, आपको ध्यान देना चाहिये। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं सरकार ने जो लक्ष्य रखे हैं और जो कुछ काम हुआ है उसका मैंने जिक्र किया है लेकिन भविष्य में कैसे करने जा रहे हैं उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं–जब इतने टार्गेट्स अचीव किये और उदयपुर में जहां 711 गांवों को स्वीकृत किया गया उसमें काटकर केवल 107 गांव ही रख दिये गये। मेरी कान्सीट्यूएन्सी में 54 को स्वीकृत किया गया था, उनको काटकर केवल 11 रखे गये हैं और (व्यवधान) कारण बताया गया है कि हमारे पास धनराशि नहीं है...

(व्यवधान)

मंत्रीजी आप मेहरबानी करके सुनें।

इसके बाद जो स्थिति है वह यह है कि जिन कुओं को विद्युत् प्राप्त है उनमें से काटे हैं वह तो हैं। ही लेकिन उनकी हालत यह है कि मार्च के महीने में एक महीना बाकी है और जो आप 11 कुओं के लिए देने जा रहे हैं उनमें काम करने का, खुदाई की मशीन देने का या आदमी देने का, अभी तक कोई सवाल ही नहीं है।

क्या एक महीने के अन्दर आप इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे? यह ध्यान दीजिए। जहां तक मेरा सवाल है, आपके यहां रिग्स की कमी

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

है, मशीनों की कमी है और आज की मशीनरी ठण्डे ढंग से, धीमे से काम कर रही है। उसे मेहरबानी करके देखें आप। सभापति महोदय, आज हम भयंकर...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेतसिंहजी के खुद के पानी नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति जी, यह समस्या हो रही है प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं या निन्दा कर रही हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या को बोलने दें, मेहरबानी करके।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यथार्थ कह रही हैं। इसको उचित समझें। इसके कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहिनजी, आप शुरू कीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूं...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : महोदय हैं, महोदया नहीं।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : महोदय कह रही हूं, मुझे हिन्दी आती है। अगर मुझे हिन्दी नहीं आयेगी तो आपसे पूछ लूंगी। सभापति महोदय, बिजली का भयंकर अकाल है। कुओं में पानी है, बिजली की वजह से कुएं बन्द पड़े हैं। उत्पादन बन्द हो रहा है और फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं। आज हम अकाल से पूरी तरह ग्रसित हैं। अकाल होने की वजह से ही इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन मुझे यह कहते हुए भी कुछ सन्तोष है कि इस साल भयंकर स्थिति होते हुए भी भविष्य के लिए जो काम जारी हैं, विद्युतीकरण का, उसमें ढिलाई नहीं आयी है। यह एक संतोष की बात है। इस वर्ष ढाई हजार गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है और 3 हजार कुओं को बिजली दी जा चुकी है लेकिन इससे हमें कोई संतोष जैसी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान का...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 6 सौ गांव हैं, गलत बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 18 हजार कुए और 6 सौ गांव।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपके पास हैं, मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर बोल रही हूं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि 18 हजार कुएं और 6 सौ गांव।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : आप इसके बाद अपनी बात कह सकते हैं। मैं यह पूछना चाहूंगी कि कोई एक बात बोलता हो तो बीच-बीच में टोकना कहां तक मुनासिब है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, आप

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत)

बार-बार क्यों बोलते जाते हैं। तो, सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहती हूं लेकिन मैं दुःख के साथ ये पहले एक बात कहना चाहती हूं कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जा रहा है उस समय हमारे मंत्रिमण्डल में से केवल एक राज्य मंत्री बैठा हो, यह कहां तक उचित है। इतने मंत्री होते हुए ट्रेजरी बैंचेज खाली पड़ी हों तो यह दुर्भाग्य की बात है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापतिजी, ऐसा लगता है कि राज्य मंत्री को मंत्री मानती ही नहीं हैं।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : सभापति जी, जब हम बिजली के संकट की चर्चा करते हैं, हमें देखना होगा कि हमारे राज्य को कितनी ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। आज हम संतोष करके बैठ जायें, उससे काम नहीं चल सकता। आज बिजली के लिए, आप जानते हैं कि कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, अगर उसका विकास हो सकता है तो उसके विकास की चाबी केवल एक विद्युतीकरण ही है। बिजली के बिना कोई भी देश, कोई भी राज्य आगे तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। कृषि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, उत्पादन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ सकता और औद्योगिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। आज के इस माडर्न जमाने में देश को आगे विकास कराने का एक ही तरीका है, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजली। इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजली के लिए हमें आगे बहुत कुछ काम करना है। जब तक हम पूरी की पूरी बिजली नहीं ला सकेंगे तब तक हम अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। दुर्भाग्य से हमारे राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां-जहां हमारे हाइड्रोलिक पावर स्टेशन लगे हुए हैं, उसके ऊपर हमारा अपना कब्जा नहीं है, हम इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हैं, हम दूसरे राज्यों के ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे हम हिमाचल के ऊपर निर्भर हों, चाहे मध्य प्रदेश की ओर देखें, चाहे पंजाब की ओर देखें और चाहे हरियाणा की ओर देखें। जितने हमारी नदियों के स्रोत हैं, जिनके ऊपर हाइड्रोलिक पावर स्टेशन लगे हुए हैं, वह और राज्यों से नदियां आती हैं, जो हमारा सबसे बड़ा प्रताप सागर या कोटा का है, उसमें भी हमें मध्य प्रदेश का मुंह देखना पड़ता है तो हमें चाहिए कि हम अपने नीचे अपने इण्डिपेन्डेन्ट पावर हाउस लगायें जिससे कि दूसरे राज्यों का मुंह नहीं देखना पड़े। उसके लिए हमें थर्मल पावर स्टेशन लगाने पड़ेंगे। थर्मल पावर बनाना होगा। यों अभी एक कोटा के थर्मल प्लान्ट में काम शुरू हो रहा है, उसका काम तेजी से होना चाहिए। पलाना के थर्मल पावर को जल्दी करना चाहिए। यों केन्द्र सरकार ने भी एक सुपर थर्मल प्लाण्ट की भी सिद्धान्त रूप से स्वीकृति दी है। मैं यहां कहना चाहती हूं कि सिद्धान्त रूप से इसके ऊपर जोर देना चाहिए। सिद्धान्त रूप से तो अनेकों चीजें स्वीकार की जाती हैं लेकिन वाकई इसकी मन्जूरी लाकर हमें बताना हमारा एक फर्ज हो जाता है कि इस तरह से करेंगे। अगर हम अपने राज्य को हाइडल

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

की चीजों की ओर ध्यान दें तो छोटे मोटे हाइड्रोलिक पावर हम अपनी नदियों के ऊपर, आधार पर भी बना सकते हैं। जैसे अभी अनूपगढ़ में एक छोटे से थर्मल पावर का, अनूपगढ़ ब्रांच में एक इस तरह से हुआ था। इसी तरह सूरतगढ़ प्लान्ट के, जहां हम अपने कैनाल में 5 मेगावाट का हाइड्रोलिक पावर लगा सकते हैं इसी प्रकार कोटा कैनाल से ....

श्री सभापति : माननीय सदस्या से यह निवेदन है कि मेरे पास जो लिस्ट है, उसमें काफी सदस्यगण भाग लेंगे। इसलिए आपको अभी तक 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं, संक्षेप में ही अपना भाषण दें।

एक माननीय सदस्य : प्रस्तावक के ऊपर बोलने की कोई लिमिट नहीं होती।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, यह परम्परा रही है कि प्रस्ताव करने वाले के लिए कोई लिमिट नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : होती है, कैसे नहीं होती है?

श्री सभापति : आप बोलें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव रखता है, उस पर टाइम की लिमिट नहीं होती है और दूसरे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी और माननीय सदस्यों का ख्याल रखूंगी। मेरा कोटा कैनाल के बारे में भी एक पाइन्ट है, जहां हाइड्रोलिक लगाया जा सकता है, जाखल नदी के ऊपर अगर हम हाइड्रोलिक पावर लगाएं तो 15 मेगावाट तक का पावर स्टेशन कायम किया जा सकता है। इसके लिए हमें फण्ड की, साधन की जरूरत है, तभी इस बिजली को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन हमें जो कुछ अपने काम करने हैं, उनमें बिजली का काम सबसे सर्वोपरि देखना चाहिए।

दूसरे हमारे पास जो एक चेलेन्ज का काम है, वह मरुधरा है, हमें जो मरु विकास करना है वह एक बहुत बड़ा चेलेन्जिग काम है। दो लाख किलोमीटर वर्ग के अन्दर हमारा मरु फैला हुआ है। इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए इस पर कारगर कदम उठाने के लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि इस छठी योजना में राष्ट्रीय मरु उद्यान लगाने की घोषणा हुई है, इसके ऊपर ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये ढाई करोड़ रुपये इसके लिए बहुत कम हैं।

इसी तरह वृक्षारोपण करने के लिए नंगी पहाड़ियों को ढकने के लिए, मरुस्थल में पेड़ लगाने के लिए और सड़कों के किनारे पेड़ लगाने के लिए कहा। 1 करोड़ 50 लाख सीडलिंग किया जाना है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जानकारी प्रतीत होती है। लेकिन वन मन्त्री महोदय से मैं यह भी पूछना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि गिनती के अन्दर 1 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाने को कहा गया है, लेकिन वास्तव में कितने वृक्ष लगेंगे, कितने बड़े होंगे, कितनों को पानी पिलाया जायेगा। केवल गड्ढे खोद कर लगा कर उनकी गिनती से ही काम नहीं चलेगा। हमने यही देखा है कि जब ये प्लान्ट लगाये जाते हैं, बड़े होने से पहले ही कइयों की भ्रूण हत्यायें हो जाती हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : हम इसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान दें। बराबर इस बात की जांच की जाती रहनी चाहिये कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी बराबर रक्षा की जा रही है या नहीं, उनको पानी दिया जा रहा है या नहीं।

एक बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी और वह यह है कि वन्य पशुओं के शिकार पर पूरे राज्य भर में प्रतिबन्ध लगा दिया है, मैं इसकी तारीफ करूंगी विशेष तौर से इसलिए कि दो साल पहले जब हमारे रेगिस्तान में ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड के शिकार के लिये अमीरात के अमीर आये शिकार करने के लिये तब भी उस समय के चीफ मिनिस्टर साहब ने नाराजगी तो प्रगट की, चिल्लाये भी वे बहुत लेकिन उनकी चली नहीं। शिकार होते रहे लेकिन इस बार पहाड़ियाजी ने उस शिकार को बन्द कर दिया है और दूसरे वन्य पशुओं के शिकार पर भी रोक लगा दी है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब तो दो नम्बर के मंत्री महोदय आ गए हैं, अब बोलो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसके अलावा यह भी बताया गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच वर्षों में पचास रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, यह हमारी घोषित नीति है। यह हमारी नीति है कि बसों के जो मार्ग हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। अब पचास रूटों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया है और बसों की संख्या भी 2300 से बढ़ा कर चार हजार तक करने का निर्णय लिया गया है, इसका मैं स्वागत करती हूं, लेकिन साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी, बड़े नम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगी कि जिन रूटों पर अभी बसें चलती हैं, उन रूटों पर कई जगहों पर 25 किलोमीटर तक प्राइवेट बसेज को रूट अलाट कर दिये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जहां-जहां पर इस प्रकार से रोडवेज की बसों को चलाने की इजाजत मिली है उनको भी रोक दिया गया है। अगर यातायात मंत्रीजी के विचार इन विचारों के प्रतिकूल हुए तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी नीति किस प्रकार से आगे चलेगी।

जब हम अपने उद्योगों की तरफ दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि मिनरल्स से राजस्थान भरा पड़ा है। अभी-अभी हमारे यहां पर लिग्नाइट, जिप्सम, जिंक, ताम्बा, शीशा, रॉक-फास्फेट वगैरह के भंडार प्राप्त हुए हैं। और भी हमारे विशाल भण्डार हैं। इन खानों से वैसे तो माल निकाल कर उनके ऊपर नए-नए उद्योग लगाने के लिए कार्य किया जा सकता है। खास मुद्दे की बात यह है कि उन पर उद्योग लगाये जायें। यह भी अच्छी बात है कि बड़े खनिजों की रायल्टी पर केन्द्रीय सरकार हर चार साल के बाद जो पुनर्विचार करती थी, अब दो साल के बाद विचार करेगी। उससे राज्य सरकार की भी आय बढ़ेगी।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

चेसिस निर्माता कम्पनी अशोक लेलेण्ड आर्गेनाइजेशन से ट्रकों की चेचिस बनाने का कारखाना लगाने का समझौता हो जाना स्वागत योग्य है। इसमें 85 करोड़ रुपयों की लागत बैठेगी और 12 हजार चेसिस यहां पर हर साल बनेंगी। इसी तरह से 26 टैक्सटाइल मिल लगाने के लिए परमिट स्वीकृत किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा जो 43 आशय पत्र जारी किये गये हैं उनमें 5 आशय पत्र सीमेन्ट के कारखानों को मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मिलने से उद्योगों का विकास होगा और बेरोजगारी हटेगी।

अब मैं छठी योजना के बारे में निवेदन करूंगी, हमारे राज्य की 2025 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है जो कि पांचवीं योजना के मुकाबले में 136 प्रतिशत अधिक है जो योजनाओं के लिए हमें रकम मिली है उसका आधा तो हम सिंचाई और बिजली के कामों में खर्च करेंगे। अगर हम इस सारी रकम को अच्छे ढंग से सिंचाई के काम में, बिजली के काम में लगा सकें तो हमारे राज्य को बहुत अधिक लाभ होगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि हम अपने साधन और स्रोत ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करें ताकि हमें अधिक रकम मिले इस छठी योजना में। इससे ज्यादा रकम प्राप्त करना हमारा, हम लोगों का फर्ज हो जाता है। सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वह अपने साधन और स्रोत जुटा कर महत्वाकांक्षी योजना बनाये, लेकिन हमें जितनी सफलता मिलनी चाहिये थी छठी योजना में वह पा नहीं सके। उसके लिए हम अपनी कोशिश जारी रखें।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, महिला टैक्निकल कालेज भी खोला गया है और संस्कृत अकादमी की स्थापना भी की गई है। संस्कृत अकादमी की स्थापना होना बहुत अच्छा है लेकिन मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगी इस राज्य में संस्कृत की अकादमी खुली हुई है, उर्दू अकादमी खुल चुकी है, सिंधी की अकादमी खुल चुकी है, हिन्दी अकादमी खुल चुकी है लेकिन राजस्थानी अकादमी क्यों नहीं खुली? राजस्थानी जो यहां की दो करोड़ लोगों की मातृभाषा है, उसकी उपेक्षा कैसे की जा रही है, क्यों की जा रही है? मैंने तो आज तक ऐसा कोई राज्य नहीं देखा जहां उनकी मातृ भाषा की इस प्रकार की बेकद्री हुई हो। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी राजस्थानी भाषा की अकादमी की स्थापना की जावे।

इधर शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जो हालत है, जनता पार्टी के राज्य में एक सिलसिला चला था कि हजारों शिक्षकों के तबादले किये गये थे। एक धांधली मची थी और आर.एस.एस. के लोगों को ऊपर लाने के लिए इस प्रकार की कोशिश की गई कि जिससे सारे के सारे शिक्षा जगत के टीचर्स को बहुत परेशानी हुई। हमें इसको दुरुस्त करना था लेकिन दुर्भाग्य है कि वह सिलसिला आज भी जारी है। हमारे कई स्कूलों में तो टीचर ही नहीं हैं और कहीं-कहीं पर दो-दो तीन-तीन अध्यापक चले गये हैं। आर. एस. एस. के लोगों का अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। रोजाना हमारे पास शिकायतें आती हैं कि बच्चों की पढ़ाई का साल खराब होता जा रहा है।

(व्यवधान)

(श्रीमती-लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

आज, सभापति महोदय, स्कूलों में पूरे के पूरे अध्यापक न होने के कारण बच्चों की शिक्षा का एक साल का जबरदस्त नुकसान हो जाएगा। जहां शिक्षक परेशान हो रहे हैं वहां बच्चों के मां बाप भी परेशान कम नहीं हैं। रोजाना हमारे पास आकर शिकायत करते हैं कि बच्चों की इस साल की पढ़ाई के नुकसान के लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि नए शिक्षा मंत्री जी इसमें सुधार करेंगे और इस मामले को सम्भालेंगे।

सभापति जी, हमारा प्रान्त इस समय भयंकर अकाल से ग्रस्त है। सारा का सारा राजस्थान अकाल की चपेट में है। अकाल में लोगों को कितना कष्ट हो रहा है यह कहने की जरूरत नहीं है। यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वे भली प्रकार वाकिफ हैं और सभी जानते हैं कि अकाल के जरिये से कितने लोगों को परेशानी हो रही है। आज हमारे पशुओं का 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। इस समय जो कामकाज शुरू किये जा रहे हैं, कुछ लोग लेबर में लगे हुए हैं, मैं उनके बारे में दो तीन सुझाव अकाल मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगी। अभी जो काम चल रहे हैं उनमें सिंचाई के काम बहुत कम लिये गये हैं इसलिये अधिकाधिक सिंचाई के काम हाथ में लिये जावें। सिंचाई के काम होने से राजस्थान में भविष्य में पड़ने वाले अकाल को रोका जा सकता है। पानी होगा तो पानी की वजह से खेती होगी और अकाल की इतनी विभीषिका नहीं होगी; इसको रोका जा सकेगा। इसी तरह से इसके अन्दर लेबर कम्पोनेंट और मैटिरियल कम्पोनेंट इस तरह से रखा गया है कि पक्के काम नहीं हो रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि जो कुछ भी काम किये जावें, मजबूत हों, पक्के हों, जनता पार्टी के समय के जैसे काम नहीं हों कि एक बरसात आई और मिट्टी के साथ सारे के सारे काम बह जायं ...

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो पार्टी ही ऐसी थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सारे काम मजबूत किये जावें और जो भी पैसा खर्च हो उसका पूरा-पूरा लाभ राज्य को मिले। अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय कृषि मंत्री जी का स्टेटमेंट निकला। उसमें कुछ ऐसा आभास हो रहा था कि हमारी राज्य सरकार को जितने फण्ड की जरूरत है उतना शायद केन्द्र से नहीं आ पाया। इसकी बहुत चिन्ता है। अभी तक हमें केवल 18 (अट्ठारह) करोड़ रुपये ही मिले हैं। हमें पूरे-पूरे प्रयत्न करके केन्द्र से फण्ड लाना जरूरी है। हम आशा करेंगे कि केन्द्र से फण्ड आयेगा तो हम काम करेंगे।

हमारे यहां अकाल कई पड़े हैं। हम जानते हैं कि 70 करोड़, 80 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी अकाल का मुकाबला करना चाहिये था, लेकिन सभापति जी, दोहरा अकाल है, अकालग्रस्त जनता ज्यादा है इसके साथ में रुपए की कीमत गिर जाने से मजदूरी के रुपये नहीं बढ़ाये गये हैं। तो इस साल 70-80 करोड़ रुपए से काम नहीं चलेगा। हमें पूरे साधन लगाकर वहां से

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

रुपया लाना चाहिए। अभी जो काम चल रहे हैं, उनमें काफी लोग लगे हुए हैं। लेकिन अपेक्षाकृत कम हैं। पहले अकाल राहत कार्यों में काफी लगते थे। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार 12-2-80 को 6 लाख. 16 हजार 883 लोगों को रोजगार दिया गया है लेकिन इस साल 17-2-81 तक 3 लाख 41 हजार 155 लोग अकाल के काम में लगे हुए हैं। इसे बढ़ाया जाना चाहिये। हालांकि पिछले साल अपेक्षाकृत कुछ काम नहीं हुए थे। मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

दूसरा, मैं यह ध्यान दिलाना चाहती हूं कि राहत में जो काम कर रहे हैं, उनके पास अनाज की बहुत ज्यादा कमी है। अनाज नहीं मिल रहा है, राशन का अनाज नहीं पहुंच रहा है। दो रुपये से सवा दो रुपये प्रति किलो में भी बड़ी मुश्किल से लेवर अनाज खा रहा है। जहां जहां इस प्रकार राहत के काम चल रहे हैं वहां राशन की दुकानें बनाने के लिए आप प्रबन्ध करायें।

मैं विशेष समय न लेकर के आखिर में यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो आपने टार्गेट रखे हैं, जो घोषणायें की हैं, जो मन्तव्य प्रकट किये हैं, अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं, ठीक हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा। उन्हें अमली जामा कैसे पहनाएंगे। अमली जामा पहनाने के लिये राज्य सरकार को बहुत ही तेजी के साथ काम करना पड़ेगा बड़ा कठिन परिश्रम करना पढ़ेगा, तभी अमली जामा पहना सकेंगे।

हमने दबे हुए तबके के लिये बहुत रियायतें दी हैं, बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाये हैं लेकिन इन लोगों को फायदा मिल सके इसके लिये जरूरी है कि सरकारी मशीनरी पर निर्भर न रहें। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को लगाना पड़ेगा। पार्टी के लोगों का इनवाल्वमेंट हो तब हम यह काम कर सकेंगे। बिना पार्टी के लोगों के इनवाल्वमेंट के केवल सरकारी मशीनरी के आधार पर इस प्रकार के सोशल वेलफेयर के काम नहीं किये जाने चाहिये। यों सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ता और जनता के प्रतिनिधि—ये सरकार की दो बाहें हैं। एक लैफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड है। जब इन दोनों हाथों को मिला कर काम करेंगे, इनका आपस में सामंजस्य होगा तब ही इन सारे कामों को आगे ले जा सकेंगे। इसलिये पार्टी के कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों का तालमेल बैठाकर इस काम को आगे बढ़ायें, यही निवेदन करना चाहती हूं।

माफ करें, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहती हूं। इस समय प्रशासन ढीला है। प्रशासन ढीला है और आपको यह विरासत में दिया है जनता पार्टी ने। जो एफिसियेन्ट मिनिस्ट्री 75 में दी थी वह इनएफिसियेन्ट करके आपके हाथ में दी गई उसको ठीक करना आपका काम है। जो कई प्रकार की तकलीफें देखनी पड़ रही हैं, मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं जो पौधे उन्होंने लगाये हैं उनके कांटों को अपने हाथ से झाड़ना है। वह कांटे चुभेंगे जरूर किन्तु उन्हें झाड़ना है।

एक माननीय सदस्य : कांटे डालने वाले फिर आपके उधर गये, हुकुम।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहती हूं। इस समय राज्य के सामने अहम् समस्यायें हैं। वह ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिये राज्य सरकार को पूरी ताकत लगाने के साथ-साथ आपका और हमारा पूर्ण सहयोग चाहिये। कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जिनसे लड़ने के लिये राज्य सरकार को बहुत ताकत चाहिये। बहुत सी बातें ऐसी हैं केन्द्र से जिनका सम्बन्ध है जैसे फेमिन रिलीफ के लिये फण्ड लाने का है। केन्द्र से फण्ड लायेंगे तब इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। राजस्थान केनाल का सवाल है। राजस्थान केनाल पूरी बन जाय तो राज्य का दारिद्र्य मिट जाय, लेकिन उसके लिये पूरे फण्ड नहीं हैं। उस फण्ड को लाने के लिये उतनी आपकी हमारी जिम्मेदारी भी है। चाहे किसी भी पार्टी में बैठे हों जितनी राज्य सरकार की है।

जब बिजली के संकट की ओर देखते हैं, कोटा में पानी के संकट की ओर देखते हैं, जिसकी चर्चा की गई है कि गांधीसागर से पानी नहीं आ रहा, कोटा को पानी नहीं मिल रहा है, फसल सूख रही है, मैं याद दिलाना चाहती हूं, यह आपने खुद ने कहा है, माननीय सदस्य ने कहा है, गांधीसागर के केचमेंट एरिया में मध्य प्रदेश सरकार ने बांध बनाये। मैं याद दिलाना चाहती हूं, यह बांध तब बनाये जब दोनों राज्यों में जनता पार्टी का राज था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 12 साल से बने हुए हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जनता पार्टी का राज था। मैं याद दिलाऊं, भैरोंसिंहजी ने पत्राचार किया। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने कई चिट्ठियां मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री सकलेचाजी को लिखीं। लिखा-पढ़ी हुई, कोई बात तय नहीं हुई, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। अभी भैरोंसिंह जी कह रहे थे, वह अपने कटु अनुभव के आधार पर कह रहे थे, जिस बोर्ड की वह तारीफ कर रहे थे, दोनों मुख्य मंत्री मिलकर विचार विमर्श करेंगे, सकलेचा जी ने अंगूठा दिखा दिया, बात ही नहीं की। असली बात यह है, आप पुराने कागजात देखियेगा यह जो मध्य प्रदेश में हुआ है, इन्होंने किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सब आपकी दया है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अब पोल खुल रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं आपको तारीख बता सकती हूं। सरकारी कागजों के आंकड़ों के आधार पर बोल रही हूं।

एक माननीय सदस्य : तारीख बताओ इनको।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : सभापति जी, 79 में मुख्य मंत्रियों का पत्राचार चला और बोर्ड में यह तय हुआ था कि दोनों मुख्य मंत्रियों की मुलाकात 13-5-79 को होगी, वह नहीं हुई। यह सारा का सारा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
कोटा का बिजली का संकट है यह जनता पार्टी की देन है, उस समय के मुख्य मंत्री कमजोर रहे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह बांध कब बना था ? यह भी आपके पास नोट्स होंगे।

एक माननीय सदस्य : 13-5-79 को अंगूठा दिखा दिया।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह सब कांग्रेस की देन है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। बैठिये, बैठिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं करेक्ट कर दूं। 12 साल से इन्ट्रप्शान हो रहा है जनता पार्टी के राज में यह उजागर हुआ। हमने फोर्स डाला।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जब आप मंत्रिमण्डल में थे तब यह काम चले थे। मेरा निवेदन करना यह है कि हमारे राज्य में अहम् समस्याएं हैं। इन समस्याओं से लड़ने के लिये, आगे काम करने के लिये आप हम सब को मिल जुल कर काम करना है। 29 साल के कामों पर पर्दा डालना चाहो तो नहीं डाल सकते यह मैं दावा करती हूं। जो अच्छे काम हो रहे हैं, हमें फख है। आप छोटी छोटी बातों को ऊपर छोड़ें। छोटे छोटे सवालों को हम आमने सामने बैठ कर हल कर सकते हैं लेकिन जब राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के भाग्य का फैसला है तो आपको और हमें साथ मिल कर इस प्रकार के कामों को करना है।

(व्यवधान)

तब इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

(व्यवधान)

उनके पास भी ऐसे फार्मूले हों, टोप सीक्रेट कोई कमजोरी जानते हों तो बतावें, हम साथ मिल कर काम करेंगे। तो, सभापति महोदय, मैं विशेष समय न लेकर जो राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया और लक्ष्मीकुमारी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, जो जनता पार्टी के माननीय सदस्य हैं उन्होंने राजस्थान में तीन साल तक राज करके संक्रामक रोग फैला दिया था। बड़ी मुश्किल से हम उसका कुछ हिस्सा पिछले आठ महीने में मिटा सके हैं

(व्यवधान)

मैं तो पहले भी इसका हिस्सा था और आपके खिलाफ था। मैं बताऊंगा, आपने

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
जो भाषण दिये वे×××और×××दिये हैं। अब शांति रखिये।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : मतदाताओं के साथ किसानों के साथ, विश्वासघात है। थोड़ी शर्म करो। किसानों के साथ बलात्कार किया है आप×××व्यक्ति हैं। आपको कांग्रेस संगठन दल का नेता नहीं बनाया। आपको रिजाइन करना चाहिये, आपको त्याग-पत्र देना चाहिये। फिर दुबारा चुनाव लड़िये

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, सही बात कहें तो जरूर जनसंघ वालों को कड़वी लगती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका ईमान बिक गया। आप×××बोलने से पहले अच्छा होगा, मुंह छिपा कर बैठते।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं तो पहले भी कांग्रेस का सदस्य था और आज भी हूं। कांग्रेसमैन हूं। मैं आप जैसे लोगों में से नहीं हूं। आपने आपस में खुद खींचातानी की है। गरीबों का विश्वास खो कर विरोध में बैठे हैं

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : हम×××नहीं है।×××हैं? आप×××हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, अभी एक सदस्य के लिये कहा गया ×××ऐसे शब्दों का प्रयोग....

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप लोगों में दम नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कांग्रेस की गौरी पूनिया को हरा कर आये हैं। थोड़ासा तो विचार किया होता। गौरी पूनिया जैसे व्यक्ति के खिलाफ मतदान में आपको मत मिले हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। देखिये, इस सदन में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो कि असंसदीय हों, जिससे कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप लोग जो भी भाषण दें, पार्लियामेंट्री वे में जैसा देना चाहें दें। यह भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने भाषण की सीमा को एक दूसरे की चुटकियों में न बदलें। जो सबजेक्ट आपके भाषण का है उसी पर मेहरबानी करके बोलें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय,××शब्द को एक्सपंज करावें, माननीय सभापति महोदय

श्री सभापति : यह जो×××शब्द हैं इनको मैं एक्सपंज करता हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सभापति महोदय, अगर जनता पार्टी वालों को संक्रामक रोग से ईर्ष्या होती हो तो मैं यह

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

कह देता हूं इन्होंने जो तीन साल तक मैल छोड़ दिया था उसको साफ करने में पहले सात महीने लगे। आठ महीनों के दौरान हमने जो उपलब्धि प्राप्त की है वह महामहिम राज्यपाल महोदय ने आपके समक्ष रखी है उसी के सन्दर्भ में मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जनता पार्टी वाले किसानों के बहुत बड़े हामी हैं और जगह जगह चिल्ला कर कहते हैं कि किसान हमारे हैं। मैं इस बात को मानता हूं थोड़ी बहुत, जब 1977 में रद्दो बदल हुई थी तो किसानों ने महसूस किया था कि शायद ये लोग ज्यादा अच्छे हों, जो कहते हैं वही करते हों, और ज्यादा सच्चे हों इसलिये अनजाने में भटक कर साथ इनका दे दिया। भटक करके मैं इस लिये कह रहा हूं कि जब 6-3-78 को किसानों की रैली आई कहने को तो उस वक्त भी भू. पू. मुख्य मंत्री शेखावत जी ने कहा था कि आज कांग्रेस वालों को जलन क्यों हो रही है यह तो हमारे ही किसानों की रैली है हम उनसे निपट लेंगे। लेकिन, सभापति महोदय, उनसे निपटा कैसे लाठियों से पत्थरों से और अश्रु गैस से। जितने किसान यहां आये थे उनको खदेड़ा गया, पीटा गया। इस बात पर सदन में स्थगन प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस वालों ने चर्चा उठाई थी। उस वक्त गोलियां भी चली थीं। तो वह किसान जो भूले भटके इनके साथ आ गये उनका सहारा लेकर ये कायम रह सकते थे लेकिन ये अपने घमण्ड में चूर हो गये। इन्होंने तीन साल तक क्या किया सिवाय कांग्रेस को गाली निकालने के। हम लोगों को झूठी सच्ची कहने के, किसानों को दबोचने के, किसानों को धक्के देने और ठुकराने के सिवाय कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, समय किसी के साथ नहीं चलता। इन्सान उसका परिणाम भुगतता है। 7-8 महीने पूर्व चुनाव हुए, किसानों ने बदला लिया और जिन लोगों के साथ विकास की योजनाएं बनाई थीं उन लोगों को ठुकरा दिया और किसानों ने कांग्रेस के साथ रह कर कांग्रेस को विजयी बनाया। उसी का परिणाम है कि आज ये उधर बैठे हैं और मुंह लटकाये हुए चिल्ला रहे हैं। तो आज इनकी जो वेदना है यह तो भुगतनी पड़ेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं जब किसान आये थे उस समय मुख्य मंत्री सदन के दो नुमाइन्दों को, मंत्रियों को भेज कर उन्हें आश्वासन नहीं दिला सके। जब कि 15 दिसम्बर को किसान आये, जयपुर के किसान दुखी थे। किसान अपनी विशेष आवश्यकता की चीजों को लेकर हावी हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि किसान आज प्रसन्न है। उसको आज भी तकलीफ हो सकती है लेकिन चार पांच हजार की तादाद में किसान पहाड़ियाजी के पास आये थे, उस समय जनता पार्टी की तरफ से श्री नाथूसिंह, सुश्री पुष्पा जैन और डा. हरिसिंह उनके साथ थे। वे किसी राजनैतिक दल के साथ आये हों, ऐसी बात नहीं थी। उस समय मैं मौजूद था मैंने देखा। जब मुख्य मंत्री जी को पता लगा कि किसानों का समूह, जिसकी 4–5 हजार की संख्या होगी, उनके मकान पर आया है तो मकान से उठकर दरवाजे से बाहर आये और इतने समूह में बीच में खड़े रह कर बिना किसी सिक्योरिटी के उनको सुना और किसानों को खुली जबान से उन्होंने प्रसन्न कर दिया। उन्होंने जय जय कार के नारे लगाये, पहाड़िया जी जिन्दाबाद। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं आप 16 दिसम्बर के

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

अखबार पढ़ लीजिये, सारे अखबारों में यह बात लिखी हुई है। जनता पार्टी की ओर से डा. हरिसिंह, नाथूसिंह और पुष्पा जैन साथ थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आज तक के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में कोई भी मुख्य मंत्री बाहर आकर इस तरह से किसानों से नहीं मिला, किसी ने हिम्मत नहीं की सिवाय पहाड़िया जी के। तो इस बात के लिये हमें गर्व है कि हम किसान के साथ हैं किसान हमारे साथ हैं और हमारे मुख्य मंत्री को गर्व था, पार्टी को गर्व था इसलिये किसानों से मिले। अगर आपके मुख्य मंत्री होते जिन्होंने यहां लाठी भाटे चलाएं, गोली चलाई, तो मेरे ख्याल से किसानों पर से घोड़े निकाल दिये होते। यह दुर्भाग्य है हमारे किसानों का कि आप इनको भोली और मीठी बातों से बहका लेते हो वरना अगर किसान समझ जाय तो आज तो क्या आने वाले सौ साल तक किसान आपके साथ नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जब मुख्य मंत्री ने महसूस किया कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, 15 दिसम्बर को घोषणा की थी कि किसानों की बिजली की विकट समस्या है और बिजली पानी पर निर्भर करती है। यह कुदरत की बात है इस वर्ष वर्षा नहीं होने से बांध नहीं भरे जिसके कारण हम बिजली पैदा नहीं कर सकते फिर भी उन्होंने कहा, चाहे कटौती करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन 5 घंटे बिजली निरंतर दी जायेगी और उस दिन से 5 घंटे बिजली निरंतर देनी शुरू कर दी गई। वहां किसानों ने कहा था कि हमारे यहां बिजली नहीं और शहरों में 24 घंटे बिजली मिले, शहर में रहने वाले पंखे, हीटर जलावें उनको बिजली उपलब्ध है तो उसी दिन से, सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि बिजली शहरों में काट दी गई। सवेरे आठ बजे, नौ बजे के बाद से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक शहरों में बिजली काट दी गई। यह कोई जयपुर शहर के लिए ही नहीं है। यह राजस्थान के सभी शहरों के लिये समान रूप से कर दिया गया। वह बिजली डाइवर्ट की गई है किसानों के लिए जिनके लिए हमारे दिल में प्रेम है, स्नेह है और जगह है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, अगर संभव होता तो इस बिजली को भी हम गेहूं की तरह अवाप्त कर स्टोर कर लेते तो स्टोर की गई बिजली हमारी विपदा के समय काम आती। लेकिन फिर भी शायद काम तो नहीं आती क्योंकि हमने गेहूं का स्टाक किया था 1975–76 में वह गेहूं इनके पल्ले पड़ गया और अनाज की योजना चला कर लोगों को बांट दिया। जिस देहात में, जिस गांव में भ्रष्टाचार का नाम लोग नहीं जानते थे, वहां पर पंच, सरपंच को भ्रष्ट बना दिया। सारा अनाज किसानों ने बड़ी मुश्किल से पैदा किया था, संकट के लिए इकट्ठा किया था वह बिना किसी मतलब के इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बिजली को भी इकट्ठा किया होता तो यह हाथ तो नहीं लगने देते। लेकिन सौभाग्य है कि बिजली को इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। बिजली को पैदा करते हैं और वह तुरन्त मिल जाती है, काम में आ जाती है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां पर बिजली की समस्या है। बिजली की इन्स्टाल्ड केपेसिटी 1233 मेगावाट है और हमारी आवश्यकता

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

180 लाख यूनिट रोज की है। पानी की कमी होने से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं मिल पा रही है। एटामिक पावर स्टेशन खराब हो गया इस कारण हमको 60 से 70 लाख यूनिट बिजली रोजाना मिली। अब स्थिति कुछ सुधरी और यह 80 लाख यूनिट तक मिली और आज हमको 92 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मिल रही है, यह प्रयास किसका है? सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली बार जब अकाल पड़ा था, उस समय हमारे यहां पर बिजली की कमी थी। फिर भी हमारे बांधों में पानी था। भाखरा जैसे बांध भरे हुए थे। बिजली पैदा हो रही थी परन्तु इतनी अव्यवस्था थी कि देहात के किसानों को पूरी बिजली नहीं मिल रही थी। किसान चिल्ला रहा था, जनता पार्टी की आंख मुंद चुकी है। आज सरकार और पार्टी इस ओर सजग है, उसका पूरा पूरा ध्यान है कि जितनी बिजली उपलब्ध हो रही है उसका एक यूनिट भी बेकार न जावे और वह बिजली किसान को मिले। आपने यह देखा होगा कि इस पार्टी ने, मुख्य मंत्री ने पहली बार यह घोषणा की है कि किसानों को बिजली दिन में मिलेगी। आप यहां के पूरे इतिहास को उठा कर देख लें यहां पर किसान को बिजली कभी भी दिन में नहीं मिली। किसान को हमेशा ही रात को बिजली मिली और उस वक्त मिली जब साधारण आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है, इतनी सर्दी होती है, कि ठिठुर जाए, पानी में खड़ा नहीं हो सकता। यह शायद यह कहना चाहते हैं कि अभी कौनसी किसान को रात को नहीं मिलती है। फिर भी चूंकि बिजली सीमित है, निरन्तर 92 लाख यूनिट रोज की आती है तो वह देर तक चलती है उसका डिविजन चार हिस्सों में कर दिया गया है। जिस किसान को बिजली दिन में मिलती है उसको दस दिन बाद रात में बिजली मिलती है और जिस किसान को रात में बिजली मिलती है उसको दस दिन बाद दिन में बिजली मिलेगी। इस रोटेशन से किसानों को बिजली दी जा रही है। लेकिन आज यह नहीं कहा जा सकता कि किसानों को बिजली दिन में नहीं मिल रही है। इन्डस्ट्रीज की बिजली काटी गई है। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज की बिजली काटने का यह मतलब नहीं हुआ कि सारे उद्योग बन्द हो जाएं। जो उद्योग एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं, जिन उद्योगों में असेन्शियल आर्टिकल्स बनते हैं, जिनमें आवश्यकता का सामान बनता है उनको बिजली दी जा रही है, परन्तु जिन उद्योगों से जनता पर, किसानों पर कोई असर नहीं पड़ता हो उनकी बिजली काट दी गई है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम को बी.एम.बी. से 39 से 41 लाख यूनिट रोजाना मिलती है। आर.ए.पी.पी. वन से 124 लाख यूनिट और आर.ए.पी.पी. दो से 215 लाख यूनिट, सतपुड़ा से 6–7 लाख यूनिट, भाखरा से 6–7 लाख यूनिट-यह डिमाण्ड पर मिलती है। जितना हमारा शेयर है वह बी.एम.बी. की मार्फत मिल रहा है लेकिन क्योंकि हमारे यहां बिजली की कमी है हमारे मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली जाकर, पंजाब के मुख्य मंत्री जी से और सैन्ट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया था और उन्हें यहां के हालात से अवगत कराया अत: उन्होंने हमको कहा, जब भी बिजली की आवश्यकता होगी, बिजली फ्लक्च्यूएट होगी हम को 6–7 लाख यूनिट एडजस्ट करके देंगे

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
ग्रौर हमको वहां से मिल रही है। सतपुड़ा का इन्स्टालेशन हो गया है ग्रौर सतपुड़ा से पिछले तीन साल से बिजली मिलनी चाहिये थी। बिजली में सतपुड़ा में हमारा शेयर 40 पर्सेन्ट है यानी 150 मेगावाट हमारा हिस्सा है परन्तु यह कहते हुए मुझे खेद है कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जनता पार्टी के श्री भैरोंसिंह शेखावत ने यह कतई प्रयत्न नहीं किया कि सतपुड़ा से ड्यू शेयर हमको मिले। नतीजा यह निकला कि हमें सतपुड़ा से कोई बिजली नहीं मिली। यह प्रथम बार है राजस्थान को 6-7 लाख बिजली सतपुडा से रोज मिल रही है। यह हमारा अचीवमेन्ट है। हमारा पैसा लगने के बाद हमारा शेयर होने के बाद भी जनता गवर्नमेंट ने वहां से बिजली प्राप्त नहीं की ग्रौर हम किसी तरह से कोशिश करके बिजली प्राप्त कर रहे हैं।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हम बिजली के लिए प्रयत्नशील हैं। मैंने बिजली के ग्रधिकारियों से बातचीत ग्रपने लेवल पर की है। मुझे बताया कि प्रयत्न किया जा रहा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रब फसलें ठीक टाइम पर ग्रा गई हैं। किसानों को बिजली की ग्रधिक ग्रावश्यकता है इसलिए बिजली की ग्रौर कहीं कटौती करनी पड़े तो वह की जाए ताकि जो ग्रच्छी फसल है ग्रौर ग्राई हुई फसल है उसको नुकसान न हो। ग्रतः किसानों को जो कुछ भी बिजली मुहैया की जाए, वह 8-10 घंटे, या 12 घंटे कर दी जाय, एक महीने के लिये कर दी जाय क्योंकि किसानों को एक महीने के बाद बिजली की ग्रावश्यकता नहीं रहेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियां भी हैं। इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो समस्याग्रस्त गांव हैं वहां पर तुरन्त प्राथमिकता से बिजली देने जा रहे हैं। जो इन्जीनियर ग्रापके वहां पर बैठे हैं, वे वहां पर एल फार्म देने में, उसको देने, लेने में, प्रायोरिटी फिक्स करने में बहुत गड़बड़ी करते हैं। जिनको बिजली देनी है उनके प्राथमिकता के ग्राधार पर लिस्ट में नाम ग्राफिस के सामने टांग दिये जायं ताकि उनको पता रहे कि किस व्यक्ति को बिजली कब मिलने वाली है।

श्री घनश्याम तिवाडी : 11 लाख रुपये का सौदा करके टैक्सटाइल वालों को फिर से बिजली दी जा रही है वह बन्द कर दी जाय प्राथमिकता नहीं रही, यहां तो सौदेबाजी है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : ग्राप जो कह रहे हैं, ग्रापको भी मौका मिलेगा।

मैं जो कह रहा हूं वह यह कह रहा हूं कि किसान के लिये मीटिंग हुई थी ग्रौर 3-2-81 को मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि 6 घंटे बिजली दी जाएगी ग्रौर 6 घंटे बिजली देने में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। निरन्तर 6 घंटे बिजली दी जा रही है ग्रौर वोल्टेज भी बराबर है। ग्रब चूंकि इस वक्त हमें 70-75 लाख यूनिट बिजली मिल रही थी ग्रौर ग्रब कुछ यूनिट ग्रौर मिलने लगी है बिजली ग्रब इन्डस्ट्रीज को उपलब्ध कराई जा रही है। वह बिजली इन्डस्ट्रीज को उपलब्ध न करा कर किसानों को 6 घंटे दिये गये हैं उनको ग्रौर बढ़ायी जाये। मेरा ग्राशय

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
यह नहीं है कि बिजली और नहीं बढ़ाई जाय। आपका आशय क्या यह है कि 6 घंटे न मिल कर कटौती कर दी गई है। आप गलत कह रहे हैं। आप फिर भरमा रहे हैं, झुंठला रहे हैं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने एक और घोषणा की है यह घोषणा की है कि जो कोई प्राइवेट सेक्टर में जनरेटिंग सेट लगा लें उनसे चुंगी नहीं ली जाएगी और वह अपने उद्योग और अपने काम के लिये खुद बिजली जनरेट कर सकते हैं, उनको डीजल भी मुहय्या किया गया। इससे हमको, सभापति महोदय, 100 मेगावाट बिजली की मदद मिली है। 100 मेगावाट बिजली प्राइवेट सेक्टर में सरकार से स्वीकृति लेकर जेनरेट की जा रही है, बिजली पैदा हो रही है। इससे हमको सहारा मिला है। हो सकता है कि कोई इण्डस्ट्रीज इस तरह से बिजली पैदा कर रही हो—जनरेटिंग सेट लगाकर कारखाने को चला रही हो और उससे माननीय सदस्य को यह गलत फहमी हो गई हो कि यह बिजली उस उद्योग को राज्य सरकार से मिल रही है तो उसको भी दुरुस्त कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसानों की बिजली काट कर उनको दी जा रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 12 घन्टे से लेकर 18 घंटे बिजली दी जा रही है। 11 लाख रुपये में सौदा हुआ है। किसानों की बिजली काटकर टैक्सटाइल मिल वालों को 18 घंटे बिजली दी जा रही है।

श्री बाऊदयाल जोशी : रिश्वत खोर अधिकारी रिश्वत खाते हैं। 1000 से कम देने वाला नहीं लेकिन लोगों ने तो 500/500 रुपये दिये हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : इस तरह से चिल्लाकर, इस तरह से बरगलाकर यह चाहते हैं कि हम कल अखबारों में अपना बयान छपवाकर देश के किसानों को अपने पक्ष में कर लेंगे तो अब किसान इतना भोला नहीं है, वह वस्तु-स्थिति को अच्छी तरह समझता है।

सभापति महोदय, मैं डीजल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं मैंने अच्छी तरह देखा था, जनता राज में जगह जगह पर यह देखा था कि ट्रेक्टरों आदि को लाइन लगानी पड़ती थी और डीजल की कमी रहती थी। जो थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है वह भी हमने करायी है वरना तो उस समय डीजल ब्लैक में मिलता था। एक तरफ तो किसान चिल्लाते थे और दूसरी तरफ ये डीजल को ब्लैक में बिकवाते थे। उस वक्त किसान हर तरह से ज्यादा दुखी थे। आज डीजल आसानी से मिल रहा है। आप सारे आंकड़े उठाकर देख लें, डीजल की मांग हमारे यहां पर 75 हजार किलोलीटर की है और आवंटन 45 से 50-51 हजार किलो लीटर का रहा है। पर जनवरी से हमारे आने के बाद से और पहाड़िया जी के प्रयासों से 5 हजार किलो लीटर तेल ज्यादा मिल रहा है और इस पांच हजार को मिलाकर अब आवंटन 56-57 तक पहुंच गया है। यह ठीक है जितनी मांग है उससे कम अलाटमेंट होता है। 75 हजार किलो लीटर की मांग होते हुये भी किसानों को पूरा और ठीक समय पर डीजल मिल रहा है क्योंकि हमने किसानों को प्राथमिकता दी है और ऊपर से ताकीद कर

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

दी गई है कि उनको पूरा डीजल दिया जाय।

पुनः आप से कहना चाहूंगा कि जब अकाल के बाद अकाल पड़ता है तो निश्चय तौर पर बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। पिछले साल अकाल था उस समय जनता राज में अकाल के समय व्यवस्था नहीं होने से लोग अपने घर बार छोड़कर चले गये थे। इस साल इस आशा से वापस लौटे थे कि शायद यह वर्ष ठीक हो और अकाल नहीं पड़े पर इस वर्ष फिर निरन्तर अकाल पड़ गया जिससे हालत और खराब हो गयी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने अकाल की कठिनाइयों को महसूस किया। पिछले साल 2 फरवरी से टेस्ट वर्क शुरू हुये थे लेकिन इस सरकार ने महसूस किया कि टैस्ट वर्क लेट खुलेंगे तो जिनको मजदूरी नहीं मिल रही है उनको भोजन कैसे मिलेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा। इसलिये इस साल 15 नवम्बर को टैस्ट वर्क शुरू कर दिये गये और 4 करोड़ रुपया कलेक्टर्स को दे दिया गया कि टैस्ट वर्क शुरू कर दिये जायें और रुपयों की जरूरत पड़ेगी तो और देंगे। मैं मानता हूं कि वित्तीय दिक्कतें रही हैं, उनकी जितनी मांग है उतनी राशि उनको नहीं मिली लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मजदूरों को मजदूरी मिल ही नहीं रही है और दूर दराज के रहने वाले लोग भूखों मर रहे हैं, यह बात सही नहीं है। आप चिल्लाकर बात कहते हैं तो यह ठीक नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि मजदूरी मिल रही है। यह सही है कि उनकी आवश्यकता है वह नहीं मिल रही है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार गांवों में वापस देखें और आवश्यकतानुसार काम दिलाया जाये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार 50 से 80% तक के करीब खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है लेकिन नष्ट हो जाने के बाद भी हमारा उत्पादन नहीं गिरा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अकाल मिट गया है, पर यह है कि कुछ इलाकों में वर्षा अच्छी हुई जिससे हमने मेहनत करके जो सिंचाई के साधन थे उनका उपयोग करके उत्पादन को गिरने नहीं दिया है। इसमें सरकार ने डीजल और इसके अलावा और जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते थे वह उपलब्ध किये हैं जिससे उत्पादन गिरा नहीं है। उत्पादन के जो आंकड़े हैं, 1979-80 में 12.31 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न हुआ था और 1980-81 में 19.90 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। तिलहनों में तो 100% की वृद्धि हुई है। गन्ने का तो आपको सभापति महोदय, मालूम ही है कि किसानों ने अपने गन्ने को जलाया था क्योंकि उनके गन्ने का भाव 5-6 रुपया क्विंटल था, आज ये किसानों के हमदर्द हो रहे हैं। किसानों के असली हमदर्द हम हैं। आज गन्ना 23 रुपये क्विंटल मिल रहा है। इसलिये आने वाले समय में शक्कर भी सस्ती मिलेगी, किसानों को भी पैसा उचित मिल रहा है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

इसके साथ ही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि 12 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत काम किये जा रहे हैं इसके अन्तर्गत 40 हजार क्विन्टल घास को अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत संचित करके एक घास बैंक खोला है और इसलिये खोला है कि जिस किसी भी कलेक्टर को आवश्यकता होगी वह डिमान्ड करेगा, वह घास वहां से मंगा सकेगा

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

इसके साथ ही जो जगह जगह चारा डिपो खोले गये हैं वहां से घास उपलब्ध होगी उन चरवाहों को जो अपने मवेशी राज्य से बाहर ले जा रहे हैं उनको प्रति मवेशी 6 किलो घास मुफ्त दिया जायेगा ताकि जो व्यक्ति मवेशी लेकर बाहर जा रहा है वह अपने गन्तव्य स्थान तक अपने पशुओं को सही सलामत लेकर पहुंच सके और उसका मवेशी रास्ते में कमजोर न हो, बीमार न हो मर न जाये। तो उसके लिये यह व्यवस्था की है जब कि पूर्व में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहो थी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मरु विकास कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है। जो अकाल पीड़ित इलाके हैं उनके लिये यह सोचा गया कि ऐसी योजना सोची जाये जिससे कि यह अकाल बार बार न पड़े। इसलिये वर्ष 1980 के अन्दर इसके ऊपर 1.731 लाख रुपये खर्च किये गये। वन विकास, भू-जल विकास, डेयरी विकास आदि इसी तरह की योजनाएं चालू की गयी हैं ताकि जो अकाल हर साल आता है उसका स्थायी हल किया जा सके। इसके साथ ही जैसलमेर–बाड़मेर के इलाके में 3,000 वर्ग मील में एक मरु उद्यान लगाने का निश्चय किया गया है। इसमें राष्ट्रीय सहायता मिलेगी। जब वह क्षेत्र हरा-भरा होगा तो उसका कुछ प्रभाव वहां की जलवायु पर भी पड़ेगा जिससे कि वहां वर्षा में बढ़ोत्तरी होगी।

इसके साथ ही एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो कार्य अकाल में शुरू किये जा रहे हैं हमेशा से उसमें लेबर कम्पोनेंट और मैटीरियल कम्पोनेंट होता है लेकिन इस बार सरकार ने निर्णय किया कि जो सिचाई के छोटे छोटे काम हैं एनीकट्स हैं जो कि लेबर कम्पोनेंट से ही पूरे नहीं होते हैं ऐसे सिंचाई के जो परमानेंट काम हैं अगर ये पूरे हो जायेंगे तो यह एक परमानेन्ट जोब हो जायगा और आस पास के 64 कुए हैं उनका जल स्तर बढ़ेगा और उससे अकाल की भयंकरता पर भी असर पड़ेगा। राज्य सरकार ने इसीलिये यह निर्णय किया है कि इस बार कोई भी कम्पोनेंट नहीं रखा जायेगा और सरकार सिचाई के कामों में 100% दोनों में से कुछ भी खर्च किया जा सकता है।

पानी की समस्या जहां जहां अकाल पड़ता है वहां वह इसके साथ ही बढ़ती जाती है। पानी की समस्या के समाधान के लिए जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया है मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर दूरी तक पानी ट्रकों और ट्रेक्टरों से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। जैसे जैसे पानी की जरूरत बढ़ती जायेगी और अधिक ट्रक और ट्रेक्टर बढ़ाकर पानी पहुंचाया जायेगा। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों को पानी पहुंचाया जा रहा है और किसी को पानी से वंचित नहीं रखा जायेगा यह राज्य सरकार का निश्चय है।

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुएं हैं उनसे पिवाई के लिए सहायता दी जायेगी चाहे ऊंटों से करें या किसी और से। लेकिन कुछ गांव वालों को मिलकर अपनी तरफ से करना होगा बाकी राज्य सरकार देगी जिससे कि वहां पानी की किल्लत न रहे।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

इसके साथ ही यह भी निवेदन करूं कि जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इशारा किया है 4 हजार हैण्ड पम्प भी गांवों में लगाये जा रहे हैं। इसमें से ढाई तीन हजार तक तो लग चुके हैं बाकी मार्च के अन्त तक लग जायेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि पेय जल के सम्बन्ध में हमने बहुत अचीवमेंट्स किये हैं। वर्तमान सरकार ने घोषणा की थी कि अगले पांच वर्षों में राजस्थान के प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध करा देगी। उसके अनुसार अब तक 1816 गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। आशा है मार्च तक 2500 गांवों में यह सुविधा उपलब्ध हो जायगी क्योंकि इस सम्बन्ध में कार्य चल रहे हैं और आशा है मार्च तक समाप्त हो जायेंगे। श्रीमन, पूर्व में 5222 गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध थी और पिछली जनता सरकार रोज चिल्ला-चिल्ला कर कहती थी कि पानी की कमी नहीं रहने देंगे, हर गांव में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, मैं आपको आंकड़े देकर बताऊं तीन साल के अर्से में उन्होंने केवल 51 ट्यूब वैल बनवाये, उनके पास न तो रिग्स थी और न सामान था। उन्होंने सिर्फ असेम्बली में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : तीन साल से तीस साल की तुलना करते हो।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं एक ही साल की बात बता रहा हूं। इसी साल 2025 कुओं का बोरिंग कर दिया गया। इसके लिये जितनी भी रिग्स की आवश्यकता थी, वह उपलब्ध करा दी गई हैं। राजस्थान में आज 40 रिग्स मौजूद हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता था, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने कहा था कि हम आने वाले समय में हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवा देंगे, उसके अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं और एक वर्ष पूरा होने तक 4 हजार गांवों में यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी, ऐसी हमारी योजना है और यह हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं यह अपनी जानकारी से निवेदन करना चाहता हूं-

(व्यवधान)

कि पूर्व में जो बजट सैशन था, कांग्रेस का, उसमें श्री भैरोंसिंहजी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी कितना पैसा पी.एच.ई.डी. पर खर्च कर रहे हैं हमने तीन साल में 60 करोड़ का खर्चा पेयजल पर किया था। यह चैलेंज था मुख्य मंत्री श्री पहाड़िया जी को। मुझे खेद है इतने बड़े महारथी राजनीतिज्ञ भूतपूर्व मुख्य मंत्री झूठ भी बोल सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विश्वासघात नहीं कर सकते

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घनश्यामजी, तर्क संगत बात करिये। सुनिये शांति से।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं उस समय भी कट्टर कांग्रेसी था और आज भी हूं।

(व्यवधान)

मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि हमने पेय जल पर 60 करोड़ रुपया खर्च किया है जब कि उन्होंने 40 करोड़ ही लगाया। मैं आपको आंकड़े देकर निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, 1977-78 में 10.5 करोड़, 1978-79 में 13.5 करोड़, 1979-80 में 16.5 करोड़ इस प्रकार से कुल मिलाकर 40.5 करोड़ रुपया जल प्रदाय योजनाओं पर खर्च किया और 20 करोड़ झूठे जोड़कर 60 करोड़ बताया। सिर्फ 6 महीने में इस सरकार ने 26 करोड़ खर्च किया है और बाकी की योजनाओं से आने वाले एक वर्ष में 4 हजार गांवों को जोड़ दिया जायगा। उसके लिए अलग से पैसा लगाया जायेगा।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं 1977-78 में 450 गांवों को पानी से जोड़ा गया। 1978-79 में 456, 1979-80 में 1072 जबकि इस वर्ष 2500 गांवों को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देहातों के साथ ही नगरों को छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं है। पिछले तीन वर्षों में औसतन 6 करोड़ पहले खर्च किया गया था जबकि चालू वर्ष में 9 करोड़ की योजना है जिसमें से अधिकांश पैसा खर्च हो चुका है।

ढंढोनी योजना के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि राजस्थान में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, कई गांवों में पानी जहरीला है और पीया नहीं जा सकता, इसलिए जो भी योजना बनाई जाय उन गांवों की प्राथमिकता के आधार पर बनायी जाय क्योंकि उनका अधिकार भी है और उनको प्राथमिकता के आधार पर पानी मिलना भी चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा श्वेत क्रांति के सम्बन्ध में, कांग्रेस सरकार ने यह शुरू की; जनता सरकार ने इसमें ढील छोड़ दी। अब जो इससे विकास हुआ है इस सम्बन्ध में एक दो लाइनें मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। 1979-80 में एक लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं और अब सवा लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 1981-82 तक यह संख्या डेढ़ लाख हो जायेगी। 1979-80 में हमको दो लाख लीटर दूध प्राप्त हो रहा था, इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। यह एक प्रकार से कैश क्रोप है। श्वेत क्रांति से जो किसान खेती करने में मुश्किल अनुभव करते हैं उनकी आर्थिक दशा मवेशियों से सुदृढ़ होती जा रही है और उनको लाभ मिल रहा है। आज तीन लाख लीटर दूध उपलब्ध हो रहा है और उसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि डेयरी के सम्बन्ध में महामहिम ने जो जानकारी दी है कि अलवर में एक डेयरी बन रही है एक लाख लीटर की, जयपुर में डेढ़ लाख, इसी

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

तरह से कोटा और उदयपुर में 50 हजार लीटर की डेयरियां बन रही है और उनका कार्य प्रगति पर है। इसी तरह गंगानगर में भी एक लाख लीटर की डेयरी का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही भरतपुर और अजमेर में पशुओं के सन्तुलित आहार की एक एक फैक्ट्री लगाई जा रही है। पशुधन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सवा चार करोड़ पशु धन बताया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई महंगाई में आज छोटे किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। उनको निश्चित तौर पर बैलों और ऊंटों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऊंट को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यह सवारी के लिए काम में भी आता है, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है गांवों में गहरे कुओं से पानी खींचने में भी ऊंट का प्रयोग किया जाता है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ऊंट की ओर इशारा नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बैलों की तरह ऊंटों पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे काश्तकार, जिनके पास साधन नहीं हैं, को ऊंट और बैलों से ही काम चलाना पड़ेगा इसलिए इनकी नस्लों को सुधारने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिये ताकि इनका सुधार हो सके और इनकी संख्या बढ़ाई जा सके।

पशुधन की चिकित्सा के सम्बन्ध में हर माननीय सदस्य को जानकारी है. मैं तो सिर्फ भेड़ों के निष्क्रमण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार गुजरात में किसानों की भेड़ें जहां भी गई, या तो भेड़ वालों को पीटा या भेड़ों को पीटा गया। इस सम्बन्ध में एक दो बार बैठक बुलाई मगर उसका कुछ नहीं हुआ इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए सुव्यवस्थित ढंग से प्रयत्न किया जाना चाहिये और आवश्यक निर्णय किया जाना चाहिये। मुझे खुशी है कि भेड़ों के निष्क्रमण के लिए रास्ता बना दिया है, इसके लिए 43 चौकियां बनाई गई हैं और भेड़ पालकों को सुविधायें प्रदान की गई हैं। नियमित ध्यान रखकर उनको भेजा गया तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि झगड़े नहीं होंगे और भेड़ पालक भी आराम से रहेंगे।

इसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा था कि गोबर गैस प्लांट के लिए बहुत सुना। 1954-55 में जब पंचायत समितियां शुरू हुई थीं तब भी गोबर गैस प्लांट पर काफी जोर था। बीच में इसके बारे में सब भूल गए, लेकिन आज की आवश्यकता है। गोबर गैस प्लांट से गांव में, देहात मे बिजली पैदा की जा सकती है और किसान अपने लिए गैस पैदा करके लकड़ी की जगह चूल्हे का उपयोग कर सकता है। इसके लिये राज्य सरकार ने बहुत प्रयत्न किया और लोगों में उत्साह पैदा किया। इसका परिणाम है कि करीब ढाई हजार गोबर गैस प्लांट लग चुके हैं जबकि गत वर्ष जनता पार्टी के रिजीम में सिर्फ 400 गैस प्लांट लगाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि आवंटन में भी किसी तरह कोई कमी नहीं रखी है जिसके बारे में राज्यपाल महोदय

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

ने बजट में इशारा किया है, पटवार और गिरदावर के हल्कों का पुनर्गठन होगा और तहसीलें व उप-तहसीलें नई खोली जा रही हैं जैसा सातवें वित्त आयोग का प्रस्ताव है। पूर्व में जनता पार्टी ने, मैं आपको एक इशारा करना चाहता हूं कि उप तहसीलें खोलीं, एक उप तहसील मेरे यहां खोली। डेगाना एक ऐसी कान्स्टीट्यूएन्सी है जो बहुत लंबे लोरे की तरह है। उन्होंने एक कोने में जाकर जहां सांजू गांव आता है वहां तहसील खोली। उस गांव के इर्द गिर्द जितने गांव हैं डेगाना के नजदीक हैं, सांजू के नजदीक नहीं हैं। आज स्थिति यह है कि वहां पर उन्होंने सैंक्शन दे दी, मकान बना दिए, लाखों रुपए खर्च हो गए और अब यह सोचना पड़ रहा है कि यह जो उप-तहसील होगी इसमें कौन से गांव होंगे क्योंकि वे गांव वास्तव में डेगाना के नजदीक पड़ते हैं, सांजू के नहीं। तो मैं इतना ही इशारा करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से मुझे आशा है कि इस तरह की भूल नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की भूलें जो इन्होंने कर दी, जो वित्त का, जो धन का दुरुपयोग किया उसको सोच कर विचार करें कि वे बिल्डिंग्स क्या काम आ सकती हैं। भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए सतर्क रहें।

मैं शिक्षा के बारे में बहुत थोड़े में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, क्योंकि पिछली बार जनता पार्टी वाले बहुत झल्लाये थे, बहुत चिल्लाये थे इनको इतनी वेदना और दुःख हो रहा था कि ये ट्रांसफर्स क्यों हुए...

(4.23 म. प.)

(श्री लक्ष्मी कुमारी चूंडावत सभापति, पीठासीन)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य बदलता है तो कुछ आवश्यक रद्दोबदल निश्चय तौर पर होते हैं और करने पड़ते हैं। इतना होने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने 10 पर्सेन्ट ट्रांसफर्स किए जब कि जनता सरकार ने 12 प्रतिशत ट्रांसफर्स किए। आप इससे अन्दाजा लगायें कि ये जो लोग चिल्लाते थे उन्होंने चुपके चुपके कैंची छुरी चलाई। 12 प्रतिशत ट्रान्सफर्स कर दिये। ये तो आंकड़े हैं। मेरे आंकड़े नहीं ये सरकार के आंकड़े हैं। आप भी प्राप्त कर लीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बता दो।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : बता रहा हूं। 10 और 12 प्रतिशत का अन्तर भी नहीं समझते तो मुझे खेद है इसके लिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : झूठ बोलते हो। बताओ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : खुद माननीय मंत्री बता रहे हैं। 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का कह रहा हूं जिसका अन्तर तो समझ में आता होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाकी जानकारी तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्राप्त हो गई होगी, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने किसानों के साथ क्या न्याय किया। कहीं आपने एग्रीकल्चर विषय खोला? कहीं आपने दो चार कालेज खोले। इस सरकार ने किसानों के बच्चों के

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

लिए और किसानों के लिए 26 कालेजों में एग्रीकल्चर का विषय खोला है। यह बहुत ही अभूतपूर्व बात है जो आप कभी भी नहीं कर सके थे। आपने तो सिर्फ 4 जगह खोले।

पुलिस के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित् तौर से कानून और व्यवस्था बहुत सुधरी है। पिछली बार जब सत्र शुरू हुआ था तो माननीय सदस्य कानून व व्यवस्था के बारे में चिंतित थे, चिल्ला रहे थे, कितना सच्च था, कितना झूंठ था, वह अलग बात है लेकिन निश्चित तौर पर कानून व व्यवस्था में सुधार हुआ है। मैं इस बारे में दो तीन निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि कई बार सुना है हाईवेज पर डकैतियां होती हैं। जितने भी आपके हाई-वेज हैं उन पर चौकियां या पुलिस स्टेशन्स या बड़े बड़े कस्बे हैं, वहां वायरलेस सैट्स होने चाहिए ताकि तुरन्त सूचना भेजी जा सके, चूंकि जो हाईवेज पर डकैतियां होती हैं वे हाईवेज के ऊपर चलते हैं कोई देहातों में कच्चे रास्ते से होकर नहीं जाते हैं इसलिए वहां पर वायरलेस सैट्स होने चाहिए। विशेषकर जैसे शाहजहांपुर चौकी, वह बहुत महत्वपूर्ण चौकी है, वहां से हरियाणा शुरू हो जाता है लेकिन वहां भी वायरलेस सैट नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानून व व्यवस्था को और सुदृढ़ व मजबूत बनाने के लिए हाईवेज पर और बड़े बड़े कस्बों में वायरलेस सैट्स लगायें।

पुलिस का आदमी हर वक्त ड्यूटी पर होता है। अगर वह किसी डाक के पीछे जाता है और मारा जाता है तो उसकी पेन्शन ज्यादा होती है लेकिन अगर वह किसी गुंडे को पकड़ रहा है और उसको छुरा मार दिया जैसे उदयपुर में पिछली बार हुआ था या किसी से मुठभेड़ हो गई और आन ड्यूटी मारा जाता है तो उसको साधारण पेन्शन न होकर जिस तरह से डकैतों के मुकाबले में मारा गया हो, उसी तरह से उसकी पेन्शन होनी चाहिए।

इसके साथ में मैं ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता था। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि करीब 3 वाहन प्रति माह रजिस्टर होते हैं। यह सही बात है लेकिन जिस पद्धति से रजिस्टर किए जा रहे हैं उससे यह पता लगाना मुश्किल है कि छोटे वाहन कितने हैं, बसेज कितनी हैं या ट्रक्स कितने हैं। इसलिए इनका नंबरिंग स्टेट के अनुसार होना चाहिए। एक स्टडी टीम होनी चाहिए जो स्टडी करे। वह यह देखे और राज्यों में जो भारी वाहन हैं जो यात्री वाहन हैं उनके अलग नम्बर्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह जो व्यापार में काम आते हैं उनके नंबर अलग होते हैं, छोटे वाहन स्कूटर वगैरह के अलग नम्बर होते हैं ताकि नम्बर से पता लग जाए कि वाहन किस श्रेणी का है। उससे टैक्स लेने में सुविधा होती है, चैकिंग में सुविधा होती है और जो लोग वाहन रखते हैं उनको भी सुविधा होती है। इसलिए सोच विचार कर इसको इन्ट्रोड्यूस किया जाए।

इसमें लिखा है कि अनुज्ञा-पत्र जितने मांगे गए सब को दिए गए, यह अच्छी बात है। अगर किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को बस ले जानी है, वह तुरन्त अनुज्ञा-पत्र मांगता है और उसका अनुज्ञा-पत्र मिल जाता है तो

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

उसकी बहुत सी परेशानी मिट जाती है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन एक कठिनाई आ गई। वह यह कि एक रूट पर 5-6 बसें चल रही हैं और आपको जानकारी नहीं है नंबर के हिसाब से। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लोभ है कि मैं वहीं प्राइवेट ले जाऊंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो 6 बसों का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लेता है तो दो तीन दिन रूट पर कोई बस नहीं होती है उससे वहां के यात्रियों को तकलीफ होती है। इसलिए हमेशा देखा जाना चाहिए कि उस रूट पर जितनी बसें चल रही हैं, उनमें से कितनी का अनुज्ञा-पत्र मांगा है और कितनी का मिलना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सड़कों के सम्बन्ध में राज्यपाल के अभिभाषण में सारी बातें आ गई हैं। उन्होंने बताया है कि 795 किलोमीटर सड़क बनेगी। अगले वर्ष का आंकड़ा है कि 830 किलोमीटर नई सड़कें बनायेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि न्यूनतम कार्यक्रम में आने वाले 4-5 हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से गांव हैं जिनकी राजस्व सीमा तो अलग है लेकिन वे गांव एक ही जगह बसे हैं यानी इतना भी नहीं कहा जा सकता कि कौनसे गांव की सीमा कहां है। कोई रास्ता बीच में से है या नहीं है। अगर इस तरह के बड़े गांव, जिनकी जनसंख्या 5-6 हजार हो सकती है, की अलग-अलग जनसंख्या 3 हजार होती है तो उनकी संख्या 3 हजार न मान कर वास्तविक उनकी स्थिति देखकर, उनकी जनसंख्या को देखकर यह पुनः देखा जाए कि ऐसे गांव पीछे न छूट जाय जिनकी जनसंख्या 6 हजार से ऊपर है, राजस्व सीमा अलग होने से सेंसस रिपोर्ट से यह पता नहीं लगता कि ये अलग-अलग गांव हैं या एक है। इसलिए उन गांवों को भी सड़क से न वंचित किया जाए।

कच्ची बस्तियों व आवासीय योजनाओं के बारे में सरकार ने जो कदम उठाए, वह सराहनीय हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों की बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को गंदी बस्ती में रहना पड़ता है बिजली उपलब्ध नहीं है; सड़क नहीं है क्योंकि वह योजना के अनुसार नहीं बनाई जाती। इसमें राज्य सरकार की कमी रहती है। उसको पहले से ही देखना चाहिए कि किस किस शहर में कितने आवासों की आवश्यकता है ताकि कच्ची बस्ती बने ही नहीं। पहले से ही भूमि उपलब्ध की जाए और प्लाट्स काट कर जिन लोगों को आवश्यकता है, उनको एक क्राइटेरिया बनाकर भूमि उपलब्ध करा दी जाए तो कच्ची बस्तियां बनेंगी ही नहीं, लेकिन शहरों में सहकारी समितियां बनी हुई हैं। जयपुर में बहुत बनी हुई हैं हालांकि इन पर रोक लगा दी गई है फिर भी आज जमीनों का आदान प्रदान चल रहा है। वह किसी न किसी तरह लिखा पढ़ी कराकर आज भी बेच रहे हैं और आपके लिये अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा में जब अब्दुल रहमान चौधरी पधारे थे तो उन्होंने नयापुरा कान्स्टीट्यूएन्सी में नई बस्ती का निर्माण करवाया, जबरदस्ती करवाया उसका उद्घाटन किया जो गलत था।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आपको जब मौका मिले बोलने का उस वक्त आप अपनी बात कह दें।

(११०)

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

सभापति महोदया, तो मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं, मैं यह नहीं कहता कि जो सोसाइटीज हैं वह अच्छा काम नहीं कर रही हैं। लेकिन यह जिस तरीके से काम कर रही हैं वह तरीका ठीक नहीं है। यह सरकार के लिये एक अव्यवस्था पैदा कर रही हैं। वह अपना पैसा ले लेती हैं और बाकी किसी बात की कोई फिक्र नहीं करती है। सभापति महोदया, उन कॉलोनीज का न तो विकास होता है, न सड़क होती है, न कोई पानी का इन्तजाम होता है। जब यह नहीं होता, वहां पर मकान बन जाते हैं और जब मकान बन जाते हैं तो सरकार के सामने समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि बने हुए मकान तोड़े नहीं जा सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, इस तरह की जितनी सोसाइटी हैं उनको नया रूप दिया जावे। जितनी लोकेलिटीज बन रही हैं उनका विकास पहले हो, सड़कें पहले बनें, पानी पहले उपलब्ध हों इसके बाद मकान बनने चाहिये। अगर इस व्यवस्था को आप नहीं कर सकेंगे तो आने वाले सालों में इतनी बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी कि जिसको सम्भालना मुश्किल हो जायगा।

सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं आपको खनिज के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, मेड़ता में और बाड़मेर में लिग्नाइट निकला है। लिग्नाइट बीकानेर में भी है। लिग्नाइट के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि उससे बिजली के लिये थर्मल प्लान्ट लगाया जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि लिग्नाइट के द्वारा हमारे राजस्थान में थर्मल प्लान्ट लगाये जायं जिससे बिजली की कमी हमारे यहां नहीं रहे। पानी का सवाल है हम पानी के ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर सकते क्योंकि पानी का तो ऐसा है कि कभी बरसात हो या नहीं हो। वर्षा कम हो तो बिजली की कमी होगी। अब रहा सवाल एटमिक एनर्जी से बिजली मिलने का, तो उसका आपने काफी अर्से से हाल देख लिया है कि कितनी बार बिजली घर खराब हो चुकी है। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, अधिक से अधिक तेजी से यह जानकारी करें कि कहां-कहां कितना-कितना लिग्नाइट है उसके आधार पर थर्मल प्लान्ट लगाने की योजना शुरू करें।

सभापति महोदया, मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा हमारे राजस्थान में रॉक फास्फेट के भण्डार बहुतायत में हैं। यह एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारे यहां पर नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है इससे हमें बहुत भारी मात्रा में आर्थिक लाभ हो सकता है। सभापति महोदया, इस भण्डार क्षेत्र में परीक्षण सैंट दो सौ टन का लगाया है यह तो, सभापति महोदया, बहुत पहले से ही लग जाना चाहिए था। फिर भी बहुत खुशी की बात है कि आपने दो सौ टन का परीक्षण सैंट लगाया। इसको, सभापति महोदया, जनता सरकार के समय में एक्सप्लोर नहीं किया और अच्छी या बुरी क्वालिटी का जितना रॉक फास्फेट था वह सस्ते भाव में बेचा। इसका नतीजा यह निकला कि सरकार को जो नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो सकती थी वह 8 करोड़ पर आकर अटक गई। हमने इस बार प्रयास किया, यह प्रयत्न भी किया है, इसकी क्वालिटी भी बनानी शुरू की है. इस बार हमारा प्राफिट

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

आठ करोड़ से बढ़कर 11 करोड़, 10 करोड़ 60 लाख के करीब हुआ है। सभापति महोदया, हमें यह आशा है कि आने वाले वर्षों में यह संयुक्त प्रयास और बढ़ेगा। राजस्थान को इससे बहुत अधिक आर्थिक मदद मिलने वाली है क्योंकि यह नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके साथ ही, सभापति महोदया, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना जो जनता सरकार ने प्रस्तावित की और भेजी थी बना करके उस वक्त मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी ने यहां बहुत बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया था। उन्होंने यहां पर यह कहा था कि हम जो छठी पंचवर्षीय योजना बना कर भेज रहे है आज तक इतनी योजना नहीं बनी, इतना अधिक पैसा न तो किसी योजना में प्रस्तावित किया गया न पास किया गया। यह हमें बताया गया था कि योजना 1750 करोड़ की बनायी गयी है। मुझे यहां पर यह कहते हुए खुशी होती है कि वही योजना कांग्रेस सरकार ने 2 हजार 25 करोड़ की बना कर भेजी और उसकी स्वीकृति भी हमें मिल गयी है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिये हमें बड़ा गर्व है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह जी। आप कुछ कह रहे थे।

श्री यदुनाथसिंह : मेरा आज का नहीं है साहब। मेरा तो एक प्रस्ताव है...

श्री सभापति : इनका कौनसा प्रस्ताव है? क्या क्या प्रस्ताव हैं।

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदया, माननीय सदस्य राम रघुनाथ जी का परफोर्मेन्स बहुत अच्छा है फिर भी पहाड़िया जी ने मंत्रिमण्डल में नहीं लिया, इस सदन को इनके साथ सहानुभूति में प्रस्ताव रखता हूं कि इनको मुख्य मंत्री जी का रक्षा मंत्री बनाया जाय। यह सदन यह प्रस्ताव पास करे।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा तो कल का है, हुकुम 24 का दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इनका समर्थन करती हूं।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय ने सदन के सामने अपना भाषण दिया और आपने उसका समर्थन किया। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने समर्थन किया। धन्यवाद प्रस्ताव आपने रखा था। जब आप प्रस्ताव रख रही थीं तो करीब 50 प्रतिशत बातें आपने स्वयं ऐसी कही थीं जिनसे ऐसा लगता था कि पार्टी की मर्यादा के अनुसार आपको धन्यवाद प्रस्ताव रखना है लेकिन आपने खुद ने एग्री किया था कि 711 हैण्ड पम्प्स थे वह 117 रह गये। यह आपने आंक दिये थे। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य कई बार विधान सभा में बोले हैं लेकिन आज उनके बोलने में ढिलाई थी, तेजी नहीं, ओज नहीं, आखिर उनको कुछ न कुछ कष्ट अवश्य रहा

(श्री कैलाश मेघवाल)

था। मैंने उनके भाषण पहले भी पढ़े हैं, आज भी उनका भाषण लाया हूं लेकिन उन्होंने कहा कि आप उनको रेफर मत करना। मैंने उन्हें कमिटमेंट तो नहीं किया पर यहां उनको रेफर नहीं करूंगा। तो, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारे सामने है इसमें घोषणायें हुई नीति सम्बन्धी, राजस्थान के भविष्य का क्या हमारा नक्शा है। हम क्या कल्पना लेकर चलते हैं कि राजस्थान में आगे साल में हम यह करेंगे और राजस्थान को इस दृष्टि से आगे बढ़ायेंगे। राजस्थान के आंकड़ों का जादू, आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। आंकड़ों की तुलना के विषय में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि अभी तो हमारा बजट आने वाला है, विभिन्न विभागों की अलग अलग डिमाण्ड्स आने वाली हैं। उस वक्त हमें बोलने का मौका मिलेगा, तुलना कर लेंगे लेकिन, सभापति महोदया, कुछ मौलिक बातें मैं आपसे इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमारा पैमाना क्या है जो हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दें। इस बात का धन्यवाद दें कि उन्होंने भविष्य की अच्छी कल्पना हमारे सामने रखी हैं, राजस्थान प्रगति करेगा, राजस्थान तरक्की करेगा, राजस्थान में गरीबी मिटेगी, राजस्थान में शिक्षा बढ़ेगी, राजस्थान में चिकित्सा सुविधा बढ़ेगी, राजस्थान में गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर लाया जायेगा। अगर ऐसा एक नक्शा हो तो शायद यहां पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करना उचित रहता। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, आंकड़ों का काम है, आप सुन लीजिये, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है...

श्री चेतराम मीणा : शायद आपने पूरा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा नहीं। आप पढ़ कर आओ।

श्री कैलाश मेघवाल : आप ही खुद देख लें। माननीय सभापति महोदया, कुछ माप दण्ड हों कि राजस्थान से गरीबी कब मिटेगी। गवर्नर महोदय ने बड़ी तेजी से कहा, भाषण में कहा गया, सात लाख लोगों को पांच साल में गरीबी की रेखा के ऊपर ले जाया जायेगा। बहुत अच्छा आंकड़ा है। एक लाख लोग अभी तक काम भी पा चुके, यह भी अभिभाषण में कहा गया है लेकिन, सभापति महोदया, सवाल यह है राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले कितने लोग हैं, यह बहुत बड़ा मसला है। मैं इसलिये रखना चाहता हूं कि राजस्थान से गरीबी कब मिटेगी। यह एक सवाल मैं रखना चाहता हूं, सभापति महोदया, राजस्थान के मंत्रिमण्डल के मंत्रियों के सामने और कांग्रेस (आई) के सदस्यों के सामने भी कि राजस्थान से गरीबी कब मिटेगी। सभापति महोदया, सन 1977 में जनगणना हुई थी उस 1977 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2 करोड़ 95 लाख बतायी गयी। इसके बाद के विभाग और सांख्यिकी विभाग ने जो प्रोजेक्शन किये हैं।

श्री चेतराम मीणा : सन् 1977 में कब जनगणना हुई थी ? उस वक्त तो आप मन्त्री थे। उस वक्त तो नहीं हुई।

श्री कैलाश मेघवाल : उस वक्त मैं मंत्री था और अब विधायक हूं। यह चलता रहेगा मन्त्री चाहे मैं बनूं या आप बनें लेकिन राजस्थान का हित हो। राजस्थान आगे बढ़े, यह तो आप भी चाहेंगे। उसी बात को मैं निवेदन कर रहा हूं, उससे अगर ले सकें

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिशा तो लीजिये, यही मेरा निवेदन है। तो यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 1 मार्च, 1981 को जो प्रोजेक्शन आये हैं, सांख्यिकी विभाग के अनुसार राजस्थान की आबादी है 3 करोड़ 27 लाख। आज तक जो प्रमाणित नीति है उसके आधार पर 5 पर्सेन्ट एरर रह सकता है प्रोजेक्शन में जैसे 1 तारीख को जनगणना हो रही है, आंकड़े आयेंगे लेकिन यह आंकड़े मैं आपके सामने इस लिये रख रहा हूं कि 1 मार्च को प्रोजेक्शन है 3 करोड़ 27 लाख की आबादी का। राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों का प्रतिशत, जो अभी तक मान्यता है, रिजर्व बैंक ने भी कहा है, सांख्यिकी विभाग ने भी कहा है, 56 है। सारे देश का गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों का प्रतिशत 45 है और राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों का प्रतिशत 56 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3 करोड़ 27 लाख का 56 प्रतिशत क्या होगा और उसमें से आगे 5 साल में 7 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायगा तो बाकी के गरीब कब ऊपर उठेंगे? कब भर पेट रोटी खायेंगे ये नागरिक? आखिर हम एक योजना बना रहे हैं। आखिर हमारे प्रोजेक्शन क्या हैं? आखिर हम राजस्थान की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो कुछ मौलिक आवश्यकता है आदमी की, रोटी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है मकान की आवश्यकता है। ये आवश्यकताएं पूरी होती है तो इसके बाद अगली आवश्यकता आती है शिक्षा की आवश्यकता, चिकित्सा की आवश्यकता और रोजगार की आवश्यकता। इसलिए मैंने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया गरीबी का।

अब एक प्रश्न उठ गया। पिछले दिनों दिल्ली में एन.डी.सी. की मीटिंग हुई रिजर्व बैंक और सांख्यिकी विभाग को भी हमारे देश की प्रधान मंत्रीजी ने लताड़ा। उन्होंने कहा कि आप जो यह आंकड़े तैयार करते हो यह पश्चिमी पद्धति से तैयार करते हो और इसलिए देश की पद्धति इन्डीजिनस पद्धति से आंकड़े तैयार करो। नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन है केन्द्रीय सेक्रेटेरियट का उन्होंने आंकड़े तैयार किये इन्डीजिनस तरीके से और उनको यह कहना पड़ा कि राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत पचास है। एक आदमी राजस्थान की कितनी कैलोरीज खाता है और कितनी कैलोरीज के आधार पर आदमी को गरीब माना जाये। चलो हम 50 प्रतिशत मान लेते हैं, 50 प्रतिशत भी मानें, माननीय सभापति महोदया, तो गरीब राजस्थान में होंगे 1 मार्च को 1 करोड़ 10 लाख के करीब और जिनमें से 7 लाख लोगों को और वह भी पांच साल पूरे होंगे 85 में तो 1985 में जो प्रोजेक्शन है सांख्यिकी विभाग के जनसंख्या के वह हैं 3 करोड़ 56 लाख। जब राजस्थान में आबादी 3 करोड़ 56 लाख हो जायेगी उस समय यह कहेंगे कि 7 लाख लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। यह इस प्रोजेक्ट का एक स्वरूप है जो मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि आखिर हम राज्यपाल महोदय को किस बात का धन्यवाद दें। यह गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों का प्रतिशत बढ़ने वाला है। तो ऐसे अभिभाषण के लिए हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करें यह तो उचित नहीं कहा जा सकता, माननीय सभापति महोदया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अब इसके बाद, माननीय सभापति महोदया, मैं शिक्षा की बात रखना चाहूंगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जब जनता पार्टी का शासन था तो हमने भी साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने की काफी कोशिश की थी। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत क्या है उसमें कालेज शिक्षा छोड़ दें, हाई स्कूल की शिक्षा छोड़ दें, दूसरी शिक्षा छोड़ दें केवल साक्षरता का क्या प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1971 की जनगणना हुई, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तब थीं तो हमारे यहां मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जी जोशी थे। उस समय जनगणना विभाग का कहना है कि यहां राजस्थान में 19.7 प्रतिशत साक्षरता है। मैंने कल कुछ आंकड़े लगाये थे। मैं, माननीय सभापति महोदया, आंकड़ों के जाल में इसलिये नहीं उलझाना चाहता हूं कि उस समय बहुत सारे प्राइमरी स्कूल खुले लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर हमने घोषणा की थी, जो संविधान के निर्देशित सिद्धान्त हैं आर्टिकल 25 में उनके अन्तर्गत घोषणा की थी कि 1950 से दस साल के अन्दर-अन्दर सारे देश में कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन स्तर तक की जिनमें 5 साल से 14 साल के बच्चे आते हैं उनको दी जायेगी। यह हमारे संविधान निर्माताओं का एक उद्देश्य था। संविधान के निर्माता कौन-कौन महापुरुष रहे, यह आपसे छिपा नहीं, मेरे से भी छिपा नहीं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रफ्तार बढ़ी है, स्कूल भी बढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं, मिडिल स्कूल खुल रहे हैं, हायर सैकण्डरी स्कूल खुल रहे हैं और कालेज भी बढ़ रहे हैं लेकिन 19.7 प्रतिशत की साक्षरता का आंकड़ा है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ में कम होने वाले नहीं हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप उस स्थिति में कब आयेंगे राजस्थान में जब हम यह कह सकें कि हमारे यहां कोई अंगूठा लगाने वाला इन्सान नहीं है। यह हमारे लिये शर्म की बात है, माननीय सभापति महोदया, आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर लोग पैदा होते हैं वे आज भी अंगूठा लगाते हैं तो किसका सिर ऊंचा होता है? व्यवस्था है बजट के अन्दर चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों क्या जो आपने शिक्षा के बारे में कहा है उसके आधार पर आखिर इस देश में पूर्ण शत प्रतिशत साक्षरता कब आ जायेगी और कब इस देश में अंगूठा लगाने की दुष्प्रवृत्ति और काल कलंक मिट पायेगा? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ कहा गया है उससे शिक्षा का प्रतिशत, साक्षरता का प्रतिशत आगे नहीं बढ़कर उल्टा आने वाला है, माननीय सभापति महोदया, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रोजगार की आज हमारे राज्य में क्या स्थिति है। पेट की समस्या हो गयी, रोटी और कपड़ा–आज कपड़े की समस्या के बारे में आंकड़े बड़े ही उलझाने वाले हैं। गये साल कुछ आंकड़े दिये और हुकूमत कैसे चली, माननीय सभापति महोदया, यह इसलिये आपकी निगाह में ले आऊं कि हुकूमत आखिर चल कैसे रही है। एक पैराग्राफ इन

(श्री कैलाश मेघवाल)

दोनों अभिभाषण का काफी है। एक पैराग्राफ है और वह पैराग्राफ, माननीय सभापति महोदया, यह है कि गये साल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 16 पर और यह पृष्ठ 16 के आखिरी पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है कि 1980–81 में खादी का उत्पादन 1350 लाख रुपये से बढ़ा कर 1650 लाख रुपये किया जायेगा जिसके फलस्वरूप खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.33 लाख लोग रोजगार पा रहे लोगों की संख्या बढ़कर 1.43 लाख हो जायेगी। यह पैराग्राफ है गये साल के भाषण में। पेज नं. 16 पर है, यह पढ़ लीजिए आप, इस साल के बजट अभिभाषण के पेज 14 भी आप पढ़ लीजये। इसमें भी लिखा है "चालू वर्ष में खादी का उत्पादन 1250 लाख रुपये से बढ़कर–" "वहां 1980-81 लिखा था और यहां लिखते हैं चालू वर्ष में खादी का उत्पादन 1350 लाख रुपये से बढ़कर बिल्कुल 1650 लाख रुपये हो जावेगा जिसके फलस्वरूप रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या 1 लाख 33 हजार से बढ़ कर 1 लाख 45 हजार हो जावेगी।" यह है राजस्थान की सरकार के 9 महीने का दिग्दर्शन। डेगाना से आने वाले माननीय विधायक, जिस सरकार के समर्थन में आप बोल रहे थे, यह है चलने का तरीका सरकार का, आज से 9 महीने पहले खादी की स्थिति के बारे में जो लक्ष्य निश्चित किया था, वही स्थिति आज भी है। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि कपड़े वाली बात और खादी संस्था, माननीय सभापति महोदया, खादी विभाग की डिमाण्ड जब आयेगी उस समय मैं जिक्र करूंगा लेकिन खादी को अनुदान की बैसाखी नहीं लगी हो तो यह खादी का सारा फ्राड है, खादी को अनुदान की बैसाखी न लगी हो तो मेरा खयाल है कि आज ही खादी भण्डार समाप्त हो जायें। इसी तरह हाथ करघे की स्थिति है। इस साल आंकड़ों का भी अभाव है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आखिर कपड़े की समस्या को कहां ले जाना चाहते हैं। तीसरी आवश्यकता एक आदमी की मकान की है। डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि दस हजार मकान एक साल में बना दिये जायेंगे। बहुत अच्छा है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि अच्छा है, बनाने चाहिए लेकिन वह दिन राजस्थान में कब आयेगा जिस दिन कह सकेंगे कि इतने सालों के बाद राजस्थान में एक भी आदमी छतहीन नहीं रहेगा? राजस्थान में बेछत रहने वालों की संख्या 13 लाख के करीब है। माननीय सभापति महोदया, 1976 या 75 में जब बीस सूत्री कार्यक्रम बड़ी तेजी से चला था उस समय 8॥ लाख के करीब पट्टे दिये गये थे और इन 8॥ लाख आवास पट्टों में से कल के भाषण में कहा गया है कि 50 हजार लोगों ने अपने प्रयत्नों से मकान बना लिये हैं। 8 लाख से ऊपर हैं और 5–7 लाख और बाकी हैं ये 13–14 लाख लोग ऐसे हैं अपनी आमदनी के अनुसार और उनकी अपनी स्थिति ऐसी है कि वह अपने मकान खुद नहीं बना सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सरकार से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए वह दिन कब आयेगा जब हम कह सकें कि राजस्थान का गरीब आदिवासी, राजस्थान का गरीब दस्तकार, राजस्थान का शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी छत के नीचे रह रहा है। यह दिन कब आयेगा?

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूं जैसा अभी मैं कह रहा था कम्पलसरी प्राइमरी एजूकेशन नहीं थी। कल ही हमें आंकड़े दिये थे। आंकड़े अच्छे हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के राजनैतिक गुरु थे संजय गांधी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिए। अशिक्षा दूर हो। अशिक्षा दूर हुई? आखिर गरीबी कब दूर होगी? कब अशिक्षा दूर होगी, साक्षरता लाने की कोई तारीख नहीं, गरीबी से ऊपर लाने की कोई तारीख नहीं, सबको मकान मिल जाय, इसकी कोई तारीख नहीं। यह आपके बजट का स्वरूप है। जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पेश किया है। माननीय सभापति महोदया, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज चिकित्सा की क्या हालत है? चिकित्सा की हालत आज सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री खेतसिंह राठौड़: माननीय सदस्य, तारीख की बात आपने बहुत की थी, हम दस साल में, यह कर देंगे, 10 साल में वह कर देंगे। 28 महीने में साफ हो गये।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय सभापति महोदया, अब भी हम उन तारीखों पर कायम रहने को तैयार हैं। खेतसिंह जी इधर आ जायें, हमको उधर बैठने दें। मैं यह निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

यह तो कोई बात नहीं। हम इधर आये हैं, यह तो चलता ही रहता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: खेतसिंह के हाथ की बात नहीं है। जनता के हाथ की बात है। उसको सोचना चाहिए। खेतसिंह जी चाहें तो भी आप इधर के उधर नहीं हो सकते।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय गोटेवाला साहब, बाल-बाल बच कर आये हो। चेत रही थी जनता। वह भी चेत रही है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसमें पेयजल के नाम पर कुछ है नहीं। डेगाना से आने वाले माननीय विधायक, पेयजल की मांग है 33 हजार गांव की। यह एक आंकड़ा उन्होंने नहीं बोला। एक आंकड़ा और उन्होंने बोल दिया 5 हजार 500 गांवों को ही उस समय तक पानी मिला। यह भी अच्छा हुआ, बोले कि 24 हजार गांव हमारे खाते आये। एक बात उन्होंने नहीं बोली, 1-4-80 को करीब 2 हजार कुछ गांवों में योजनायें कार्यान्वित हुई। कम हुई होंगी, लेकिन, श्रीमन्, आंकड़े तो स्वीकार करने चाहिये, इसमें क्या दिक्कत है। फिर भी निवेदन करना चाहता कि वह आंकड़े मिलाकर के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ लीजिये। इसमें लिखा है, 5 हजार 500 गांवों में पानी मिला है। दो बातें आपने ईमानदारी से मानी हैं। सभापति महोदया, मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं वही मैं बोल रहा हूं। मेरे पास भी वही सरकारी आंकड़े हैं, एक सरकारी आंकड़ा है 5 हजार गांवों को कनेक्शन दिये गये, यह सरकारी आंकड़ा है यह प्रकाशित हुआ है। दूसरा यह सरकारी आंकड़ा है जिसमें सबको कहा गया था कि चार हजार गांवों में पहुंचा। तीसरा यह सरकारी आंकड़ा है, 2 हजार गांवों में योजना कार्यान्वित की है। आखिर यह क्या है? मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह पूछना चाहता हूं राजस्थान में वह कौन सी तारीख होगी जिस तारीख को हम यह कह सकें कि राजस्थान में सबको शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। यह कल्पना इस अभिभाषण में है क्या ? इस अभिभाषण में पानी की कल्पना नहीं तो यह आंकड़े क्या करेंगे, कहां ले जायेंगे ? आखिर कौन सी स्थिति है जिसके आधार पर माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दें। मैंने पहले जैसा कहा, एक प्रतिगामी भाषण है। सारे आंकड़े एक साल में प्रतिगामी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। मैं तो सोचता था, आप सब प्रतिक्रियावादी हैं। हम तो कहलाते थे प्रतिगामी आप तो प्रगतिशील हैं, राज्यपाल महोदय के जो अभिभाषण आये हैं वे अभिभाषण आज इस बात की गवाही देते हैं कि यह प्रतिगामी अभिभाषण है। मैं पूछना चाहता हूं आज हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है, सभापति महोदया, चिकित्सा बहुत महंगी है। एक गरीब आदमी डिस्पेन्सरी जाता है उसको कौन सी दवाइयां मिलती हैं और कितनी दवाइयां मिलती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आम आदमी बोलता नहीं है, सभापति महोदया, इसलिये शिकायतें ज्यादा होती नहीं। जो बीमार जाते हैं, जो मरीज आते हैं, डॉक्टर और कम्पाउन्डर से झगड़ा मोल लें ? हम और आप तो दैनन्दिन जीवन में यह देख रहे हैं, आज की तारीख में चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है। एक्स-रे प्लेट और जिस तरह के षड्यंत्र आज चल रहे हैं डॉक्टर्स के बीच में और मैन्यूफैक्चरार्स के बीच में। नकली दवाइयां बनाने वाले भी बीच में आ जाते हैं। कई बार सिफारिश की जाती है खास दुकानदार की दवाई या मैन्यूफैक्चरर की दवाई लिखने का कमीशन मिलता है। कमीशन के आधार पर अस्पताल की सब दवाइयां तो चली जाती हैं इधर-उधर बिकने के लिये और गरीब आदमी चिकित्सा को नहीं ले पाते। क्या हालत है इस बारे में कुछ नहीं कहा। 40 हजार लोगों के पीछे एक डिस्पेन्सरी होनी चाहिये। यह हमारे देश की इनडिजीनस योजना है, दिल्ली की। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं, 40 हजार लोगों के पीछे, यह इनडिजीनस स्टेटिस्टिक्स है। सभापति महोदया, आपको भी गांव-गांव का मालूम है। गरीब मरीज की क्या स्थिति है। वह दवाखाने में जाते हैं। दवाखाने में डॉक्टरों के हाथों किस तरह लुटना पड़ता है। वह मुफ्त चिकित्सा प्रणाली कहां है ? इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है, आम गरीब आदमी जिसकी वजह से दुखी हो रहा है। बहुत बातें रह गई हैं। अभी डेगाना से आने वाले माननीय विधायक कहने लगे कि सब अनाज लुटा दिया। मैं तो आज भी निश्चित इस बात को मानता हूं, अगर कोई लुटाना कहता है तो लुटाये उसको, जिसका हमको गौरव अनुभव होता है, इसलिये अनुभव है कि अनाज खाने की चीज होते हुए राजस्थान के अन्दर खाया है, गरीब तबके के आदमी ने खाया है। छोड़ दीजिये, इक्के दुक्के सरपंचों के भ्रष्टाचार के मामले आपको मिल जायेंगे, माननीय सभापति महोदया, भ्रष्टाचार में गया इसको अलग छोड़ दीजिये, बाकी जो गया है वह राजस्थान के गरीब आदमी के पेट में गया है। वह बड़े बड़े सेठों और ब्लैक मार्केटियर्स के पास बिकने के लिये नहीं गया, इसका हमको गौरव है।

(व्यवधान)

(118)

(श्री कैलाश मेघवाल)
और समय बढ़ायेंगे, जब बोल लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड: सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

कई माननीय सदस्य : नो, नो

नो, नो

श्री सभापति : इधर से भी आवाज न की आ रही है।

कई माननीय सदस्य : हां

श्री सभापति : सदन की राय क्या है? एक घंटा बढ़ाया जाय या नहीं ?

कई माननीय सदस्य : नो, नो

श्री सभापति : आप क्या कह रहे हैं इधर वाले।

कई माननीय सदस्य : नो, नो

श्री खेतसिंह राठौड : हां।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल 5 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(विराम)

कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.57 बजे मंगलवार दिनांक 24 फरवरी, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची)

सम्वत् 2037 में प्रभावित ग्रामों की संख्या एवं आवंटित धनराशि का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	परीक्षण सहायता कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति (लाखों में)	अभाव घोषित ग्रामों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	12.00	968
2.	अलवर	4.50	544
3.	बांसवाड़ा	1.00	166
4.	बाड़मेर	10.00	849
5.	भरतपुर	12.00	2008
6.	बीकानेर	7.00	610
7.	भीलवाड़ा	18.00	1487
8.	बून्दी	4.00	573
9.	चित्तौड़गढ़	3.50	461
10.	चूरू	5.00	650
11.	डूंगरपुर	8.00	758
12.	गंगानगर	2.50	180
13.	जयपुर	14.50	2453
14.	जैसलमेर	7.00	392
15.	जालौर	7.00	605
16.	झालावाड़	3.00	504
17.	झुन्झुनूं	4.00	692
18.	जोधपुर	5.00	719
19.	कोटा	2.00	558
20.	नागौर	8.00	1209
21.	पाली	14.00	848
22.	सवाई माधोपुर	0.50	65
23.	सीकर	6.00	794
24.	सिरोही	5.00	449
25.	टोंक	6.00	1084
26.	उदयपुर	20.50	1739
	योग	191.00	21365

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 7 का प्रावधान)

वर्ष 80–81 का प्रावधान व्यय एक नजर में

(धनराशि लाखों में)

क्र सं.	नाम योजना	प्रावधान	व्यय
1.	अनुसूचित जाति	274.78	162.90
2.	अनुसूचित जनजाति	138.73	74.00

(121)

जिलेवार प्रावधान आवंटन एवं व्यय अन्तर्गत लेखा शीर्षक (ग) अनुसूचित आदिम जन जातियों (आयोजना भिन्न, आयोजना, केन्द्र-प्रवर्तित योजना)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	योजना और सांख्यकीय		शिक्षा						आर्थिक विकास		रोजगार		कृषि		स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता		योग	
				छात्रवृत्तियां		छात्रावास		आश्रम स्कूल											
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	योग (अप्रेल से दिसम्बर तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	जयपुर	1.73	1.35	10.89	8.78	11.01	1.47	0.83	0.17	2.44	0.06	0.16	0.05	7.45	–	2.21	0.05	36.72	11.93
2.	अजमेर	–	–	1.07	1.07	1.20	0.66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.27	1.73
3.	अलवर	–	–	4.66	4.66	2.60	1.65	–	–	–	–	0.30	–	–	–	–	–	7.56	6.31
4.	भरतपुर	–	–	1.79	1.79	–	–	–	–	–	–	0.04	0.01	–	–	0.20	–	2.03	1.80
5.	सवाई माधोपुर	–	–	6.94	6.94	1.43	1.08	–	–	–	–	0.48	0.31	–	–	0.35	0.16	9.20	8.49
6.	टोंक	–	–	2.61	2.61	2.34	1.51	–	–	–	–	0.03	–	–	–	0.24	0.12	5.22	4.24
7.	सीकर	–	–	2.44	2.44	1.27	0.81	–	–	–	–	0.09	0.05	–	–	–	–	3.80	3.30
8.	पाली	–	–	0.34	0.34	1.71	0.54	–	–	–	–	–	–	–	–	0.30	0.17	2.35	1.05
9.	जोधपुर	–	–	0.63	0.63	0.60	0.31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.23	0.94
10.	नागौर	–	–	0.020	0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.02	0.02
11.	सिरोही	–	–	0.200	0.20	0.30	1.70	0.84	0.17	0.20	–	–	–	–	–	0.30	–	4.84	2.07
12.	बाड़मेर	–	–	0.06	0.06	1.62	1.26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.68	1.32
13.	कोटा	–	–	2.47	2.47	3.40	1.50	–	–	–	–	–	–	–	–	1.50	–	7.37	3.99
14.	उदयपुर	–	–	2.67	2.67	8.78	3.53	–	–	0.30	–	0.01	–	–	–	6.00	2.71	17.76	8.91
15.	चित्तौड़गढ़	–	–	0.25	0.25	3.04	1.21	–	–	–	–	0.01	–	–	–	1.10	0.62	4.40	2.08
16.	भीलवाड़ा	–	–	0.76	0.76	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.80	0.33	1.56	1.09
17.	बांसवाड़ा	–	–	0.90	0.90	7.75	2.86	–	–	0.48	0.30	–	–	–	–	3.00	1.48	12.13	5.54
18.	बीकानेर	–	–	1.06	1.06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.06	1.06
19.	गंगानगर	–	–	0.07	0.07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.07	0.07
20.	डूंगरपुर	–	–	1.00	1.00	6.00	2.83	1.15	0.51	0.41	0.19	–	–	–	–	6.00	3.55	14.56	8.08
	योग	1.73	1.35	40.83	38.72	56.05	22.92	2.82	0.85	3.83	0.55	1.12	0.42	7.45	–	22.00	9.19	135.83	74.02
	खनन पट्टों के क्रय हेतु			2.50	–													2.50	–
	गृह निर्माण अनुदान			0.40	–													0.40	–
																	कुल योग	138.73	74.00

– समाज कल्याण विभाग के इन मदों में दर्शाई गई धनराशि के अतिरिक्त अनुसूचित जन जातियों के लिये जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग में राज्य योजना व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का प्रावधान और होता है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के विकास के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा अनुसूचित जाति की बस्तियों एवं परिवारों का विकास किया जाएगा।

जिलेवार प्रावधान आवंटन एवं व्यय अन्तर्गत लेखाशीर्षक (ख) अनुसूचित जाति योजना (आयोजना भिन्न, आयोजना एवं केन्द्रीय अर्थ प्रवर्तित योजना)

(राशि लाखों में)

क.सं.	जिले का नाम	निदेशन एवं प्रशासन		शिक्षा				गृह निर्माण		आर्थिक विकास		रोजगार		कृषि		अन्य क. योजनाएं स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता		सहकारिता		कुल योग	
				छात्रवृत्तियां		छात्रावास															
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय अप्रेल से दिसम्बर तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	जयपुर	15.14	10.12	13.27	13.20	10.82	2.87	–	–	0.75	0.38	2.20	0.19	4.17	4.17	5.51	0.58	0.40	–	52.26	31.51
2.	अजमेर	1.08	0.82	7.40	7.40	2.21	1.33	–	–	0.29	0.24	0.15	0.13	1.20	1.20	1.85	0.64	–	–	14.18	11.76
3.	अलवर	0.47	0.86	6.77	6.77	2.03	1.07	–	–	–	–	0.25	–	0.50	0.50	0.20	–	–	–	10.22	8.70
4.	भरतपुर	0.53	0.35	5.36	5.36	3.56	1.90	–	–	0.24	0.15	0.21	0.09	2.80	2.80	0.74	0.25	–	–	13.44	10.90
5.	सवाई माधोपुर	0.49	0.21	4.52	4.52	1.72	0.69	–	–	–	–	0.20	0.19	1.35	1.35	0.30		–	–	8.58	6.96
6.	टौंक	0.56	0.42	3.05	3.05	2.57	1.61	–	–	0.31	0.20	0.01	–	–	–	0.62	0.19	–	–	7.13	5.47
7.	सीकर	0.68	0.40	11.24	11.24	1.00	0.52	–	–	0.28	0.19	0.56	0.71	0.60	0.60	6.15	2.87	–	–	20.51	16.53
8.	पाली	0.48	0.30	2.50	2.50	2.71	1.06	–	–	0.27	0.20	0.14	0.09	0.20	0.20	0.55	0.03	–	–	6.85	4.38
9.	जोधपुर	1.07	0.88	4.33	4.33	7.37	4.11	–	–	0.24	0.18	0.03	–	0.20	0.20	0.73	–	–	–	13.97	9.70
10.	नागौर	0.41	0.34	2.74	2.74	1.92	0.75	–	–	0.25	0.18	0.01	–	–	–	2.45	1.40	–	–	7.78	5.41
11.	सिरोही	0.52	0.47	2.21	2.21	1.73	0.72	–	–	–	–	–	–	0.20	0.70	0.64	0.20	–	–	5.30	3.80
12.	बाड़मेर	0.42	0.30	1.05	1.05	3.59	2.82	–	–	0.22	0.13	–	–	0.20	0.20	0.39	0.03	–	–	5.87	4.53
13.	कोटा	1.02	0.73	3.66	3.66	6.21	2.81	–	–	–	–	0.02	–	0.90	0.90	0.20	–	–	–	12.01	8.10
14.	उदयपुर	0.89	0.82	3.67	3.67	3.39	1.12	–	–	0.27	0.17	0.01	–	0.30	0.30	0.70	0.20	–	–	9.23	6.28
15.	चित्तौड़गढ़	0.44	0.26	1.40	1.40	1.27	0.26	–	–	–	–	–	–	0.40	0.40	0.75	0.43	–	–	4.26	2.75
16.	भीलवाड़ा	0.56	0.38	2.83	2.83	2.29	0.93	–	–	–	–	0.01	–	2.50	2.50	0.20	–	–	–	8.39	6.64
17.	बांसवाड़ा	0.95	0.67	0.12	0.12	0.02	–	–	–	0.44	0.20	–	–	–	–	0.10	–	–	–	1.63	0.99
18.	बीकानेर	0.74	0.53	6.11	6.11	4.57	2.29	–	–	–	–	0.01	0.01	–	–	1.68	2.87	–	–	13.11	11.81
19.	श्रीगंगानगर	0.76	0.56	2.42	2.42	1.55	1.18	–	–	–	–	0.01	–	–	–	1.05	0.18	–	–	5.79	4.34
20.	डूंगरपुर	0.87	0.48	0.20	0.20	0.02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.10	0.03	–	–	1.19	0.71
21.	चूरू	0.30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.20	–	–	–	0.50	–
22.	झालावाड़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.20	–	–	–	0.20	–
23.	झुन्झुनू	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.20	–	–	–	0.20	–
24.	जालौर	0.13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.15	–	–	–	0.28	–
25.	जैसलमेर	0.13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.15	–	–	–	0.28	–
26.	बून्दी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.20	–	–	–	0.20	–
	छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु	–	–	–	–	9.62	1.63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.62	1.63
	गृह निर्माण	–	–	–	–	–	–	41.80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.80	–
	योग	28.64	19.40	84.85	84.78	70.17	29.67	41.80	–	3.56	2.22	3.82	1.41	15.52	15.52	26.01	9.90	0.40	–	274.78	162.90

परिशिष्ट—3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य सरकार पर कर्जा

9. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर किन किन मदों में कितना कर्जा व उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है ? कृपया मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन किन संस्थाओं/संस्थानों से कितना कितना कर्जा सरकार पर है व उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है ?

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को कितना कर्जा कम चुकाना पड़ा व कितनी अवधि में ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारत सरकार का राज्य सरकार पर कुल 1046.40 करोड़ रुपये का कर्जा था जिस पर वर्ष 80-81 में देय ब्याज 45.67 करोड़ रुपये है। मदवार सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं/संस्थानों का राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 239.18 करोड़ रुपये का ऋण था जिस पर वर्ष 1980-81 में देय ब्याज 21.03 करोड़ रुपये है। सूची संलग्न है।

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋणों की अदायगी में अनुमानित 258.14 करोड़ रुपये वर्ष 1974 से 1979 की अवधि में कम चुकाना पड़ा।

दिनांक 1-4-80 को केन्द्रीय ऋणों के प्रारम्भिक शेषों एवं उन पर वर्ष 1980-81 में देय ब्याज की मदवार तालिका

मद	प्रारम्भिक शेष (1-4-80)	रुपये लाखों में देय ब्याज (80-81)
क— आयोजना भिन्न ऋण		
1. अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	2356.00	
2. अल्पकालीन कृषि ऋण	700.00	
3. शैक्षणिक योजनाएं (छात्रवृत्तियां)	22.00	164 89
4. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण	2 72	
योग (क)	3080.72	164.89

मद	प्रारम्भिक शेष (1-4-80)	रुपये लाखों में देय ब्याज (80-81)
ख– राज्य आयोजना समूह ऋण ख–	7607.10	399.36
ग– केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं		
1. विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजनायें	133.80	
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास	3.15	
3. सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	184.40	14.40
4. सहकारिता	53.59	
5. कृषि	5.00	
योग (ग)	379.94	14.40
घ– केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं		
1. अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें	41.00	
2. भू-संरक्षण योजनाएं	18.65	
3. ग्राम्य एवं लघु उद्योग	53.60	9.84
4. सहकारिता	74.10	
योग (घ)	187.35	9.84
ङ– 1979–80 से पूर्व के ऋण		
1. विस्थापितों का पुनर्वास	206.70	
2. स्वर्णकारों का पुनर्वास	38.21	
3. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण योजना	219.19	3978.43
4. एकीकृत ऋण	82065.08	
5. अन्य ऋण	4468.41	
6. अल्प बचतों, संग्रहणों का हिस्सा	6387.45	
योग (ङ)	93385.04	3978.43
योग केन्द्रीय ऋण	104640.15	4566.92

सूची

भारत सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार पर अन्य संस्थाओं के ऋण की सूची

रुपये लाखों में

	शेष राशि (1-4-80)	वर्ष 80–81 में देय ब्याज
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1355.19	92.63
2. भारतीय रिजर्व बैंक	1181.58	65.50
3. अन्य संस्थायें	1123.16	87.89

4. जागीर बोन्ड्स	57.59	8.00
5. भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम (समायोजित) ओवर-ड्राफ्ट 2701.23 लाख शामिल नहीं है।)	709.00	600.00
6. बाजार ऋण	19491.35	1249.00
योग :-	23917.87	2103.02

विद्युत मण्डल में कार्यरत फैडरेशन व महासंघ

10. श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य विद्युत मण्डल में कामगारों के कितने फैडरेशन/महासंघ कार्यरत हैं ? इनमें प्रत्येक की सदस्य संख्या कितनी-कितनी है ?

(2) मण्डल द्वारा किस महासंघ को कब मान्यता दी गयी ? मान्यता प्रदान करने का क्या आधार रहा ?

(3) क्या त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार चुनाव द्वारा ही मान्यता प्रदान करने का कोई निर्णय राज्य स्तर पर हुआ था तथा क्या विद्युत मण्डल ने इसकी अनुपालना की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विद्युत् मण्डल चुनाव द्वारा ही महासंघ फैडरेशन को मान्यता प्रदान करने का विचार रखता है ? यदि हाँ, तो विद्युत मण्डल में चुनाव कब तक करा देंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में निम्नलिखित फैडरेशन प्रान्त स्तर पर कार्यरत हैं :--

(क) प्रान्तीय विद्युत मण्डल मजदूर फैडरेशन।

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी फैडरेशन।

(ग) राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन।

(घ) राजस्थान विद्युत कामगार एकता फैडरेशन।

उपरोक्त वर्णित प्रत्येक फैडरेशन की सदस्य संख्या की सूचना विद्युत मण्डल द्वारा नहीं रखी जाती है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्रान्तीय विद्युत् मण्डल मजदूर फैडरेशन जिसका पूर्व में नाम प्रान्तीय विद्युत् जल मजदूर फैडरेशन था, को दिनांक 5/11/62 से मान्यता दी गई। यह मान्यता रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन एवं उप श्रम आयुक्त (नियम) राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान बिजली व जल मजदूर फैडरेशन का पंजीयन आदेश दिनांक 8/5/1962 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के बाद, केवल एक ही पंजीकृत फैडरेशन रह जाने के कारण वालन्टरी रिकग्नीशन के सिद्धांतों पर प्रदान की गई थी।

(विद्युत् मंत्री)

(3) इस प्रकार के समझौते का राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादन किये जाने की मण्डल के पास कोई सूचना नहीं है। अतः मण्डल द्वारा इसकी अनुपालना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) चुनाव की प्रकिया से विद्युत् मण्डल का कोई संबंध नहीं है। यह मुद्दा राज्य सरकार के श्रम विभाग से सम्बन्धित है।

राज्य में बिजली उत्पादन

11. श्री दीपेन्द्र सिंह (सवाईमाधोपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न पावर हाउसेज की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है और राज्य को आवश्यकता कितने मेगावाट की है ?

(2) उक्त उत्पादन क्षमता के मुकाबले चालू वर्ष में कितनी बिजली पैदा की गई ?

(3) क्या बिजली का उत्पादन गिरने से राज्य में उद्योग लगाने के वातावरण को धक्का लगा है ?

(4) क्या उद्योगों के लिये निजी जैनरेटर लगाने वाले उद्योगपतियों को राज्य सरकार कोई पृथक से सुविधा या सब्सिडी देने का विचार रखती है ?

(5) राज्य सरकार बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय और कर रही है ?

(6) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में बिजली उत्पादन की क्षमता क्या हो जायेगी ? क्या योजना के अन्त में राज्य बिजली के मामले में स्वावलम्बी हो जायेगा और प्रदेश में कृषकों और उद्योगपतियों को आवश्यकतानुसार बिजली मिल सकेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान को बिजली राज्य में स्थित विद्युत गृहों तथा राज्य से बाहर अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के विद्युत् गृहों से हिस्से के अनुसार मिलती है। इन पावर हाउसेज की उत्पादन क्षमता (इन्सटाल कैपेसिटी) 978.5 मेगावाट है। राज्य की वर्तमान अनुमानित आवश्यता 1140.0 मेगावाट है।

(2) इन स्रोतों से माह अप्रेल 80 से जनवरी 81 तक कुल 35843 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) विद्युत् मण्डल की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये सीमित वित्तीय साधनों के परिपेक्ष में यथा सम्भव नई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(6) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत् उत्पादन क्षमता 1873.5 मेगावाट हो जाने का अनुमान है, परन्तु इस समयावधि में मांग बढ़ जाने के कारण राज्य विद्युत् की उपलब्धि में स्वावलम्बी नहीं हो पायेगा।

बीकानेर व जैसलमेर जिले के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को यातायात सुविधा

12. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर व जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक की 20-20 मील दूरी की सीमा पट्टी के कई गांवों के नागरिकों को यातायात सेवायें उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या ऐसे क्षेत्र के सभी गांवों को यातायात सुविधाओं से शीघ्र जोड़े जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिन गांवों में बसें जा सकती हैं उन्हें यातायात की सुविधाओं से जोड़ने के लिए बीकानेर–वरसलपुर, वज्जू नाचना व जैसलमेर–साधना मार्ग खोले गये हैं।

बेरोजगारी भत्ता

13. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कुल कितने शिक्षित व अर्द्ध शिक्षित बेरोजगार हैं ?

(2) गत एक वर्ष में राज्य में कितने व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराया गया तथा इसमें अनुसूचित जाति व जन जातियों के व्यक्तियों का कितना प्रतिशत है ?

(3) क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब से व किस मात्रा में ?

उत्तर

(1) राजस्थान के नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध (दिसम्बर 80 तक) कुल शिक्षित बेरोजगार 170219 हैं तथा अर्द्ध शिक्षित 191491 हैं।

(2) गत एक वर्ष में 16,700 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराया गया जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत 13.12 एवं जन जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत 6.03 था।

(3) सरकार के पास बेरोजगारी भत्ता देने की योजना अभी नहीं है।

भरतपुर फीडर

14. श्री हरी सिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार भरतपुर जिले में के. पी. ड्रेन से भरतपुर फीडर को पानी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जावेगा ? यदि नहीं, तो भरतपुर फीडर में पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से मिले इसके लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। के. पी. ड्रेन के चेन 811 से लिफ्ट द्वारा गुड़गांव नहर एवं डीग डिस्ट्रीब्यूटरी द्वारा भरतपुर फीडर के सिंचित

(सिंचाई मंत्री)
क्षेत्र की सिंचाई करने की योजना विचाराधीन है।

अणु बिजली घर रावतभाटा

15. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री राम नारायण डूंडी (बिलाड़ा)

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अणु बिजली घर रावतभाटा से राज्य को काफी मात्रा में विद्युत् प्राप्त होती है ? यदि हां, तो बिजली घर के कार्यारम्भ करने के समय से प्रति माह कितनी-कितनी बिजली प्राप्त हुई ? कितने कितने दिनों तक कब कब ये बिजली घर बन्द रहे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिजली की प्राप्ति संबंधी अनिश्चितता के कारण राज्य में नये उद्योग भी नहीं लग पा रहे हैं तथा कृषि उत्पादन को भी भारी धक्का लगा है ? राज्य सरकार अणु बिजली की व्यवस्था में सुधार करने तथा तकनीकी जानकारी दिलाने बाबत केन्द्र सरकार के साथ क्या योजना बना रही है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त बिजली घर के कार्यारम्भ करने के समय से प्रति माह उपलब्ध विद्युत् ऊर्जा एवं इस बिजली घर के बंद रहने संबंधित सूचना सूची 'अ' में दी गई है।

(2) वर्तमान विद्युत् संकट सामयिक है। अतः इस कारण राज्य में नये उद्योग नहीं लगने की बात युक्ति संगत नहीं है। विद्युत् मण्डल द्वारा नये कनेक्शन देने पर इस वर्ष कोई रोक नहीं लगाई गई है। विद्युत् की दैनिक उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों हेतु अधिकतम बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अणु बिजली घर केन्द्र सरकार के अणु शक्ति विभाग के नियन्त्रण में है।

(129)

अणु बिजली घर की प्रथम व द्वितीय ईकाई की वर्ष एवं माहवार विवरण तालिका

माह	1973		1974		1975		1976		1977	
	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में।	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में।	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में।	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जनवरी	–	–	92.56	744	145.59	888	224.51	687	206.38	855
फरवरी	–	25	95.09	622	122.34	829	294.26	563	20.10	1054
मार्च	–	–	145.11	784	289.44	660	744.00	–	55.35	1158
अप्रेल	466.32	56	201.45	770	82.43	1089	502.02	224	179.12	230
मई	387.19	312	299.21	686	41.45	1224	24 40	1102	167.17	802
जून	132.50	431	183.28	856	119.26	993	312.22	553	81.05	712
जुलाई	163 21	511	691.57	51	557.51	248	221 29	548	697.05	41
अगस्त	628.17	84	744.00	–	744.00	–	188.03	784	744.00	–
सितम्बर	427 29	183	720.00	–	720.00	–	116.24	930	720.00	–
अक्टूबर	744.00	–	393.45	519	744.00	–	54.42	1077	744.00	–
नवम्बर	720.00	–	67.12	1134	720.00	–	–	1173	720.00	–
दिसम्बर	191.02	553	437.48	500	651.34	92	376.35	559	744,00	–

माह	1978		1979		1980		1980		1981		1981	
	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा भेजे गये यूनिट लाखों में।	बन्द करने का समय घण्टों में	द्वितीय ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में।	बन्द करने का समय घण्टों में	प्रथम ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में।	बन्द करने का समय घण्टों में	द्वितीय ईकाई द्वारा बाहर भेजे गये यूनिट लाखों में।
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
जनवरी	744	–	122.11	973	108.55	1099	–	–	665.25	32	17.55	470
फरवरी	672	–	143.27	885	543.35	215	–	–	–	–	–	–
मार्च	744	–	145–53	979	485.58	402	–	–	–	–	–	–
अप्रेल	720	–	70–26	1072	निल	1162	–	–	–	–	–	–
मई	744	–	निल	1281	145.17	828	–	–	–	–	–	–
जून	720	–	132.43	884	135.16	698	–	–	–	–	–	–
जुलाई	744	–	1.10	1219	177.24	841	–	–	–	–	–	–
अगस्त	744	–	236.40	645	178.15	830	–	–	–	–	–	–
सितम्बर	717–37	155	274.16	556	46.05	1001	–	–	–	–	–	–
अक्टूबर	283–33	348	114.48	967	301.57	610	–	–	–	–	–	–
नवम्बर	197–12	711	निल	1209	निल	1164	351.32	249	–	–	–	–
दिसम्बर	406–04	392	199.13	872	315.53	777	678.56	64	–	–	–	–

पंचायत समिति, इटावा के ग्रामों का विद्युतीकरण

16. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा का विद्युतीकरण किये जाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी रकम खर्च होगी ? सम्पूर्ण पंचायत समिति के विद्युतीकरण किये जाने की क्या योजना है ? योजनावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन गांवों का योजनानुसार विद्युतीकरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त योजना का क्रियान्वयन शीघ्रता से किये जाने का आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर कुल 91.450 लाख रुपये व्यय किया जाना अनुमानित है। उक्त योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति के शेष सभी अविद्युतीकृत ग्राम सम्मिलित हैं। योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) क्षेत्र में यातायात की उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजना की क्रियान्विति यथासंभव शीघ्रता से की जा रही है।

पंचायत समिति, इटावा के स्वीकृत योजनाबद्ध ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम
	प्रथम वर्ष
1.	देवपुरा
2.	धाकड़ा खेड़ी
3.	कंवरपुरा
4.	रखमपुरा
5.	हरदेवगंज
6.	महापुरा
7.	सुनारी
8.	दौलतपुरा
9.	बलवन
10.	अमरपुरा
11.	अरनिया
12.	शोभानपुरा
13.	जैनावास
14.	जयनगर
15.	रमझमपुर
16.	वालापुरा
17.	बावई
18.	शेरगंज
19.	गुड्ढा
20.	बोरियागांव
21.	सुमेरपुरा
22.	चन्द्रगंज
23.	वेगमगंज
24.	रूपपुरा
25.	टौकसपुरा
26.	चक खेड़ला उर्फ हिम्मतपुरा
27.	नयागांव
28.	केमलिया
29.	रामपुरिया
30.	रामनगर
31.	कैलाशपुरा

(132)

क्र. सं.	ग्राम का नाम
32.	पापड़ा
33.	नान्ता
34.	केशोपुरा
35.	अभयपुरा
36.	नवलपुरा
	द्वितीय वर्ष
37.	गोन्दी
38.	डोली
39.	झाड़ोल
40.	श्योपुरा मानपुरा
41.	गणेशगंज
42.	मुगेना
43.	मुन्डली
44.	रनोड़िया
45.	नारायणपुरा
46.	किशनवास
47.	फतेहपुरा
48.	रजोपा
49.	केशोपुरा
50.	किशनपुरा उर्फ अल्लापुरा
51.	खेड़ली वारेदा
52.	ख्यांवदा
53.	बैरड़ा
54.	करवाड़
55.	शोभागपुरा
56.	भवानीपुरा
57.	देवपुरा
58.	खेड़ली वेरीसाल
59.	कड़ीला
60.	फुलोद
61.	डूंगरली
62.	रोन
63.	शहबाजदा
64.	ल्यावदा
65.	ड़डवाड़ा
66.	नौनेरा
67.	रामपुरा
68.	बम्बुलिया कलां
69.	गेंता
70.	श्रामलवा
71.	खारवन
72.	बम्बुलिया खुर्द
73.	नीमसरा
	तृतीय वर्ष
74.	राजपुरा
75.	डोरली
76.	विनायका
77.	नलवता
78.	दूधली
79.	खेड़ली जागीर
80.	दौलतपुरा
81.	ढीपरी
82.	श्रंयाना
83.	प्रेमपुरा
84.	कांकरा
85.	श्रीपुरा
86.	भमानी
87.	जलोदा-खातियान
88.	बिशनपुरा
89.	कवलदा
90.	लक्ष्मीपुरा
91.	हरिपुरा
92.	निमोदा
93.	झाड़ोली
94.	दुर्जनपुरा
95.	छतरपुरा उर्फ कुम्हारिया
96.	पीपलदा खुर्द
97.	लुहावद
98.	गणेशपुरा

क. सं.	ग्राम का नाम	क. सं.	ग्राम का नाम
99.	कजलिया	133.	बालुमा
100.	खेड़ली पीपलदा	134.	ठिकरदा
101.	गणेश खेड़ा	135.	छापोल
102.	खेड़ली देव		नोन-पोटेंशियल
103.	करजोदा	136.	धनवां
104.	गन्डावद	137.	केथोदा
	चतुर्थ वर्ष	138.	कैलाशपुरी
105.	ढीपरी	139.	संगरामगंज
106.	सुमेरपुरा	140.	लालपुरा उर्फ फतेहपुरा
107.	तालाव	141.	तीरापुर
108.	जोरावरपुरा	142.	पीचुपुरा
109.	देवनीमड़ी	143.	गेन्दापुरा
110.	खतोली	144.	कानपुरा
111.	लाखनी	145.	धायली खेड़ा
112.	जटवाड़ा	146.	लक्ष्मीपुरा
113.	गणेश खेड़ा	147.	शोगंज
114.	बोरदा	148.	किशनगंज
115.	सनमानपुरा	149.	गुरजादपुरा
116.	हथोली	150.	दोवरली
117.	शेरपुर	151.	खेड़ली खुर्द
118.	ककरावदा	152.	किशनपुरा
119.	सीनोता	153.	खेड़लीकलां
120.	हरिपुरा	154.	ककावता
121.	नरनहाली उर्फ सुमेरपुरा	155.	रामगंज
122.	नीमोला	156.	पाड़ा
123.	गोठराकलां	157.	भैरूपुरा
124.	मियाना	158.	खेड़लीपेमा
125.	बैजपुर	159.	तोड़ी
126.	चाणदाकलां	160.	चक टोडी
127.	चाणदा खुर्द	161.	चक खेड़ली पेमा
128.	उदयपुरा	162.	शेरगढ़
129.	जटवाड़ा	163.	घटोद
130.	गुवाडी	164.	गोठरा खुर्द
131.	बगली	165.	शिवदानपुरा
132.	रामपुरिया	166.	नयागांव

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
167.	गुड़ला	202.	बिजावता
168.	बगावदा	203.	चाणदा
169.	घासिदा	204.	चक खेड़ली
170.	संग्रामपुरा	205.	मरकाना
171.	गोपालपुरा	206.	कंवरपुरा
172.	चकगुवाड़ी	207.	बिसलाई
173.	किशनपुरा उर्फ रूपासपुरा	208.	खेड़ली किशनपुरा
174.	रामखेड़ा	209.	बम्बूलियाघाटा
175.	श्रीपुरा	210.	रघुनाथपुरा
176.	बगरोद	211.	मीठोद
177.	शेरगंज	212.	बम्बूलिया खाड़ा
178.	डेलोद	213.	ढढोरा
179.	चक ककावता	214.	बाटोली
180.	फिरपुरा	215.	घरनिया
181.	रघुनाथपुरा	216.	खेड़ा
182.	सावा खेड़ली		
183.	उम्मेदपुरा		
184.	मझोपुरा		
185.	सब्जीपुरा		
186.	बंजारी		
187.	फतेहपुरा		
188.	किरपुरा		
189.	गोरधनपुरा		
190.	छत्रपुरा		
191.	बरेड़ा		
192.	बीरोध		
193.	भैरूंपुरा		
194.	गोपालगंज		
195.	खेड़ली मोनेरा		
196.	पाडली		
197.	मोर खुदना		
198.	गिरधरपुरा		
199.	रोहली		
200.	बडोदिया		
201.	कोड़ाबरा		

रुग्ण उद्योगों की समस्या का निदान

17. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने और कौन कौन से उद्योग बन्द हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त उद्योगों के बन्द होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार बीमार उद्योगों को ठीक कराने का कोई प्रयत्न कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) सर्वे के आधार पर राजस्थान में 1326 उद्योग बन्द हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(श्री उद्योग मंत्री)

(2) अधिकांश उद्योगों के बंद होने के कारण वित्तीय कठिनाइयों, कच्चे माल की कमी, विपणन की समस्या है। इसके अतिरिक्त कुछ औद्योगिक इकाइयों श्रमिक समस्या, भागीदारों के झगड़े, प्रबंधकीय समस्या एवं विद्युत् उर्जा की कमी के कारण बन्द हैं।

(3) बीमार उद्योगों को चालू करने के लिए राज्य स्तरीय अंतर संस्थान समिति का गठन किया गया है। विभिन्न जिलों में रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिये किए गए प्रयास से अब तक 26 इकाइयों को उद्योग विभाग द्वारा एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा 78 इकाइयों को पुनर्जीवित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए वर्ष 1981–82 के लिए ब्याज अनुदान एवं सुगम ऋण के लिए क्रमशः 6 लाख एवं 10 लाख रुपये निर्धारित किए हैं।

जिलेवार बंद इकाइयों की सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	इकाइयां (संख्या)
1	2	3
1.	अजमेर	21
2.	अलवर	14
3	बांसवाड़ा	7
4.	बाड़मेर	5
5.	भरतपुर	333
6.	भीलवाड़ा	281
7.	बीकानेर	16
8.	बूंदी	7
9.	चित्तौड़गढ़	9
10.	चूरू	47
11.	डूंगरपुर	4
12.	श्रीगंगानगर	115
13.	जयपुर	94
14.	जैसलमेर	4
15.	जालौर	29
16.	झालावाड़	—
17.	झुंझुनूं	26
18.	जोधपुर	16
19.	कोटा	13
20.	नागौर	139

1	2	3
21.	पाली	54
22.	सीकर	9
23.	सिरोही	6
24.	सवाईमाधोपुर	32
25.	टोंक	28
26.	उदयपुर	27
	योग	1326

निजी शिक्षण संस्थाओं के स्टाफ आदि के संरक्षण हेतु शिक्षण विधेयक

18. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु गत शासन में एक शिक्षा विधेयक विधायकों को वितरित किया था ?

(2) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार का क्या रुख है ?

(3) क्या उस शिक्षा अधिनियम को राज्य सरकार लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो विधान सभा में उसे कब प्रस्तुत करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राज्य सरकार के विचार के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

सुमेरपुर औद्योगिक एस्टेट में उद्योगपतियों को शैड्स

19. श्री कनक राज मेहता (सांचोर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर औद्योगिक संपदा में विभिन्न उद्योगपतियों को शैड सन् 1964 में ही दे दिये गए थे ? यदि हां, तो उस समय की उन शैड्स की लागत क्या थी व उनका किराया किस आधार पर तय किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि सुमेरपुर औद्योगिक सम्पदा सुमेरपुर बस्ती से दूर होने के कारण उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु सब्सिडी सन् 1974 से 1968 तक दी गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 12 जून, 1970 को राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक सम्पदा को हायर पर्चेज पर देना

(श्री कनकराज मेहता) -

तय किया गया था ? यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

(4) क्या उक्त अधिसूचना पर उद्योगपतियों ने आप्शन दे दिये थे मगर आज तक उन्हें हायर पर्चेज पर शैड नहीं दिये गये, जबकि उस वक्त के अन्य शैड मोखमपुरा आदि उसी मूल्याधारण पर हायर पर्चेज पर दे दिये गये थे ?

(5) राज्यादेश दिनांक 18 जुलाई 1970 व 21 जुलाई, 1977 की अनुपालना माफिक शैड्स की कीमत तय कर कब तक उद्योगपतियों को उनके कब्जे के शैड हायर परचेज पर दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। औद्योगिक शैड्स का मूल्यांकन नहीं होने के कारण वर्ष 1964 से प्रोविजनल रेन्ट लिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। किन्तु 3 वर्षों तक प्रत्येक शैड का सबसिडाइज्ड किराया वसूल किया गया।

(3) जी हां। शर्तों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी हां।

(5) नियमानुसार प्रक्रिया एवं औपचारिकतायें पूर्ण की जाकर यथाशीघ्र शैड्स का आवंटन हायर पर्चेज पर कर दिया जायगा।

सूची

संशोधित नियमों के अनुसार लीज होल्ड वेसिस पर आवंटित शैड्स को हायर पर्चेज वेसिस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया।

1. उक्त संशोधन के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि (18-6-70) से तीन माह की अवधि में लीज धारक को हायर पर्चेज पद्धति पर शैड आवंटन करने हेतु विकल्प दे सकते हैं।

2. शैड के कुल मूल्य का 20 प्रतिशत प्रारम्भिक प्रथम किश्त के रूप में देय होगा व शेष राशि 15 वार्षिक किश्तों में देय होगी।

3. विकल्प के स्वीकृत होने पर विकल्प देने की तिथि के पश्चात् दी गई लीज रेन्ट की राशि प्रथम किश्त, जो शैड के मूल्य का 20 प्रतिशत होगी, वह वार्षिक हायर पर्चेज की किश्तों में समायोजित की जावेगी।

4. लीज रेंट की राशि 20 प्रतिशत प्रथम किश्त में समायोजित करने के पश्चात् यदि यह राशि 20 प्रतिशत से कम रहती है तो निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा मांग किये जाने की तिथि से दो माह की अवधि में जमा करानी होगी।

(138)

5. निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा हायर पर्चेज बेसिस पर आवंटन हेतु दिया गया विकल्प उसी तिथि से लागू होगा जिस तिथि से हायर पर्चेज इसे लागू करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में चाहा हो तथा 15 वर्ष की अवधि, जिसमें शैड की सम्पूर्ण कीमत दी जानी है, का निर्धारण उक्त तिथि से होगा।

6. 20 प्रतिशत की प्रथम किश्त के अलावा शेष राशि 15 किश्तों में मय 6 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करानी होगी। 6 प्रतिशत ब्याज की राशि को विकल्प के लागू होने की तिथि से वसूल किया जायेगा।

7. शैड धारक द्वारा हायर पर्चेज नियम तिथि पर जमा न कराने पर 9 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज देय होगा।

8. हायर पर्चेजर सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के अनुमाटकन (सबलेट), उपमाटकन (अन्डरलेट), बन्धक (मोर्टगेज), अन्यथा अन्यक्रमण (अदरवाइज एलाइनेट) या हस्तान्तरण या शैड के साथ कब्जे के किसी भाग या किसी अधिकार या उसमें निहित हित समस्त हायर पर्चेज की किश्तों के भुगतान तक नहीं कर सकेगा।

संग्रहालयों में सुरक्षित पुरावस्तुओं का पूर्ण विवरण लेखबद्ध करना

20. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व): क्या पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में हर पुरावस्तुओं के विशेषज्ञ नियुक्त हैं? उनके कर्तव्य क्या-क्या हैं?

(2) क्या इन विशेषज्ञों की राय से संग्रहालय में सुरक्षित पुरावस्तुओं का पूर्ण विवरण पंजिकाओं में लेखबद्ध नहीं किया जा रहा है? क्या इस सम्बन्ध में महालेखाकार एवं मुख्य लेखाकार ने भी एतराज किया है?

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार पूर्व से ही संग्रहीत या नवीन प्राप्त प्रत्येक पुरावस्तु की फोटो की तीन प्रतियां बनाई जाकर तीन डिटेल कार्ड भरे जाकर एक पंजिका में इन्द्राज होने पर उन्हें अलग अलग संबंधित विभागों या व्यक्तियों को भेजा जाना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या इन नियमों का कठोरता से पालन हो रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस विभाग में कुछ तकनीकी अधिकारी अवश्य हैं पर हर पुरावस्तुओं के लिए स्वतन्त्र विशेषज्ञ नियुक्त नहीं हैं।

(2) हर राजकीय संग्रहालय का प्रभारी अधिकारी संग्रहाध्यक्ष होता है जो संग्रहालय में सुरक्षित पुरावस्तुओं एवं कला सामग्री का विधिवत वर्गीकरण, पंजीकरण तथा समुचित प्रदर्शन, संरक्षण व प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। यह सही है कि संग्रहालयों में कुछ सामग्री का पूर्ण विवरण अंकित नहीं करने के बारे में महालेखाकार एवं मुख्य लेखाधिकारी से एतराज प्राप्त हुए हैं।

(पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री)

(3) जी नहीं । इस विभाग के अधीन 17 राजकीय संग्रहालय है जिनमें बड़ी संख्या में विविध प्रकार की सामग्री विद्यमान है। प्रत्येक सामग्री का फोटोग्राफिक रिकार्ड वर्तमान सीमित साधनों में सम्भव नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर पुरावस्तुओं के फोटो रिकार्ड व कार्ड इन्डेक्सिग (Card Indexing) विभाग द्वारा किया जा रहा है । प्रत्येक वस्तुओं की तीन फोटो प्रतियाँ बनाई जाकर तथा डिटेल कार्ड भरे जाकर किसी अलग अलग विभागों या व्यक्तियों को भेजने की कोई परम्परा नहीं है।

भूमि विकास कार्यक्रम, कोटा

21. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में भूमि विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.) कब से प्रारम्भ हुआ है ?

(2) अब तक कितने हैक्टेयर भूमि इसके अन्तर्गत लाई गई है ?

(3) क्या किसानों को उनकी भूमि पर आने वाले व्यय के लिये सूचित किया गया है ?

(4) क्या ऋण देने वाले बैंकों को भी यह जानकारी है कि अमुक किसान के नाम कितना ऋण है ?

(5) क्या किसान से ऋण की जानकारी के बिना ही ऋण-पत्र पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में यह कार्यक्रम जून, 1974 से प्रारम्भ हुआ ।

(2) अब तक 18,211 हैक्टर भूमि इसके अन्तर्गत लाई गई है ।

(3) सूचित किया जाता है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलना

22. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष नये महाविद्यालय कितने खोले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि 250 नये माध्यमिक विद्यालय खोलने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उसी अनुपात में अभिवृद्धि होगी ? यदि हां, तो इन छात्रों को अग्रेतर विद्या अध्ययन हेतु सरकार किस योजना पर विचार कर रही है ?

(3) क्या सरकार नये महाविद्यालय खोलते समय ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दिये जाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) इस वर्ष कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त खण्ड खोल दिये जाते है।

(3) जी हां।

जालोर जिले में आवंटित सीमेंट

23. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालोर जिले को जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक कुल कितनी बोरी सीमेंट आवंटित किया गया ? उक्त समय के लिए जिला रसद अधिकारी द्वारा कितनी बोरी सीमेंट की मांग की गई थी ?

(2) जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक जालोर जिले की हर पंचायत समिति को कितना कितना सीमेंट आवंटित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालोर जिले की जुलाई, 80 से जनवरी, 81 के तीन त्रैमासों की मांग एवं उक्त अवधि में आवंटित सीमेंट की तालिका संलग्न है।

(2) जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 के त्रैमासों में जालोर जिले की हर पंचायत समिति को आवंटित सीमेन्ट की सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

प्रश्न के भाग 2 की सूची

(मात्रा टनों में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	तृतीय तिमाही 1980	चतुर्थ तिमाही 1980	प्रथम तिमाही 1981
1.	जालोर	140.45	145	145
2.	आहोर	90.00	90	90
3.	सायला	71.00	70	70
4.	भीनमाल	118.20	111	94
5.	रानीवाड़ा	62.00	72	72
6.	जसवन्तपुरा	71.00	43	71
7.	सांचोर	97.35	119	108

प्रश्न के भाग 1 की सूची

क्रमांक	त्रैमास का नाम	जिला रसद अधिकारी की मांग	त्रैमास में सीमेन्ट की आवंटित मात्रा
1.	तृतीय त्रैमास, 80	1,500 मै. टन	650 मै. टन
2.	चतुर्थ त्रैमास, 80	1,500 मै. टन	650 मै. टन
3.	प्रथम त्रैमास, 81	1,500 मै. टन	650 मै. टन

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न सं. 1 की सूची

सूची पुलिस कर्मचारीगण जिन्हें सन् 1975 में एवं 1976 में राज्य सेवा से मुक्त किया गया।

1975

1. श्री आत्माराम क.नि.
2. श्री आनन्दीलाल ,,
3. श्री मौजीराम ,,
4. श्री रामस्वरूप ,,
5. श्री गुलाब सिंह ,,
6. श्री देवीसिंह ,,
7. श्री चम्पालाल ,,
8. श्री शरीफ खां ,,
9. श्री धरमेन्द्र कुमार ,,
10. श्री शम्भूलाल ,,
11. श्री रामलाल ,,

1976

1. श्री शेख नबाब हैड कानि.
2. श्री महीपाल सिंह कानि.
3. श्री नुरूदीन ,,
4. श्री नन्दसिंह ,,
5. श्री गोपालसिंह ,,
6. श्री कासम खां ,,
7. श्री गोविन्द सिंह ,,
8. श्री नेपालसिंह ,,
9. श्री घनश्याम ,,
10. श्री इकबाल सिंह ,,
11. श्री हीरासिंह ,,
12. श्री नूर मोहम्मद ,,
13. श्री प्रभूलाल ,,
14. श्री रघुनाथ सिंह ,,
15. श्री मांगीलाल ,,
16. श्री दुर्गालाल हैड कानि.

M2

17. श्री खानगुलखां कानि.
18. श्री विद्यासागर पाण्डे कानि.

सूची हैड कानिस्टेवलान जो वर्ष 1975-76 में राज्य सेवा से बरखास्त किये गये।

1. श्री शेख नवाब नं. 419
2. श्री दुर्गालाल नं. 107

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची)

सूची

(1) वर्ष 1978–79 में कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में कोई जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं हुई।

(2) वर्ष 1979–80 में निम्न 11 जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत हुईं।

क्र. सं.	जल प्रदाय योजना का नाम	लाभान्वित ग्रामों का नाम	कोड नं.
1	2	3	4
1.	क्षेत्रीय जल योजना खान ग्रावर	1 खान	28
		2 दादू	29
		3 लखन	59
		4 इन्दू	30
2.	पम्प एण्ड टैंक योजना सातरक	सातरक	68
3.	हैण्ड पम्प योजना, तारवा	तारवा	23
4.	हैण्ड पम्प योजना अभोरी	अभोरी	25
5.	परम्परागत स्रोत योजना महरावर	महरावर	41
6.	परम्परागत स्रोत योजना अस्तायन जदीद	अस्तायन जदीद	51
7.	हैण्ड पम्प योजना धनवाड़ा	धनवाड़ा	55
8.	हैण्ड पम्प योजना सोगर	सोगर	86
9.	हैण्ड पम्प योजना डहरा	डहरा	90
10.	हैण्ड पम्प योजना वावन	वावन	139
11.	हैण्ड पम्प योजना आजऊ	आजऊ	102

(3) वर्ष 1980–81 में निम्न 19 हैण्ड पम्प योजनायें स्वीकृत हुईं :—

क्र. सं.	स्वीकृत जल प्रदाय योजना का नाम	कोड नं.
1.	बनी	114
2.	बरताई	5

3.	बासरोली	109
4.	वेलारा कलां	95
5.	वेलारा खुर्द	92
6.	अन सोटी	8
7.	हिंगोली	48
8.	कूम्हा	31
9.	नगला जोधसिंह	148
10.	पिचुमर	40
11.	संघ सकीतरा	141
12.	सजोला	26
13.	समन	27
14.	सोही	118
15.	सेहती	12
16.	सुपावास	36
17	सुरोता	60
18.	थेराबर	3
19.	उसरानी	4

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर)

वर्ष 1979-80 व 80-81 में भीलवाड़ा जिले में वृद्धावस्था पेंशन जिन जिन व्यक्तियों को स्वीकृत कर चुकाई गई की सूची

वर्ष 1979-80

क्र. सं.	नाम व्यक्ति मय पूर्ण पता	चुकाई गई राशि की दर
1	2	3
1.	श्रीमती गांधी पत्नी श्री नाथू भील नि. बलदरखा त. बनेड़ा	40.00
2.	श्री मांगु पुत्र नारायण बलोगा नि. हमीपुरा त. बनेड़ा	40.00
3.	श्री भूरसिंह पुत्र केसरसिंह नि. महुआखुर्द त. बनेड़ा	40.00
4.	श्री गीसा पुत्र गोपाल गाडरी नि. रामपुरिया त. बनेड़ा	40.00
5.	श्री घीसू पुत्र देवी भील नि. बगास त. बनेड़ा	40.00
6.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र पीरू खां नि. खातनखेड़ी त. बनेड़ा	40.00
7.	श्रीमती रामू पत्नी मोड़ा ब्राह्मण नि. सकतपुरिया त. बनेड़ा	40.00
8.	श्री नवरबाई पत्नी मांगीलाल नि. भीलवाड़ा	40.00
9.	श्री गोटु पुत्र कालु भील नि. कान्दा त. भीलवाड़ा	40.00
10.	श्री महादेव पुत्र गणपत नि. भीलवाड़ा	40.00
11.	श्री भंवरलाल पुत्र नारायण ढोली नि. सीदडीयास	40.00
12.	श्रीमती बरदी पत्नी बूला भील नि. भदालीखेड़ा	40.00
13.	श्री चिरागमोहियुदीन पुत्र कलन्दर मोहीयुदीन नि. रत्नाखेली त. हुरड़ा	40.00
14.	श्री निर्भयसिंह पुत्र भवानीसिंह नि. खमदला त. माण्डल	40.00
15.	श्री भगवानसिंह पुत्र रामसिंह नि. भगवानपुरा	40.00
16.	श्रीमती चन्द्री पत्नी बरदा माली नि. करेड़ा	40.00
17.	श्रीमती बरजी पत्नी नन्दा बलाई नि. सीमडियास	40.00
18.	श्री जेवा पुत्र देवा बलाई नि. करेड़ा	40.00
19.	श्री रामलोचनदास पुत्र लक्ष्मण नि. भगवानपुरा	40.00
20.	श्रीमती धापू पत्नी नीला भील नि. करेड़स	40.00
21.	श्री सवाईराम पुत्र धन्ना रेबारी नि. कोडियाल	40.00
22.	श्री सोहनलाल पुत्र मांगीलाल चेचाणी नि. शाहपुरा त. शाहपुरा	40.00
23.	श्री ऊदा पुत्र गोमा चमार नि. चांवडिया त. कोटड़ी	40.00
24.	श्री उदा पुत्र भैरूलाल गूजर नि. बोगड़ी	40.00

1	2	3
25.	श्री कल्याण पुत्र डूलसिंह श्रीमती बरदी बेवा कल्याणसिंह नि. बिजोलिया त. माण्डलगढ़	60.00
26.	श्रीमती ललीत बाई बेवा रामचन्द्र नि. बामणिया त. बनेड़ा	40.00
27	श्री गोघा पुत्र कालू दुदिया त. बनेड़ा	40.00
28	श्री लोगा पुत्र लक्ष्मण नि. लक्ष्मीपुरा	40.00
29	श्री प्रताप पुत्र श्री खूबिया चमार नि. चमनपुरा	40 00
30	श्री कालु पुत्र नाथू नि. करोईकलां तह. भीलवाड़ा	40.00
31.	श्री कलीलम देवा मिश्रीखां नि. शाहपुरा	40.00
32.	श्रीमती सगागारी पत्नी हजारी नि. सूरजपुरा त. बनेड़ा	40.00
33.	श्रीमती गणेमी बेवा शंकर भंगी नि. ज्ञानगढ़ त. माण्डल	40.00
34	श्री नारायण पुत्र भोला लखारा नि. सरेरी बडारों की त. हुरड़ा	40.00
35.	श्री हीरालाल पुत्र शंकरलाल राव आसीन्द	40.00
36.	श्री जवानसिंह पुत्र बरदासिंह रावत नि. आसीन्द	40.00
37.	श्रीमती फूली बेवा किशना रेवारी नि. भाकलियास	40. 00
38.	श्री नाथू पुत्र सरदार नि. कटार	40. 00
39.	श्री छीतर पुत्र रेवता खारोल त. आसीन्द	40.00
40	श्री हेमराज पुत्र ताराचन्द नि. भीलवाड़ा	40.00
41.	श्रीमती जमनी बेवा लक्ष्मण भील नि. भीलवाड़ा	40.00
42.	श्रीमती बरदी पत्नी बेवा बलाई नि. माण्डल	40 00
43	श्रीमती मंगदू पत्नी भूरा भील नि. खेजडी	40.00
44.	श्रीमती जुलाली बेवा बद्रीलाल नि. बनेड़ा	40.00
45.	श्री वरदा पुत्र भैरू रेंगर नि. बनेड़ा	40.00
46	श्रीमती कुलकंवर बेवा भवानीसिंह नि. हाजियास	40.00
47.	श्रीमती बाली बेवा लादूराम भीलवाड़ा	40.00
48.	श्रीमती ना[illegible]ी बेवा उदा चमार चैनपुरिया	40.00
49.	श्रीमती भंवरी बेवा कन्हैयालाल नि. हरणीकलां	40.00
50.	श्रीमती दाखी बेवा उदेराम नि. कारोमा त. रायपुर	40.00
51.	श्रीमती भूरी बेवा राम टीपा	40.00
52	श्रीमती गेंदी बेवा उरजा नि. नायड़ियाल	40.00
53	श्रीमती दान बाई बेवा रघुनाथसिंह नि. खुटिया	40 00
54.	श्रीमती [illegible]राव बेवा नन्दा	40 00
55.	श्रीमती [illegible]री बेवा करीमबड़ा नि. रायपुर	40.00
56	श्रीमती म[illegible]ह बेवा थानसिंह त. रायपुर	40.00
57.	श्रीमती चुन्नी बेवा नीला भील नायड़ियाल	40.00

1	2	3
58.	श्रीमती जसु बाई बेवा जगन्नाथसिंह नि. सगरेव	40.00
59.	श्रीमती धापु बेवा लालु नि. नाथड़ियास	40.00
60.	श्रीमती भूरी बेवा रख्खा भील भाडोल	40.00
61.	श्रीमती संतोष बाई पुत्री केसरनाथ नि. कोशीथल त. सहाड़ा	40.00
62.	श्री प्रभुलाल पुत्र रामदेव नि. कोशीथल	40.00
63.	श्री मांगू पुत्र रामा कोशीथल	40.00
64.	श्री मलारखी बेवा अमाबद्दा मुसलमान नि. सहाड़ा	40.00
65.	श्री भटेर पुत्र मूला चमार नि. खुमपुरा	40.00
66.	श्रीमती भंवर बाई बेवा मांगू सहाड़ा	40.00
67.	श्रीमती धाली बेवा रामलाल नि. लखमनियास	40.00
68.	श्री डालू पुत्र हीरा कुमादत नि. गूठिला	40.00
69.	श्री नाथू पुत्र नानजी चमार नि. कालागुडा	40.00
70.	श्री गोपी पुत्र सोवक्ष नि. लाखोला	40.00
71.	श्रीमती धापू बेवा रूपा नि. शिवरति	40.00
72.	श्रीमती जमनी पुत्री सियाराम गलोदया	40.00
73.	श्री सियाराम पुत्र लट्टीराम नि. रूपपुरा	40.00
74.	श्री गंगाराम पुत्र मोडा नि. नेकडियाखेडा	40.00
75	श्री सुख पुत्र प्रताप नि. पाठला	40.00
76.	श्री सेज पुत्र नेमचद नि. पोठला	40.00
77.	श्रीमती सणगारी पत्नी रति नि. खुरावास	40.00
78.	श्रीमती खीयाल पत्नी कजोड भील नि. लाखोला	40.00
79.	श्री अमर चन्द पुत्र एकलिंग नि. मण्डपिया	40.00
80.	श्रीमती पेमु बेवा मोतीनाथ जोगी नि. खिंतार त. आमेट	40.00
81.	श्रीमती खेसर बेवा जगन्नाथ खत्री नि. दौलतगढ़	40.00
82.	श्री चान्द खां पुत्र अकबर खां श्रीमती गेंदी पत्नी चांद खां	60.00
83.	श्री हजारी पुत्र दौला नि. कटार श्रीमती घोधी पत्नी हजारी नि. कटार	60.00
84.	श्री नानी पत्नी भज्जा लुहार नि. परा	40.00
85.	श्री भैरूसिंह पुत्र पोर्डसिंह श्रीमती मूली बाई पत्नी भेरूसिंह नि. बदनोर	60.00
86.	श्रीमती हगामी बाई पत्नी लालू नाई नि. भैरूखेड़ा	40.00
87.	श्रीमती गेन्दी पत्नी लक्ष्मणदास साधु नि. बरावा	40.00
88.	श्री रामरतन पुत्र सियाराम नि. जहाजपुर	40.00

1	2	3
89.	श्री नरसिंग पुत्र भोपालसिंह नि. किशनगढ़ त. जहाजपुर	40.00
90.	श्री किशन पुत्र भवाना मीणा	40.00
91.	श्रीमती सणगारी पत्नी छगना नि. मेदिया	40.00
92.	श्रीमती पुष्पा पत्नी किशन नि. मेदिया	40.00
93.	श्री खानदास पुत्र थालदास श्रीमती झमकू पत्नी खानदास नि. मोतीपुरा	60.00
94.	श्री मोती पुत्र सायरा नि. डूंगारिया	40.00
95.	श्री रुकमण बेवा नाथू नि. भाव का गूढ़ा	40.00
96.	श्रीमती धाऊ बाई बेवा कजोड़नाथ नि. राजपुरा त. माण्डलगढ़	40.00
97.	श्रीमती छोटी बेवा नंदा खटीक अमरपुरा	40.00
98.	श्रीमती रामुदेवी बेवा गोकल लखारा नि. तहनाल	40.00
99.	श्री अनवर खां पुत्र धीरु खां नि. शाहपुरा	40.00
100.	श्रीमती नानी पत्नी सूवालाल गर्ग तहसील तहनाल	40.00
101.	श्री नानूड़ी पत्नी कालू चमार कुलियांकला	40.00
102.	श्री छीतर पुत्र भूरा गूजर समोडी त. भीलवाड़ा	40.00
103.	श्रीमती नाथी पत्नी मोर्डसिंह दरोगा स. भीलवाड़ा	40.00
104.	श्री रतनलाल पुत्र महावीर खैरावाद	40.00
105.	श्रीमती टमु बाई पत्नी मगनलाल भीलवाड़ा	40.00
106.	श्रीमती जसु पत्नी गोकल नि. भैरखेडा	40.00
107.	श्रीमती मेणी पत्नी देवा ओड नि. चांदगढ़ त. कोटडी	40.00
108.	श्रीमती पेमली बेवा गुलाबसिंह किशनगढ़	40.00
109.	श्रीमती झमकू पत्नी काना नि. मिधास	40.00
110.	श्रीमती जमकु पत्नी जगनाथ सुथार नि. बडला	40.00
111.	श्रीमती काशी बाई पत्नी तोलाराम भीलवाड़ा	40.00
112.	श्रीमती मूली बेवा भोलूराम नि. लुहारीखुर्द	40.00
113.	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र भंवरलाल खाती नि. जहाजपुर	40.00
114.	श्रीमती खोसर पत्नी मोहनलाल शर्मा ओडिया का खेड़ा	40.00
115.	श्रीमती बरदा रामा अलाई नि. गुडा	40.00
116.	श्रीमती राजबाई बेवा वंशीलाल कोशियल	40.00
117.	श्रीमती लहरीबाई पत्नी पृथ्वीराज दमामी कोशीयल	40.00
118.	श्री किशन पुत्र नारायण भाटी	40.00
119.	श्री श्रीराम पुत्र पेमा नि. मेलोनी	40.00
120.	श्रीमती बरजी पत्नी धन्ना चमार नि. डोकलिया त. शाहपुरा	40.00
121.	श्रीमती धापू बेवा जालू बलाई नि. मुराम जि. रायपुर	40.00

1	2	3
122.	श्री गोकल पुत्र किसना नि. गोविन्दपुरा त. माण्डल	40.00
123.	श्रीमती रामी पत्नी भूरा कुमावत नि. रामपुरिया	40.00
124.	श्री खेमा पुत्र नंदा बलाई नि. मोसालिया त. माण्डल	40.00
125.	श्री मेहन्दु पुत्र गोदु गुजर नि. भीलवाड़ा	40.00
126.	श्रीमती गोपी पत्नी रामचन्द्र	40.00
127.	श्री नृसिंह दास पुत्र रामरतनदास नि. बरगांव	40.00
128.	श्रीमती मुहली पत्नी हीरा रेगर बामनवास	40.00
129.	श्री रामा पुत्र केला नि. गुढ़ा	40.00
130.	श्रीमती मानकंवर पत्नी गणपतलाल गुजराती जामोली	40.00
131.	श्रीमती छाऊ पत्नी रामचन्द्र नि. भूवाल्या	40.00
132.	श्री बालू पुत्र जेता नि. सुलिया	40.00
133.	श्रीमती सुन्दरबाई पुत्री लालू ब्राह्मण नि. सहाड़ा	40.00
134.	श्रीमती गोमी पत्नी नाथु भील नि. नांदसा	40.00
135.	श्री रामा पुत्र गिरधारी दरोगा चावंडिया त. सहाड़ा	40.00
136.	श्रीमती सोनी पत्नी भेरा दरजी सहाड़ा	40.00
137.	श्रीमती दाखी बेवा देना भील नि. बराठिया	40.00
138.	श्रीमती सोवनी बेवा रता खटीक नि. आमली त. सहाड़ा	40.00
139.	श्रीमती जसोदा बेवा रामकिशन भीलवाड़ा	40.00
140.	श्रीमती ऐजन पत्नी अनवर खां प्रतापपुरा शाहपुरा	40.00
141.	श्री सुवा पुत्र लाला भंगी नि. मानगढ़	40.00
142.	श्रीमती भुर बाई पत्नी मांगीलाल ब्राह्मण नि. पीपलुन्द	40.00
143.	श्री माधु पुत्र गंगाराम दरोगा कामोली	40.00
144.	श्री किशना पुत्र खुमा मीणा कुरड़िया	40.00
145.	श्री सरफान पुत्र अब्बासअली नि. जहाजपुर	40.00
146.	श्रीमती भूरी पत्नी सूर्यकरण जोशी	40.00
147.	श्रीमती घीसी बेवा प्रताप नि. तीराणा त. रायपुर	40.00
148.	श्री केसुदास पुत्र लालदास जोशी रायपुर	40.00
149.	श्री भूरा पुत्र पन्ना श्रीमती भगती पत्नी भुरा भीलवाड़ा	60.00
150.	श्री सवंतसिंह पुत्र करणसिंह नि. बोरियापुरा	40.00
151.	श्रीमती रुपी पत्नी देवीसिंह नि. सड़क का बाड़िया त. माडल	40.00
152.	श्रीमती नाथी पत्नी ऊबा लाल नि. आमदला	40.00
153.	श्रीमती रतु पुत्री गुल्ला भील नि. हुरण त. आसीन्द	40.00
154.	श्रीमती घीसी पत्नी ऊंकार बलाई नि. बेराम	40.00
155.	श्री मांगू पुत्र हेमा चमार नि. लक्ष्मीपुरा	40.00

150

1	2	3
156.	श्री प्रताप पुत्र सीला माली नि. देवपुरा	40.00
157.	श्री मूला पुत्र नारायण दरोगा नि. धनोप त. साहपुरा	40.00
158.	श्रीमती अगकु बेवा ग्यारसा मीणा नि. जुजारपुरा त. मांडलगढ़	40.00
159.	श्रीमती अमामन बाई पत्नी नूरखां मुसलमान मांडलगढ़	10.00
160.	श्रीमती बरजी पत्नी पोखर बोला नि. माधोपुर	40.00
161.	श्री चुन्नीलाल पुत्र तुलसीराम कलाल मांडलगढ़	40 00
162.	श्री बद्रीलाल पुत्र लछीनारायण लढा फुलियांकला	40.00
163.	श्रीमती छगु बाई पत्नी हुक्मा ब्राह्मण ब्राह्मणों की सरेरी	40.00
164.	श्री रामपाल पुत्र देवा सवा भीलवाड़ा	40.00
165.	श्रीमती कलसुम पत्नी जमालुदीन भीलवाड़ा	40.00
166.	श्रीमती फातमा पत्नी जलालुदीन भीलवाड़ा	40.00
167.	श्रीमती उदी पत्नी रूपा भाम्बी नि. संगरोप	40.00
168.	श्री मांगू पुत्र प्रताप गुजर नि. प्रतापपुरा	40.00
169.	श्री रामकुंवार पुत्र लादुराम छीपा नि. भीलवाड़ा	40.00
170.	श्रीमती गोरी बाई पत्नी रामदयाल भीलवाड़ा	40.00
171.	श्री खुम्बसिंह पुत्र चतरसिंह	
	श्रीमती मानी पत्नी खूबसिंह नि. शीतला का चौड़ा त. आसीन्द	60.00
172.	श्री दल्ला पुत्र चतरा भील नि. खडेला	40.00
173.	श्रीमती रहमत बाई पत्नी मोहम्मद यदीस नि. आसीन्द	40.00
174.	श्री नन्दा पुत्र बागा नि. गंभीरपुरा	40.00
175.	श्री रामबक्स पुत्र नारायण ढोली नि. बावड़ी	25.00
176.	श्रीमती सुमित्रा पत्नी उगमा दरोगा नि. महुआखुर्द	40.00
177.	श्री देवा पुत्र धुला बलाई नि. बिलेका	40.00
178.	श्रीमती पारी पत्नी हरदेव मीणा नि. लुहारीकलां	40.00
179.	श्रीमती धापू पत्नी नाहरा मीणा नि. गणेशपुरा	40.00
180.	श्री काना पुत्र जालू तेली नि. कोटा	40.00
181.	श्रीमती भूरी पुत्री भज्जा बलाई नि. मीटा	40.00
182.	श्रीमती खेमी पत्नी लालू नि. खननिया	40.00
183.	श्रीमती जेती बाई पत्नी मेघा नि. परवली	40.00
184.	श्री दयाराम पुत्र जवाहरमल जाट नि. जोरावरपुरा	40.00
185.	श्रीमती बाली बाई पुत्री मूलचन्द मून्दड़ा नि. हुरड़ा	40.00
186.	श्रीमती कजी पत्नी हेमा भील बोरखेड़ा	40.00
187.	श्री चंपालाल पुत्र कजोड़मल नाई नि. तसवारिया त. हुरडा	40.00
188.	श्री कजोड़ पुत्र देवा भील नि. कोशीथल	40.00

1	2	3
189.	श्री सवाई राम पुत्र जोधा भील श्रीमती भूरी पत्नी सवाईराम नि. लाखोला	60.00
190.	श्री रामा पुत्र जेता कीर नि. कोशीथल	40.00
191.	श्रीमती मीजों पत्नी भवाना भील नि. निम्बाहेड़ा	40.00
192.	श्रीमती मंगदू पत्नी सूरत बलाई नि. आमली कलां	40.00
193.	श्रीमती गलकू पुत्री चन्द्रा लुहार नि. डाबला कचरा	40.00
194.	श्रीमती मानु बेवा मांगू भील नि. निम्बाहेड़ा	40.00
195.	श्रीमती ऊदी पत्नी धुकलदास चमार नि. सांगरिया	40.00
196.	श्रीमती नारायणी बेवा भूरा बावरी नि. बोरडा	40.00
197.	श्रीमती गट्टू बेवा रूपा नायक नि. बागथमा	40.00
198.	श्रीमती टेकू पत्नी बद्री लुहार नि. भेजा	40.00
199.	श्रीमती गलकू बेवा देवी चमार नि. अमरवासी	40.00
200.	श्री हीरालाल पुत्र भूरालाल मीणा नि. बिन्दयालास भटा	40.00
201.	श्रीमती उमरी पत्नी होड़ा मीणा नि. पांचा का बाड़ा	40.00
202.	श्री कालूराम पुत्र थुला मीणा नि. गाडोली	40.00
203.	श्रीमती मथुरी पुत्री नारायण बलाई नि. लुहारी कलां	40.00

वर्ष 1980-81

204.	श्री फुलसिंह पुत्र भूरसिंह रावत नि. रीट्टी का बाडिया	27.00
205.	श्री गंगादास पुत्र मंगलदास बेरागी नि. शाहपुरा	40.00
206.	भैरों पुत्र किशना तेली श्रीमती जमकु पत्नी भैरू नि. भीलवाडा	60.00
207.	श्रीमती मुली बाई पत्नी भैरोंसिंह राजपूत नि. बदनोर	40.00
208.	श्रीमती एजन पुत्री हुजारी भील नि. कहांसिया	40.00
209.	श्री शकरू पुत्र बहादुर खां नि. बाकीला	40.00
210.	श्रीमती अलील बाई पत्नी जगरूप मोची नि. मांडुलगढ	40.00
211.	श्रीमती रामकन्या पत्नी मांगीलाल नि. फुलियां कलां	40.00
212.	श्रीमती केसर पत्नी बालु नि. जोधड़ास	40.00
213.	श्रीमती भूरी पत्नी कुशाल नि. शंकरगढ	40.00
214.	श्रीमती भंवरी बेवा भंवरलाल तैली. नि. पाटन	40.00
215.	श्री रेवाचन्द पुत्र हीराचन्द नि. गुलाबपुरा	40.00
216.	श्री बंशीदास पत्र मोहनदास श्रीमती गुलाबी पत्नी बंशीदास नि. कोखेडा	40.00
217.	श्रीमती रामनाथा पत्नी गंगाराम नि. लुहारी कलां	40.00

1	2	3
218.	श्रीमती गुलजार बेगम पत्नी मिर्जा अब्बास बेग नि. फुलियाकलां	20.00
219.	श्रीमती फूली देवी पत्नी देवी चमार नि. जहाजपुर	20.00
220.	श्री कजोड़ पुत्र हरलाल नि. प्रतापपुरा	40.00
221.	श्री मोहरदेवी पत्नी भागीरथ शर्मा नि. शाहपुरा	40.00
222.	श्रीमती परवीना पत्नी ईस्माईल नि. भीलवाडा	40.00
223.	श्रीमती रजीमन पत्नी मोहम्मद नि. भीलवाड़ा	40.00
224.	श्रीमती नर्बदा पत्नी मोहन मोची नि. पुर	40.00
225.	श्री गोमा पुत्र बालु नि. हमीरगढ	40.00
226.	श्री मोगीलाल पुत्र कालु भाम्बी नि. भीलवाड़ा	40.00
227.	श्रीमती पारवती पत्नी महादेव उर्फ साधु	40.00
228.	श्री वजीरशाह पुत्र फतेहशाह नि. माण्डलगढ	40.00
229.	श्रीमती गुगनी पत्नी मांगीलाल नि. गुलाबपुरा	40.00
230.	श्री मोहम्मद सदीक पुत्र अनवर खां नि. गुलाबपुरा	40.00
231.	श्री गोपी पुत्र हजारी श्रीमति गुलाबी पत्नि गोपी विश्नोई नि. पांसल	60.00
232.	श्री नारायण पुत्र होकमा श्रीमति हगामी पत्नि नारायण नि. भीलवाड़ा	60.00
233.	श्रीमती गंगा पत्नी माधु दास नि. बिलेश्वर	40.00
234.	श्री देबीलाल पुत्र हरजी चमार व श्रीमती बाली पत्नी देबीलाल नि. जहाजपुर	60.00
235.	श्रीमती नूरजहां पत्नी नसीर खां नि. जहाजपुर	40.00
236.	श्रीमती केसर पत्नी भूवाना बलाई नि. टोकड	40.00
237.	श्री कजोड़ पुत्र गोमदा खटीक नि. जहाजपुर	40.00
238.	श्रीमती रहमत पत्नी हसन मोमीन नि. भीलवाडा	40.00
239.	श्रीमती ललाले पत्नी हजारी चमार नि. कोलपुरा	40.00
240.	श्री सवाई पुत्र कजोड़ मोलल नि. निम्बाहेडा	40.00
241.	श्री जगदीशचन्द्र पंचोली पुत्र मोहनलाल नि. जहाजपुर	40.00
242.	श्री ईसाई पुत्र रहमान छीपा नि. शाहपुर	40.00
243.	श्री जीवनसिंह पुत्र सुमेरसिंह नि. भीलवाडा	40.00
244.	श्रीमती गेबी पत्नी कालू रेबारी नि. भीलवाड़ा	40.00
245.	श्री मासनदास पुत्र श्री चंगुमल श्रीमती बासीबाई पत्नी मामदास नि. भीलवाड़ा	60.00
246.	श्री धर्मी बाई पत्नी देणा भाम्बी नि. भीलवाड़ा	40.00

(153)

1	2	3
247.	श्री छगनलाल पुत्र रामकरण व श्रीमती छाऊ पत्नी छगनलाल नि. पुर	60-00
248.	श्री माधु पुत्र देवा दरोगा माण्डलगढ़	40.00
249.	श्री शंकर पुत्र खेमा बंजारा नि. भीलवाड़ा	40.00
250.	श्रीमती लाडकंवर पत्नी सज्जनसिंह नि. भीलवाड़ा	40.00
251.	श्रीमती सुगनी पत्नी आसाराम नि. भीलवाड़ा	40.00
252.	श्रीमती भूरी पत्नी जगन्नाथ भीलवाड़ा	40.00
253.	श्रीमती नानी पत्नी अलादीन नि. कोटड़ी	40.00
254.	श्री श्रवण पुत्र राधाकृष्ण गुसांई नि. भीलवाड़ा	40.00
255.	श्रीमती नारायण बाई पत्नी नाथुराम भीलवाड़ा	40.00
256.	श्री जगनाथ पुत्र किशना जाट नि. माण्डल	40.00
257.	श्रीमती गलकू बाई पत्नी परमानन्द माण्डलगढ़	40.00
258.	श्री मोहनलाल पुत्र श्यामलाल नि. पुर	40.00
259.	श्री प्रेमचन्द पुत्र फुलाकोली नि. भीलवाड़ा	40.00
260.	श्रीमती गट्ठूबाई पत्नी खेमराज ब्राह्मण नि. भीलवाड़ा	40.00
261.	श्रीमती जमनी पत्नी लक्ष्मण भील नि.	40.00
262.	श्रीमती सरजु पत्नी शंकरसिंह राजपूत	40.00
263.	श्री डगु बाई पत्नी रामदास	40.00
264.	श्री सरजु पत्नी रतनीम बैरागी	40.00
265.	श्रीमती जमनाबाई पत्नी भूरपुरी गोसांई	40.00
266.	श्रीमती राधाबाई पत्नी सीताराम साधु	40.00
267.	श्री रामचन्द्र पुत्र गिरधारी कुम्हार नि. सांगानेर	40.00
268.	श्रीमती प्रतापी पत्नी मांगु नि. पुर	40.00
269.	श्री नवरंग पुत्र अनमतसिंह मीणा श्रीमती गंगाबाई पत्नी नवरंग नि. भीलवाड़ा	60.00
270.	श्रीमती जसोदा पत्नी साधु नि. भीलवाड़ा	40.00
271.	श्री मोहनसिंह पुत्र अमरसिंह नि. सालरा	40.00
272.	श्री शकुर पुत्र हमीरा हरिजन नि. भीलवाड़ा	40.00
273.	श्रीमती धापु पत्नी नारायण व भाग्वो नि– कालाखेड़ा	40.00
274.	श्री महबूबअली पुत्र श्रीमती खातून पत्नी महमूद अली नि. भीलवाड़ा	60.00
275.	श्री सूरजमल पुत्र हजारी यादव	40.00
276.	श्रीमती चन्दा पत्नी शमशुदी रेगर	40.00
277.	श्रीमती जेतुन पत्नी मोदीन	40.00

1	2	3
278.	श्रीमती फूली पत्नी प्रेमसिंह	40.00
279.	श्रीमती कस्तूरी पत्नी जगनाथ लखरा नि. भीलवाड़ा	40.00
280.	श्रीमती इमामी पत्नी मांगू छीपा पुर	40.00
281.	श्रीमती मांगी बाई पत्नी बालजी दरोगा	40.00
282.	श्रीमती देऊ बाई पत्नी भैरूलाल लखरा	40.00
283.	श्री कलशु पत्नी गोसिन	40.00
284.	श्रीमती उछीबाई पत्नी लवा मोची	40.00
285.	श्रीमती लक्षु पत्नी नबदीन बक्ष	40.00
286.	श्रीमती अयोध्या देवी पत्नी गंगाबिशन	40.00
287.	श्रीमती राधा बाई पत्नी लेखनराज	40 00
288.	श्रीमती गुलाबी पत्नी अलादीन सोरगर	40.00
289.	श्रीमती सोसरबाई पत्नी जगनाथ नायक भीलवाड़ा	40.00
290.	श्रीमती सरजु बाई पत्नी शंकरपुरी	40.00
291.	श्रीमती हुलीला पत्नी चांदु पिनारा नि. पुर	60.00
292.	श्री अलानूर पुत्र इस्माइल व श्रीमती शलदन पत्नी मुनीर खां	60.00
293.	श्री मुनीरखां पुत्र फयाज व श्रीमती हाजरा पत्नी मुनीर खां	40.00
294.	श्रीमती गुलाब बाई पत्नी रूगनाथदास नि. कोवाखेड़ा	40.00
295.	श्रीमती चांदबाई पत्नी भैरू रेगर नि. सांगानेर	40.00
296.	श्री चन्दन गिरी पुत्र महावीर प्रसाद गुसांई	40.00
297.	श्रीमती लाली पत्नी ऊंकार चमार	40.00
298.	श्रीमती दाख पत्नी प्रताप गाडरी	40.00
299.	श्रीमती खेमी पत्नी खटुमल सिंधी भीलवाड़ा	40.00
300.	श्री शंकरलाल पुत्र रामलाल माली नि. भीलवाड़ा	40.00
301.	श्री ग्रहमद पुत्र मकातल पुत्र शकुर	40.00
302.	श्री शफी मोहम्मद पुत्र इस्माइल छीपा	40.00
303.	श्री फतह मोहम्मद पुत्र बलुजी फकीर	40.00
304.	श्री माधु पुत्र भूराराम भाम्बी	40.00
305.	श्री कल्याण मल पुत्र गंगाराम शर्मा	40.00
306.	श्री भूरा पुत्र हीरानाथ	40.00
307.	श्री हजारी पुत्र किशना दरोगा	40.00
308.	श्री मेघा पुत्र मोडा खटीक नि. सांगानेर	40.00
309.	श्री कालूराम पुत्र श्री होतुमल सिंधी भीलवाड़ा	40.00
310.	श्रीमती हसीना पत्नी मोहम्मद हुसैन बोहरा	40.00

1	2	3
311.	श्री महबूब अली पुत्र याकूब मोहम्मद	40.00
312.	श्री मोयुद्दीन फकीर पुत्र अब्दुल बसीर	40.00
313.	श्री नन्दा नाथ पुत्र भोला नाथ	40.00
314.	श्री रामनिवास पुत्र मांगीलाल लखारा	40.00
315.	श्री रहमान खां पुत्र मोहम्मद खां पठान	40.00
316.	श्री अबदुल जब्बार पुत्र अब्दुल गफार	40.00
317.	श्री शोभामल पुत्र आलूमल सिंधी	40.00
318.	श्री इकबाल पुत्र महमूद अली काजी	40.00
319.	श्री मोमन पुत्र भूरा हरिजन	40.00
320.	श्री रामलाल पुत्र नन्दराम माली नि. पुर	40.00
321.	श्री किशन पुत्र बाल किशन सांसी	40.00
322.	श्री फतहलाल पुत्र मथुरा लाल कोठारी	40.00
323.	श्री रतनलाल पुत्र सुवा लाल रेगर	40.00
324	श्री रतनलाल पुत्र अमर चन्द बापणा	40.00
325.	श्री गोविन्दराम पुत्र उदयलाल शर्मा	40.00
326.	श्रीमती केशरबाई पत्नी देवीलाल तेली	40.00
327.	श्रीमती धापू बाई पत्नी चुन्नीलाल गजन	40.00
328.	श्रीमती मदीना पत्नी ईदुखां नि. सांगानेर	40.00
329.	श्रीमती सरवन्ती पत्नी माविया सांसी	40.00
330.	श्रीमती जड़ाई पत्नी हजारी जाट	40.00
331.	श्रीमती जन्नत पत्नी नूर मोहम्मद	40.00
332.	श्रीमती रहमत पत्नी करीम फकीर	40.00
333.	श्रीमती नन्दु पत्नी भेला कीर	40.00
334.	श्रीमती बदामी पत्नी जगनाथदास नि. कांवाखेड़ा	40.00
335.	श्री गाम पत्नी रामचन्द्र दरोगा नि. भीलवाड़ा	40.00
336.	श्रीमती अनूप बाई पत्नी भूरा खन्डेलवाल	40.00
337.	श्रीमती खरि पत्नी हीरालाल सुथार	40.00
338.	श्रीमती चांदी पत्नी बालू भील	40.00
339.	श्री केला पुत्र गोकल ओड व श्रीमती फेफी पत्नी केला जोड़ नि. भीलवाड़ा	60.00
340.	श्री गुलाब पत्नी सुवालाल रेगर	40.00
341.	श्रीमती सरस्वती पत्नी सीताराम दरोगा	40.00
342.	श्रीमती गोमी बाई पत्नी मच्छर मल सिंधी	40.00

1	2	3
343.	श्रीमती बसीरन पत्नी जमाल नि. भीलवाड़ा	40.00
344.	श्रीमती लाड़ पत्नी लादू हरिजन नि. भीलवाड़ा	40.00
345.	श्रीमती जमकु पत्नी धन्ना माली नि. पुर	40.00
346.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी मान्डुरावजी दर्जी नि. भीलवाड़ा	40.00
347.	श्रीमती धन्नी पत्नी गुलाब कुमार नि. भीलवाड़ा	40.00
348.	श्रीमती गफूरन पत्नी बल्लूखां पठान नि. भीलवाड़ा	40.00
349.	श्री काले खां पुत्र केशर खां पठान	40.00
350.	श्री कालू पुत्र भर जी दरोगा नि. भीलवाड़ा	40.00
351.	श्री बाबु खां पुत्र ^लु शेख भीलवाड़ा	40.00
352.	श्री कानेदास पुत्र रामचन्दगा बैरागी नि. भीलवाड़ा	40.00
353.	श्री बालकनाथ उर्फ चुन्नीलाल पुत्र सोनाथ नि. पुर	40.00
354.	श्री किशना पुत्र चतुरभुज कुमावत नि. भीलवाड़ा	40.00
355.	श्री भैरू पुत्र गोविन्द कोली	40.00
356.	श्री सोहन लाल पुत्र रघुनाथ कोली	
	श्रीमती राखी पत्नी सोहनलाल नि. सांगानेर	60.00
357.	श्री खेता पुत्र रघुनाथ	
	श्रीमती जमकु पत्नी खेता खारोल नि. भीलवाड़ा	40.00
358.	श्रीमती उदीर पत्नी बरदा भील नि. मान्डल	40.00
359.	श्री नोला पुत्र हांसा	
	श्रीमती घासु पत्नी नोला नि. मान्डल	60.03
360.	श्रीमती शकुर बाई पत्नी इस्ताकअली नि. मान्डल	40.00
361.	श्रीमती रामचन्द्री बाई पत्नी कजोड़ तिवाड़ी	
362.	श्रीमती भोड़ी पत्नी गोरधन लुहार	50.00
363.	श्रीमती चान्दी पत्नी कल्याण लुहार	40.00
364.	श्रीमती वारसी पत्नी गुलाब खां भोमींया	40.00
365.	श्रीमती शान्तिबाई पत्नी शिवनारायण तिवाड़ी	40.00
366.	श्रीमती गटू पत्नी मजीर पठान	40.00
367.	श्रीमती जमीला खातुन पत्नी साहबुदीन छीपा	40.00
368.	श्रीमती शहिदी पत्नी अजीज खां, पठान	40.00
369.	श्रीमती कोयली पत्नी बदरी ब्राह्मण	40.00
370.	श्रीमती सीता पत्नी मूलचन्द हरिजन	40.00
371.	श्रीमती कल्याणी बाई पत्नी साधु राम बिरला	40.00
372.	श्रीमती गंगा बाई पत्नी रामनाथ बिरला	40.00

1	2	3
373.	श्रीमती घीसी बाई पत्नी भागु भील	40.00
374.	श्रीमती वरजी पत्नी मानु कसाई	40.00
375.	श्री जमाल खां पत्नी शेर खां पठान	40.00
376.	श्रीमती जमना पत्नी रिछपाल सिंह जाट नि. माण्डल	40.00
377.	श्रीमती धापु पत्नी भेर-भाट नि. मान्डल	50.00
378.	श्री उदा पुत्र दोला चमार	40.00
379.	श्री भूरी पत्नी लालु भील	30.00
380.	श्रीमती दासी पत्नी मोहन ताजी	40.00
381.	वासी पत्नी मूला माली	40.90
382.	श्रीमती इंदली पत्नी छोगा माली नि. मान्डल	40.00
383.	श्रीमती संबतबाई पत्नी जयनारायण ब्राह्मण	40.00
384	श्री लेहरू लाल पुत्र हजारी लाल शर्मा नि. गंगानगर	40.00
385.	श्रीमती पानबाई पत्नी मोहन लाल जोनगर नि. गंगानगर	40.00
386.	फातमा बाई बेवा लालु मुसलमान नि. गंगानगर	40.00
387.	श्रीमती नानी बेवा रामचन्द्र जीनगर नि. गंगानगर	40.00
388.	श्रीमती भवरी पत्नी भवाना माली	40.00
389.	श्रीमती दाखी बाई पत्नी उदा घांची	40.00
390.	श्री तुलसी राम पुत्र गुलाब मांभी कस्तुरी पत्नी तुलसी राम नि. मुलुनी	60.00
391.	श्री नाथु पुत्र भुरा भान्ड दाखी पत्नी नाथु नि. गंगापुर	60.00
392.	श्रीमती देऊ पत्नी कालु रावत	40.00
393.	श्रीमती सेरजु पत्नी नारायण हरिजन	40.00
394.	श्री नन्दा पुत्र खेमा रेगर	40.00
395.	श्री भेरू लाल पुत्र चतुरभुज जीनगर	40.00
396.	रामदेव पुत्र गोकल माली	40.00
397.	श्री अहमद पुत्र मोला बक्स	40.00
398.	श्रीमती भुरी पत्नी रूपा मांभी	40.00
399.	श्री डाल चन्द पुत्र भुरा लाल कुमार	40.00
400.	श्रीमती मोहनी बाई पत्नी भीमराज सुनार	40.00
401.	श्रीमती गोकली पत्नी जगु जी जीनगर	40.00
402.	श्रीमती गोरी पत्नी उदा राम रेगर	40.00
403.	तुलसी राम पुत्र बेणा रेगर	40.00

1	2	3
404.	श्रीमती रामसुखी वेवा मोती जी जीनगर	40.00
405.	श्रीमती भुरी बाई पत्नी सुगन सिंह नि. भीलवाड़ा	40.00
406.	श्रीमती दाखा पत्नी नोला सुनार नि. पोटला	40.00

जिला कोष अधिकारी
भीलवाडा

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 15 से संबंधित सूचना)

(5000/–रुपयों से अधिक बकायादारों की सूची)

क्र.सं.	नाम व पता	ग्राम का नाम	बकाया राशि रुपये–पैसे	विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र भैरूंसिंह, राजपूत निवासी खेड़ली	खेड़ली	30,921.52	तकावी एवं खाद–बीज नोटः–इसका दावा न्यायालय मुन्सफी, कोटा (दक्षिणी) में चल रहा है।
2.	श्री अशोक कुमार ध्रुव कुमार	लाखरी	31,031.00	तकावी एवं खाद–बीज
3.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, विनायका	विनायका	14,736.00	तकावी गोदाम
4.	श्री कालू पुत्र चन्दा मीणा	मूडली	14,293.00	खाद–बीज की बकाया
5.	श्री सूरजमल पुत्र घासीलाल मीना	राजोदिया	8,000.00	तकावी खाद–बीज
6.	श्री बालमुकुन्द पुत्र रामनाथ साकिन इटावा	इटावा	10,180.00	,, ,,
7.	श्री भैरु पुत्र चन्दा मीणा	विनायका	8,900.00	तकावी
8.	श्री बद्रीलाल पुत्र सुखदेव सा. लूहावड़	लूहावड़	8,953.20	तकावी खाद–बीज
9.	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राजपूत घटोद	पम्पिंग सैट घटोद	6,000.00	तकावी

160

1	2	3	4	5
10.	श्रीमती घासीबाई धर्मपत्नी तोकमल महाजन	मोहनपुरा	27,710.00	तकावी
11.	श्री प्रहलाद पुत्र भंवर लाल ककावदा	ककावदा	11,000.00	"
12.	श्री कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल टांक	नीनोला	9,600.00	"
13.	श्री किशनगोपाल पुत्र हरदेव मीना सा. नान्ता	नान्टा	5,521.00	"
14.	श्री भगवती प्रसाद पुत्र रामचन्द्र निवासी डोरली एवं ओंकारलाल भगवती प्रसाद एवं रामचन्द्र डोरली	डोरली	8,500.00	"
15.	श्री तेजमल पुत्र हाथीमल महाजन मोहनपुरा	मोहनपुरा	14,340.40	तकावी खाद–बीज
16.	श्री गोविन्द सहाय पुत्र बाबूलाल जाट	गणेशखेड़ा	11,104.40	खाद–बीज बकाया
17.	श्री मांगीलाल पुत्र छगनलाल शर्मा	"	6,515.00	"
18.	श्री हरिवल्लभ पुत्र नाथूलाल जाट सा. गणेशखेड़ा	"	6,047.50	"
19.	श्री रामलाल पुत्र श्री कृष्णचन्द दाधीच	"	7,065.00	"
20.	श्री नाथूलाल पुत्र रघुनाथ जाट सा. अपान	अपान	9,890.20	"

1	2	3	4	5
21.	श्री प्रभूनाथ पुत्र गोरुनाथ	विनायक	5,053.74	खाद बीज बकाया
22.	श्री रामकरण पुत्र हरिशचन्द्र मीना एण्ड हरिश चन्द्र पुत्र गोपीलाल	कवान्हा	13,380.00	,,
23.	श्री शिवसिंह पुत्र सुल्तान सिंह खेड़ली	खेड़ली	5,122.00	,,
	कुल योग:		2,82,663.76	

परिशिष्ट–8

(प्रतारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची)

Details of Medical Bills drawn by Shri Radhey Shyam Garg 1979-80.

S. No. 1	Name of Patient 2	Name of Hospital 3	Period 4	Details of Medicine 5	Amount 6	
1. 254/1-2-80	Smt. Sushila Devi Wife	J. L. N. H., Ajmer	30-10-79 to 25-11-1979	12 Cap. Recilor 12 Tab. Crocin 1 Bott. Livogin	6.00 2.28 10.86	19.14
2.	Sh. R. S. Garg Self	G. Dis. Diggi Bazar Ajmer	28-10-79 to 6-11-1979	14 Tab. Unicazyml 42 Cap. Amebiatics	2.66 26.46	29.12
3.	—do—	Ayurvedic Aushdhalaya, Sawai Madhopur	22-11-1979 to 29-11-1979	Chvyanprash (Dabar) Chandra Prabhawati	39.15 3.25	42.40
4.	Ku. Anjana Daughter	G. Dis. Diggi Bazar, Ajmer	28-10-79 to 2-11-79	4 Tab. Crocin 5 Tab. Becodex	0.80 1.25	2.05
						92.71
1. 278/3-3-80	Shri R.S. Garg Self	Govt. D.S. Bhilwara	8-2-80	42 Tab. Phemipan 5 Tab. Avafortin	12.60 3.00	15.60
2.	Ku. Anjana Daughter	Govt. D. S. Diggi Bazar, Ajmer	5-2-80	1 Bott. Beredryl Two inj. Baralgun	5.60 4.60	10.20
	—do—	—do—	6-12-79 to 13-12-79	1 Bott. Becosules 1 Bott. Melrogyl	3.93 8.32	12.25

	4. Sh. R. S. Garg (Self)	Govt.D.S.Diggi Bazar, Ajmer	24-1-80	Cap. Tronergic ,, Tetex Tab. Cobatex	17.10 4.06 3.08	24.24
	5. Ku. Anjana (Daughter)	—do—	15-1-80	6 Tab. Ultragin Oint. Dolopan	1.50 6.60	8.10
						70.39
					G. T.	163.10
52/30-6-80	1. Sh. R. S. Garg (Self)	Govt. Diggi Dispensary	12-5-80 to 29-5-80	(1) 15 Tab. Celestamine (2) One Tube Dexatropic	4.05 5.40—9.45	
	2. Ku. Anjana (Daughter)	—do—	9-5-80 to 16-5-80	(1) One Tube Betnovat (2) Ten Tab. Grisovin (3) 7 Tab. Celin (4) Tab. eyrisorin	4.37 7.04 1.40 5.65—18.46	
	3. Smt. Sushila (Wife)	—do—	5-5-80 to 18-5-80	(1) Eidrox	4.30—4.30	
	4. —do—	—do—	5-5-80 to 20-5-80	(1) Waxolive ear drops	4.90—4.90	
	5. Ku. Sunila (Daughter)	—do—	1-4-80 to 14-4-80	(1) Lederplex (2) Terramyan	9.51 6.53—16.04	
	6. Sh. R. S. Garg (Self)	—do—	9-5-80 to 23-5-80	(1) 5 Tab. Neurobion (2) 10 Tab	3.80 7.80—11.60	

163

1	2	3	4	5	6		
7.	Ku. Anjana (Daughter)	Govt. Diggi Dispensary	28-5-80 to 6-6-80	1. 7 Tab. Celin 2. One Tube Betnovant 3. 12 Tab. Grisovin 4. 16 Tab. ,, 5. One Tab. Decaris 6. One Tube Neosporin	1.40 4.37 5.64 7.52 3.89 3.40	—	26.22
8.	Ku. Anjana (Daughter)	Govt. Diggi Disp.	11-5-80 to 15-5-80	1. Bot. Leduplex 2. Terrunycies 3. Cgoci Avomb 4. Tab.	9.40 6.53 4.52 0.20	—	20.65
9.	,, ,, ,,	—do—	11-6-80 to 15-6-80	1. Tab. Grisovin 2. One Tube Bitrovut 3. Tab. Ccim 4. Tab Grisovin	4.05 11.00 1.40 5.52	—	21.97
10.	Sh. Radhey Shyam	—do—	23-8-79 to 30-8-79	1. 9 Cap. Throcyclin 2. Cap. Throcyclin	6.30 6.30	—	12.60
11.	Ku. Santosh (Daughter)	—do—	26-8-79 to 30-8-79	1. Tab. Suckel	2.07	—	2.07
12.	Smt. Sushila (Wife)	—do—	3-6-80 to 16-6-80	1. Tab. decacls 2. Tab. Malzayal 3. Cap. Cobadex 4. Bot. Mucarin	3.39 6.60 6.60 9.50	—	26.59
13.	Sh. Radhey Shyam (Self)	—do—	10-6-80 to 18-6-80	1. One Tube guard 2. Tab. Celestone 3. Tab. guadcclar 4. Mycodom 5. Tab. Cellstram	5.10 2.43 5.10 5.04 1.60	—	29.27

81/7-8-80	1.	Sh. R. S. Garg (Self)	Nasirabad	26-6-80 to 4-7-80	1. 9 Tab. comofin 2. 3 Tab. Macraperon 3. 1 Tube Practosedyl	1.89 0.81 6.40—9.10
90/20-8-80	1.	Ku. Sunita (Daughter)	Diggi Bazar Dispen.	11-8-80 to 13-8-80	1. 20 Cap. Restecline	13.60—13.60
	2.	Sh. R. S. Garg (Self)	—do—	25-7-80 to 29-7-80	1. One tube Dexatopic 2. One Bottle Mycoderm	5.40 4.90—10.30
	3.	—do—	—do—	15-7-80 to 17-7-80	1. One Bottle Vitazim 2. 30 Tab. Entoberx	11.95 8.40—20.35
	4.	Ku. Anjana (Daughter)	J. L. N. Hospital Ajmer.	22-5-80 to 30-6-80	1. 42 Tab. Zolandin 2. 20 Cap. Alpercalin 3. 15 Tab. Zolandin 4. 6 Tab. Avil	14.28 30.00 5.10 0.54—49.92
103/10-9-80	1.	Sh. R. S. Garg (Self)	—do—	24-2-80 to 28-2-80	1. 21 Tab. Perideca 2. 3 Cap. Becosule	9.03 1.50—10.53
127/21-10-80		—do—	Diggi Bazar Dispen.	21-9-80 to 25-9-80	1. 30 Tab. Zeet 2. 10 Cap. Becosule 3. 1 Tube Betnovit	0.60 5.30 4.40—10.30
	2.	—do—	—do—	12-8-80 to 29-9-80		
176/19-12-80	1.	Sh. R. S. Garg	—do—	16-9-80 to	1. 1 Sulfa Eyedrops	4.35—4.35
221/7-7-81	1.	Shrimati Sushila (Wife)	—do—	30-12-80 to 7-1-81	1. One Bot. Benadryl 2. 14 Tab. Triple 3. 7 Tab. Surbext 4. Tab. Refagon 5. Tab. Femdix	5.60 3.08 2.94 3.78 6.52—21.92
	2.	—do—	—do—	10-1-81 to 14-1-81	1. 15 Cap. Proxyvan 2. One Tube Relaxil	11.25 5.70—16.95
	3.	Ku. Santosh (Daughter)	—do—	22-11-80 to 30-11-80	1. 15 Tab. Actifed 2. 4 Tab. madirfin	3.00 2.64—5.67

165

1	2	3	4	5	6
	4. R. S. Garg (Self)	Diggi Bazar Disper.	3-1-81 to 20-1-81	1. Inj. Decodurafilne 38.12 2. 12 Tab. Butarin 12.60 3. 1 Tube Runalia 3.36 4. 21 Tab. Eigiphir 6.30 5. 14 Tab. Oxypan 6.30—66.68	

श्री राधेश्याम गर्ग लेखाकार

1	2	3	4
17-9-79 से 19-9-79	टौंक, सवाईमाधोपुर	वर्ष 1980-81 हेतु उ.जि.शि.अ., टौंक एवं सवाईमाधोपुर के बजट प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु	120—43
24-9-79 से 25-9-79	बीकानेर	निदेशालय में पड़े विशेष प्रकरणों पर निदेशालय स्तर पर परामर्श करने जि.शि.अ. के साथ	152—14
4-10-79 से 7-10-79	टौंक, सवाईमाधोपुर	उ.जि.शि.अ. कार्यालय में पड़े अवशेष बिलस बनाने एवं अनिवार्य जमा (858) की राशि का मिलान करने हेतु इस कार्यालय का स्टॉक भेजा गया था उनको सुपरवाइज करने तथा करौली की रिपोर्ट एवं संतोष जैन हत्याकाण्ड मामले में एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त करने हेतु	144—48
		कार्यालय बजट 80—81 प्रस्तुत करने हेतु	88—56
7-10-79 से 10-10-79	बीकानेर	अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लेखों की जांच करने हेतु	064—36
11-10-79	किशनगढ़		
12-10-79	नसीराबाद		
5-11-79 से 10-11-79	वनस्थली व टौंक		176—22

27-10-79	जयपुर	सचिवालय (शिक्षा विभाग) में पार्ट टाईम च.श्रे.क. की नियुक्ति के संबंध में सम्पर्क करने, महालेखाकार कार्यालय से अवशेष ओ.बी.आईटम आदि की सूची प्राप्त करने एवं संयुक्त शिक्षा निदेशालय से कालातीत बिल्स की स्वीकृतियां जारी करवाने हेतु ।	59–92
14-11-79 से 15-11-79	जयपुर	संयुक्त शिक्षा निदेशालय में कालातीत बिल्स की स्वीकृतियां प्राप्त करने एवं च.श्रे.क. की नियुक्ति के संबंध में सही स्थिति की जानकारी करने हेतु	50–96
20-11-79 से 23-11-79	टोंक, सवाई माधोपुर	विशेष दल द्वारा बनाए गए बिल्स को कोषालय से पारित होने में आ रही दिक्कतों के समाधान एवं सवाईमाधोपुर में सरला सक्सेना के पेंशन प्रकरण तथा शांति देवी के वेतन स्थिरीकरण के संबंध में	166–38
26-11-79 से 27-11-79	ब्यावर	अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लेखों की जांच हेतु	50–45
21-12-79	जयपुर	गुलाब देवी के पेंशन प्रकरण एवं आयकर विभाग दानदाताओं को आयकर से मुक्ति प्रदान करवाने हेतु	50–92
23-12-79	बीकानेर	अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लेखों के अंतिमीकरण की रिपोर्ट निदेशालय में प्रस्तुत करने हेतु	97–90
15-1-80 से 18-1-80	जयपुर	मण्डल स्तरीय बैठक में लेखा संबंधी सूचना प्रस्तुत करने, कालातीत बिल्स निपटवाने एवं राजकीय मुद्रणालय से स्टेशनरी प्राप्त करने हेतु	101–92

168

1			2	3	4
28-1-80	से	30-1-80	जयपुर	काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का रिलीज आर्डर प्राप्त करने हेतु	73–92
6-2-80			जयपुर	उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अजमेर के कार्यालय में क. ले. के पदस्थान हेतु एवं श्री फूलचंद वरिष्ठ लिपिक के अन्य पदस्थापन हेतु	59–92
9-2-80			पुष्कर	पुष्कर विद्यालय में ट्रांजिस्टर के गबन की जांच के संबंध में	29–25
11-2-80			बीकानेर	विद्यालयों में मशीनरी व साज समान मद में अतिरिक्त राशि आवंटित करवाने एवं विद्यालय मरम्मत मद में टोडाभीम को आवंटित राशि को श्रीनगर विद्यालय हेतु आवंटित करवाने के लिये	98–14
17-2-80	से	20-2-80	स. मा. टोंक	काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति देखने एवं उनकी समस्याओं का निपटारा यथास्थान करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी के साथ	87–58
25-2-80	से	26-2-80	दूनी, टोंक	" एवं लेखा संबंधी कार्य का उपजिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुपरविजन करने	72–46
5-3-80			देवलियांकलां, सांपला केकड़ी, कादेड़ा, जूनिया	काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य की प्रगति की जांच करने हेतु जिशिअ के साथ	14–80
9-3-80			बीकानेर	अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लेखों के जांच प्रतिवेदन देने हेतु	98–14

13-3-80			जयपुर	सी. एस. पी. ओ. से अनुमोदित फार्म मै. खन्डेलवाल एन्टरप्राइजेज से प्रोफार्मा बिल प्राप्त करने, गेहूँ का रिलीज आर्डर प्राप्त करने तथा सचिवालय में चांदमल ऐरन तथा राजेन्द्र गोयल के मामलों में परामर्श करने।	48–36
14-3-80	से	15-3-80	टोंक, दूनी	काम के बदले अनाज योजना के कार्य में उ. जि. शि. अ. (छात्रा) टोंक से सम्पर्क करने कोषालय टोंक से प्रोफार्मा बिल्स के आधार पर बिल्स पारित करने हेतु मिलने तथा दूनी के सरपंच से गेहूं की मांग उठाने के क्रम में सम्पर्क करने हेतु	55–76
20-3-80	से	23-3-80	टोंक, उनियारा, अलीगढ़, सवाईमाधोपुर, वजीरपुर हिण्डोन, रसीदपुर, महुआ, जयपुर	जि. शि. अ. के साथ उ. जि. शि. अ. टोंक व सवाईमाधोपुर के कार्यालयों की माह मार्च से प्रोफार्मा बिल्स को पास होने में आने वाली समस्याओं का निपटारा, काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कार्य की प्रगति का उप जिला शिक्षा अधिकारी टोंक के कार्यालय में वित्तीय वर्ष संबंधी समस्याओं का कोषालय से सम्पर्क	202–36
28-3-80	से	29-3-80	देवली, टोंक	कर निराकरण	
4-80			किशनगढ़	श्रीमती अमीना बेगम के कालातीत बिल की जांच के संबंध में	32–52
8-4-80	से		जयपुर	सी. एस. पी. ओ. की फर्म से माल डिस्पेच करवाने तथा शिक्षा संयुक्त निदेशक जयपुर तथा सचिवालय के कार्यालयों में पुराने मामलों को निपटाने हेतु	59–92

169

1	2	3	4
9-4-80 से 10-4-80	बीकानेर	काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत गेहूं की दूसरी किश्त देने के आदेश निकलवाने एवं वरिष्ठ अध्यापकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन देने हेतु	98—11
13-5-80 से 16-5-80	देवली, दूनी स. मा. करौली, महुआ, मण्डावर हिण्डोन, गंगापुर, गंगापुर-सिटी	विद्यालयों के लेखा संबंधी जांच प्रतिवेदनों की पालना रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु एवं लेखा संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु	56—00
3-6-80 से 5-6-80	बीकानेर व जयपुर	रा. केन्द्रीय ना. उ. मा. वि. अजमेर में सभा भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने एवं निदेशालय में पड़े अवशेष प्रकरणों को निपटाने हेतु। जयपुर में भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की किश्त के रूप में मिलने तथा सी. एस. पी. ओ. की फर्म मै. खण्डेलवाल एण्टरप्राइजेज से माल की सप्लाई करवाने हेतु	141—47
14-6-80 से 15-6-80	जयपुर	सुगनी देवी बनाम स्टेट मामले में सरकारी वकील से जवाब दावा तैयार करवाने हेतु	73—92
16-6-80 से 18-6-80	जयपुर	जवाब दावे में जो डिसपुट था, अतः दूसरा रिकार्ड लेकर सरकारी वकील के पास गया	73—92
24-6-80 से 28-6-80	देवली	रा.उ.मा.वि. देवली के विभागीय व महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की पालना पूर्ण करने हेतु	63—30

29-6-80	से	30-6-80	जयपुर	सुगनोदेवी के मामले में जवाबदावा बनवाने व श्री चांदमल ऐरन के मामले में दिनांक 30-6-80 को ट्रिब्यूनल में तारीख पर उपस्थित होने	73–92
6-7-80	से	7-7-80	जयपुर	श्रीमती सुगनदेवी के मामले में जवाब दावा पर सरकारी वकील के हस्ताक्षर कराने हेतु तथा लीला निश्चल के मामले में जवाबदावा तैयार कराने हेतु तथा सचिवालय से प्रकरण निपटाने हेतु एवं ओ. बी. आइटम का समायोजन कराने हेतु	73–92
9-7-80			जयपुर	लीला निश्चल जिसने ट्रिब्यूनल में अपील पेश करी उसका एरियर स्टेटमेन्ट तैयार कराने हेतु	64–46
16-7-80	से	18-7-80	स. माधोपुर जयपुर	उ. जि. शि. अ. सवाई माधोपुर के उ. मा. वि. का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा जयपुर में सुगनी देवी चांदमल ऐरन के मामले में सचिवालय में निपटाने हेतु	155–04
20-7-80			जेठाना	प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध शिकायत की जांच जिला शिक्षा अधिकारी के साथ	29–92
6-3-80	से	10-8-80	टोंक, वनस्थली, टोंक	उ. जि. शि. अ. टोंक कार्यालय में कालातीत बिलों को तैयार कराने हेतु ताकि निदेशक (शिक्षा) द्वारा लगाये गये विशेष दल के सम्मुख प्रस्तुत कर सके वनस्थली में डी. ए. एरियर की कर महालेखाकार के बकाया आक्षेपों की पालना तैयार कराने हेतु तथा पुनः टोंक लौटकर जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क	122–52

1	2	3	4
		कालातीत बिलों की स्वीकृतियां तैयार कराई तथा उप जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यमुक्त कराया तथा रा.बा.उ.मा.वि., टोंक का निरीक्षण किया	
17-8-80 से 18-8-80	जयपुर	एसेम्बली क्वेश्चयन्स का जवाब संयुक्त निदेशक के यहां देने पुष्पलता टिक्कीवाल शकुन्तला सिन्हा के मामलों में वकील से जवाब दावा बनवाने तथा टी. एफ. दौला के मामले में ट्रिब्यूनल में उपस्थिति देने।	73–92
23-8-80	जयपुर	चांदमल ऐरन के मामले में वित्त विभाग ने क्वेरी के जवाब में रिकार्ड लेकर सचिवालय गया तथा ए. जी. आफिस से ओबी आइटम के समायोजन हेतु तथा चांदमल ऐरन के मामलों में सरकारी वकील से मिला	59–92
28-8-80	जेठाना	जेठाना विद्यालय भवन की मरम्मत के भुगतान की जांच	28–80
29-8-80 से 31-8-80	बीकानेर	काम के बदले अनाज व भवन मरम्मत संबंधी कार्य की सूचना प्रस्तुत करने प्रशासनिक स्वीकृतियों को एक्समीडाइट कराने हेतु मुख्य लेखाधिकारी से परामर्श	102–21
7-9-80 से 8-9-80	जयपुर	नगर परिषद स्टाफ जो राज्य सेवा में ले लिया गया था के 23 कर्मचारियों द्वारा ट्रिब्यूनल में दावा किया गया उनके संबंध में राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क करने हेतु तथा सचिवालय से कार्यालय भवन में किराए के भुगतान की स्वीकृति जारी करवाने हेतु	75–92

11-9-80	से	12-9-80	टोंक	निदेशालय के निर्देशों के अनुसार टोंक जिलों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बजट एस्टीमेट तैयार कर प्राप्त करने के लिए	76–32
18-9-80	से	19-9-80	स. माधोपुर	सवाईमाधोपुर जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बजट एस्टीमेट तैयार कराकर प्राप्त करने हेतु	103–84
21-9-80	से	22-9-80	जयपुर	श्रीमती सुदेश कुमारी स. अ. द्वारा ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई उसमें राजकीय वकील से जवाब दावा तैयार कराया तथा दिनांक 22-9-80 को चांदमल ऐरन की अपील की पेशी में विभाग की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुआ	82–12
24-9-80	से	27-9-80	अलीपुर	चौथा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अलीपुर के न्यायालय में सम्मन पर न्यायालय में सरकारी गवाह के रूप में	313–50
6-10-80	से	8-10-80	बीकानेर	निदेशालय में बजट प्रस्तुत करने हेतु	132–24
15-10-80	से	16-10-80	किशनगढ़	अनुदान प्रार्थना-पत्रों की जांच करने	54–12
22-10-80	से	23-10-80	ब्यावर	अनुदान प्रार्थना-पत्रों की जांच करने	58–90
3-11-80			जयपुर	पुष्कर विद्यालय के न्यायालयों के मामलों में विधि विभाग से जवाबदावा अनुमोदित कराने	76–32
4-11-80	से	5-11-80	बीकानेर	एक्स्ट्रा ग्राण्ट लेने, काम के बदले अनाज योजना के लिए गेहूं का आवंटन कराने तथा सुरेशचन्द्र शर्मा को. लि. की जांच के सम्बन्ध में मुख्यलेखाधिकारी से सम्पर्क करने	118–21

1	2	3	4
3-12-80 से 7-12-80	वनस्थली	वनस्थली विद्यालयों के अनुदान प्रार्थना-पत्र की जांच हेतु	154–88
16-12-80 से 17-12-80	जयपुर, उनियारा	संयुक्त निदेशालय के कार्यालय में वरिष्ठता सूची देने तथा सवाई माधोपुर, उनियारा जि. शि. अ. के साथ टोंक के साथ कार्यालय के निरीक्षण में लेखा संबंधी जांच करने	89–12
24-12-80 से 24-12-80	ब्यावर	जि. शि. अ. के साथ विद्यालय के निरीक्षण में लेखों की जांच एवं वहां के लेखा संबंधी प्रोबलमों के निराकरण	28–19
25-12-80 से 27-12-80	बीकानेर	अनुदान प्रार्थना-पत्र निदेशालय की अनुदान शाखा में परामर्श कर संभलाने हेतु	
7-1-81 से 9-1-81	जयपुर	दिनांक 7-1-81 को सुगनी बाई के अपील में विभाग की तरफ से न्यायालय में उपस्थित तथा 8 व 9 ता. को जि. शि. अ. को राष्ट्रीय पुस्तक मेले में पुस्तकों के सलेक्शन कर उनकी लिस्टें आदि बनाने में सहयोग	104–32
11-1-81	जयपुर	पुस्तक मेले में निदेशक महोदय के निर्देशानुसार पब्लिशरवाइस सप्लाई आदेश तैयार कर डिलीवर करने हेतु	76–32
22-1-81 से 23-1-81	जयपुर	श्रीमती प्रमिला माथुर के मामले में जवाब दावा वकील से बनाकर दि. 23-1-81 को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु	90–32

1-2-81	से	2-2-81	बीकानेर	जिला शिक्षा अधिकारी के साथ लेखों एवं अन्य अन्य पैड़े पेण्डिग प्रकरण लेकर गया	183-09
					5074-03

नोट : उक्त यात्राएं जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार की गई हैं वे उन्हीं के द्वारा प्रमाणित भी की गई है।

176

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का विवरण)

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

जनवरी, 1980 से मार्च, 1980 तक खर्च किये गये का विवरण:—

क्र. सं.	विवरण	बजट में रखी गई राशि रुपये	कुल राशि खर्च रुपये
1	2	3	4
1.	अम्बामाता योजना:—	3,42,000/-	
	(1) अम्बामाता स्कीम में नाली का निर्माण		3,322.49
	(2) फुटपाथ बनाया प्लाट नं. 2 अ से 19 अ		10,742.13
	(3) अम्बामाता स्कीम में सप्लाई किया गया मेटेरियल 20 एम. एम.		2,302.27
	(4) आयुर्वेदिक कालेज के पास मुख्य सड़क पर नाली का निर्माण		13,428.55
	(5) वाणिज्य के पार्क का निर्माण अम्बामाता		7,111.59
2.	हिरण मगरी सैक्टर 3 से 6	7,90,000/5	
	(1) डब्ल्यू. बी. एम. रोड सैक्टर 5 से 6 प्लाट नं. 27 से 421		15,707.10
	(2) नाली निर्माण सैक्टर 4 हिरण मगरी योजना		3,782.29

1	2	3	4
	(3) निर्माण डब्ल्यू. बी. एफ. लिंक रोड जो सेन्टर 3 से 6 हि. म.		24,138.87
	(4) नाली निर्माण प्लाट नं. 446 से 503 सैक्टर–4		12,877.88
	(5) डब्ल्यू. बी एम रोड निर्माण आर. एस. वी. एरिया 11 सैक्टर–5		903.60
3.	हिरण मगरी सैक्टर 11.13 जोड़ी गई माछ का मगरा : 5	4,80,000/5	
	(1) पार्क की दिवार का निर्माण मछला मगरा		8,159.22
	(2) नाले का निर्माण सैक्टर 11 प्लाट नं. 291 आई. से 291 म		23,004.49
	(3) 20 एम. एम. थोक प्रेमिक्स कारपे. सैक्टर 11		4,149.50
	(4) नाला निर्माण सैक्टर 11 अन्दर की तरफ अशोक स्कूल		14,993.47
	(5) दुबारा निर्माण 20 एम. एम. थोक परेमीक्स कारपेर–सैक्टर 11		1,009.30
4–	हिरण मगरी सेक्टर–9	1,80,000/–	
	(1) डब्लू. बी. एम. रोड का निर्माण सैक्टर–9, हिरण मगरी		18,050.00
5–	सैक्टर एरिया योजना	1,17,000/–	
	(1) टेकरी गांव से माली कालोनी एक की सड़क के रिपेरिंग		7,022.73
	(2) नाली निर्माण सेन्ट्रल एरिया		268.12
6–	माछला मगरा व पोटो की मगरी	11,000/–	

1	2	3	4
	(1) डब्लू. बी. एम. रोड जोड़ी गई 265 पाठों की मगरी		2,470.34
	(2) नाली का कार्य प्लाट नं. 30 32, 368 पाठों की मगरी.		2,396.69
7–	शोपिंग सेंटर सामने रेल्वे स्टेशन	2,13,000/–	
	(1) नाले की मरम्मत व कार्य शहर दीवार का.		9,453.71
8–	अप्सरा होटल के सामने उदयपार्क	52,000/–	24,222.75
9–	हाथीपोल योजना	40,000/–	
	(1) मरम्मत कार्य सीमेन्ट से नाले का करवाया हाथीपोल		626.29
	(2) दुकानों का निर्माण हाथीपोल उदयपोल, उदयपुर		405.82
10–	अम्बामाता–ओ. टी. सी. योजना	2,73,000/–	
	(1) डब्लू. बी. एम. रोड प्लाट नं. 761 से 768 तक का निर्माण ओ. टी. सी.		8,940.00
11–	फतेहसागर स्वरूप मोती मगरी	2,00,00/–	
	(1) मोती मगरी में कम्पाउण्ड निर्माण		10,995.61
	(2) मोती मगरी में पार्क का निर्माण		11,134.24
	(3) नाली का निर्माण		8,114.54
12.	प्रताप नगर योजना	1,75,000/–	
	डब्लू बी.एम. रोड का निर्माण प्रताप नगर		7,604.59
13.	स्लूम–कलेरिन्स योजना	1,33,000/5	34,244.85
14.	सौन्दर्यकरण	2,00,000/–	195.00
15.	रोड का कार्य	2,00,000/5	33,269.36
16.	पार्क व पौधे	1,50,000/–	50,198.04
17.	सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन	75,000/–	21,641.02
18.	टूल्स और पौधे	2,00,000 –	10,131.10
19.	भूमि अवाप्ति	8,00,000/–	3,658.55
		कुल योग	4,10,755.57

179

नगर विकास न्यास, उदयपुर

हिरण मगरी सैक्टर नं. 3, 4, 5, 6 और डोरेनगर

विकास कार्य अप्रेल, 1980 से जनवरी 1981

क्र.सं.	नाम कार्य	कार्य की राशि	कुल राशि
1	2	3	4
1.	मुख्य सड़क का निर्माण सं.	50541.05	36000/– पूर्ण होने में
2.	कारपेटींग रोड सैक्टर–4		70000/– पूर्ण
3.	डब्लू. बी. रोड का कार्य	89314 93	60000/– पूर्ण होने में
4.	नाली निर्माण सरफेस सं. 3	11880.00	11500/– पूर्ण
5.	निर्माण कार्य सरफेस नाली	26869.05	लिया जाना है लिया जाना है
6.	डब्लू. सी. एम. रोड का कार्य सैक्टर–5	13577.00	" "
7.	डब्लू. बी. रोड अन्दर	373030.24	28000/– पूर्ण होने में
8.	वेन्डिनिंग रोड सैक्टर–3 से 6 व राजमेर कोटड़ा	126735.91	80000/– "
9.	पार्क का निर्माण सैक्टर–4 क्वार्टर नं. 16 अ. 2 आर. एस. ई. बी.	18498.61	16000/– पूर्ण
10.	सैक्टर नं. 4 में पार्क का निर्माण	19376.36	10000/– पूर्ण होने पर
11.	पार्क निर्माण प्लाट नं. 1119 से 1125 सैक्टर–4	18865.00	16000/– पूर्ण
12.	सामान सप्लाई किया बी. टी. कार्य सैक्टर–5	17414.29	17500/– पूर्ण
13.	सामान सप्लाई किया रोड सं. 4	18755.30	19000/– पूर्ण
14	डोरे नगर में रोड हेतु कारपेटिंग का सामान दिया	10577.70	10500/– "
15.	सामान दिया पार्क निर्माण सं. 4	19020.75	8500/– "
16.	पूर्ण नाली का निर्माण सैक्टर नं. 4 (पश्चिम)	93667.92	22000/– अन्डर प्रोग्रेस
17.	पार्क का कार्य सं. 5	6700.00	2000/– "
18.	डब्लू. बी. एम. रोड प्लाट नं. 9236 1926–1091 से 1087, 1050 से 1051	32460.29	" "

1	2	3	4	
19.	निर्माण कार्य एरिन सं. 3 फेस III आर.एम.ई.बी.	119433.37	अन्डर प्रोग्रेस	
20.	निर्माण कार्य बारह दुकान सं. 5	78031.36	,,	
21.	सामान दिया वी. डी. कार्य सं. 5 फेस–II	11999.95	,,	
22.	नाला निर्माण सेक्टर नं. 5 से 4	30138.46	– अर्थ वर्क प्रगति पर है।	

हिरण ममरी सैक्टर 11 से 13 मन मोहन कोलोनी माछलामगरा

1.	कारपेंटिंग रोड सैक्टर 11,13		50.000/–	पूर्ण कार्य
2.	नाली कार्य प्लाट नं. 445 से 450 सैक्टर –11	19,310.00	8,000/–	जारी है
3.	नाला व सिटी वाला कार्य	92,294.02	35,000/–	,,
4.	पार्क का कार्य सं.–11	39,555 07	20,000/–	,,
5.	सरफेस नाली का कार्य सैक्टर नं. 13	41811.30	,,	लिया जाना है
6.	पार्क का कार्य सैक्टर नं. 13	25,568.00	12,000/–	जारी है
7.	डब्लू वी.एन.रोड प्लाट नं. 126 से 230 सैक्टर नं. 11	12,152.00	12,000/–	पूर्ण
8.	कारपेंटिंग का सामान दिया रोड सं. 13	7,137.07	7,000/–	,,
9.	कारपेंटिंग का सामान दिया सं. 11	15,029.70	7,000/–	जारी है
10.	मनमोहन कोलोनी का सभी रोड का सामान दिया।	3,219.63	3,000/5	पूर्ण
11.	सरफेस नाले का निर्माण सं. 11 से प्लाट नं. 7–6 2.42	13,441.82	7,000/–	जारी है
12.	सरफेस का कार्य सं. नं.–11	35,478 07	8000/–	,,
13.	नाली का निर्माण प्लाट नं. 67 से 58 सं. 11	19,415.00	18,000/–	पूर्ण
14.	नाले का कार्य प्लाट नं. 265 से 259 सं. नं. 11	10,634 00	–	कार्य जारी है
15.	नाले का निर्माण सं. 291 से 238 सैक्टर नं. 11	36,083 74	–	,,
16.	नाला आर.एच.एस.माछलामगरा जोड़ा	33.208.89	–	,,

1	2	3	4	
	सेन्ट्रल ऐरिया और माली कोलोनी			
1.	कारपेंटिंग रोड का कार्य सेन्टर एरिया	–	40,000/–	पूर्ण
2.	डब्लू वी.एम.रोड का कार्य माली कालोनी	17,709.23	15,000/–	,,
3.	पार्क का निर्माण	14,229.67	3,000/–	जारी है
4.	नाली का कार्य	97,707.90	16,000/–	,,
5.	नाली मरम्मत मनमोहन कालोनी	12,523.40	6,000/–	,,
6.	सामान दिया	2,714.79	2,700/–	,,
	सैक्टर नं. 12			
1.	कारपेंन्टिंग वर्क रोड सैक्टर नं. 12		20,000/–	पूर्ण
	सैक्टर नम्बर 9 और 16			
1.	लाइन दी गई	5772.00	5,700/–	,,
2.	लेबर कार्य (डिपार्टमेंटल)	––	––	जारी है
	सीटी स्टेशन उदयपोल			
1.	सिटी बाल के रंग	3,180.20	3,000/–	पूर्ण
2.	नाली निर्माण सिटी स्टेशन उदयपुर	58,867.32	35,000/–	जारी है
	उदयपोल से सूरजपोल			
1.	नीचे ग्रेन्डिग व कारपेंटिंग रोड			पूर्ण
	अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1981 तक का कार्य विवरण			
	अम्बामाता			
1.	रीटेनिंग वाला कार्य	75.000/–	––	कार्य जारी है
2.	निर्माण कार्य पार्क के पीछे भवन अशवमी वाटी	63,000/–	15,000/–	,,
	निमंचमाता			
3.	नाली का कार्य	3[illegible],547/–	जनवरी में कार्य शुरू किया।	
	खरोल फतेहपुरा			
4.	नाली का कार्य प्लान नं. 16 से 91, 101–91 6"×4"	14,084/–	13,000/–	पूर्ण

1	2	3	4	
5.	नाली का कार्य प्लान नं. 16 से 91, 101-91 6"×4"	14,306/-	14,000/-	पूर्ण
6.	ब्लैक टोपड चक सब डिविजन प्लाट नं. 22 श्री प्रताप सिंह	4000/-	2,000/-	पूर्ण
	पोलो ग्राउन्ड फतेहपुरा			
1.	नाली निर्माण कार्य	3598/-		जारी है
2.	पार्क निर्माण कार्य	10,000/-	5,000/-	पूर्ण
3.	नाली का निर्माण कार्य	2,400/-	—	,,
4.	एस.इ.एन. क्वार्टर का कार्य	60,000/-	15,000/-	,,
5.	मेंन्टक्स स्टाफ क्वार्टर	17,000/-	15,000/-	,,

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1981 के व्यय का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	एक्सपेन्डिचर	वि. वि.
	नगर विकास न्यास, उदयपुर			
1.	निर्माण कार्य सैक्टर, कर्म. यू. आई.टी.	18,000/-	16000/-	पूर्ण
	मोतीनगरी योजना			
1.	निर्माण कार्य एरिये का आउन 47, 32, 60	21,347/-	19000/-	,,
2.	पार्क का निर्माण	20,407/-	18000/-	,,
3.	ब्लेक टोप डरोड़	30 000/-	7000/-	,,
4.	पार्क में नजीये लगाये	15,000/-	,,	
	चौगान योजना			
1.	अस्पताल के पार्क का निर्माण	16,000/-	18,000/-	पूर्ण
2.	लोहे की बाउन्ड्रीज के लिये सामान दिया	7,100/-	6,800/-	,,

1	2	3	4	
हाथी पोल योजना				
1.	जहारी रोड का कार्य	4,900/-	4,200/-	पूर्ण
2.	वाणिज्य में नाली का कार्य शोपिंग एरिया	4,807/-	2,100/-	जारी
3.	हाथी पोल पार्क का निर्माण	5,5,000/-	6,000/-	,,
4.	लोहे की जारी दी गई	8,418/-	–	,,
5.	शिक्षा भवन चोराया रोड का कार्य हाथीपोल	18,100/-	14,000/-	पूर्ण

नगर विकास न्यास, उदयपुर ।

अप्रेल, 1980 से जनवरी, 1981 तक के कार्य का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य	सेनेटीड राशि	एक्सपेन्डीचर	वि.वि
अम्बामाता योजना				
1.	पार्क जिकोस प्लाट 226 से 325 का निर्माण	3664/-	3518/-	पूर्ण
2.	नाली निर्माण 6×4 प्लाट 773 से 663, 78 से 108	14377/-	10000/-	जारी
3.	नाली निर्माण कार्य प्लाट 398 से 406, 441 से 44 440	17878/-	7000/-	जारी
4.	नाली निर्माण कार्य 28 से 55 और 75	18874/-	10000/-	जारी
5.	नाली निर्माण कार्य मैनसिटी गली प्लाट नं. 21 अ से 25 अ तक	31449/-	20000/-	जारी
6.	पिसन्ट सेवा सीमेन्ट कार्य	17000/-	5200/-	,,
7.	फुटपाथ का कार्य	14300/-	10300/-	,,
8.	20 एम.एम प्रिमिक्सड	4000/-	4000/-	,,
9.	विकास मोरिया	49612/-	20000/-	,,
10.	ब्लेक टोपड रोड रिमेनिंग रोड	60000/-	7000/-	,,
11.	डब्लु सी एम. रोड सब डिवीजन प्लाट श्री बार पुरेजी	7100/-	7120/-	पूर्ण
ओ.टी.सी. योजना				
1.	सेविंग ड्रेसिंग प्लाट नं. 237 से 248 के पीछे	3417/-	23400/-	पूर्ण कार्य हो चुका है।

1	2	3	4	
2.	निर्माण कार्य पार्क प्लाट नं. 541 से 540 क्वार्टर क्लीरेन्स के पास	15020/–	13800/–	पूर्ण कार्य हो चुका है।
3.	20 एम एम भीम प्रिमिक्स	31000/–	30500/–	,,
4.	डब्लु. बी. एम. रोड प्लाट नं. 552 का निर्माण	32303/–	–	जनवरी माह से शुरू
5.	वाणिज्य योजना में कावेरा कार्य ओ.टी.सी. योजना में।	52553/–	–	,,
	अप्रेल, 80 से जनवरी, 81 तक का कार्य विवरण			
1.	विकास कार्य कारपेन्टिंग बोहरा स्कूल के सामने पार्ट "अ"	19000/–	19000/–	पूर्ण
	पाठों की मगरी			
1.	नाली कार्य	7000/–	7000/–	,,
	सुन्दरवास			
1.	नाली का कार्य	11600/–	11000/–	,,
	प्रताप नगर (1000 प्लाट)			
1.	डब्लू बी. एम. रोड कार्य	1,40000/–	30000/–	जारी
2.	नाला कार्य	1,20000/–	30600/–	,,
1.	पानी की लाईन	3,00,000/–		
2.	बिजली	2,20,000/–		
3.	मेन्टेश	4,00,000/–		
4.	ब्युटिफीकेन्स	44,000/–		
	कुल	21,43,938/–		